नवम माला, खंड 8, अंक 2

बुधवार, 8 अगस्त, 1990
17 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 63
Date 4-9-91

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 9 अगस्त, 1990/18 श्रावण, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (।)	16	"प्रतिधेदन" के स्थान पर "प्रतिवेदन" पढ़िये।
15	18	"श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये।
17	9	"श्री उत्तम राठोढ़" के स्थान पर "श्री उत्तम राठोड़" पढ़िये।
24	2	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
47	अंतिम पंक्ति	"श्री पलाई के0मैथ्यू" के स्थान पर "श्री पलाई के0 एम0मैथ्यू" पढ़िये।
52	11	"श्री कोडीक्कुन्न[illegible] सुरेश" के स्थान पर "श्री सुरेश कोडी[illegible]न्नील" पढ़िये।
58	14	"श्री ए0सी0के0कु[illegible] स्वामी" के स्थान पर "श्री सी0के0कुप्प[illegible]नी" पढ़िये।
71	नीचे से 8	प्रश्न संख्या "5[illegible] स्थान पर "523" पढ़िये।
73	17	"श्री श्रीकांत द[illegible]सिंह राज वाड़िया" के स्थान पर "[illegible]कांत दत्त नरसिंह राज वाडियर" पढ़िये।
87	नीचे से 5	"प्रो0प्रेम धूमाल" [illegible] स्थान पर "प्रो0 प्रेम कुमार धूमाल" पढ़िये।
91	9	"श्री डा0एम0पुदटे गौडा" के स्थान पर "श्री डी0एम0पुदटे गौडा" पढ़िये।

94	नीचे से 3	"श्री डी0आमत" के स्थान पर "श्री डी0अमात" पढ़िये।
97	17	"मंत्री" के नाम के पश्चात "(क)" अतः स्थापित कीजिये।
98	नीचे से 3	"श्री लखवंत कौर" के स्थान पर "श्री सुखबंस कौर" पढ़िये।
105	नीचे से 4	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" पढ़िये।
111	नीचे से 5	"श्री सो0के0कुप्पु स्वामी" के स्थान पर "श्री सी0के0कुप्पु स्वामी" पढ़िये।
122	4	"श्री एस0पी0थोराट" के स्थान पर "श्री एस0बी0 थोरट" पढ़िये।
130	नीचे से 11	"(ख)" के स्थान पर "(ख)और (ग)" पढ़िये।
133	11	"(ख और)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
147	6	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
150	नीचे से 1	शीर्षक में "क्षेत्रो" के स्थान पर "क्षेत्रों" पढ़िये।
161	6	"प्रो0महोदेव शिवनकर" के स्थान पर "प्रो0 महादेव शिवनकर" पढ़िये।
173	5	"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये।
228	नीचे	"594" के स्थान पर "694" पढ़िये।
269		पृष्ठ संख्या "169" के स्थान पर "269" पढ़िये।
	11	"श्री जी0एम0बनातवाया" के स्थान पर "श्री जी0एम0बनातवाला" पढ़िये।
291	नीचे से	"श्री तदित बरस तोपदार" के स्थान पर "श्री तरित् वरण तोपदार" पढ़िये।
296	11	"श्री निर्मल कान्ति जटर्जी" के स्थान पर "श्री निर्मल कान्ति चटर्जी" पढ़िये।
331	प्रथम	"3 अगस्त" के स्थान पर "31 अगस्त" पढ़िये।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 8 अगस्त, 1990/17 श्रावण, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
3	13	"श्री मनोरंज भक्त" के स्थान पर "श्री मनोरंजन भक्त" पढ़िये ।
7	नीचे से पंक्ति 10	"श्री रामपूजन देव" के स्थान पर "श्री रामपूजन पटेल" पढ़िये ।
124	10	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
157	6	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्त: स्थापित करिये ।
158	2	"श्री बलवन्त मणावर" के स्थान पर "श्री बलवन्त मणवर" पढ़िये ।
160	नीचे से पंक्ति 2	प्रश्न संख्या "375" के स्थान पर "374" पढ़िये ।
166	प्रथम पंक्ति	शीर्षक में "बाड़" के स्थान पर "बाढ़" पढ़िये ।
170	18	"जनजाति-यों" के स्थान पर "जनजातियों" पढ़िये ।
171	8	"प्रो॰ महादेव शिवनकुर" के स्थान पर "प्रो॰ महादेव शिवनकर" पढ़िये ।
176	नीचे से पंक्ति 2	शीर्षक में "पद" के स्थान पर "दर" पढ़िये ।
258	6	"श्री सैफुद्दी चौधरी" के स्थान पर "श्री सैफुद्दीन चौधरी" पढ़िये ।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 8, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 7 बुधवार, 8 अगस्त 1990/17 श्रावण, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21, 22 और 24	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	18—272
तारांकित प्रश्न संख्या : 26 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 235 से 240, 242 से 247, 249 से 285, 287 से 289, 291 से 299, 301 से 305 307 से 329, 331 से 394 और 396 से 467	29-252
सभा-पटल पर रखे गए	272—274
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	275
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	276—277
*(एक) कुवैत में भारतीयों की स्थिति	
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	276
*(दो) पाकिस्तान की घटनाएं	
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	277
(तीन) जून 1990 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पनवाड़ी गांव में हुए जातीय झगड़े	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	
(चार) गाजियाबाद-साहिबाबाद दिल्ली सैक्शन के साहिबाबाद स्टेशन पर गैर-अंतर्पाशित कार्य प्रणाली	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	328—330
कार्य-मंत्रणा समिति	278
तेरहवां प्रतिवेदन	
रबड़ (संशोधन) विधेयक	278—281
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री अरंगिल श्रीधरन	278
श्री पी० सी० थामस	279—281

*सभा पटल पर रखे गए

विषय	पृष्ठ
सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक	281—282
पुनःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	281
प्रो० एन० जी० रंगा	281—282
सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 के बारे में वक्तव्य-सभा पटल पर रखा गया	282
श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद	282
नियम 377 के अधीन मामले	282—286
(एक) बंगलौर-तेलीचेरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की मांग	
श्रीमती बासव राजेश्वरी	282
(दो) विशाखापत्तनम के अराकू और अनन्तगिरि के आदिवासी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में रसोई गैस के लिए वितरण प्रणाली स्थापित किए जाने की मांग	
श्रीमती उमा गजपति राजू	282—283
(तीन) गुजरात में सिरेमिक और सैनिटरी का सामान बनाने वाली इकाइयों में कोयले की कमी से उत्पन्न असंतोष को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार को अधिक कोयला आबंटित किए जाने की मांग	
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट	283-284
(चार) बिहार में दर्जियां और पुडियां के बीच कोसी नदी पर बांध बनाने का काम अविलम्ब पुनः शुरू किए जाने की मांग	
श्री दसई चौधरी	284
(पांच) मध्य प्रदेश के लिए खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेल का कोटा बढ़ाए जाने की मांग	
श्री सुमित्रा महाजन	284
(छः) बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य किए जाने की मांग	
श्री तेज नारायण सिंह	285
(सात) तीन बीघा गलियारा बंगलादेश को पट्टे पर देने का प्रस्ताव रद्द किए जाने की मांग	
श्री अमर राय प्रधान	285

(आठ) केरल में चावल का मूल्य कम करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य में वितरण करने हेतु चावल का कोटा बढ़ाए जाने की मांग

प्रो० के० वी० थामस 285

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक 287—303

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री हरीश रावत 287—291

श्रीमती सुभाषिनी अली 291—295

श्रीमती सुमित्रा महाजन 295—297

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 297—299

कुमारी मायावती 299—301

श्रीमती उमा गजपति राजू 301—303

नियम 193 के अधीन चर्चा 303—328

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचार

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 308—310

श्री जगपाल सिंह 311—314

चौधरी मुल्तान सिंह 314—316

श्री कालका दास 316—320

श्री राम सजीवन 320—324

श्री गोपाल सिंह मक्कासर 324—328

लोक सभा

बुधवार, 8 अगस्त, 1990/17 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, कृपया कम से कम आज तो मेरी ओर ध्यान दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 21, श्री मनोरंजन भक्त।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जग पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री जग पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सुन लें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपको रोज सुनता हूं। मेरी बात सुन लें और बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री जग पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में हरिजन एट्रोसिटी बहुत बढ़ी है। मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि 2 बजे लंच के तुरन्त बाद इस विषय को लिया जाना चाहिए। इसको 4 बजे लेने से सभी पार्टीज के लोग बोल नहीं पायेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मनोरंजन भक्त···

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें। कल माननीय सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था, उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया था। लेकिन दूरदर्शन द्वारा उसे नहीं प्रदर्शित किया गया। गत सत्र में भी दूरदर्शन द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया। आप बैठ जाइये। मेरी बात मानो आप बैठ जाइये। मि० मिनिस्टर···

(व्यवधान)

श्री जग पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरिजन एट्रोसिटी पर होने वाली चर्चा को इतने लैट नहीं लेना चाहिए। इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे गम्भीरता से ले रहा हूं। पिछड़े वर्ग के लोगों, हरिजनों, महिलाओं और मुसलमानों के विषय में इस हाउस में कोई व्यक्ति नहीं है जो इसे गम्भीरता से नहीं लेता। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, आप बैठ जाएं। मि० मिनिस्टर···

(व्यवधान)

श्री जग पाल सिंह : मेरा मलिक साहब से भी अनुरोध है कि इस डिस्कशन को पूरा समय दिया जाना चाहिए। सारे देश में लोग मारे जा रहे हैं, जिन्दा जलाए जा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जग पाल सिंह जी, बैठिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसको रखा गया है। मैंने आपको सुना, आप बैठिए। येस मि० मिनिस्टर।

(व्यवधान)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

+

*21. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री जनार्दन तिवारी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष से वनस्पति तेल सहित अन्य खाद्य तेलों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा त्योहारों के आगामी महीनों के दौरान मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं; और

(ग) मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान खाद्य तेलों तथा वनस्पति के थोक मूल्य सूचकांक में लगभग क्रमशः 24% तथा 16% वृद्धि हुई है। सरकार मूल्यों के बढ़ते रुख को रोकने के लिए उपाय कर रही है।

(ग) खाद्य तेलों के मूल्यों के बढ़ते रुख को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) हाल के महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित तेलों की सप्लाई को बढ़ाया गया है।

(ii) खाद्य तेलों तथा वनस्पति के विनिर्माताओं सहित थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं के पास स्टाक की मात्रा में कमी।

(iii) खाद्य तिलहन स्टाक सीमा निचले स्तर की ओर प्रत्यावर्तित।

(iv) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंक अग्रिमों के लिए न्यूनतम सीमा में बढ़ोतरी के आदेश।

(v) केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने तथा मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है।

(vi) तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए परम्परागत तेलों के साथ परिष्कृत अपरम्परागत तेलों के मिश्रण की अनुमति दी गई है।

(vii) परिष्कृत रेपसीड/सरसों तेल पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है।

(viii) सरसों के तेल के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए वनस्पति में एक्सपेलर सरसों तेल के 20% तक प्रयोग को बन्द करने के आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर देते समय सत्य नहीं बोला क्योंकि खाद्य तेलों के बारे में मूल्य सूचकांक बाजार में उससे ज्यादा है, जितना उन्होंने उल्लेख किया था। सिर्फ यही नहीं, जब आप इसे खरीदने जाएं तो हर राज्य में, हर स्थान में कीमत अलग होगी। मैं द्वीप प्रदेश से आया हूं जहां खाद्य तेल में सौ प्रतिशत वृद्धि की गई है। अतः माननीय मंत्री ने जिस मूल्य सूचकांक का उल्लेख किया वह सही नहीं है।

फिर, दूसरी बात यह है कि...

अध्यक्ष महोदय : आपको दो प्रश्न पूछने हैं। अब पहले प्रश्न पर आइए।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मंत्रीजी ने उनके द्वारा किए गए कई उपायों का उल्लेख किया है। अगर आपके पास काफी राशि है तो आप बाजार से कितना ही तेल खरीद सकते हैं। तब, कमी का प्रश्न असंगत लगता है। अगर ऐसा है तो, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने देश में तेल की वास्तविक कमी के बारे में कोई अध्ययन किया है और खाद्य तेल की आवश्यकता देश में कितनी है। मंत्रीजी ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आयातित तेल वितरित किया जाएगा। आयातित तेल कहां है? मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना तेल आयातित किया गया है। अतः, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई अध्ययन किया है, खाद्य तेल की जरूरत, आयातित तेल की मात्रा और मांग को पूरा करने के लिए भविष्य में कितनी मात्रा में खाद्य तेल आयात करने की सम्भावना है विशेषकर त्यौहार के महीनों में।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना

चाहता हूं कि पूरे देश में खाद्य तेल की खपत इस साल 57.72 लाख मीट्रिक टन है और 3.38 लाख मीट्रिक टन हमने उसको आयात किया है और माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे करेंगे। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और हम विदेशी मुद्रा से विदेशों से तेल मंगा सकते हैं और आवश्यकतानुसार उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कल वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि एडीबल आयल मंगाने के लिए काफी दूध पाउडर निर्यात करेंगे। और उसके बाद हम खाद्य तेलों का आयात करेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी आवश्यकता होगी और जितनी कमी पड़ेगी, हालांकि पूरा तो मंगाया नहीं जा सकता, लेकिन इतनी समस्या पैदा नहीं होने दी जायेगी कि देश के लोगों को परेशानी हो। जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों में हमेशा दाम बढ़ता है, खासकर तेलों का, क्योंकि यह उत्पादन का समय नहीं होता है। फिर भी सरकार सतर्क है कि किसी भी तरह से तेलों का दाम ऊपर न उठें। मैं चाहूंगा कि आप सब सरकार से सहयोग करें, तभी यह समस्या हल हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार जमाखोरों के विरुद्ध अभियान चलाने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करने के लिए राज्य सरकार से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सारे देश में जमाखोरों के विरुद्ध कितने छापे मारे गए और कौन-कौन से राज्यों में जमाखोरों के विरुद्ध किए गए अभियानों में पाए गए खाद्य तेल की मात्रा कितनी है ? खाद्य तेल की नियमित जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या सरकार खजूर के बागों का क्षेत्र बढ़ाने पर विचार करेगी विशेषकर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में जहां यह पर्याप्त सफल सिद्ध हो रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो-होर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं कि देश में कितने छापे पड़े।

श्री राम पूजन पटेल : जो रेड्स पड़ी हैं वह 43 हजार 363 हैं और बहुत-सी चीजें पकड़ी गई हैं, कइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसे देख रहे हैं। जो होर्ड करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री जनार्दन तिवारी : पिछले 6 महीने के दौरान जो मूल्य वृद्धि हुई है उसमें डालडा के एक किलो के दाम 25 रुपये से 37 रुपये तक बढ़ गए, दूसरे तेल के भाव एक किलो के 25 रुपये से 35 रुपये हो गए, सरसों का तेल 25 रुपये से 33 रुपये प्रति किलो हो गया, कोकोनेट आयल का दाम 28 रुपये से 40 रुपये किलो हो गया और सीमेंट का भाव 78 रुपये प्रति बोरी से 108 रुपये हो गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि दामों को क्यों बढ़ने दिया गया ? क्या यह बात सही है कि आयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया, आल इण्डिया सूगर मेनुफेक्चर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया आल इण्डिया सीमेंट मेनुफेक्चर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया से बात करके दाम बढ़ाये हैं या नहीं ? एक तरफ तो सरकार इनसे माल लेकर दाम बढ़ा देती है और दूसरी तरफ दाम कम करने की हमसे बात करती है। इसीलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन एसोसिएशन वालों से मिलकर जो कुकर्म सरकार कर रही है क्या वह सही है ? क्योंकि इसी का नतीजा है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है ?

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने जो बात कही कि दाम बढ़े हैं तो इस सम्बन्ध में कोई भी सरकार इजाजत नहीं दे सकती है लेकिन यह स्पष्ट बता दिया गया है चूंकि इस वर्ष देश में तिलहन का उत्पादन कम हुआ है जिसके कारण कुछ भाव बढ़े हैं और देश में उस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात करना पड़ेगा। इस आयात से अपने मुल्क पर और ज्यादा कर्जा बढ़ जाएगा तो देश की स्थिति को देखते हुए हमें संयम के साथ रहना होगा और यह प्रयत्न करना होगा कि कीमतें न बढ़ें और कमी भी न हो जैसा कि पहले होता रहा है और हम बाहर से मंगाते रहें जिस कारण देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। इसलिए माननीय सदस्य सारी चीजों का अध्ययन कर लें। वे जो भी सुझाव देंगे, उसको देखेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, अब आप बैठ जायें। आपको अधिकार नहीं है कि आप बार-बार पूछते रहेंगे। आप बैठ जायें।

श्री राम नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर तेल बड़े पैमाने पर लगता है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर बड़े पैमाने पर "आयल किंग" हैं, खासकर बम्बई शहर में ज्यादा हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन चारों प्रदेशों में वहां के "आयल किंग" के विरुद्ध कुछ कार्रवाई की है, उसकी जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास है या नहीं? यदि नहीं है तो सरकार उनके बारे में क्या करना चाहती है?

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने "आयल किंग" के विरुद्ध शिकायत की है, यदि वे हमें उनके नाम देंगे तो हम जांच करायेंगे और दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई प्वांइट आफ आर्डर नहीं है। श्री बाल गोपाल मिश्रा।

[अनुवाद]

श्री बाल गोपाल मिश्र : अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि खाद्य तेल की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा की जा रही है। शायद इस उत्तर का मसौदा उसी व्यक्ति ने तैयार किया हो जो इसे पिछली सरकार के लिए कर रहा था। क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अस्तित्व कागज कलम तक ही सीमित है? शहरी जनता अपना कोटा पाने के लिए सचेत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोटा कभी भी नहीं पहुंचता। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि खाद्य तेलों समेत सभी आवश्यक वस्तुएं ग्रामीण जनता तक पहुंचें?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आयल किंग कौन है, यह सरकार को मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है और सरकार को भी मालूम है।

श्री राम नाईक : सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : तो मैं क्या करूं? राम नाईक जी अब आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री बाल गोपाल मिश्र : क्या इस प्रकार वितरण न किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अपराध माना जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य को मालूम है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है । हो सकता है कहीं-कहीं दिक्कतें हों, कोई परेशानी हो और व्यवस्था में भी दिक्कतें हों । प्रदेश सरकार से सम्पर्क कर कार्रवाई की जा रही है । यदि ऐसी बातें हों तो सदस्य को बताना चाहिए । जहां तक तेल का सम्बन्ध है, देश के अन्दर मार्च 90 में 35200 मीट्रिक टन तेल एलाट किया गया है । (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : गांवों के अन्दर तो आता ही नहीं है ।

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, अगर गांवों में नहीं पहुंचता है तो यह हम सब की जिम्मेदारी है कि उस चीज को देखें और उसको बंटवाने की व्यवस्था करें । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक सुझाव है जिसमें मैं प्रश्न के रूप में रख रहा हूं । पहला सुझाव यह है कि··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राय साहब, सवाल पूछिए, सजैस्शन की तरफ मत जाइए ।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : मैं प्रश्न के रूप में अपना सुझाव रख रहा हूं । पहला, खाद्य तेलों की कमी का एक कारण है देश में तिलहनों का कम उत्पादन । मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी कृषि मंत्रालय का परामर्श लेंगे और छोटा नागपुर के सारे पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्रों में अधिक तिलहनों जैसे मूंगफली, का उत्पादन करने की सम्भावनाओं का पता लगायेंगे । यह उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर सकता है । दूसरा सुझाव यह है कि महोदय, जैसा कि आप जानते ही होंगे इस सरकार ने समस्याओं से निपटने के लिए कई रचनात्मक तरीके खोजे हैं । उदाहरण के लिए पैट्रोल की समस्या के समाधान के लिए रविवार को सभी पेट्रोल पम्प बन्द किए गए हैं । इसी प्रकार, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार यह कमी को पूरा करने के लिए रविवार को तेल रहित भोजन बनाने की घोषणा करने के सुझाव पर विचार करेगी ।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, यह जरूरी है कि अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन करके देश के किसानों को सप्लाई किए जाएं ताकि किसान उत्पादन बढ़ाकर अपनी स्थिति सुधार सकें और हमारे देश में तिलहनों आदि की कमी न रहने पाये । इस मामले में हमारी सरकार पूरी तरह सचेत है और हमने इस दिशा में युद्ध-स्तर पर काम प्रारम्भ भी कर दिया है । हम देश में पामोलीन की खेती करने के विषय में सोच रहे हैं···जिससे कि धीरे-धीरे:

उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके और हमें पामोलीन के मामले में विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। ऐसा नहीं है कि सरकार इस मामले में कोई शिथिलता बरत रही है। हम जानते है कि यदि हमें आत्म-निर्भर बनना है तो प्रत्येक आयात की जाने वाली वस्तु का उत्पादन देश में बढ़ाना होगा। विदेशों पर निर्भर रहकर हम मजबूत नहीं बन पायेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी० एम० गाडगिल : महोदय, मंत्री महोदय ने किए जा रहे कई उपायों का उल्लेख किया है। मैं तीन बातें पूछना चाहूंगा। पामोलीन तेल का भाड़े सहित आयात मूल्य 6 रुपए है और राज्य व्यापार निगम को इसे 30 रुपए पर बेचने की अनुमति है। क्यों? राष्ट्रीय डेरी विकास निगम मूंगफली का तेल 20 रु० पर खरीदती है और उसे तीस रु० पर बेचने की इजाजत है। क्यों? गुजरात सरकार ने अन्य राज्यों को मूंगफली के निर्यात पर रोक लगाई हुई है। क्यों? अगर आप कदम उठा रहे हैं। तो इस तीन बातों के बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है?

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक पामोलीन की बात कही गई, माननीय गाडगिल साहब हमारे बहुत पुराने और अनुभवी सदस्य है, मुझे उनके विषय में कुछ नहीं कहना है। इससे पूर्व भी सरकार ने इस विषय पर काफी विचार किया है और कुछ समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से किसी वस्तु को दाम बढ़ाकर बेचा जाता है, उसे सभी जानते हैं।

[अनुवाद]

श्री बी० एम० गाडगिल : महोदय, मैं किसी व्यापारी की बात नहीं कर रहा, मैं राज्य व्यापार निगम की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वाणिज्य मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े न हों, संतोष मोहन देव जी, पहले सुनिए।

श्री राम पूजन देव। मैं वही बता रहा हूं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष, जी, हमारे देश में जितना पामोलीन आयल आयातित होकर आता है, वह एस० टी० सी० हमें 13,150 रुपए प्रति टन के हिसाब से देती है। उसके बाद रिफाइण्ड आदि करके हम लोग उसे करीब 19 रुपए की दर से बेच देते हैं। इसके साथ-साथ जहां तक एन० डी० डी० बी० द्वारा 20 रुपए की दर से पामोलीन आयल खरीद कर 30 रुपए की दर से बेचने का सवाल है, इसमें यदि हमें कोई अनियमितता मिलेगी, कोई अनियमितता पायी जायेगी, हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे कि वे इतनी गड़बड़ी क्यों करते हैं। हमने वह संस्था मार्केटिंग को सही व्यवस्था के लिये बनायी है, लाभ लेकर जनता को परेशान करने के लिए नहीं। उसको ओर हम देखेंगे और जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी, जनहित का विचार करके कोई निर्णय लिया जायेगा। गाडगिल साहब का सुझाव बहुत अच्छा

है, उसकी मैं तारीफ करता हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न; श्री आर० एल० पी० वर्मा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं । मेरी भी मजबूरी है । श्री आर० एल० पी० वर्मा ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में वर्गीकृत उद्योग

[हिन्दी]

*22. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में वर्गीकृत उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना करने तथा इस बारे में किसानों को जानकारी देने हेतु, तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का गांवों से नगरों की ओर श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए प्रत्येक ब्लाक में, माडल के रूप में इन उद्योगों की स्थापना करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची की मद संख्या 27 के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं —

27(1) डिब्बाबन्द फल और फलों के उत्पाद ।

27(2) दुग्ध आहार ।

27(3) माल्टेड आहार ।

27(4) आटा ।

27(5) अन्य संबंधित खाद्य-पदार्थ ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-91 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनेक विकास योजना स्कीमों को तैयार किया गया है । इन स्कीमों से प्रोसेस्ड खाद्य-उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलने की आशा है । एक बड़ी स्कीम में नये फल और सब्जी प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना और विद्यमान प्रोसेसिंग यूनिटों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों-सहकारिता उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने का भी विचार है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटे और कुटीर स्तर के फल

और सब्जी प्रोसेसिंग यूनिटों को विपणन सहायता प्रदान करने की भी एक योजना स्कीम है। इस मंत्रालय का सीधे कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य प्रोसेसिंग में क्रियाओं को प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खाद्य प्रोसेसिंग प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित करने और राज्यों में विद्यमान सामुदायिक डिब्बाबन्दी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने की एक योजना स्कीम मंत्रालय ने तैयार कर ली है। मंत्रालय ने प्रदर्शन और दौरा कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य प्रोसेसिंग टैक्नोलाजी के प्रदर्शन से ग्रामीण क्षेत्रों के फल और सब्जी उत्पादकों और प्रोसेसरों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक स्कीम भी तैयार की है। पक्षी और सुअर मांस की प्रोसेसिंग, अनाज मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण और सहउत्पादों आदि के कारगर उपयोग के लिए भी योजना स्कीमें तैयार कर ली गई हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह संतोषजनक नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने पूछा था कि गांव के विकास के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को व्यापक रूप से फैलाना है लेकिन इन्होंने व्यापक रूप से कोई ब्योरा नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वह केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में लगी हुई हैं और उनमें अरबों खरबों की पूंजी लगी है। माल्टोवा, कोर्न फ्लैक्स, मोहन मीकिन्स जैसी बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने पूंजी लगाई है। लेकिन गांवों में माडल रूप में अगर 5010 ब्लाक बने हैं तो उनमें क्या विकास हुआ है, कोई विकास की योजना नहीं बना पाए हैं, उनका ब्योरा नहीं दिया है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास खंड में राज्य सरकारों ने रोजगार बढ़ाने के दृष्टिकोण से कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अभी तक लगाई हैं और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा अभी तक कितनी यूनिटस गांवों में लगाई हैं और इनमें सरकार की कितनी पूंजी लगी है? दूसरा, 1990 में जो स्कीम बना रहे हैं उसको डिटेल बताएं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की शिकायत वाजिब हो सकती है। उनका सवाल इतना व्यापक है कि उसका जवाब एक बार में नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है और गांवों में जो उत्पादन होते हैं, उनके लिए वहां भी बेरोजगारी को मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है जोकि होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट नया विभाग है और इसके लिए अभी फाइनेंस भी बहुत कम मिला हुआ है और हमारा काम सिर्फ ऐसैस करना है। यह सारा काम भारत सरकार कई तरह से करती है जैसे ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एन० सी० डी० सी० से और बागबानी कमीशन से। इसी तरह से उद्योग विभाग में लघु उद्योग का एक अलग विभाग है और खादी ग्रामोद्योग है। इस प्रकार भारत सरकार के कई विभागों से कार्यक्रम चलते हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार पैदा होते हैं। फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट नया विभाग है और इसे हम लोगों को ऐक्सपेंड करना है। लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम नए यूनिट लगा सकें। हमारी स्कीम में कई तरह की मार्केटिंग का, ट्रेनिंग का, प्रोसेसिंग का और लोगों को टैक्नीकल नो-हाऊ देने में स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से मदद करने का काम है। देश में 442 स्माल स्केल इंडस्ट्रीज केन्द्र हैं जो इस काम में कई दिनों से लगे हुए हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, आज तो मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है लेकिन मैं उनकी संख्या बता सकता हूं। यह मेरे विभाग का सवाल नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 7-8 वर्षों से करीब दुगने उद्योग गांव की तरह बढ़े हैं और हमारे यहां जो परम्परागत उद्योग हैं उनका तरीका ज्यादा डेवलप है। पापड़, अचार और कई तरह की चीजें हमारी परम्परा में सदियों से नेचर से प्रोसेस होती हैं, खादी ग्रामोद्योग उन लोगों

को 15 हजार रुपए तक की सबसिडी भी देता है और उन लोगों का सामान बाजार में ले जाकर बेचता भी है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब अभी दिया है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी बात को टाला है। बाजार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का जहां तक सवाल है, हमारी नई सरकार यह चाहती है कि इसके द्वारा किसानों का विकास हो। इसके तहत जिन स्कीमों का उल्लेख इन्होंने किया है, उनके बारे में मंत्री जी ने डिटेल में कुछ नहीं बताया है। आलू के चिप्स अगर घर में बनाए जाएं तो वह केवल 50 पैसे के ही पड़ते हैं, लेकिन वही चिप्स बाजार में 7-8 रुपये में बिकते हैं। अगर फूड प्रोसेसिंग से संबंधित टैक्नोलोजी गांवों में पहुंचायी जाती है तो पढ़े-लिखे शिक्षित बेरोजगारों को इससे रोजगार प्राप्त हो सकता है और गांवों का भी विकास हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण सवाल को टालने से काम नहीं चलेगा और गांवों का विकास नहीं होगा। फूड प्रोसेसिंग का 1951 में कानून बना था। उस कानून के तहत जो प्रावीजन किए गए थे उनका कोई पालन नहीं हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी छोटे हैं और प्रश्न लम्बा है। (व्यवधान)

श्री शरद यादव : आपने ठीक बात कही। वह भी ज्यादती कर रहे हैं और वह छोटे आदमी से बड़ा सवाल पूछ रहे हैं ··(व्यवधान)···मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पास सीमित साधन हैं लेकिन इसके होते हुए भी हमने पूरे देश भर में स्टेट गवर्नमेंट के साथ नोडल एजेंसी बनाने का काम किया है। देश भर में जो भी सरकारी, गैर सरकारी और दूसरे तमाम तरह के जो रिसर्च सेंटर्स हैं और जो फूड प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, उनको हम कोआर्डिनेट कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। फ्रूट, वैजिटेबल, मीट, फिश और अनाज आदि की प्रोसेसिंग के लिए हमने इस बारे के बजट में 300 कौंसिल्स बनायी हैं। अगर इन सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो बहुत समय लग जायेगा···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी तरफ मत देखें, मेरी तरफ देखकर इसका जवाब दें।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो सीमित साधन हैं, उनके चलते इसको हमने 6 सेक्टर में बांटा है और इसकी 300 कौंसिलें बना कर इसके 9 पैनल बनाये हैं। मार्किट में 3-4 महीने जो फ्रूट और वैजिटेबल होते हैं उसमें से काफी मात्रा में वह सड़ जाते हैं और फूड प्रोसेसिंग में लगी आइडल मशीनें भी साल भर बेकार पड़ी रहती हैं, उन सबका पूरा उपयोग करने के लिए हम इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। फल और सब्जियों आदि के सड़ने से 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है। इन सब चीजों को दूर करने के लिये हमने ये सारी स्कीमें बनायी हैं। मैं माननीय सदस्य सदस्य की भावना को पक्के तौर पर मानता हूं। यदि गांवों की तरफ रोजगार बढ़ाना है और गांव के लोगों को अपने उत्पादन का ठीक दाम देना है तो इस देश के अन्दर फूड प्रोसेसिंग का नैटवर्क बहुत साइंटिफिक तरीके से विकसित होना चाहिये और परम्परागत तकनीक जो दुनिया भर में तैयार होती है, उन दोनों का मेल करके इस उद्योग को बहुत बड़े पैमाने पर पनपाने की जरूरत है।

श्री राम मंगल पांडे : अध्यक्ष महोदय, अब तक का जो अनुभव है, उसके अनुसार भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से या खुद स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जहां-जहां भी चलायी हैं, वे बहुत कामयाब नहीं हुई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या अपनी

इन पालिसीज में सुधार करके भारतवर्ष में जो 800 ब्लाक्स हैं, हर ब्लाक में फूड प्रोसेसिंग का एक-एक सैण्टर खोलने का कष्ट करेंगे, जिसकी ट्रेनिंग स्टेट सैण्टर पर देकर गांव वालों के दिमाग में एक भावना और एजुकेशन देंगे और उसके साथ हायर परसेण्टेज आफ सब्सिडी भी देंगे ताकि जहां-जहां बैकवर्ड एरियाज हैं या वैसे ही जो गांव है उनको 25, 30 और 35 परसेण्ट सब्सिडी दें ताकि गांव वाले स्वयं उसमें रुचि लेकर इस चीज को करें। सरकार ने जहां-जहां भी यह यूनिट शुरू किया है, वह टोटली फेल गया है इसलिए मैं इनसे कहूंगा कि पालिसी में सुधार करके पूरे भारतवर्ष में जो 800 ब्लाक्स हैं उनमें एक-एक सैण्टर खोलें और हायर से हायर सब्सिडी देकर क्रियान्वित करके सफल बनाने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय : लम्बे सवाल का संक्षिप्त जवाब दें।

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है। मैंने कहा कि हिन्दुस्तान भर में 442 औद्योगिक केन्द्र हैं, उनके जिम्मे में भी यह लगाया है। स्टेट गवर्नमेंण्ट्स के भी कुछ ट्रेनिंग सैण्टर्स चले हुए हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे विभाग की आर्थिक दिक्कत बहुत है, करीब 32 करोड़ रुपया हमारे पास है, साल भर के लिए, इस सारे विकसित और इतनी बड़ी आशाओं और विश्वासनों को पूरा करने के लिए। तो जो सीमित साधन मिले हुए हैं, उनका बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया साइन्टिफिक तरीके से इस्तेमाल करके जैसा पाण्डे जी ने कहा, बात वाजिब है कि फूड प्रोसेसिंग के जितने भी यूनिट्स है, वह ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं, इसके दो तीन चार कारण हैं। एक तो हमारे पास प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड चैन नहीं है, दूसरी चीज चाहे मीट के हों, फिश के हों और तरह के प्रिजर्व करने के हों, वह बहुत हाइजीनिक नहीं हैं, बहुत माडर्नाइज नहीं हैं, यानी कई तरह की दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों का, चुनौतियों का मुकाबला करना है और उन्होंने जो बात कही है कि ब्लाक लेविल तक एक सर्वे होना चाहिए कि कहां क्या पैदा होता है और किस तरह उसको प्रोसेस किया जा सकता है। इन सारी चीजों के ऊपर उसी दिशा में हम लोग लगे हुए हैं और, उनकी बात मानने काबिल है। इसी दिशा में हम लोग चल रहे हैं।

[अनुवाद]

डा० विप्लव दासगुप्त : अध्यक्ष महोदय मंत्री द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ग्रामीण उद्योगों की भूमिका के संबंध में उठाये गये मुद्दे के संबंध में मेरा ऐसा मानना है कि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से वास्तविकता कहीं अधिक भिन्न है क्योंकि एक ओर सरकार ग्रामीण उद्योगों को छूट दे रही है और दूसरी ओर कोको कोला, पेप्सीको जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित कर सरकार इन उद्योगों को नष्ट कर रही है। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ऐसे कार्यों में लगी हैं जो केवल छोटे ग्रामीण उद्योगों के लिये सुरक्षित हैं। हल्के पेय का उदाहरण लीजिए। काफी लंबे अरसे से इनका ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादन हो रहा है और अब इनमें सरकार पेप्सीको को आमन्त्रित कर रही है। यह सही है कि पेप्सीको का समझौता पिछली सरकार द्वारा किया गया था। हम इस सरकार से आशा कर रहे थे कि वह इस समझौते की भर्त्सना करेगी लेकिन वही नीति जारी रखी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्त कृपया मूल प्रश्न पर आइये।

डा० विप्लव दासगुप्त : जी हां, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस समझौते को समाप्त करने को तैयार है और इन कार्यों को केवल ग्रामीण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सुरक्षित करने पर सहमत है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बहुत से सवाल किये वह इस प्रश्न में खड़े नहीं होते हैं और जो सवाल उन्होंने छेड़ दिया उसमें बहुत से सवाल खड़े होते हैं। जहां तक उन्होंने नेशनल्स के बावत बात कही, पेप्सिको के बावत कही तो वह तो मैंने अकेले ने नहीं किया मैं उसको केबिनेट में ले गया और कैबिनेट ने उसको एप्रूव किया है और उसको अब कैंसिल करने का कोई इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो निश्चित रूप से विकसित होगा। लेकिन उनके रवैये में मूलत: परिवर्तन आना चाहिए। हमारी छोटी इकाईयों की मुख्य समस्या खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिसके लिए भारी निवेश करने जैसे वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिये गोदाम आदि की आवश्यकता है। यह उपलब्ध नहीं हैं। यदि कोई सहकारी रूप से भी गोदाम बनाने का प्रयास करता है तो उसे छूट के साथ वित्तीय सहायता नही मिलती है।

दूसरी बात यह है इसके बावजूद आप अपनी वस्तु का विपणन नहीं कर पाते हैं। मात्र विपणन में सहायता प्रदान करने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि किसी को प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों को बेचना पड़े तो उसके लिए काफी बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों और विपणन के लिए एक बड़ा संगठन चाहिये। क्या यह सरकार कम से कम विपणन की व्यवस्था करने और इन उत्पादों के विपणन के लिए सार्वजनिक तंत्र की व्यवस्था करने को तैयार है? तभी छोटे ग्रामीण उद्योग इसमें निवेश करके छोटी प्रसंस्कृत इकाईयों को स्थापित कर सकेंगे। आपको आलू के चिप्स चाहिये। यह तकनीक गावों में ही उपलब्ध है। यह प्रौद्योगिकी संभव है आपको छोटे स्वच्छ उपकरण थोड़े से निवेश के साथ कुटीर उद्योगों के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इन आलू के चिप्सों का विपणन कौन करेगा? यही सारा मामला है।

क्या आप विपणन सहायता प्रदान करने के बजाए विपणन तंत्र तैयार के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा है कि हमारा टैक्नीकल-नो-हाउ बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में सदियों से जो फूड प्रोसेस किया जाता है, उसमें हमारा स्किल कमाल का है और उसमें बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन वह प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के कारण मार खाता है। यह जो चिप्स की बाबत कहा जाता है कि वह नो-दस रुपये में एक-डेढ़ रुपये का चिप्स बिक जाता है, असल में लोगों के पास जो मार्केटिंग करने का सिस्टम है और जो मनी है तथा छोटे लोग उसको प्रोसेस करते हैं, तो वह उनको मार देता है। इसलिए हमने मार्केटिंग के लिए एक स्कीम बनाई है कि हम लोग उनको क्या एसिस्ट कर सकते हैं। इस बार हमने यह काम शुरू किया है। हम लिंक करेंगे, जो सरकारी संस्थाएं प्रोक्योरमेन्ट करती हैं या किसी प्राइवेट आदमी से लिंक करके सब्सिडी देकर के और जो मार्केटिंग है, जो पब्लिसिटी है, इन सारी चीजों मे हम उनको क्या सुविधाएं दिला सकते हैं, इस चीज को हमने 1991 के प्लान में इन्क्लूड किया है।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, सारी स्थिति के बाद भी कुछ जगहों पर आधुनिकीकरण के कारण फलों के विभिन्न उत्पादन के उद्योग हैं। बिहार में अपने उद्योगों के मामले में हम बहुत पिछड़े हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान भोइनी दरभंगा और मधुबनी में सहकारी क्षेत्रों में आधुनिक तरीके से फल प्रसंसाधन के बने उद्योग की ओर खींचना चाहता हूं सहकारिता के मामले में हम पिछड़े हैं, इसके लिए हम दोषी हैं। मेरा आग्रह है कि केन्द्रीय सरकार इसकी जांच करा ले कि उसमें क्या स्थिति है और क्या करना है, क्योंकि उन तीनों उद्योगों में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति लगी हुई है, जबकि वहां सभी साधन मौजूद हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एक बार इसकी जांच करा लें, ताकि उत्पादन हो ?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय भोगेन्द्र जी ने जिन यूनिटों के बारे में जानकारी चाही है, वे मुझे देंगे, मैं उनको दिखाने का काम करूंगा। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार काफी पिछड़े हुए राज्य हैं तथा बिहार में भागलपुर में मैंगों के प्रोसेसिंग करने का एक यूनिट है, लेकिन वह घाटे में चल रहा है।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, वह बन्द है।

श्री शरद यादव : मैं वही कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप मंत्री जी को सूचना दे रहे हैं।

श्री शरद यादव : मैंने खुद ही याद दिलाया है। दूसरे और भी घाटे में है, जिनमें बंगाल और उत्तर प्रदेश की सब्सिडी है। यहां पर जो कारखाने हैं, वे चल नहीं पाते हैं। भागलपुर में पचास प्रतिशत से ज्यादा यूनिट नहीं है, लेकिन वे कारखाने हमेशा हड़ताल और तमाम तरह की दिक्कतों के साथ चल रहे हैं। इसी तरह भोगेन्द्र जी ने जिन कारखानों के बारे में कहा है, मैं उनको दिखाने का काम करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री रामजी लाल सुमन।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में संशोधन

[अनुवाद]

*24. श्री रामजी लाल सुमन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में, दो बच्चों तक ही छात्रवृत्ति देने के संबंध में प्रतिबंध समाप्त करने तथा मां-बाप की आय सीमा में संशोधन करने का विचार है;

(ख) क्या केवल दो बच्चे तक ही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के संबंध में प्रतिबन्ध से गरीब अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई शैक्षिक सत्र के बीच में ही छुड़ाने पर मजबूर नहीं हो रहे हैं और क्या इससे स्कूल बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी; और

(ग) यदि हां, तो योजना में अपेक्षित परिवर्तन कब किया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, सभी स्रोतों से माता-पिता अभिभावक की आय सीमा 1-7-1989 से संशोधित की गई थी। आय सीमा में और आगे संशोधन विचाराधीन है।

एक माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के प्रतिबन्ध को हटाने का प्रश्न भी विचाराधीन है, क्योंकि, उपरोक्त प्रतिबन्ध से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्रीमती उमा गजपति राजू : प्रश्न संख्या 23 के बारे में क्या हुआ ?

श्री के० एस० राव : यह प्रश्न प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित है और इस कारण काफी संख्या में लोग कष्ट उठा रहे हैं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न 16 अगस्त के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह बहुत ही गंभीर समस्या है इतने अधिक लोगों पर इसका असर हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह प्रश्न स्थगित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा न मैं इस पर गौर करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, यह 16 अगस्त को तीसरा प्रश्न है।

श्री जनार्दन पुजारी : आज क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कैसे नजर अंदाज कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 16 अगस्त को यह तीसरा प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? यह तरीका नहीं है श्री पुजारी कृपया सभ्यता से पेश आइये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 16 अगस्त को तीसरे प्रश्न के रूप में इसे लिया जायेगा ।

श्री जनार्दन पुजारी : आपने यह निर्णय कब लिया ? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । (व्यवधान)

श्रीमती उमा गजपति राजू : केन्द्रीय सरकार चुपचाप बैठी है । हमें अपने चुनाव क्षेत्र मे जाना है और लोगों को जवाब देना है । यह प्राकृतिक आपदा का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्री इसका उत्तर 16 अगस्त को देंगे ।

श्री एस० बेंजामिन : आज क्यों नहीं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपका प्रश्न लेप्स नहीं किया है इसको अगले दिन ले लिया जायेगा । (व्यवधान)

यह प्रश्न वेलफेयर मिनिस्टरी में नहीं आता है एग्रीकल्चरल मिनिस्टरी में आता है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : यह राष्ट्रीय आपदा से संबंधित प्रश्न है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो 21 दिन पहले उसकी सूचना देनी होती है । परन्तु माननीय मन्त्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं । अत: कोई भी अन्य वरिष्ठ मन्त्री इसका उत्तर दे सकते हैं । परन्तु आप इसे स्थगित नहीं कर सकते । इस प्रकार के स्थगन की कोई प्रक्रिया नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्रीजी इसे स्थगित कर सकते हैं क्योंकि कृषि मंत्री यहां आएंगे और आप अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रश्न कृषि मन्त्रालय से संबंधित है, न कि कल्याण मंत्रालय से ।

श्रीमती उमा गजपति राजू : यह राष्ट्रीय आपदा से संबंधित प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह प्रश्न राष्ट्रीय आपदा पर है, इसीलिए कृषि मंत्री को इसका उत्तर 16 तारीख को देने का आदेश दिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या है ।

श्रीमती उमा गजपति राजू : वहां लोग कठिनाई में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कल्याण मंत्रालय को संबोधित किया गया है और यह कृषि मंत्रालय से संबंधित है । अत: इसे कृषि मंत्री को स्थानांतरित कर दिया गया है और 16 तारीख को कृषि मंत्री

यहां होंगे । प्रश्न का क्रम तीसरा है और इसका उत्तर दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसका 16 तारीख को उत्तर दे दिया जाएगा ।

श्रीमती उषा गजपति राजू : यह राष्ट्रीय आपदा पर प्रश्न है, अत: इसका उत्तर आज ही दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यह प्रश्न कल्याण मन्त्री को सम्बोधित था ।

श्रीमती के० जमुना : प्रश्न का उत्तर आज ही दिया जाना चाहिए ।

श्रीमती उषा गजपति राजू : इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । प्रधान मंत्री इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ? माननीय मन्त्री महोदय तैयार होकर आएंगे और इसका उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यह प्रश्न 16 तारीख को लिया जाएगा क्योंकि यह प्रश्न कल्याण मन्त्रालय को सम्बोधित था और कल्याण मंत्री का कहना है कि यह उनके अन्तर्गत नहीं आता । मैंने आपको स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । मैं बोल रहा हूं । अब श्री चितेश सिंह बोलेंगे ।

श्री चितेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती रही है । यदि कार्यसूची में कोई प्रश्न दर्ज कर दिया गया है तो सरकार दूसरे मन्त्री को इसका उत्तर देने के लिए सरलता से कह सकती है । कई बार आपने देखा होगा कि किसी एक मन्त्री द्वारा किसी अन्य मन्त्री के स्थान पर सदन में उत्तर देने का हमने विरोध किया है । (व्यवधान)

अत: यदि कोई उत्तर दिया जाना है तो सरकार वह उत्तर दे सकती है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । बात यह है कि प्रश्नकर्ता डा० असीम बाला ने यह प्रश्न कल्याण मन्त्रालय को सम्बोधित किया था । हमारा कार्यालय इस मामले में कोई दखल नहीं देता । कल्याण मन्त्री का विचार था कि चूंकि यह प्रश्न आंध्र प्रदेश के तूफान से सम्बन्धित है अत: इसका उत्तर कृषि मन्त्री द्वारा दिया जाना अधिक उपयुक्त होगा । इस प्रश्न को कृषि मन्त्री को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका उत्तर 16 तारीख को दिया जाएगा । यह प्रश्न क्रमांक तीन पर रखा गया है । यह मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह पूर्णत: आपके विवेक पर निर्भर करता है । अत: यदि आपने इसे किसी अन्य तारीख को स्थानांतरित करने का निश्चय कर लिया है तो कोई भी आपकी व्यवस्था पर

आपत्ति नहीं उठा सकता। कोई भी आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। वे यह बहुत गलती कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों की जानकारी के लिए मैं कौल तथा शकधर की पुस्तक में से संबंधित नियम पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है :

"यदि कोई प्रश्न गलती से किसी मन्त्री को सम्बोधित कर दिया जाए तो वह मन्त्री सचिवालय को यह सूचना देता है कि वह प्रश्न किसी ऐसे अन्य मन्त्री को हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह विषय आता है। ऐसी दशाओं में उपयुक्त मन्त्री के इन प्रश्नों के हस्तांतरण को सचिवालय द्वारा तभी स्वीकार किया जाता है जबकि उस मंत्री ने अपनी स्वीकृति की सूचना सचिवालय को दे दी हो, जिसे वह प्रश्न हस्तांतरित किया गया है।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न 16 तारीख को लिया जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 3 पर है। मेरा विचार है कि यह सही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप सभा का समय क्यों बेकार कर रहे हैं। मैं नहीं जानता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अजीत बाबू, आप भी मन्त्री रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? सभा को प्रश्न काल से वंचित कर आप आपका अधिकार ही कम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब, श्री भगत बोलें।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं अति सम्मान के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कौल तथा शकधर की पुस्तक से जो पढ़ा है, वह सही है। परन्तु यदि कोई प्रश्न प्रश्न-सूची में छप गया है तो इसे अवश्य ही दूसरे मन्त्री को स्थानांतरित किया जा सकता है। मैं कई वर्षों तक संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं। ऐसा सभा में कई बार हुआ है। वे यह जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत आप संसदीय कार्य मंत्री थे। क्या आप यह नहीं जानते कि प्रश्न-सूची में छपने के बाद भी प्रश्न को स्थानांतरित किया जा सकता है?

(व्यवधान)

श्री एच०के०एल० भगत : मुझे अपनी बात कहने दें। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह कृषि मंत्रालय किसी के पास है। यदि यह प्रधान मंत्री के पास हो तो कोई भी उनकी ओर से उत्तर दे सकता है। अन्यथा संसदीय कार्य मंत्री ऐसा कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके जमाने में भी होता था। जब आप मन्त्री थे, तब भी ऐसा होता था।

श्री एच० के० एल० भगत : हमारे जमाने में कभी नहीं हुआ। (व्यवधान)

[अनुवाद]

इससे सरकार की कार्यकुशलता का पता चलता है। प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मन्त्री इसका उत्तर क्यों नहीं दे सकते ? राज्य सभा में भी यह व्यवस्था की गई थी। यह भूतकाल की सभी प्रथाओं ओर प्रक्रियाओं के विरुद्ध है। सरकार को सभा से क्षमा मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरे कक्ष में आएं तो मैं आपको इसके सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सरकार के पास जवाब है, लेकिन प्रश्न प्रोप्राइटी का है। साठे साहब आप समझाइए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का सवाल है तो 16 तारीख को आयेगा। साइक्लोन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुछ किया है।

श्रीमती उमा गजपति राजू : सरकार ने क्या किया है।

श्री राम विलास पासवान : बहुत कुछ किया है। दो बार प्रधान मंत्री जी जा चुके हैं। 16 तारीख को पूरा बता दिया जायेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : इस बारे में कोई विवाद नहीं है। (व्यवधान) प्रश्न केवल यह है कि जब इसे किसी दूसरे विभाग को स्थानान्तरित किया जाए, तो पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बंगलौर के लिए "मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम"

*26. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बंगलौर के लिए "मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो क्या इसे स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे), मद्रास द्वारा किये गये एक अध्ययन के आधार पर, कर्नाटक सरकार ने सातवीं योजना में शामिल करने हेतु 650.70 करोड़ रुपए लागत की द्रुतगामी जनपरिवहन प्रणाली का एक प्रस्ताव सन 1983 में प्रस्तुत किया। संसाधन बाधाओं के कारण प्रस्ताव को सातवीं योजना में समायोजित नहीं किया जा सका। आठवीं योजना में शामिल करने हेतु राज्य सरकार से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा जल के संबंध में भारत-बंगलादेश वार्ता

*27. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में 22 जून, 1990 को ढाका में भारत-बंगलादेश के बीच हुई वार्ता के अंतिम दौर का क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या इस बातचीत में पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था; यदि नहीं, तो इनके प्रतिनिधियों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) साझी नदियों के जल के बंटवारे पर सचिव समिति के कार्य को शीघ्र निपटाने का निर्णय किया गया जिससे साझी नदियों के जल के बंटवारे के लिए व्यापक निरूपण शीघ्र तैयार किया जा सके। अगले शुष्क मौसम के प्रारम्भ होने से पहले गंगा और तीस्ता के बंटवारे पर समझौते की आवश्यकता पर संयुक्त नदी आयोग द्वारा ध्यान दिया गया।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि जल के बंटवारे पर विस्तृत चर्चा की परिकल्पना नहीं की गई थी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का स्थानांतरण

[हिन्दी]

*28. **प्रो० महादेव शिवनकर :**

श्री० तेज नारायण सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में अलग-अलग नियम और विनियम हैं;

(ख) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अभी तक इंजीनियर और उच्चतर ग्रेडों के इंजीनियर दिल्ली में एक ही स्थान पर कितने वर्षों के लिए तैनात किए जाते हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उन इन्जीनियरों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई स्थाई आदेश हैं, तो निर्धारित अवधि के बाद भी अधिकतम अवधि से एक ही स्थान पर तैनात हैं;

(घ) क्या इस आदेश का समान रूप से पालन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन मामलों में इसका पालन नहीं किया गया ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थानांतरण के सम्बन्ध में केवल मार्ग निर्देशन है।

(ख) अधीक्षक अभियन्ता के स्थानांतरण पर तब विचार किया जाता है जब उसने एक ही स्थान पर 3-4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। जनहित की आवश्यकता के अपवादिक मामलों में निर्माण महानिदेशक द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों की एक स्थान पर तैनाती के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। मुख्य अभियन्ताओं के स्थानांतरण

का निर्णय सरकार द्वारा किसी खास स्थान पर सेवा के वर्षों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशासन की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

(ग) मार्ग-निर्देशों के अनुसार, अधीक्षक अभियन्ताओं के मामले में सामान्यतः एक ही स्थान पर 3-4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) कुल मिलाकर, स्थानांतरणों पर विचार करते समय मार्ग-निर्देशनों का अनुसरण किया जाता है। अपवादिक परिस्थितियों में इस अवधि के निम्नलिखित कारणों से वृद्धि की गई है :—

(i) कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण, (ii) अगले दो वर्षों के अन्दर संभावित सेवा निवृत्ति, (iii) अधिकारियों द्वारा दिल्ली से बाहर किसी खास स्थान पर 4 वर्ष का सेवाकाल पूरा न करना, और (iv) दिल्ली में बने रहने के लिए अधिकारियों के व्यक्तिगत अनुरोधों पर विचार करना।

दिल्ली में अस्पतालों के बारे में विशेषज्ञ समिति

[अनुवाद]

*29. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के किसी अस्पताल में "एड्स" के कारण किसी राजनयिक की मृत्यु के बाद गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 6 मार्च, 1990 को आयोजित की गई एक बैठक में विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए एच० आई० वी० (ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियेन्सी वायरस) से संक्रमित व्यक्तियों की परिचर्या पर अस्पताली प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा करने के लिए 8 मई, 1990 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक ग्रुप की बैठक हुई। इस ग्रुप ने एच० आई० वी० संक्रमित व्यक्तियों और आकस्मिक संक्रमण की रोकथाम पर अस्पताली नीतियों के संबंध मे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन किया।

एड्स के रोगियो के शवों का दाह संस्कार और सम्बद्ध शव-परीक्षा तथा शव संलेपन के संबंध मे इस ग्रुप ने निम्नलिखित सिफारिश कीं :—

1. एड्स, रेबीज, हैपेटाइटिस, खसरा, जैसे संक्रामक रोगों के सभी रोगियों के शवों को दोहरी पोलीथीन के बैग मे रखा जाना चाहिए और उन्हें सील बन्द कर दिया जाना चाहिए। शरीर तथा पोलीथीन बैग दोनों पर एक टैग लगाया जाना चाहिए जिस पर मृतक का नाम और शरीर के संक्रमण का उल्लेख किया गया हो।

2. शव परीक्षा/शव संलेपन करते समय कर्मचारियों द्वारा दस्तानों तथा गम बूट का इस्तेमाल

किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को समय-समय पर संक्रामक बीमारियों से प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए।

3. संक्रामक रोगों के रोगियों के शव का संलेपन करने के लिए आम प्रपत्र तैयार किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने एड्स रोगियों के शवों की देखरेख और दाह संस्कार करने, एच० आई० वी० संक्रमित रोगियों की परिचर्या करने और अस्पतालों में आकस्मिक संक्रामक की रोकथाम करने के बारे में 2 मई, 1990 को मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

केरल को चावल की सप्लाई

*30. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सीजन के दौरान कितना चावल खरीदा गया;

(ख) केरल सरकार ने राशन की योजना के अन्तर्गत कितना चावल आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ग) अगस्त, 1990 के महीने के लिए कितने चावल की मंजूरी दी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार मासिक आबंटन बढ़ाने और "ओनम" के त्योहार के लिए अतिरिक्त कोटा मंजूर करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) पिछले विपणन मौसम अर्थात 198 -89 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान कुल 77.22 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई।

(ख) राज्य सरकार फरवरी, 1990 से प्रति मास 1.60 लाख मीटरी टन चावल का आबंटन करने की मांग कर रही है।

(ग) राज्य सरकार को जुलाई, 1990 मास के लिए 1.35 लाख मीटरी टन चावल का आबंटन किया गया था।

(घ) केरल के लिए चावल के आबंटन में जुलाई, 1990 से पहले ही वृद्धि कर दी गई है। केरल सरकार को 20,000 मीटरी टन चावल का अतिरिक्त आबंटन भी कर दिया गया है ताकि वे ओनम त्योहार के दौरान चावल की बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सकें।

(ङ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को गेहूं और चावल के आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। तथापि, ये आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं।

दिल्ली में श्रम न्यायालय

*31. श्री आर० एन० राकेश :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्तमान श्रम न्यायालयों का अत्यधिक कार्यभार कम करने तथा लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु अधिक श्रम न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने न्यायालय स्थापित किए जायेंगे;

(ग) इन न्यायालयों की स्थापना कब तक की जाएगी; और

(घ) यदि इस प्रयोजन हेतु कोई धनराशि आबंटित की गई है तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली प्रशासन द्वारा एक और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय तथा चार और श्रम न्यायालयों को गठित करने का प्रस्ताव है।

(घ) केन्द्रीय सरकार/दिल्ली प्रशासन प्रत्येक द्वारा पांच-पांच लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

कटिहार के पटसन मिलों के श्रमिकों की दुर्दशा

[हिन्दी]

*32. श्री युवराज : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कटिहार पटसन मिलों में सामान्य रूप से उत्पादन हो रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन मिलों के श्रमिकों को उनकी मजूरी का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है और उनकी भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कपड़ा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कटिहार पटसन मिल, कटिहार में इस समय कोई उत्पादन नहीं हो रहा है और यह वित्तीय कठिनाईयों के कारण वर्ष 1987 से बन्द पड़ी हुई है। यह बताया गया है कि इस मिल से 17.25 लाख रुपए प्रतिमाह की नकदी हानि हो रही थी।

(ख) और (ग) इस मिल में श्रमिकों को उनकी मजदूरी और भविष्य निधि देय राशियों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, मजदूरी, वेतन तथा सांविधिक देय राशियों के सम्बन्ध में मिल की बकाया देनदारी 4.50 करोड़ रुपए तक हैं। 31 मार्च, 1989 तक इस मिल से भविष्य निधि अंशदानों के वास्ते 50 लाख रुपए की राशि की वसूली की जानी थी।

(घ) कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार इस मिल को पुन: चालू करने की संभावना का संयुक्त रूप से पता लगा रही हैं कपड़ा मंत्रालय में बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि एक पैकेज तैयार किया जाए जिसमें इस मिल को पुन: चालू करने के लिए वार्षिक प्रायोजना और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विचारार्थ कुल तथा आवर्ती निधि आवश्यकताओं को दर्शाया गया हो। बिहार राज्य के उत्तर की प्रतीक्षा है।

भविष्य निधि की बकाया राशियों की वसूली के लिए भविष्य निधि प्राधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे हैं—

1. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करना,

2. क० भ० नि० अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाना,

3. कर्मचारी की मजदूरी से काटे गए अंशदानों का भुगतान न करने के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें दर्ज करना; और

4. क० भ० नि० अधिनियम की धारा 14-ख के अधीन हर्जाने लगाना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी का अन्यत्र उपयोग

*33. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली अधिकांश चीनी शहरों के बाजारों में भेज दी जाती है और इस प्रकार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग उचित दर की दुकानों से अपना चीनी का कोटा प्राप्त नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी की दोपहरी मूल्य नीति को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो सार्वजनिक प्रणाली संचालित करते हैं, को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि चीनी समेत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण पर नजर रखें और हेरा-फेरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।

(ग) चीनी की दोहरी मूल्य नीति को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है और मौजूदा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त साबित हुई है।

शिशु आहार संहिता संबंधी कानून

[अनुवाद]

*34. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या कल्याण मंत्री स्तनपान सम्बन्धी संहिता को तेजी से

कार्यान्वित करने के बारे में 7 मई, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मानसून सत्र, 1990 के दौरान शिशु आहार संहिता संबंधी आवश्यक कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा कानून बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निहित स्वार्थों द्वारा प्रस्तावित कानून के विरुद्ध प्रचार का खंडन करना और इसके पक्ष में अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) शिशु दुग्धाहार और दूध पिलाने वाली बोतल (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) बिल जो कि 18 नवम्बर, 1986 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था, आठवीं लोक सभा के भंग होने पर व्यपगत हो गया है। अब विभाग बिल पेश करने से पहले इस विषय पर स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त विभिन्न सुझावों पर अन्य मंत्रालयों के परामर्श से विचार कर रहा है।

(ग) निहित स्वार्थों द्वारा प्रस्तावित विधान के विरुद्ध किए जा रहे किसी प्रकार के प्रचार के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है और विभाग संसद में इसे विधान को पेश करेगा।

फ्लैटों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम

[हिन्दी]

*35. **श्री मंजय लाल** :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगामी चार वर्षों में फ्लैटों के निर्माण के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या सरकारिया समिति तथा कुछ अन्य समितियों ने सिफारिश की है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को मकान निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को मकान निर्माण कार्य बन्द करने का निदेश देने का है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का आगामी चार वर्षों में फ्लैटों को पूरा करने का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	वर्ष	पूर्ण किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या
1.	1990-91	12600
2.	1991-92	19000
3.	1992-93	26000
4.	1993-94	26500
		84100

(ख) जी, हां।

(ग) यह महसूस किया गया है कि समय के गुजरने के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह क्रिया-कलाप सौंप दिया गया जोकि दिल्ली में नियोजन और विकास की इसकी मुख्य जिम्मेवारी से असंबद्ध है।

(घ) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध अपील

[अनुवाद]

*36. श्री ए० के० राय : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार का कोई नियम है कि उस स्थिति में उनके मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक है, जब सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों का प्रबन्ध मंडल केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध अपील करना चाहता हो;

(ख) क्या गिड्डी कोयला धवनशाला के गारा श्रमिकों (स्लरी वर्कर्स) से सम्बन्धित मामले में वर्ष 1988 के संदर्भ संख्या 15 में दिए गए पंचाट के बारे में, सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा इस नियम का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को अपने प्रशासनिक मन्त्रालय से परामर्श करना पड़ता है यदि वह श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय आदि के पंचाट या निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करना चाहता है। प्रशासनिक मंत्रालय उसके बाद मामले की विधि मन्त्रालय और श्रम मंत्रालय के परामर्श से जांच करता है और उपक्रम को सलाह देता है।

इस मामले में, सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड को दिए गए कानूनी परामर्श के अनुसार, न्यायाधिकरण के पंचाट में अनेक कमजोरियां है और इसको उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन मांगा था। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई कानूनी सलाह ने भी उक्त कारंवाई की पुष्टि की। चूंकि समय बहुत कम था, इसलिए सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा उक्त रिट याचिका को सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में दायर किया गया था।

चक्षु देख-भाल सम्बन्धी नीति

*37. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित "साइट सेवर्स इंडिया पार्टनर्स" की बैठक में केन्द्रीय सरकार से चक्षु देख-भाल सम्बन्धी एक नई नीति अपनाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या सिफारिशें की गई और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विशेष कर ग्रामीण और शहरी चक्षु क्षेत्र सेवाओं के बीच असंतुलन के संदर्भ में, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 27 और 28 जून, 1990 को अपनी बैठक में नेत्र परिचर्या, नेत्र शिविरों की अपेक्षा स्थायी नेत्र परिचर्या सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने, कुछ जिलों में वृहद नेत्र परिचर्या के लिए पायलट परियोजनाएं तैयार करने, उच्च तकनीकी सेवाओं जिनमें केराटो प्लास्टी, इन्ट्राऑकुलर लेंसों को प्रतिरोपित करने आदि जिला समितियों को सक्रिय करने, शिशुओं के लिए और अधिक सेवाएं स्थापित करने के लिए उनकी अपनी-अपनी नीति तथा दृष्टिकोण के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिए गये। मोतियाबिन्द आपरेशनों की विशाल अपेक्षाओं को देखते हुए सरकार को नेत्र शिविर और अस्पताल दोनों मिले-जुले रूप में चालू रखने पड़ेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र चिकित्सा सहायकों तथा जिला स्तरीय अस्पतालों में नेत्र विज्ञान शल्य चिकित्सकों की व्यवस्था है। इसके अलावा नेत्र चिकित्सा विज्ञान के नौ क्षेत्रीय संस्थान हैं। भारत सरकार ने जिला दृष्टिहीनता नियन्त्रण सेवाओं की स्थापना के लिए राज्यों को लिखा है। 27 और 28 जून, 1990 की उपयुक्त बैठक में सुझाए गये विभिन्न उपाय पहले से ही नेत्र परिचर्या और दृष्टिहीनता की रोकथाम के प्रति सरकार के प्रयास में किए जा रहे कुछेक उपायों में शामिल हैं।

बाल श्रमिक सम्बन्धी सर्वेक्षण

*38. **श्री वामनराव डाकणे :**

श्री वामनराव महाडीक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक सम्बन्धी सर्वेक्षण किये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रतिष्ठानों में कितने बाल श्रमिक नियोजित हैं और ये किस-किस आयु वर्ग के हैं;

(ग) कितने प्रतिष्ठानों को बाल श्रम सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है; और

(घ) श्रम विनियमों का उल्लंघन करने के लिए क्या दण्ड निर्धारित किया गया है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) स्थापनावार बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार, देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या 136.4 बताई गई है।

2. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों को करना है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1988-89 के दौरान अधिनियम के अधीन 230 अभियोजन मामले चलाए गए हैं।

3. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अधीन जो कोई अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी बालक को नियोजित करता है या किसी बालक को काम करने की अनुमति देता है तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह से कम नहीं होगा परन्तु उसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है

जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगी परन्तु जिसे 20 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा। जो कोई धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है और वह इसके पश्चात भी वैसा अपराध करता है, तो वह कारावास, जो छह माह से कम नहीं होगा परन्तु जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा।

(i) जो व्यक्ति धारा 9 के अन्तर्गत नोटिस नहीं देता है;

(ii) धारा 11 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर नहीं रखता है या ऐसे किसी रजिस्टर में गलत प्रविष्टि करता है, या

(iii) धारा 3 या धारा 12 के साथ पठित धारा 14 के अन्तर्गत अपेक्षित सार को नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाता है; और

(iv) इस अधिनियम के अधीन किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन ही नहीं करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसे साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है, जो एक माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुमाने जो दस हजार रुपये तक किया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

[हिन्दी]

*39. प्रो० यमुनाथ पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 1990 के अपने प्रतिवेदन संख्या 1 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की इस बीच जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट (1990 की सं० 1) में अन्य के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण का भी उल्लेख है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों की जांच की जा रही है।

नेहरू रोजगार योजना

*40. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान "नेहरू योजगार योजना" के अन्तर्गत कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया है तथा इस योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस "योजना" के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के लिए कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार को अब तक कितनी धन-राशि दी गई है और रोजगार का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत किस प्रकार का रोजगार दिया जायेगा तथा इनसे किस श्रेणी के लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) नेहरू रोजगार योजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय बजट में 120 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से मध्य प्रदेश के लिये लगभग 11.06 करोड़ रु० का नियतन है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के स्व:रोजगार उद्यमों और मजदूरी रोजगार कार्यों की स्थापना करने की स्वतन्त्रता की गई है और इस प्रकार कोई राज्य वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । तथापि, गत वर्ष नियतित केन्द्रीय निधियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंश के साथ-साथ चालू वर्ष के परिव्यय और वित्तीय संस्थानों से ऋण उत्पन्न किये जाने वाले रोजगार के सम्भावित अवसर और प्रशिक्षित किये जाने वाले संभावित लाभग्राहियों की संख्या नीचे दी गई है ।

(लाख में)

	भारत	मध्य प्रदेश
(i) स्थापित किये जाने वाले सम्भावित स्व रोजगार उद्यम	1.50	0.11
(ii) उत्पन्न किये जाने वाले सम्भावित मजदूरी श्रम के कार्य दिवस	240	18.10
(iii) प्रशिक्षित किये जाने वाले सम्भावित लाभग्राही	0.70	0.05

(ग) योजना का उद्देश्य स्व:रोजगार उद्यमों की स्थापना करना और मजदूरी रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है । योजना के अन्तर्गत लाभभोगी शहरी निर्धन होंगे जिनका निर्धारण 7200 रु० प्रतिवर्ष प्रति परिवार की गरीबी रेखा तक और आवास तथा आश्रय उन्नयन की योजना के लिये समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा किया जायेगा जैसा कि समय-समय पर जारी किये गये हुडको मार्ग निर्देशनों में निर्धारित किया गया है ।

''एन्डोक्रीनोलोजी और मेटाबोलिज्म'' विभाग का नियमित कर्मचारियों के बिना कार्य करना

[अनुवाद]

235. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में सुपर विशेष विभाग के रूप में सात वर्ष पूर्व स्थापित ''एन्डोक्रीनोलोजी एण्ड मेटाबोलिज्म'' विभाग बिना नियमित कर्मचारियों के वस्तुत: तदर्थ आधार पर चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि अन्त:स्राविकी और चयापचय (एण्डोक्रीनोलाजी एण्ड मेटाबोलिज्म) विभाग का सृजन 1984 में एक सर्वांगपूर्ण सुपर स्पेशलिटी विभाग के रूप में किया गया था और वह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समान एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना

236. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समान भुवनेश्वर में एक आधुनिक आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) मेडिकल कालेज भुवनेश्वर, उड़ीसा में कुछ सुपर-स्पेशलिटीज के उन्नयन की संभावना पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है। इस समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है?

चीनी का आयात

237. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार ने चीनी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने आयातित चीनी बाजार में जारी की है, यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में इस समय चीनी की मांग और सप्लाई के बीच कितनी कमी होने का अनुमान है, और

(ङ) आठवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रकार कितनी कमी होने का अनुमान है और सरकार का इस कमी को कैसे पूरा करने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) अक्तूबर-नवम्बर, 1989 के दौरान चीनी की कुल 2.42 लाख टन मात्रा का आयात किया गया था। उसके बाद जुलाई, 1990 तक कोई आयात नहीं किया गया है।

(ग) नवम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान नियंत्रित माध्यमों से खुली

बिक्री के लिए राज्यवार जारी की गई आयातित चीनी के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) चालू मौसम के दौरान आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध होने से कमी का सामना नहीं करना होगा ।

(ङ) आठवीं योजना अवधि के दौरान चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। तथापि, चीनी के कृषि आधारित उद्योग होने से इसका उत्पादन कृषि-जलवायु के कारकों पर निर्भर करता है। यदि मौसम अनुकूल रहा तो उच्चतर स्तर पर उत्पादन संभव होगा ।

विवरण

नवंबर, 1989 से जुलाई, 1990 तक खुली बिक्री के लिए आयातित चीनी का माहवार, राज्यवार आवंटन

(मात्रा टनों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नवंबर-89	दिसम्बर-89	जन०-90	फर०-90	मार्च-90	अप्रैल-90	मई-90	जून-90	जुलाई-90
असम	7960	3000	1000	1000	1000	1500	1000	1000	1000
आन्ध्र प्रदेश	5000	5000	1000	1000	1000	1500	1000	1000	1000
अरुणाचल प्रदेश	220	250	150	150	150	225	150	150	150
अन्डेमान व निकोबार द्वीप समूह	220	200	100	100	100	150	100	100	100
बिहार	12800	5000	1000	1000	1000	1500	1000	1000	1000
चण्डीगढ़	2180	2000	500	500	500	750	500	500	500
दिल्ली	21800	10000	4500	4500	4500	7500	4900	4900	4900
गुजरात	12000	4000	2000	2000	2000	3000	2000	2000	2000
हरियाणा	5200	—	1600	1600	1600	1500	1600	1600	1600
हिमाचल प्रदेश	4720	2000	500	500	100	750	100	100	100
जम्मू व कश्मीर	4360	4500	500	500	500	1500	500	500	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरला	—	5000	1000	1000	1000	1500	1000	1000	1000
लक्षद्वीप	100	50	50	50	50	75	50	50	50
मणीपुर	440	250	150	150	150	225	150	150	150
सिक्किम	200	—	—	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	15000	10000	7000	7000	7000	10500	7000	7000	7000
महाराष्ट्र	5590	—	700	700	700	[illegible]	400	400	400
मेघालय	660	250	150	150	150	225	150	150	150
मिजोरम	660	250	150	150	150	225	150	150	150
नागालैंड	660	250	150	150	150	225	150	150	150+150=300
उड़ीसा	6540	3500	400	400	400	1700	700	700	700
पंजाब	36280	10000	6900	6900	6000	10500	6900	6900	6900
राजस्थान	30440	11000	5000	5000	5000	7500	5000	5000	5000
त्रिपुरा	1600	500	500	500	500	750	500	500	500
उत्तर प्रदेश	19500	7000	5000	5000	5000	6200	5000	5000	5000
पश्चिमी बंगाल	25460	16000	10000	10000	10000	15000	10000	10000	10000
योग	219590	100000	50000	50000	50000	75000	50000	50000	50000+150

राजस्थान में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कार्य योजना

[हिन्दी]

238. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष कार्य योजना तैयार की है अथवा करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) इस समय राजस्थान में उपचारात्मक, रोग निवारक और स्वास्थ्य-वर्धक सेवाएं प्रदान करके लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए पहले ही तैयार किए गए आधारभूत ढांचे के नेट वर्क को समेकित और सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाता है। राजस्थान में और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना बन जाने के बाद कार्य योजना तैयार की जाएगी।

आयुर्वेदिक शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापन सुविधाएं

[अनुवाद]

239. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी आयुर्वेदिक शैक्षिक संस्थाएं हैं और इनमें से कितनी संस्थाओं का संचालन केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या अधिकांश संस्थाओं में अपेक्षित अध्यापन सुविधाओं की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) देश में 97 आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाएं हैं। इनमें से 44 आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाएं विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं और जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद आयुर्वेदिक शैक्षिक संस्थाओं के लिए केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मानकों का निरीक्षण करने हेतु इन संस्थाओं का दौरा करती है। इसकी रिपोर्टों में उल्लिखित कमियों को दूर करने के बारे में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा जाता है। भारत सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद और पुस्तक बैंक की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अधिग्रहीत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के स्नातकपूर्ण कालेजों को 1.60 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की कुछ शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने की एक नई केन्द्रीय स्कीम चलाने का प्रस्ताव है।

पश्चिमपुरी डी० डी० ए० फ्लैटों में अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन

240. श्री रविनारायण पाणि : क्या शहरी विकास मंत्री पश्चिमपुरी में अतिरिक्त निर्माण/

परिवर्तन के बारे में 17 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्लॉटों का ब्योरा क्या है जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त निर्माण कार्य-परिवर्तन कराया गया है;

(ख) इन सभी मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) 17 अगस्त, 1987 के पश्चात् दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 29 और 34ए के अन्तर्गत वर्ष-वार दर्ज मामलों का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) ऐसे 959 मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आए हैं ।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29(1) और धारा 34ए के अन्तर्गत 116 मामलों में कार्रवाई की गई है । शेष मामलों में, आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं । 17 अगस्त, 1987 के पश्चात् दर्ज किए गए मामलों के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।	उन मामलों की संख्या जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है ।
1.	1987-88	45	70
2.	1988-89	53	—
3.	1989-90	18	—
		116	70

सरकारी बंगलों का खाली किया जाना

242. श्री राम नाईक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्री परिषद के सदस्यों और संसद में विपक्ष के नेताओं के लिए क्वार्टर/बंगलों का पृथक पूल बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) किन-किन ऐसे व्यक्तियों/संसद के भूतपूर्व सदस्यों/संस्थाओं ने अभी तक बंगले खाली नहीं किये हैं; तो अब इसके पात्र नहीं हैं ;

(घ) इस समय इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर कितनी राशि बकाया है और उक्त राशि को शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है; और

(ङ) इस राशि की वसूली के लिए भूमि राजस्व संहिता के उपबन्धों को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) संलग्न विवरण-1 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार ।

(ग) से (ङ) उन व्यक्तियों/भूतपूर्व संसद सदस्यों/संस्थानों की सूची जिन्होंने उन बंगलों को खाली नहीं किया, जो अब पूल में हैं, तथा 1-1-90 तक उनके ऊपर शेष राशि सहित विवरण-2 में संलग्न है । लाइसेंस फीस बकाओं का वसूली के लिए, उपयुक्त स्तर से अनुस्मारक जारी किए जाते हैं । तथापि, यदि आवश्यक हुआ तो लोक परिसर अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत भी कारंवाई की जाएगी ।

विवरण-1

परिसरों की अनुसूची

क्र० सं०	बंगला नं०	
ए०	5 तथा 7 रेस कोर्स प्रधान मंत्री के लिए आरक्षित	VIII
बी०	10 जनपथ, लोक सभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के लिए आरक्षित	VIII
	2, विलिंगडन क्रिसेन्ट राज्य सभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता के लिए आरक्षित	
सी०	मंत्रि परिषद के सदस्यों के लिए	
1.	2, अकबर रोड	VIII
2.	7, ,,	VIII
3.	9, ,,	-तदैव-
4.	10. ,,	,,
5.	11, ,,	,,
6.	12, ,,	,,
7.	14, ,,	,,
8.	17, ,,	,,
9.	18, ,,	,,
10.	24, ,,	,,

11.	5, अशोक रोड	VIII
12.	7, ,,	,,
13.	8, ,,	,,
14.	9, ,,	,,
15.	15, ,,	,,
16.	25, ,,	,,
17.	30, औरंगजेब रोड	,,
18.	32, ,,	,,
19.	34, औरंगजेब रोड	,,
20.	36, ,,	तदैव
21.	1, सरकूलर रोड	,,
22.	5, कुशेलस रोड	,,
23.	5, जनपथ	,,
24.	6, ,,	,,
25.	12, ,,	,,
26.	2, कृष्णामेनन मार्ग	,,
27.	3, ,, ,,	,,
28.	4, ,, ,,	,,
29.	4, कुशक रोड	,,
30.	1, मोती लाल नेहरू मार्ग	वही
31.	9, एम० एल० एन० मार्ग	,,
32.	34, पृथ्वीराज रोड	,,
33.	1, रेसकोर्स रोड	,,
34.	11, ,, ,,	,,
35.	10, रायसीना रोड	,,
36.	5, सफदरजंग रोड	,,
37.	7, ,, ,,	,,
38.	9, ,, ,,	,,
39.	12, ,, ,,	,,
40.	19, ,, ,,	,,
41.	23, ,, ,,	,,
42.	27, ,, ,,	,,
43.	2, सफदरजंग रोड	,,

44.	1, सुनहरी बाग रोड	VIII
45.	3, ,, ,,	,,
46.	1, तीन मूर्ति मार्ग	,,
47.	4, ,, ,,	,,
48.	19, ,, ,,	,,
49.	1, तीन मूर्ति लेन	,,
50.	8, तीस जनवरी मार्ग	,,
51.	9, त्यागराज मार्ग	,,
52.	11, त्यागराज मार्ग	VIII
53.	1, तुगलक रोड	,,
54.	2, ,, ,,	,,
55.	7, ,, ,,	,,
56.	14, ,, ,,	,,
57.	16, ,, ,,	,,
58.	23, ,, ,,	,,
59.	25, ,, ,,	,,
60.	1, विलिंगडन क्रिसेन्ट	,,
61.	3, रेसकोर्स रोड	,,
62.	10, अशोक रोड	VII
63.	4, डुप्लेक्स लेन	,,
64.	5, सफदरजंग लेन	,,

विवरण 2

उन व्यक्तियों की सूची जो कब्जा जारी रखने के ग्राह्य नहीं हैं तथा प्रत्येक के ऊपर 1-1-90 तक बकाया राशि

क्रम संख्या	नाम सर्व/श्री	बंगला संख्या	1-1-90 तक बकाया राशि
1.	जनार्दन पुजारी, संसद सदस्य	7, अकबर रोड	शून्य
2.	ए० बी० ए० गनी खान चौधरी, संसद सदस्य	12, अकबर रोड	16782.15
3.	सी० के० जाफर शरीफ वही	17, वही	2,065.00
4.	बी० के० गढ़वी, भूतपूर्व संसद सदस्य	24, वही	शून्य

1	2		3	4
	5. श्रीमती एम० चन्द्रशेखर, संसद सदस्य		8, अशोक रोड	शून्य
	6. टी० एन० चतुर्वेदी, सी० ए० जी०*		9, वही	वही
	7. संतोष मोहन देव, संसद सदस्य		15, वही	वही
	8. पी० चिदम्बरम,	वही	30, औरंगजेब रोड	7,239.00
	9. एम० के० पी० साल्वे	वही	32, वही	शून्य
	10. कल्पनाथ राय	वही	36, वही	23,888.00
	11. एडोर्डो फलेरो	वही	6, जनपथ	35,388.00
	12. वसन्त साठे	वही	2, कृष्णा मेनन मार्ग	220.00
	13. एस० बी० चौहाण	वही	4, के० एम० मार्ग	7,943.00
	14. एम० एम० जेकब	वही	4, कुशक रोड	4,081.00
	15. पी० वी० नरसिम्हाराव	वही	9, मोती लाल नेहरू मार्ग	21,684.00
	16. एच० के० एल० भगत	वही	34, पृथ्वीराज रोड	52,197.00
	17. भजन लाल	वही	1, रेसकोर्स रोड	64,412.00
	18. एम० अरुणाचलम	वही	10, रायसीना रोड	8,306.00
	19. सुखबंस कौर भिण्डर	वही	19, सफदरजंग रोड	शून्य
	20. माधव राव सिंधिया	वही	27, वही	वही
	21. सुनील दत्त	वही	2, वही	वही
	22. एस० कृष्ण कुमार	वही	19, तीन मूर्ति मार्ग	13,062.00
	23. बी० शंकरानंद	वही	8, तीस जनवरी मार्ग	4,371.00
	24. मोहम्मद यूनुस	वही	1, तुगलक रोड	1,30,186.00
	25. कमल नाथ	वही	7, वही	शून्य
	26. एच० आर० भारद्वाज	वही	14, वही	वही
	27. ब्रह्म दत्त	वही	16, वही	वही
	28. एम० चम्पी	वही	25, वही	वही

*(मार्च, 90 में अवकाश ग्रहण किया)

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

243. श्री के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनजातीय या उपयोजना क्षेत्रों में और अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के लिए, निकट भविष्य में और धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या वैकल्पिक प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तपेदिक के रोगियों का उपचार

244. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में तपेदिक के रोगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) क्या तपेदिक के रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) क्षयरोग अधिसूचनीय रोग नहीं है। इसलिए इस मंत्रालय के पास क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की सही संख्या के बारे में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं। बहरहाल, इस रोग से किसी एक निश्चित समय में कुल आबादी में लगभग 1.5 प्रतिशत लोगों के पीड़ित होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) राजधानी में क्षय रोगियों के उपचार के लिए यह मंत्रालय क्षयरोधी औषधें, निदान के लिए सामग्री और उपकरण तथा राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपचार तथा अल्पावधि रसायचिकित्सा की सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

वस्त्रों का निर्यात

245. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने की भारी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, यदि किसी सम्भावना का पता लगाया गया है, तो वह क्या है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस संबंध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) सरकार तथा विभिन्न वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें जापानी बाजार में संभाव्यता का पता लगाने के लिए विभिन्न उपाय करती रही है। इन उपायों में शामिल हैं : –

1. उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों द्वारा जापान का दौरा करना।

2. जापान में मेलों-तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

3. जापान को निर्यात की संभावनाओं पर सेमीनार आयोजित करना।

4. भारतीय निर्यातकों आदि को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देने के लिए जापानी फैशन डिजाइनरों द्वारा भारत का दौरा।

(ग) 8वीं योजना में वस्त्रों के लिए एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में जापान को अभिज्ञात किया गया है।

आवास को उद्योग घोषित करना

246. श्री बी० एम० रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आवास" को उद्योग के रूप में घोषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भवन निर्माण सामग्रियों का निर्माण पहले से ही उद्योग की सीमा श्रेणी में आता है और केवल सर्विस संक्टर उद्योग की सीमा के अन्तर्गत नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय आवास नीति प्रतिपादित करते समय इस पर विचार किया जायेगा।

गैर-सरकारी नर्सिंग होम्स के लिए दिशा निर्देश

247. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजधानी में गैर-सरकारी नर्सिंग होम्स के लिए दिशानिर्देश जारी करने का विचार है ताकि इन नर्सिंग होम्स में मामूली प्रभार पर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ बिस्तर रखे जाएं तथा उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं; और

(ख) क्या यह कार्यवाही सरकारी अस्पतालों की कमी को देखते हुए तथा इस बात को देखते हुए भी कि इन नर्सिंग होम्स को राज्य से रियायती आधार पर भूमि इत्यादि जैसी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं; करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) दिल्ली में प्राइवेट नर्सिंग होम दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली नर्सिंग होम विनियमन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं। समाज के कमजोर वर्गों के रोगियों के लिए दिल्ली में नर्सिंग होमों में पलंगों इत्यादि के आरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन नहीं है। तथापि, जो संस्थाएं उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क से छूट चाह रही हैं उन्हें 40 प्रतिशत बहिरंग रोगियों और 10 प्रतिशत अंतरंग रोगियों जिनकी प्रतिमाह 500/-रु० से कम आय है को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है।

उड़ीसा में नर्सिंग कालेज

249. श्री डी० अमात : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में एक नर्सिंग कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाए जाने के लिए किए जा रहे उपायों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करना राज्य सरकार का कार्य है ।

वृद्धावस्था पेंशन देने वाले राज्य

250. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जहां 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार का संपूर्ण देश में समान योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी-अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं। राज्यों की सूची तथा पेंशन दरें आदि विवरण के रूप में संलग्न हैं ।

(ख) और (ग) इस समय सम्पूर्ण देश के लिए कोई एक-रूप योजना रखने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि राज्य सरकारों को 100 रु० मासिक की दर से पेंशन दरों में एकरूपता लाने और अपने-अपने राज्य में 60 और इससे ऊपर के वृद्ध जनसंख्या में से कम-से-कम 20 प्रतिशत को शामिल करने के लिए राजी किया जा रहा है अधिकांश राज्यों ने क्योंकि संसाधन कठिनाईयों के कारण पेंशन दर को बढ़ाकर 100 रु० करने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी, अत: मामला वित्त आयोग के साथ उठाया गया था । नवें वित्त आयोग ने हाल ही में 1981 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के 0.2% को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से स्वीकृत करते हुए अपना अधिनिर्णय दे दिया है ।

विवरण

1985 तथा 1990 में वृद्धावस्था पेंशन दर

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985 में पेंशन दर	1990 में पेंशन दर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	30.00	30.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.00	60.00

1	2	3	4
3.	असम	60.00	60.00
4.	बिहार	30.00	30.00
5.	गोवा	60.00	60.00
6.	गुजरात	30.00	60.00
7.	हरियाणा	60.00	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	50.00	60 00
9.	जम्मू और कश्मीर	50.00	60.00
10.	कर्नाटक	50.00	50.00
11.	केरल	55.00	55.00
12.	मध्य प्रदेश	60.00	100.00
13.	महाराष्ट्र	60.00	100.00
14.	मणिपुर	60.00	60.00
15.	मेघालय	60.00	60.00
16.	मिजोरम	60.00	60.00
17.	नागालैंड	60.00	100.00
18.	उड़ीसा	40.00	40.00
19.	पंजाब	50.00	50.00
20.	राजस्थान	40.00	100.00
	दम्पत्ति :	60.00	
21.	सिक्किम	60.00	60.00
22.	तमिलनाडु	35.00	35.00
23.	त्रिपुरा	45.00	75.00
24.	उत्तर प्रदेश	40.00	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	30.00	60.00
केन्द्र शासित प्रदेश			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	60.00	60.00
27.	चंडीगढ़	60.00	60.00
28.	दादर और नगर हवेली	60.00	60.00
29.	दमन और द्वीप	60.00	60.00
30.	दिल्ली	60.00	100.00
31.	लक्षद्वीप	60.00	100.00
32.	पांडिचेरी	50.00	60.00

"एड्स" रोगियों के उपचार हेतु सुविधाएं

251. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन अस्पतालों की संख्या, नाम तथा स्थान का ब्योरा क्या है जहां "एड्स" रोगियों के उपचार हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) इन अस्पतालों में किस स्वरूप और कितनी क्षमता में ये व्यवस्थाएं की गई हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक अस्पताल में सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) इनमें से प्रत्येक अस्पताल में कितने-कितने भर्ती किए गए तथा बहिरंग "एड्स" रोगियों का उपचार किया जाता है;

(ङ) क्या उक्त विद्यमान सुविधाएं पर्याप्त हैं; और

(च) इन सुविधाओं के विस्तार हेतु यदि कोई भावी कार्यक्रम है तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (च) एच० आई० वी० संक्रमित रोगियों तथा एड्स रोगियों की देखभाल करने के लिए तेरह संस्थाओं को निश्चित तथा सुदृढ़ कर दिया गया है । इन संस्थाओं के नाम हैं :—

1. के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
3. एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर ।
4. शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर ।
5. त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।
6. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद ।
7. कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।
8. एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक ।
9. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास ।
10. जे० जे० मेडिकल कालेज, बम्बई ।
11. जे० एन० अस्पताल, इम्फाल, मणिपुर ।
12. मेडिकल कालेज, बंगलौर ।
13. गोवा मेडिकल कालेज, गोवा ।

पूरी तरह से एड्स रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है।

एच० आई० वी० संक्रमित सभी व्यक्तियों को अन्तरंग उपचार की जरूरत नहीं होती है ।

बहिरंग रोगी विभाग में रोगी अनेक तरह की शिकायतें लेकर आते हैं जिनके लिए उनका लाक्षणिक उपचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त तेरह संस्थाओं को एड्स यूनिट के लिए सामग्री और उपकरण खरीदने के लिए पहले ही धन दिया जा चुका है।

वैसे, भारत सरकार ने एड्स को रोकने के लिए एक मध्यकालीन योजना (मीडियम टर्म प्लान) तैयार की है। इस मध्यकालिक योजना में देश के उपर्युक्त मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों में एड्स संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया गया है। इन सुविधाओं के विस्तार में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—एच० आई० वी० संक्रमण वाले रोगियों को क्लीनिकल परिचर्या प्रदान करना।

—रोगियों तथा उनके पति/पत्नियों/संबंधियों को सलाह मशवरा देना।

—बहिरंग रोगियों को निरन्तर चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध करना।

—क्लीनिक प्रोफाइल इम्मूनो-लॉजिकल प्रोफाइल, अवसरवादी संक्रमण तथा एच० आई० वी० संक्रमण के अन्य प्रमाण सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करना।

—एच० आई० वी० रोगियों की देखभाल में लगे चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।

होम्योपैथिक दवाईयों का आयात

252. श्री उत्तम राठौर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी किन-किन होम्योपैथिक दवाईयों का आयात किया जा रहा है, जो उस देश में नहीं बेची जाती हैं, जहां इनका उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या इस प्रकार आयात करने से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार आयात किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) शुगर आफ मिल्क सहित परिष्कृत रूप में होम्योपैथिक औषधों अथवा मूल रूप में होम्योपैथिक औषधों (एकल) और/अथवा किसी भी शक्ति की होम्योपैथिक औषधों को भारी मात्रा में सभी व्यक्तियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस, परिशिष्ट-6, सूची-8, प्रविष्टि संख्या 23 के अन्तर्गत भाग-2 के अधीन वास्तविक इस्तेमाल/भंडारण तथा बिक्री करने के लिए आयात करने हेतु अनुमति प्राप्त है। ये होम्योपैथिक औषधें भारतीय होम्योपैथिक भेषज संहिता के अनुरूप होनी चाहिए यदि भारतीय होम्योपैथिक भेषज संहिता में इसकी व्यवस्था है, अथवा वे लेबल पर किए गए दावों के अनुरूप होनी चाहिए।

डाक्टर विलमार श्वाबे जी० एम० बी० एच० एण्ड कम्पनी, पश्चिमी जर्मनी द्वारा तैयार किए गए सिमरेरिया मेरिटीम सक्कस का देश में पिछले 3 दशक से आयात किया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्पादक देश, अर्थात जर्मन संघीय गणराज्य से इसका विपणन नहीं किया जा रहा है।

उन औषधों के आयात से, जो उत्पादक देश में नहीं बेची जाती हैं औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होता है। औषध और प्रसाधन अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियम 30-ख के अनुसार ऐसी औषधों का आयात करने की अनुमति नहीं है, जिनके विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर उत्पादक देश में प्रतिबंध लगा हुआ है।

पटसन उद्योग में रुग्णता

253. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन उद्योग की रुग्णता दूर करने के लिए सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : पिछले कुछ वर्षों से अनेक पटसन मिलें प्रतिकूल व्यापारिक परिस्थितियों के फलस्वरूप असंतुलन होने तथा लागत कीमत ढांचे में परिवर्तन होने के मुख्य कारण से रुग्ण हो गई हैं। जबकि कच्चे माल, पावर और प्रत्यक्ष निविष्टियों की लागत बढ़ने के कारण उत्पादन की लागत में तेजी से वृद्धि हो रही है। मांग के मन्द होने के कारण बिक्री वसूली कुल मिलाकर लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी है। इसका मुख्य कारण सिंथेटिक प्रतिस्थापनों की प्रतिस्पर्द्धा से पटसन माल के निर्यात तथा घरेलू बाजार दोनों में ही मांग का कम हो जाना है।

इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पटसन उद्योग का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं :—

1. 150 करोड़ रु० की पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना शुरू करना।
2. पटसन क्षेत्र में अभिज्ञात विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रु० की विशेष पटसन विकास निधि का सृजन।
3. खाद्य, अनाज, सीमेंट, उर्वरक तथा चीनी जैसी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पटसन माल के अनिवार्य प्रयोग के संबंध में आरक्षण आदेश जारी करना।
4. तीन वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न विविधीकृत पटसन उत्पादों की घरेलू बिक्री पर क्रमशः 12 प्र० श०, 10 प्र० श० और 8 प्र० श० की दर से तथा निर्यात पर 10 प्रतिशत की दर से उपदान प्रदान करने के लिए आंतरिक बाजार सहायता (आ० ई० एम० ए०) तथा बाह्य बाजार सहायता (ई० एम० ए०) शुरू करना।
5. 31-12-1990 तक उन्नत प्रौद्योगिकी की कुछ मशीन मदों के निःशुल्क आयात की अनुमति प्रदान करना।
6. विनिर्माताओं तथा व्यापारी निर्यातकों दोनों से लगभग सभी पटसन उत्पादों के निर्यात पर 12 प्र०श० की दर से नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना।
7. बाजार कीमत से भिन्न लागत जमा कीमत फार्मूले पर खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन बोरों की खरीद।

8. छूट प्राप्त कीमतों पर हैसियन और सैकिंग के लिए विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर पटसन माल के निर्यात पर जे० एम० डी० सी० और एम० टी० सी० द्वारा समग्र घाटों में हिस्सा बंटाना।

9. पटसन उद्योग द्वारा उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय बजट के प्रस्तावों के अनुसार अनेक विविधीकृत पटसन उत्पादों के मामले में उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करना।

10. विविधीकृत पटसन उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त फाइबरों से बने यार्न तथा सभी फाई-बरों (रूई, सिंथेटिक तथा ऊन) का प्रयोग करने के लिए पटसन उद्योग को सम्पूर्ण फाईबर के लचीलेपन की सुविधा प्रदान करना।

तिलक नगर में दाह संस्कार के लिए भूमि

254. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का तिलक नगर में अथवा इसके आसपास दाह संस्कार के लिए भूमि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) तिलक विहार से लगा हुआ एक श्मशान घाट पहले से ही चल रहा है।

हथकरघा निर्यात निगम में कर्मचारी

[हिन्दी]

255. **श्री छविराम अर्गल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियां जनजातियां के लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का कोई बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो बकाया चले आ रहे आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) 1-8-1990 को स्थिति के अनुसार हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि० में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

अधिकारी	140
कर्मचारी	297
(ख) अधिकारी	14 अनुसूचित जाति 1 अनुसूचित जनजाति
स्टाफ	39 अनुसूचित जाति 8 अनुसूचित जनजाति

(ग) जी हां। 1-8-1990 की स्थिति के अनुसार स्टाफ कैडर में 4 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के बकाया रिक्त पद थे।

(घ) उपलब्ध रिक्त पद रोजगार कार्यालय को पहले ही सूचित कर दिए गए हैं और उनके सम्बन्ध में विज्ञापन भी दिए गए हैं।

गुजरात में चीनी की नई मिलें

[अनुवाद]

256. श्री बलवंत मनवर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में चीनी की मिलें स्थापित करने/आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात की चीनी की कितनी मिलों सम्बन्धी परियोजनाएं मंजूरी के लिए सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन लाइसेंसों को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कब तक इन्हें मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में 31-7-90 तक नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 23-7-90 के प्रेस नोट के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की है। उक्त आवेदन पत्रों पर अब इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट

257. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में कई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी सुझाव को लागू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज

258. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज चल रहे हैं;

(ख) क्या इनके बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या कर्नाटक राज्य मे ऐसे मेडिकल कालेज हैं जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता नहीं दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उन गैर-मान्यता प्राप्त कालेजों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता

[हिन्दी]

259. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायपुर में नेहरू स्मृति चिकित्सा कालेज में कौन से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं और क्या इस कालेज द्वारा इन विषयों में दी जाने वाली डिग्री भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यका प्राप्त है;

(ख) क्या उक्त कालेज और राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों ने उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए वर्ष 1990 में सरकार से आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राज्य-वार किन-किन विषयों में मान्यता देने की मांग की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान को खाद्य वस्तुओं की सप्लाई

[अनुवाद]

260. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय राजस्थान को 1986 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लेवी चीनी की सप्लाई की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो सरकार इसमें संशोधन करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले दो महीनों के दौरान राज्य के खाद्य तेल, चीनी और आवश्यक वस्तुओं के कोटे की सप्लाई में कटौती की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) जी हां, आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लेवी चीनी का आवंटन 1-10-86 की अनुमानित जनसंख्या के लिए न्यूनतम 425 ग्राम प्रति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। ये मानदण्ड 1 फरवरी, 1987 से लागू हैं। तदनुसार राजस्थान का मसिक लेवी कोटा 16914.0 टन है। लेवी चीनी की वर्तमान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस समय इन मानदंडों में संशोधन करना सम्भव नहीं है।

(घ) पिछले दो मास के दौरान राज्य को खाद्य तेलों, चीनी, गेहूं, चावल और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कोई कटौती नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम में ठेके पर मजदूर

[हिन्दी]

261. डा० एम० एस० पाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कितने डिपुओं में ठेका श्रमिक प्रणाली विद्यमान है; और

(ख) अब तक कुल डिपुओं से इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के लगभग 1355 डिपुओं, जिनमें सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन/राज्य भांडागार निगम से किराये पर लिए गए गोदाम शामिल हैं में निम्नलिखित प्रणालियों के अधीन हैंडलिंग और परिवहन परिचालनों के ठेके दिए जाते हैं :—

(1) श्रमिक सहकारी समिति

(2) मेट प्रणाली

(3) प्रबंध समिति

(4) भंडारण एजेंसी

(5) प्राइवेट ठेकेदार

(ख) भारतीय खाद्य निगम के 39 डिपुओं में विभागीयकृत श्रमिक प्रणाली और 56 डिपुओं में सीधे भुगतान की प्रणाली है।

सीलमपुर, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों का आबंटन

262. **श्री गोबिन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीलमपुर, दिल्ली में जे० जे० कालोनी में चरण-एक और दो में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन व्यक्तियों को फल और सब्जी की दुकानें आबंटित की हैं, उनका ब्योरा क्या है तथा उन व्यक्तियों का ब्योरा क्या है जिनके मामले विचाराधीन हैं;

(ख) जिन व्यक्तियों के आबंटन रद्द किए गए हैं, उनका ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो किन व्यक्तियों के नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल किए गए हैं किन्तु उन्हें दुकानें आबंटित नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरोसोली मारन) : (क) संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 के अनुसार।

(ख) छद्मव्यक्तिता के आधार पर श्री दुलारे खान सुपुत्र श्री समद खान निवासी मकान नं० 220, गली नं० 8, जाफराबाद, दिल्ली।

(ग) संलग्न विवरण-3 पर दी गई सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को आबंटन नहीं किया गया है। इनमें से 12 व्यक्तियों को आबंटन के समय स्थल पर व्यवसाय करते हुए नहीं पाया गया। एक मामले में, पति के नाम में पहले ही आबंटन कर दिया गया है और शेष 47 मामले में मौके पर निरीक्षणों के बावजूद भी अता-पता नहीं मालूम हो सका।

विवरण-1

उन व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनको न्यू सीलमपुर फेस-I और II जे० जे० कालोनी में फल तथा सब्जी स्टाल/दुकानें आबंटित की हैं।

क्रम संख्या	नाम	पता	आबंटित स्टाल/दुकान का नम्बर
1.	श्री सिकन्दर लाल सुपुत्र किशन लाल	जेड-33, नवीन शाहदरा	1 जी
2.	श्री सुशील कुमार सुपुत्र तुलसी राम	डी-131, न्यू सीलमपुर	2 जी
3.	श्री अत्तर सिंह सुपुत्र अर्जुन सिंह	जे-68, वही	3 जी
4.	श्री जगदीश प्रसाद सुपुत्र गोपी चन्द	डी-95 वही	4 जी

1	2	3	4
5.	श्री राकेश कुमार यादव	डी-145-वही	5 जी
6.	श्री देवीनु कुमार सुपुत्र फकीर चन्द	सी-154, शास्त्री पार्क, दिल्ली-52	6 जी
7.	नूर मोहम्मद सुपुत्र अब्दुल कादिर	गली नं० 1, म० नं० 41 जाफराबाद	7 जी
8.	हबीबुल्लाह सुपुत्र मजीद खान	झुग्गी नं० 6, न्यू सीलमपुर	8 जी
9.	श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व० मुरलीधर	झुग्गी नं० 3, नेहरू मार्किट	9 जी
10.	खुर्शीद अहमद सुपुत्र अमर बक्स	ए-68, चौहान बांगर, न्यू सीलमपुर	10 जी
11.	रहीश सुपुत्र हमीद	ए-14/13, न्यू सीलमपुर	11 जी
12.	मेहराजुद्दीन सुपुत्र कमरुद्दीन	डी-130, वही	12 जी
13.	श्रीमती सरूप देवी पत्नी स्व० दुली चन्द	77-बी, सर्कुलर रोड, शाहदरा	13 जी
14.	श्रीमती साबीगन नूरजहां पत्नी मुन्ना	झुग्गी, के ब्लाक, न्यू सीलमपुर	14 जी
15.	श्री मुस्ताक अहमद सुपुत्र इरशाद खान	261, जाफराबाद, न्यू सीलमपुर	15 जी
16.	श्री अलाजी फजल मोहम्मद खान, सुपुत्र मोहम्मद उमर खान	डी-16, न्यू सीलमपुर	16 जी
17.	श्री अहमद सैयद सुपुत्र अब्दुल करीम	ए-68, चौहान बांगर न्यू सीलमपुर	17 जी
18.	इकराम सुपुत्र मोहरबक्स	जे-50, न्यू सीलमपुर फेज 3	18 जी
19.	श्रीमती आविती पत्नी गंगाराम और ऋषिकेश सुपुत्र गंगाराम	227-सीलमपुर फेज-3	19 जी
20.	श्रीमती आनंदी पत्नी कुवाराम	एच-108, न्यू सीलमपुर	20 जी

1	2	3	4
21.	मूसा सुपुत्र अब्दुल कादिर	41/2, गली नं० 1, जाफराबाद	21 जी
22.	श्रीमती भगवती पत्नी विक्रम	बरविन मोहल्ला, मोकलपुरी	22 जी
23.	श्रीमती रेशमा पत्नी गोपाल	जे-35, न्यू सीलमपुर	23 जी
24.	मोहम्मद अयूब सुपुत्र छुट्टन	20-60, न्यू सीलमपुर	24 जी
25.	श्रीमती पुष्पा पत्नी गेंदालाल	291, वैलकम, सीलमपुर	25 जी
26.	श्री फंजाव सुपुत्र अजीज खान	के-348, न्यू सीलमपुर	26 जी
27.	श्री साविर पुत्र मेंहद	सी-45, न्यू सीलमपुर	27 जी
28.	श्रीमती माजीदून पत्नी बदरूद्दीन	डी-28, न्यू सीलमपुर	28 जी
29.	श्री संगूरी सुपुत्र फते मोहम्मद	के-79, न्यू सीलमपुर	29 जी
30.	श्री भगवान दास पुत्र ननकू	सी० पी० जे० 2/139, न्यू सीलमपुर	30 जी
31.	निसार सुपुत्र नादिर खान	झुग्गी नं० 15, संजय मजदूर कालोनी, सीलमपुर	31 जी
32.	ओमप्रकाश सुपुत्र भूदेव	ए-64, न्यू सीलमपुर	33 जी
33.	गुलाम हुसैन सुपुत्र मौलाबक्स	सी० पी० जे०-12, न्यू सीलमपुर	33 जी
34.	वारिस अली सुपुत्र अहसान अली	19/424 पी०-12, न्यू सीलमपुर	34 जी
35.	अब्दुल बारी सुपुत्र बसीर अली	एफ-18, न्यू सीलमपुर	35 जी
36.	हमीद उल्ला सुपुत्र रहमत अली	जी-28, न्यू सीलमपुर	36 जी
37.	अब्दुल हमीद सुपुत्र अब्दुल हबीब	डी-11, न्यू सीलमपुर	37 जी
38.	दिनेश सुपुत्र खालिग्ध राम	जे-58, न्यू सीलमपुर	38 जी

1	2	3	4
39.	योगेश्वर सुपुत्र	डी-33, न्यू सीलमपुर	39 जी
40.	हनीफ खान सुपुत्र हमीद खान	1344, गली नं॰ 44, जाफराबाद	40 जी
41.	ज्ञान सिंह सुपुत्र सोहनलाल	क्रम॰ सं॰ 7 के अनुरूप, सीलमपुर III	41 जी
42.	लक्ष्मी चन्द सुपुत्र भोला राम	सी-11/52, न्यू सीलमपुर	42 जी
43.	श्री गोविन्द राम सुपुत्र बबलू	क्रम सं॰ 10 के अनुरूप गली नं॰ 28, ब्रह्मपुरी	43 जी
44.	श्री अकबर हुसैन सुपुत्र अमीर बक्श	के-186, सीलमपुर	44 जी
45.	श्री राजवीर सुपुत्र अमर सिंह शर्मा	9/5206, सीलमपुर	45 जी
46.	श्री सुनील कुमार शर्मा सुपुत्र प्यारे लाल	जेड 2/402, न्यू सीलमपुर	46 जी
47.	श्री सुरेन्द्र पाल सुपुत्र शादी लाल	8512/1, ब्लाक आर आर नवीन शाहदरा	47 जी
48.	दीन दयाल सुपुत्र कालू राम	9/52/43, गली नं॰ 6- ब्रह्मपुरी	48 जी
49.	श्री मेहताब सुपुत्र ताराचन्द	सी/1527, न्यू सीलमपुर	49 जी
50.	श्री राजकुमार जैन सुपुत्र संतलाल	4929/13, ईस्ट सीलमपुर	50 जी
51.	मक्खन सिंह सुपुत्र छोटेलाल	सी॰ पी॰ ए॰ 60, न्यू सीलमपुर	51 जी
52.	अफताब हुसैन सुपुत्र सईद हुसैन	के-201, न्यू सीलमपुर	52 जी
53.	अनवर अली सुपुत्र रियाज अली	ए-39, न्यू सीलमपुर	53 जी
54.	नवाब खान सुपुत्र ग्वालियर	27ए, संजय मजदूर कालोनी	54 जी
55.	सलीमुद्दीन सुपुत्र मैनूद्दीन	1057, गली 35, जाफराबाद	55 जी
56.	जगदीश सिंह सुपुत्र हरी सिंह	झुग्गी जे ब्लाक, सीलमपुर	56 जी
57.	दुलारे खान	झुग्गी जे ब्लाक, सीलमपुर रद्	57 जी
58.	मंसूर अली सुपुत्र अब्दुल अजीज	सी-36/15, चौहान बांगड़ न्यू सीलमपुर	58 जी

1	2	3	4
59.	बुन्दी सुपुत्र रहमतउल्ला	सी-1/25, न्यू सीलमपुर	59 जी
60.	चन्द्र भान सुपुत्र रामजी लाल	2/224, न्यू सीलमपुर	60 जी
61.	सत्य नरायन सुपुत्र श्याम लाल	जी-77, न्यू सीलमपुर	61 जी
62.	गोपाल सुपुत्र बाबूलाल	4108, गली नं० 19, आजाद नगर	62 जी
63.	इब्राहिम सुपुत्र मु० इसमाइल	जे-207, न्यू सीलमपुर	63 जी
64.	मु० हनीफ सुपुत्र मु० ईब्राहिम	जे-81, न्यू सीलमपुर	64 जी
65.	रमेश कुमार सुपुत्र परमानन्द	1 बी/2/24, न्यू सीलमपुर	65 जी
66.	असगर अली सुपुत्र बुन्दु	के-160, न्यू सीलमपुर	66 जी
67.	मोहन लाल सुपुत्र शिवचरन	ए-41, न्यू सीलमपुर	67 जी
68.	महावीर प्रसाद सुपुत्र मामन चन्द	बी-28, न्यू सीलमपुर	68 जी
69.	मुहम्मद अली सुपुत्र मोला बक्स	सी-3120, चौहान बांगड, न्यू सीलमपुर	69 जी
70.	श्री इश्ताक हुसैन सु० अश्फाक हुसैन		70 जी
71.	श्री चुन मियां सु० हफीज	एच-2, न्यू सीलमपुर	71 जी
72.	नासर हुसैन सु० श्री ललूम बक्स	मकान नं० 12, न्यू सीलमपुर	72 जी
73.	कल्लू सुपुत्र नबदिल लाल	सी० पी० जे० 93, वही	73 जी
74.	जगदीश सुपुत्र सुरेन्द्र जैन	9/4781, पुराना सीलमपुर	74 जी
75.	मुहम्मद हुसैन सुपुत्र हमीद	सी-210, सीलमपुर	75 जी
76.	टोला खान सुपुत्र वजीर खान	के-400, न्यू सीलमपुर	76 जी
77.	परिजात हुसैन सुपुत्र बक्सी अहमद	म० नं० 5, गली नं० 1, जाफराबाद	77 जी
78.	रमेश चन्द्र जैन सुपुत्र भैया राम	9/1994, कैलाश नगर	78 जी

1	2	3	4
79.	सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र नवल किशोर	टी-10, गौतम पुरी	79 जी
80.	चन्द मियां सुपुत्र अबरार अहमद	सी-3/30, चौहान बांगड़ न्यू सीलमपुर	80 जी
81.	प्रेम चन्द्र सुपुत्र बुजना	9/7533, ओल्ड सीलमपुर	81 जी
82.	मुन्नामियां सुपुत्र बुलवाहिद	जे०/476, जनता मजदूर कैम्प	82 जी
83.	रहीश अहमद पुत्र शिरोई अहमद	सी-15/4, चौहान बांगड़	83 जी
84.	मु० गोरी सुपुत्र बुन्दु खां	एफ-97, न्यू सीलमपुर	84 जी
85.	टरस प्रसाद सुपुत्र इन्द्र सेन	9/7526, गांधी नगर	85 जी
86.	बाल मुकुन्द सुपुत्र दाताराम	एफ-163, ओल्ड सीलमपुर	86 जी
87.	रशीद खान सुपुत्र हुसरत खान	डी-1/17, न्यू सीलमपुर	87 जी
88.	किशिम अली सुपुत्र सबेरू खान	744, गली नं० 1, जाफराबाद	88 जी
89.	श्रीमती सोभा पत्नी रामानन्द	10230, गली नं० 1, जी पार्क शाहदरा	89 जी
90.	नरेन्द्र कुमार सुपुत्र राधेश्याम	मकान नं० 27, गली नं० 6, ब्रह्मपुरी	90 जी
91.	राजकुमार सुपुत्र हरि सिंह	जे-72, न्यू सीलमपुर	91 जी
92.	श्रीमती भूनेश्वरी देवी पत्नी जयप्रकाश	1/10800, गली नं० 3, सुभाष पार्क	92 जी
93.	अलाउद्दीन सुपुत्र मुंशी	बी-49, न्यू सीलमपुर	93 जी
94.	राजीव वासुदेव सुपुत्र आर० पी० वासुदेव	9/22, वैलकम, न्यू सीलमपुर	94 जी
95.	श्रीमती फूला देवी पत्नी शिवकुमार	9144, रोहतास नगर	95 जी
96.	पराचंद सुपुत्र जीतराम	जे-67, न्यू सीलमपुर	96 जी
97.	श्री परवेज सुपुत्र वर्षाद	ए-9/3, गली नं० 5	97 जी
98.	श्री नैन सिंह सुपुत्र महावीर प्रसाद	1/10934-ए, सुभाष पार्क	98 जी

1	2	3	4
99.	श्री दर्शन लाल सुपुत्र अमी चन्द	के-390, न्यू सीलमपुर	99 जी
100.	श्री धर्मेन्द्र लाल सुपुत्र श्री घनश्याम	69/224, डबल स्टोरी, न्यू सीलमपुर	101 जी
101.	श्री कृष्णन लाल सुपुत्र रामधन दास	सी० पी० जी० 1/12, न्यू सीलमपुर	102 जी
102.	सुदर्शन कुमार सुपुत्र	5/224, वही	103 जी
103.	ओम प्रकाश सुपुत्र बसंत लाल	सी० पी० ए-127 वही	104 जी
104.	श्री जंगीराम सुपुत्र लेखराम	सी-33 ब्रह्मपुरी, शाहदरा	105 जी
105.	श्री सुमेर चन्द्र सुपुत्र सीताराम	जे-76, न्यू सीलमपुर	106 जी
106.	राजकुमार सुपुत्र श्रीनिवास मिश्रा	एच-39 वही	107 जी
107.	श्री मनीराम सुपुत्र राम किशन	यू-18, न्यू बस्ती सीलमपुर	108 जी
108.	शासुस सुपुत्र युसुफ	एफ-117, न्यू सीलमपुर	109 जी
109.	श्री जोगेन्द्र पाल सुपुत्र सोहन लाल	927-विजय पार्क, गली नं० 2 मौजपुर	110 जी
110.	श्री नत्थू राम	ए-153, न्यू सीलमपुर	111 जी
111.	श्रीमती सोभा देवी पत्नी दीपचन्द	जे-143 वही	112 जी
112.	श्री किशन लाल सुपुत्र ज्ञानचंद	56-डबल स्टोरी, सीलमपुर	113 जी
113.	श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी करन सिंह	डी-22, न्यू सीलमपुर	114 जी
114.	श्रीमती कपूर देवी ताराचंद	सी० पी० के०-145, न्यू सीलमपुर	115 जी
115.	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी हरीराम	जे बी-6/42, सीलमपुर	116 जी

1	2	3	4
116.	श्री विपिन कुमार सुपुत्र जगदीश	4921, बलजीत नगर, शाहदरा	117 जी
117.	श्री रामपाल शर्मा	म० नं० 47, बलजीत नगर एक्स०	118 जी
118.	श्रीमती अरुणा कुमारी पत्नी नमालाल	सी० पी० जे०-1/84, न्यू सीलमपुर	119 जी
119.	श्री लक्मन प्रसाद सुपुत्र पकपाल सिंह	467-जाफराबाद, गली नं० 21	120 जी
120.	श्री शिवचरन सुपुत्र अमित लाल	सी-147, सीलमपुर	121 जी
121.	श्री सोम प्रकाश सुपुत्र शेर सिंह	4921, बलबीर नगर एक्सटेंशन	122 जी
122.	श्री राजकुमार सुपुत्र किशन कुमार	1/10954, गली नं० 7, नवीन शाहदरा	123 जी
123.	श्री जयपाल सुपुत्र रेवती लाल	डी-192, न्यू सीलमपुर	124 जी
124.	बनवारी लाल सुपुत्र राजाराम	डी-35, वही	125 जी
125.	श्री अमर सिंह सुपुत्र नेथू लाल	जे बी-1/83, सीलमपुर	126 जी
126.	तुलसी राम सुपुत्र चंन सिंह	बी-268, जनता कालोनी; सीलमपुर	127 जी
127.	श्रीमती खुर्शीदा बेगम पत्नी अब्दुल अजीत	सी-42, न्यू सीलमपुर	1 डी
128.	श्रीमती तुबला देवी	एच-37 वही	2 डी
129.	श्रीमती शाहिदा पत्नी गरीबुल्ला	ए-58 वही	3 डी
130.	श्री ब्रह्म प्रकाश	म० नं० 16, गली नं० 1, वजीराबाद	4 डी
131.	श्री सुलतान अहमद सुपुत्र मो० अजब	रैस्ट हाउस, डी० डी० ए०	5 डी
132.	श्री जगदीश प्रसाद सुपुत्र मोहन लाल	डी-175, न्यू सीलमपुर	6 डी

1	2	3	4
133.	बशीर अहमद सुपुत्र रौनक	241, चौहान बाजार	8 डी
134.	राजेन्द्र प्रसाद सुपुत्र मुरलीधर	ए 1/4, न्यू सीलमपुर	9 डी
135.	श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व० दयाराम	म० नं०, 2011, गली रोबिन सिनेमा, मलकागंज	10 डी
136.	नानू सिंह सुपुत्र लक्ष्मी सिंह	119-डी० डी० ए० फ्लैट्स, सीमापुरी	13 डी
137.	श्री बनवारी सुपुत्र महावीर	डी-174, न्यू सीलमपुर	15 डी
138.	श्री सहाबुद्दीन सुपुत्र मु० इसमाइल	1451, जाफराबाद	16 डी
139.	रसूल हैदर सुपुत्र मंजुम हुसेन	एफ-70/281, न्यू सीलमपुर	17 डी
140.	टोमी सुपुत्र मुन्शी	डी-91, न्यू सीलमपुर	18 डी
141.	समूदीन सुपुत्र मउद्दीन	653, गली नं० 26, जाफराबाद	20 डी
142.	मु० ईशाक सुपुत्र मु० अली	के-ब्याक, झुग्गी ब्रह्मपुरी	21 डी
143.	दलीप कुमार सुपुत्र विजय सिंह	6571, हबीकरीम, कुतुब रोड	22 डी
144.	श्रीमती अनी कौर	— — —	23 डी
145.	रहीसा पुत्री मुहम्मद इसमाइल	म० नं० 106, छत्ता लाल मियां दिल्ली	24 डी
146.	इतवारी लाल	— — —	25 डी
147.	इस्लामुद्दीन सुपुत्र मो० हामिद	14/13, चूना बजार	26 डी
148.	अब्दुल करीम सुपुत्र अब्दुल गफार	ए-82, न्यू सीलमपुर	27 डी
149.	अनवर हुसैन सुपुत्र बाबा खान	न्यू सीलमपुर	28 डी
150.	श्रीमती रेहाना बेगम पत्नी स्व० हबीबा	7974, बाड़ा हिन्दुराव	29 डी
151.	श्रीमती हजूरा बेगम	फिरोजशाह कोटला रोड	30 डी
152.	मो० हनीफ सुपुत्र वशीर	241, चौहान बजार, न्यू सीलमपुर	31 डी

1	2	3	4
153.	अब्दुल गफ्फार सुपुत्र लगिया	ए-82, न्यू सीलमपुर	32 डी
154.	शाकीर सिद्दिक सुपुत्र	एफ-21, न्यू सीलमपुर	33 डी

विवरण-2

सीलमपुर के उन मामलों की सूची जो विचाराधीन हैं।

क्र० सं०	ब्यौरों सहित नाम	पता
1.	श्री अच्छन सिंह सुपुत्र श्री दुलारे खान	गली नं० 5, मौजपुर, म० नं 155 अम्बेडकर बस्ती।
2.	श्री मोहनी मोहन सुपुत्र श्री एस० सी० वर्मा	म० नं० 37, न्यू सीलमपुर
3.	श्री हमीद खान सुपुत्र श्री हसरत खान	डी-1/20 ,, ,,
4.	श्री शंकर लाल सुपुत्र श्री पंचम सिंह	गांव इब्राहिमपुर
5.	श्री मांगें राम सुपुत्र श्री सचेद्द	न्यू सीलमपुर
6.	श्रीमती हरप्यारी पत्नी श्री किशन सिंह	न्यू सीलमपुर

विवरण-3

उन मामलों की सूची जिन्हें स्थल आबंटित नहीं किये गये हैं किन्तु उनके नाम सर्वेक्षण सूची में हैं।

क्रम संख्या	नाम तथा पिता का नाम
1.	श्री जमालुद्दीन सुपुत्र श्री असगर अली
2.	श्री कैलाशचन्द्र सुपुत्र श्री रणजीत
3.	श्री गिरराज सुपुत्र श्री गोपाल
4.	श्री रामसिंह सुपुत्र श्री
5.	श्री तेज राम सुपुत्र श्री कालूराम
6.	श्री इरशाद खान सुपुत्र श्री रियासत अली
7.	श्री महेश चन्द सुपुत्र श्री रलिया राम
8.	श्री अमर सिंह सुपुत्र श्री कालू

9. श्री मोहम्मद इसहाक सुपुत्र श्री अब्दुल लतीफ
10. श्री समासुद्दीन सुपुत्र के० बक्स
11. श्री मुन्ना सुपुत्र श्री हमीद
12. श्री छुट्टन खान सुपुत्र श्री मन्हा
13. श्रीमती हीरा पत्नी श्री रतन सिंह
14. श्री विजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री बाकमल
15. श्रीमती प्रेमलता जैन पत्नी श्री
16. श्री हफीज अहमद सुपुत्र श्री अब्दुल रहमान
17. श्री राजेश कुमार, सुपुत्र श्री होलीराम
18. श्री मोहन लाल सुपुत्र श्री दीनदयाल
19. श्री साजिद खान सपुत्र श्री वाजिद खान
20. श्री मुल्ला मियां (मुन्ना) सुपुत्र श्री मियां
21. श्री जगदीश सुपुत्र श्री पूरनमल
22. श्री शफीम सपुत्र श्री जमील
23. श्री इरसाद सुपुत्र श्री हबीउल्लाह
24. श्री प्रेमनाथ सुपुत्र श्री बिहारी लाल
25. श्री हसमत अली सुपुत्र श्री चमन अली
26. श्री मंसूर अली सुपुत्र श्री अब्दुल अमीन
27. श्री असफाक हुसैन सुपुत्र श्री अली हुसैन
28. श्री समद सुपुत्र श्री छोटे
29. श्री मोहम्मद अली सुपुत्र श्री
30. श्री इक्रमुद्दीन सुपुत्र श्री इस्लामुद्दीन
31. श्री परेश चन्द्र सुपुत्र श्री अन्सार अहमद
32. श्री आफताब अहमद सुपुत्र श्री अन्सार अहमद
33. श्री रफीक सुपुत्र श्री मोहम्मद जामिन
34. श्री आलिम खां सुपुत्र श्री बरातुल्ला
35. श्री अब्दुल रशीद सुपुत्र श्री मंसूर अहमद
36. श्री हरीरमन सुपुत्र श्री

37. श्री तारिसयाल सुपुत्र श्री

38. श्री मोहम्मद इरफान सुपुत्र श्री मोहम्मद अहसान

39. श्री मोहम्मद इस्लाम सुपुत्र श्री मोहम्मद अहसान

40. श्री मोहम्मद आरिफ सुपुत्र श्री मोहम्मद अहसान

41. श्री बी० डी० शर्मा सुपुत्र श्री शिवचरण

42. श्री रबीबन रहमान सुपुत्र श्री अब्दुल रहमान

43. श्री मुन्ना सुपुत्र श्री अब्दुल रहीम

44. श्री मोहम्मद उमर खान सुपुत्र श्री

45. श्री लाजवती पत्नी श्री

46. श्री रामप्रसाद सुपुत्र श्री मूटर राम

47. श्री वीरेन्द्र सुपुत्र श्री

48. श्री रफीक सुपुत्र श्री इब्राहिम

49. श्री नजीर अपमद सुपुत्र श्री मंगत खां

50. श्री अब्दुल सलीम सुपुत्र असबुल्लाह

51. श्री जगन्नाथ सुपुत्र श्री चन्द्रभान

52. श्री इस्माइल सुपुत्र श्री अब्दुल

53. श्री प्यारे लाल सुपुत्र श्री मुन्ना लाल

54. श्री भगवान दास सुपुत्र श्री हरिया

55. श्रीमती हसिया बेगम पत्नी श्री सुलेमान

56. श्री ऋषि सुपुत्र श्री गंगाराम

57. श्री नासिर सुपुत्र श्री

58. श्री समसुद्दीन सुपुत्र श्री

59. श्री रियासुद्दीन सुपुत्र श्री छुट्टन खां

60. श्री नूर अहमद सुपुत्र श्री

रोगों के उपचार के लिए "जिनसेंग" का प्रयोग

[अनुवाद]

263. श्री कल्पनाथ राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात् नागा पहाड़ियों में पाई जाने वाली "जिनसेंग" नामक जड़ी-बूटी का प्रयोग कई रोगों के उपचार के लिए किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस जड़ी-बूटी की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार पैनिक्स-जिनसेंग एक चीनी और कोरियन प्रजाति (स्पीशीज) है और यह भारत में उपलब्ध नहीं है। भारत में पाया जाने वाला पैनेक्स स्यूडोजिनसेंग एक ऐसा पादप है, जिसे जिनसेंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे बुखार और जीवनी शक्ति के लिए कषायवर्ग (एस्ट्रिन्जेंट) के रूप में लाया जाता है।

(ख) केन्द्रीय औषध और सुगंधित पादप संस्थान, लखनऊ कश्मीर घाटी में अमेरिकन जिनसेंग पैदा करने का प्रयास कर रहा है।

विद्युत करघों द्वारा हथकरघा वस्त्रों का निर्माण

264. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत करघों द्वारा हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए निर्धारित वस्त्रों का निर्माण रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) न्यायालय के उन आदेशों को निरस्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिनमें विद्युत करघों को उन सभी प्रकार के कपड़ों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है जो हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सरकार हथकरघा पर विशेष रूप से उत्पादन करने के लिए उत्पादों के आरक्षण की नीति के प्रति वचनबद्ध है। इस लिए, केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 बनाया इसके तहत हथकरघा पर विशिष्ट उत्पादन के लिए कुल बाईस उत्पादों को आरक्षित किया गया है। जिसके साथ ही भारत सरकार ने दिल्ली में मुख्य प्रवर्तन अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया है जिसके क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बटूर और पुणे में हैं। इसका कार्य आरक्षण आदेशों के प्रवर्तन पर निगरानी रखना है। राज्य स्तरीय प्रवर्तन कार्यालयों की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय बजट में निधियों की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार के कार्यालय गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में भी स्थापित किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार यह मामला सक्रिय रूप से उच्चतम न्यायालय में उठा रही है जिसने अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी आदेशों के प्रवर्तन पर स्थगन आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय में इस मामले की आंशिक सुनवाई 17 और 18 अक्तूबर, 1989 को हुई। सरकार इस मामले को तुरन्त निपटाने के लिए कार्रवाई कर रही है।

केरल के लिए चीनी

265. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को जनवरी से जून, 1990 तक के दौरान कितनी चीनी सप्लाई की गई;

(ख) उक्त राज्य में इसमें से कितनी चीनी वितरित की गई है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य से चीनी की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) फरवरी, 1987 से केरल का मासिक लेवी चीनी कोटा 11953 मीटरी टन है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लेवी चीनी के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा चीनी की आबंटित मात्रा चीनी मिलों से नियमित उठाई जा रही है।

मिन्टो रोड मुद्रणालय में महिला आपरेटरों को आवास

266. श्री ए० चार्ल्स : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मिन्टो रोड, नई दिल्ली स्थित मुद्रणालय में कुल कितने "की-बोर्ड आपरेटर" कार्यरत हैं, और उनमें से महिला आपरेटरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या महिला आपरेटरों को रात्रि की पाली में भी काम करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन महिला आपरेटरों को आवास प्रदान करने के सम्बन्ध में उनकी ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 78, जिनमें से 12 महिलाएं हैं।

(ख) वे सायं 3.30 बजे से सायं 10.00 बजे तक कार्य करती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ऐसे कर्मचारियों को इस शर्त पर बिना बारी के वास आबंटित करने का निर्णय किया गया है कि उन्हें प्रात: 5.00 बजे से आरम्भ होने वाली सुबह की पारी तथा/अथवा सायं 10.00 बजे तक चलने वाली शाम की पारी में काम करने के लिए कहा जा सकता है।

दिल्ली में मैट्रो रेल परियोजना

[हिन्दी]

267. श्री बालेश्वर यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मैट्रो रेल परियोजना के प्रस्ताव के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का दिल्ली में यातायात की बिगड़ती समस्या के समाधान के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली शहर के लिए द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिल्ली

प्रशासन ने मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल एंड इकनामिक सर्विसेस लिमिटेड को लगाया है। रेल इंडिया टैक्नीकल इकनामिक एंड सर्विसेस (राइट्स) ने अभी-अभी इस विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूर्ण किया है : इस विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर आधारित मैट्रो रेल परियोजना के बारे में अन्तिम प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन से प्राप्त नहीं हुआ है।

चीनी एककों को लाइसेंस देने के लिए नए मानदंड

268. **श्री काशीराम राणा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिलों की स्थापना तथा विद्यमान एककों के विस्तार के लिए नई मार्गनिर्देश शर्तें जारी की हैं, जैसाकि 25 जुलाई, 1990 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 23-7-90 के प्रेस नोट के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने तथा वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की है, जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में दी गयी है।

विवरण

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट संख्या-4

(1990 श्रृंखला)

विषय—आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

इस मंत्रालय के दिनांक 2 जनवरी, 1987 के प्रेस नोट सं० 1 (1987 श्रृंखला), दिनांक 9 फरवरी, 1987 के प्रेस नोट सं० 2 (1987 श्रृंखला), दिनांक 11 मई, 1989 के प्रेस नोट सं० 12 (1989 श्रृंखला) तथा दिनांक 19 अक्तूबर, 1989 के प्रेस नोट सं० 27 (1989 श्रृंखला) में निहित, चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधिक्रमण मे नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने तथा वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं—

(1) प्रतिदिन 2500 टन गन्ना पिराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता को नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी पिछड़े क्षेत्रों के लिए या गन्ने की उपलब्धता के दृष्टिकोण से अल्प विकसित क्षेत्रों में न्यूनतम आर्थिक क्षमता में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

(2) नई चीनी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस इस शर्त पर दिए जाएंगे कि इसके 15 कि०मी० की

परिधि में चीनी मिल न हो। आवेदक को गन्ना उपलब्धता या गन्ना विकास की संभावनाओं के बारे में कोई प्रमाण पत्र/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा।

(3) सभी नए लाइसेंस इस अनुबन्ध पर जारी किए जाएंगे कि गन्ने की कीमत गन्ने के सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

(4) अन्य बातों के समान होने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमश: सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी।

(5) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस मंजूर करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) इकाइयों के लिए औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जाएंगे।

(6) 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता की फैक्ट्रियों को अपनी क्षमता में उक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार को वरीयता दी जाएगी।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र निर्धारित 2500/- रुपए फीस सहित "आई एल" फार्म में औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को सीधे भेजे जाएं।

(3) उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं प्रक्रिया को सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए उद्यमियों के ध्यान में लाया जाता है।

फाइल सं० 10 (133)/86-एल० पी०　　　　　　　　　　नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1990

पत्र सूचना कार्यालय को उपर्युक्त प्रेस नोट की विषयवस्तु विस्तृत प्रचार के लिए भेजी जाती है।

ह०/-
(जयलक्ष्मी चयरमन)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रधान सूचना अधिकारी,
पत्र सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलें

269. श्री रामलाल राही : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में गैर-सरकारी, सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में चीनी की मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गैर-सरकारी उद्यमियों को चीनी की मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गैर-सरकारी क्षेत्र में चीनी की मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं अथवा जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) चीनी वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक माना जाता है। 1989-90 (अर्थात् 1 अक्तूबर, 1989 से जुलाई, 1990 तक) के चालू चीनी वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर है।

(ख) चीनी वर्ष 1989-90 (जुलाई, 1990 तक) के दौरान केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 5 आशय पत्र जारी किए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश के जिलों, जहां 1989-90 (जुलाई, 1990 तक) के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं, की संलग्न विवरण-2 पर है।

(घ) केन्द्र सरकार ने दिनांक 23-7-90 के प्रेस नोट के तहत पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की है। इसके प्रेस नोट संख्या (4) के अनुसार, अन्य बातें समान रहने पर लाइसेंस जारी करते समय निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमश: सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी। विभिन्न राज्यों के लिए नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु प्राप्त सभी आवेदनों पर अब इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) रामगढ़, तहसील मिसरिख, जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में 2500 टी० सी० डी० क्षमता की एक नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए मै० बलरामपुर चीनी मिल्स लि० को आशय-पत्र जारी किया गया है। बेहुता-रूसा, तहसील बिस्वान, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में 2500 टी० सी० डी० की नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मै० गोबिन्द चीनी मिल्स लि० से भी एक आवेदन प्राप्त हुआ है। मै० गोबिन्द चीनी मिल्स लि० के आवेदन पर अभी विचार किया जाना है।

विवरण-1

उत्तर प्रदेश में नई चीन मिलों की स्थापना के लिए 1989-90
(जुलाई, 1990 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन

क्र० सं०	पार्टी का नाम और स्थिति	क्षेत्र	क्षमता (टी०सी०डी०)
1	2	3	4
1.	मै० यू०पी० को-ओ० शुगर फैक्ट्री फेड० स्थान-देवरिया (मानकपुर) त० मानकपुर जिला गोंडा	सहकारी	1750

1	2	3	4
2.	मै० कुमाऊं फार्मकेपस एंड कैमिकल्स प्रा० लि० प्रस्तावित-बेलपरव, त० रामनगर जिला नैनीताल	संयुक्त	2500
3.	मै० सुजुकी (इंडिया) लि० नई फैक्ट्री के लि० बेहूता रूसा, त० बिस्वान, जि० सीतापुर	संयुक्त	2500
4.	दि० धामपुर शुगर मिल्स लि० स्थान-रूजा गांव, त० रामस्नेही घाट जि० बाराबंकी	निजी	2500
5.	मै० यू०पी० को आ० शुगर फैक्ट्री फेड० लि०, स्थान-सिकन्दरा, त० पुखरायन (ब्लाक राजपुर), जि० कानपुर (देहात)	सहकारी	1750
6.	मै० यश पेपर लि०, स्थान व त० अकबरपुर जि० फैजाबाद।	संयुक्त	2500
7.	मै० यू०पी० को-आ० शुगर फैक्ट्री फेड० लि० यूनिट-अतरौलिया, त० फूलपुर जि० आजमगढ़	सहकारी	1750
8.	मै० श्री एसिड एंड कैमिकल्स लि० स्थान-जोगीपुर, गजरौला धमौरा रोड़ पर त० हसनपुर, जि० मुरादाबाद	संयुक्त	2500
9.	मै० बतरा पुर चीनी मिल्स लि० स्थान-रामगढ़, त० मिसरीख, जि० सीतापुर	संयुक्त	2500
10.	श्री गौतम आर, मोरारका स्थान और जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
11.	के० आर० नारंग, स्थान-बघूलिया, त० निचलाउल जि० महाराजगंज	संयुक्त	2500
12.	के० आर० नारंग स्थान-छपरौली, त० बागपत, जि० मेरठ	संयुक्त	2500
13.	रघ फूड सिद्धार्थ सी० श्रीराम त० किरायना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500

1	2	3	4
14.	मैं० यमुना शुगर मिल्स, स्थान-अहिराना, त० नकुर जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500
15.	मैं० यू०पी० शुगर एण्ड ओरगेनिक्स लि० नागल, त० देवबन्द, जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500
16.	मैं० बाबरी पेपर मिल्स लि० बाबरी, चौसान खदोर, स्थान कादर गढ़, टिहरी और बाघड़ा, त० किरायना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
17.	मै० गुलशन शुगर एण्ड कैमिकल्स लि० स्थान-लामराजोर मिरनपुर या खसमपुर खोला या किलेरपुर जुमीर या जनसठ या चेटोरा या शखोरा, त० जनसठ जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
18.	श्री महेश चतुर्वेदी, त० मंत, जि० मथुरा	संयुक्त	2500
19.	मैं० नुपुर परोफैशनल एण्ड (पी०) लि० बाबरी या चौसाना खदोर या खदोरगढ़, त० किरायाना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
20.	बी०डी० जैन, त० बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
21.	मैं० यू०पी० को० शुगर फैक्ट्री फैड० लि० सरदारनगर, त० निगाहसन, जि० लखीमपुर खिरी	सहकारी	2500
22.	मैं० राजपाल सिंह नागल शुगर मिल्स लि० नागल, तहसील-देवबन्द, जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500
23.	मैं० सुजुकी (इंडिया) लि० प्रस्तावित बलदेव, त० सादाबाद, जि० मथुरा	संयुक्त	2500
24.	मैं० चेरीसन इनवेस्टमैन्ट (इण्डिया) लि० स्थान (1) बुधाना त० व जिला-मुजफ्फरनगर स्थान (2) खरार, तालुका-बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500

1	2	3	4
25.	मै० कोन्टीनेन्टल पम्पस एंड मोटरर्स लि० स्थान खरार, त० बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
26.	मै० एच० एस० भाटिया, स्थाने व त० बुधाना जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
27.	मै० एसोसियेटिड शुगर मिल्स लि० स्थान खैर त० खैर, जि० अलीगढ़	संयुक्त	2500
28.	मै० युनाइटिड शुगर लि० स्थान व त० चजलाद, जि० मुरादाबाद	संयुक्त	2500
29.	मै० श्री तिलक धर, मार्फत डी०सी०एम० श्रीराम इन्डस्ट्रीज जि० असवंतनगर, त० व जि० इटावा	संयुक्त	2500
30.	मै० बिन मैडिकेश लि० स्थान शारदानगर, त० लखीमपुर जि० खिरी लखीमपुर	संयुक्त	2500
31.	मै० बिन मैडिकेश लि० स्थान-लखनौती-गंगोह त० नकुर जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500
32.	मै० मंत्री उद्योग लि० जसवन्तनगर, त० व तालुका इटावा	संयुक्त	2500
33.	इन्द्रवीर सिंह, स्थान व त० जि० मुरादाबाद	संयुक्त	2500
34.	अवधेश कुमार, जि० बिजनौर	संयुक्त	2500
35.	आर० विजय कुमार स्थान थाता, त० खागा, जि० फतेहपुर	संयुक्त	2500
36.	श्री शैलेन्द्र मोहन, न्यू यूनिट, बुरहाना जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
37.	के०के० बजोरिया, अगोतो जि० बुलंदशहर	संयुक्त	2500
38.	श्री अमर सिंह, फजरपुरमजी त० हसनपुर जि० मुरादाबाद	संयुक्त	2500

1	2	3	4
39.	श्री सुमत जैन, शुगर फैक्ट्री नियर मलकपुर (लोन) बड़ौत, जि० मेरठ	संयुक्त	2500
40.	कुलदीप राज नारंग, रतनपुर त० नौटानवा, जि० महाराजगंज	संयुक्त	2500
41.	विमल जैन शुगर फैक्ट्री प्रस्तावित शारदानगर, त० निगाहसन, जि० लखीमपुर खीरी	संयुक्त	2500
42.	मै० कृष्णा खन्ना शुगर फैक्ट्री प्रस्तावित मितौली (नियर महामदी) त० महामदी, जि० लखीमपुर खीरी	संयुक्त	2500
43.	मै० यू०पी० को०आ० शुगर फैक्ट्री फैड० लि०, यूनिट मितावली (महामदी) त० महामदी जि० लखीमपुर खीरी	सहकारी	2500
44.	मै० प्रैसटीज फाईबरस लि० शुगर यूनिट ददेरी/अरचा/धौलाना त० दादरी, जि० गाजियाबाद	संयुक्त	2500
45.	मै० रत्तन लालपरसरामपुरिया, शुगर यूनिट बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
46.	मै० श्री ओम प्रकाश परसरामपुरिया शुगर यूनिट धौलाना, त० हापुड़ जि० गाजियाबाद	संयुक्त	2500
47.	केशव माथुर, शुगर यूनिट नवाबगंज जि० बरेली	संयुक्त	2500
48.	एन०के० माथुर, शुगर फैक्ट्री-मितौली (नियर महामदी) त० महामदी, जि० लखीमपुर खीरी	संयुक्त	2500
49.	श्री ओ०पी० शुक्ला, शुगर फैक्ट्री शारदानगर, जि० लखीमपुर खीरी	संयुक्त	2500
50.	अलीमुद्दीन राना, शुगर फैक्ट्री साहपुर त० बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
51.	मै० दि सिमभोली शुगर मिल्स लि० मीरगंज, जि० बरेली	संयुक्त	2500

1	2	3	4
52.	मै० नुपूर प्रोफेशनल एण्ड प्रा० लि० प्रस्तावित यूनिट लखावती (गंगोह) त० नकुर, जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500
53.	मै० गंगा शुगर एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज लि० यूनिट गांव धामरा, त० धनौरा, जि० मुरादाबाद	संयुक्त	2500
54.	मै० सुरेश जमनानी, माडर्न सिल्क हाऊस हजरत गंज, लखनऊ, शुगर फैक्ट्री-शेखुआनी त० नौटानवा, जि० महाराज गंज	संयुक्त	2500
55.	मै० गोबिन्द शुगर मिल्स लि० ऐयरएस्टेट, जि० खीरी, न्यू फैक्ट्री बेहूता-कसा, त० बिस्वान, जि० सीतापुर	संयुक्त	2500
56.	मै० महर्षि हवेन आन अर्थ डवलपमेंट कारपोरेशन लि० शुगर फैक्ट्री उनोर, त० फतेहपुर, जि० फतेहपुर	संयुक्त	2500
57.	मै० महावीर एक्सपोर्ट एण्ड इमपोर्ट कं० (प्रा०) लि०, यूनिट धोलान, त० हापुड़ जि० गाजियाबाद।	संयुक्त	2500
58.	मै० श्री जगदम्बा एस्टेट प्रा० लि०, शुगर यूनिट चौसाना, त० किरायना जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
59.	मै० बाबरी स्ट्रा प्रोडक्टस प्रा० लि० शुगर यूनिट बुधाना, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
60.	श्री पवन अग्रवाल, शुगर यूनिट-मितौली त० महामदी, जि० लखीमपुर खीरी	संयुक्त	2500
61.	मै० जगजीत शुगर मिल्स कं० लि० शुगर फैक्ट्री धनौरा, त० धनौरा जि० मुरादाबाद	संयुक्त	2500
62.	मै० स्वदेशी इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपो० लि०, यूनिट अगवानपुर त० व जि० मुरादाबाद	संयुक्त	2500
63.	मै० इण्डिया सैरोईन्स लि०, शुगर फैक्ट्री लखनौती, त० गंगोह, जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500

1	2	3	4
64.	मै० श्री एसिडस एण्ड कैमिकल्स लि० न्यू शुगर फैक्ट्री प्रस्तावित बिजवा त० व जि० लखीमपुर खीरी	संयुक्त	2 00
65.	मै० के०एम० शुगर मिल्स लि०, शुगर फैक्ट्री जि० हरिद्वार	संयुक्त	2500
66.	मै० शारदा शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि० शुगर यूनिट शारदानगर, जि० निगाहृसन जि० लखीमपुर खीरी	संयुक्त	2500
67.	मै० श्री अजय के० स्वरूप शुगर फैक्ट्री धोलाना, जि० गाजियाबाद	संयुक्त	2500
68.	मै० इंजिनियरिंग टैक्नीकल सर्विजस लि०, शिवपुरी, त० जनसठ, जि० मुजफ्फरनगर	संयुक्त	2500
69.	मै० यम्ना ट्रेडर्स एण्ड एजेन्सीज लि० मेलक, जि० रामपुर	संयुक्त	2500
70.	श्री हरभजन सिंह, जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500
71.	श्री दीपक सिंह, काशीपुर जि० नैनीताल	संयुक्त	2500
72.	मै० नरसन डिस्टलरी एण्ड शुगर मिल्स नरसन, जि० हरिद्वार	संयुक्त	2500
73.	मिस्टर जे०एस० नेगी, न्यू शुगर फैक्ट्री के महामदी, जि० लखीमपुर खीरी	संयुक्त	2500
74.	मिस्टर सुरेश मित्तल, शुगर फैक्ट्री के लिए नांगल, जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500
75.	श्री विपिन गोयल, शुगर फैक्ट्री नियर कीरतपुर, त० नजीबाबाद जि० बिजनौर	संयुक्त	2500
76.	मै० यू०पी० को०ओ० शुगर फैक्ट्री फेड० लि०, रामगढ़ (नकुर गंगोह) त० नकुर जि० सहारनपुर	सहकारी	2500
77.	श्री सुधीर कुमार परसरामपुरिया स्थान-मिलाक, मीरगंज, त० मिलाक जि० रामपुर	संयुक्त	2500

1	2	3	4
78.	श्री प्रताप नारायण पांडेय दारापुर, मल्लावन, त० बिलग्राम जि० हरदोई	संयुक्त	2500
79.	चौधरी बलवंत सिंह, स्थान जलालाबाद जि० शाहजहांपुर	संयुक्त	2500
80.	मै० अशोका मरकनटाईल लि०, स्थान-धौलाना, त० हापुड़ जि० गाजियाबाद	संयुक्त	2500
81.	मिस्टर रजनीश अग्रवाल, गुरुकुल नरसों जि० हरिद्वार	संयुक्त	2500
82.	डा० रायजीत कुमार नियोगी, स्थान-बोकड़ा, त० बागपत, जि० मेरठ	संयुक्त	2500
83.	मै० विन मैडिकेयर लि०, यूनिट-मलकपुर त० बागपत, जि० मेरठ	संयुक्त	2500
84.	श्री सुधीर कुमार परशुरामपुरिया स्थान व त० मानकपुर जि० गोंडा	संयुक्त	2500
85.	मै० श्री मुरलीधर अग्रवाल शुगर फैक्ट्री रायामात रोड, त० गोकुल, जि० मथुरा	संयुक्त	2500
86.	श्री जी०पी० गोयनका, नागल, त० देवबन्द जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500
87.	श्री जी०पी०, गोयनका, लखनौती (गंगोह) त० नकुर, जि० सहारनपुर	संयुक्त	2500

विवरण-2

उत्तर प्रदेश के जिले जहां 1989-90 (जुलाई, 1990 तक) के दौरान चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए

क्रम-संख्या	जिला	संख्या	क्षेत्र
1.	बुलन्दशहर	1	सहकारी क्षेत्र
2.	मुरादाबाद	1	निजी क्षेत्र
3.	सिद्धार्थ नगर	1	निजी क्षेत्र
4.	बाराबंकी	1	निजी क्षेत्र
5.	सीतापुर	1	निजी क्षेत्र

वनस्पति तेल में "निकल"

270. श्री मान्धाता सिंह :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

श्री समत कुमार मंडल :

श्री वाई० एम० राजशेखर रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति तेल को हाइड्रोजन युक्त बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में विभिन्न वनस्पति तेल उत्पादकों द्वारा वास्तव में कितनी मात्रा में "निकल" का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या देश में हाइड्रोजन युक्त वनस्पति तेल के चार प्रमुख ब्रांडों में बहुत अधिक निकल का जो विषैला धातु है, अनियन्त्रित प्रयोग किया जाता है और कैंसर रोग पैदा कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केवल वनस्पति तेलों में इस विषैले धातु की वास्तव में कितनी खपत होती है और क्या वनस्पति तेलों में "निकल" की खपत की बात सरकार के ध्यान में लाई गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) वनस्पति विनिर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले निकल उत्प्रेरक की मात्रा तेल के 0·02 से 0·05% के बीच होती है ।

(ख) और (ग) हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों के चार प्रमुख ब्रांडों में निकल तत्व 0.1 से 8.8 पी० पी० एम० की रेंज में पाए गए हैं । तथापि, अभी तक वनस्पति में निकल तत्व के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है ।

(घ) केवल वनस्पति तेल के जरिए निकल का वास्तविक उपभोग नगण्य है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की पुनरीक्षा

271. श्री वी० कृष्ण राव : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन नीति के अन्तर्गत विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करते समय जिन उद्देश्यों की कल्पना की गई थी, क्या वे उद्देश्य प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस नीति के उद्देश्य और इसके कार्यान्वयन में आवश्यक परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) प्रारम्भ से अब तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त किए गये परिणाम नीचे तालिका में दिए गए हैं :

	1951-61	1989
1. जन्म-दर (प्रति हजार जनसंख्या)	41.7	31.5
2. कुल प्रजनन दर	5.997 (50-55)	4.1 (1987)
3. संरक्षित दम्पत्ति प्रतिशत	10.4 (70-71)	42.6 (89-90)
4. शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म)	146	94
5. जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	41.3	58.6 (1986-91)
6. रोके गये जन्मों की संचयी संख्या (प्रारम्भ से)	40,000	1180 लाख (1989-90)

(ख) और (ग) देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रणीय सीमाओं में रखने के लिए, एक सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, स्वास्थ्य सम्बन्धी आधार-भूत-ढांचे को सुदृढ़ करने, व्यापक रोक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के जरिए बच्चे जीवित रहने की दर को बढ़ाने, जनसंख्या शिक्षा को गहन करने, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने, संशोधित संचार प्रणालियां अपनाने तथा स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा, बुनियादी स्तर पर कार्मिकों के प्रशिक्षण और पुन-प्रशिक्षण को शुरू करने और महिला साक्षरता एवं महिलाओं के स्तर को सुधारने तथा क्षेत्र गहन पद्धति अपनाने जैसे संबंधित विकास कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने और उसे सुदृढ़ करने की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है और उन्हें और भी सुदृढ़ किया जाएगा।

लोगबलानका में जल का अन्तर्वाह

[हिन्दी]

272. श्री गुमानमल लोढा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जयपुर में जयतरण चुनाव क्षेत्र के बाबरा ग्राम पंचायत के अधीन रत्तरिया गांव के पूर्व में लोगबलानका में जल के भारी अंतर्वाह, जो वहां पर "एनिकट" के न होने के कारण व्यर्थ चला जाता है, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पहले भी इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि इस क्षेत्र में 200 एकड़ भूमि पर सात कुओं का जल स्तर बढ़ जायेगा और भूमि की ऊसरता भी समाप्त हो

जायेगी तथा सात कुओं के आसपास के क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिल जायेगा यदि वहां "एनिकट" उपलब्ध कराया जाता है तो मार्च-अप्रैल तक लांगवलानका गोचर में पशुओं को पेय जल भी मिल जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस बहुआयामी योजना के लगने वाले एनिकट के निर्माण के बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिणी दिल्ली में यकृत ज्वर एवं पीलिया का प्रकोप

[अनुवाद]

273. **श्री पी० सी० थामस :**

श्री इरा अम्बारासु :

श्री हेतराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में, देश के विभिन्न भागों, विशेषकर नई दिल्ली में यकृत-ज्वर और पीलिया के फैलने की बात आई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की विभिन्न कालोनियों से कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) दिल्ली में पीलिया और यकृत-ज्वर को फैलने से रोकने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में इन बीमारियों के फैलने के कारणों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में कार्य कर रहे सात प्रहरी केन्द्रों तथा दिल्ली के विभिन्न जोनों में स्थित 14 औषधालयों से प्राप्त को गई सूचना से विषाणुज यकृतशोथ (वायरल हेपाटाइटिस) के प्रकोप में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि होने का संकेत नहीं मिलता है। सूचित किए गए रोगियों तथा मौतों के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और विवरण 2 में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के एक दल ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र, जिसमें ग्रेस एन्क्लेव, और वसंतकुन्ज शामिल हैं, का दौरा किया और घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के माध्यम से उन क्षेत्रों से सूचित किये गए विषाणुज यकृतशोध के मामलों की छानबीन की। पीतज्वर में वृद्धि होने की कोई घटना देखने में नहीं आई।

इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें निगरानी तथा मानिटरिंग कार्य, सुरक्षित पेय जल की सप्लाई, मानवमल कूड़ाकर्कट तथा मल आदि का उचित निकास, व्यक्तिगत सफाई तथा स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं।

विवरण 1

वायरल हेपाटाइटिस

प्रहरी निगरानी पर आधारित प्रमुख अस्पताल

अस्पताल	1988		1989		1990 (मई तक)	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
सफदरजंग	140	37	118	37	30	3
राममनोहर लोहिया	240	13	187	8	15	2
लोकनायक जयप्रकाश नारायण	147	11	122	15	41	14
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	75	52	93	59	33	14
कलावती सरन बाल चिकित्सालय	79	13	24	5	22	7
सेन्ट स्टीफन	107	0	73	2	17	0
हिन्दूराव	198	28	128	15	51	11
कुल	986	154	695	141	209	51

विवरण 2

वायरल हेपाटाइटिस

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के माध्यम से प्रहरी निगरानी

औषधालय	1988	1989	1990 (मई)
	रोगी	रोगी	रोगी
गोल मार्किट	9	3	शून्य
चित्रगुप्त रोड	16	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
देव नगर	20	5	1
चांदनी चौक	13	1	1
जनकपुरी	2	3	1
लोदी रोड	5	4	शून्य
साकेत	शून्य	शून्य	3
कालका जी	7	3	3
दिल्ली कैंट	5	4	1
मोती नगर/राजौरी गार्डन	16	2	1

अशोक विहार	12	1	शून्य
लक्ष्मी नगर	29	शून्य	शून्य
मोती बाग	17	14	5
आर० के० पुरम	50	58	29
योग	201	98	45

नयागांव बांध की ऊंचाई

[हिन्दी]

274. श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मार्च से जून, 1990 के बीच नयागांव (सरदार सरोवर) बांध की ऊंचाई कम करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का कोई अनुरोध पत्र भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कम करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में सहकारी कताई मिलें

[अनुवाद]

275. बाबा सुच्चा सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सहकारी कताई मिलों के नाम क्या हैं;

(ख) इनकी मशीनरी एवं संयंत्रों की कीमत कितनी है;

(ग) क्या ये भारत में निर्मित हैं अथवा आयातित हैं, यदि आयातित हैं, तो आयात के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक मिल का वार्षिक उत्पादन कितना है तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध कितने बेरोजगार युवकों को इसमें रोजगार मिला हुआ है; और

(ङ) क्या इन मिलों को स्थापित करने में भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगाए गए हैं और यदि कोई जांच की गई है तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय पंजाब राज्य में कुल छ. सहकारी कताई मिलों में उत्पादन हो रहा है। ये मिलें हैं :

(1) अबोहर कोआपरेटिव स्पि० मिल्स लि०, अबोहर, जिला फिरोजपुर।

(2) बरनाला कोआपरेटिव स्पि० मिल्स लि०, टापा, जिला संगरूर।

(3) गोयंदवाल कोआपरेटिव स्पि० मिल्स लि०, गोयंदवाल साहिब, जलंधर।

(4) कोटकपूरा कोआपरेटिव स्पि० मिल्स मि०, संधवान, जिला फरीदकोट।

(5) मलोत कोआपरेटिव स्पि० मिल्स लि०, मलोत, जिला फरीदकोट।

(6) मंसा कोआपरेटिव स्पि० मिल्स लि०, मंसा, जिला भटिण्डा।

(ख) से (घ) एफकोसपिन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं०	मिल का का नाम	प्लांट/ मशीनरी का मूल्य लाख रु० में	क्या मशीनें भारत निर्मित हैं या आयातित यदि आयातित हैं तो उनके आयात के कारण	यार्न का वार्षिक उत्पादन मात्रा लाख किग्रा०	उत्पादन की बिक्री मूल्य लाख रु० में	रोजगार कामगारों की सं०	स्टाफ की सं०
1.	अबोहर	568.17	उपलब्ध नहीं	31.04	1152.44	1399	82
2.	बरनाला	584.08	ओ०जी०एल० के अन्तर्गत 336 रोटरों का आयात किया गया	26.26	909.36	760	78
3.	गोयंदवाल	485.91	उपलब्ध नहीं	18.28	777.05	1761	उपलब्ध नहीं
4.	कोटकपूरा	333.56	,,	32.33	798.14	1156	79
5.	मनसा	641.49	,,	26.83	950.43	1490	125
6.	मलोत	697.28	,,	28.52	747.16	1085	4

उत्पादन और बिक्री मूल्य सम्बन्धी यह जानकारी अप्रैल से दिसम्बर, 1989 तक के नौ महीनों की अवधि के लिए है।

(ङ) जी नहीं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शामिल की गई वस्तुओं की पुनरीक्षा

276. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन, आवश्यक वस्तुओं की

सूची की पुनरीक्षा करने तथा इसे अधिक वस्तुपरक बनाने के लिए अधिनियम को नया स्वरूप प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची में शामिल की जाने वाली मदों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक हो उसमें संशोधन/परिवर्तन किए जाते हैं। अधिनियम के तहत "आवश्यक" घोषित की गई वस्तुओं की सूची की भी हाल में समीक्षा की गई है। यह निर्णय किया गया है कि कुछ वस्तुओं को निकाल दिया जाए। परिस्थितियों के अनुसार जब कभी आवश्यक होता है इस सूची में नई वस्तुओं को शामिल कर लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ और भू-कटाव को रोकने के लिए योजनाएं

[हिन्दी]

277. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ से भू-कटाव को रोकने के लिए कौन-सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण के लिए प्रस्तावित करनाली और पंचेश्वर योजनाओं पर कब से कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इन पर अनुमानित व्यय कितना आएगा; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से भी मंजूरी प्राप्त की गई है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडिया) : (क) गंगा नदी के तटों की सुरक्षा के लिए कटाव-रोधी स्कीमों को उन्नाव, बलिया तथा मिर्जापुर जिलों के लिए तैयार किया गया है।

(ख) से (घ) करनाली तथा पंचेश्वर परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल के साथ अब तक कोई करार नहीं हुआ है।

गुजरात को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

278. श्री सी० डी० गामित : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने 1 जनवरी से जुलाई, 1990 तक गेहूं, चावल, खाद्य तेल, दालों और अन्य खाद्यान्नों की कितनी-कितनी मात्रा में मांग की है;

(ख) उपर्युक्त मदों की कितनी-कितनी मात्रा स्वीकृत की गई और सरकार द्वारा वास्तव में इनकी कितनी मात्रा की सप्लाई की गई; और

(ग) गुजरात को पूरा कोटा स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल से मांगी गई गेहूं, चावल और आयातित खाद्य तेलों की मात्रा और जनवरी से जुलाई, 1990 के दौरान उन्हें किया गया आबंटन नीचे दिया गया है :—

(लाख मी० टन में)

	मांग	आबंटन
गेहूं	6.30	4.20
चावल	2.80	1.96
आयातित	2.30	0.34
तेल	(तेल वर्ष 1989-90 नवम्बर से अक्तूबर के लिए)	

केन्द्रीय सरकार दालों अथवा अन्य अभावों का आबंटन नहीं करती है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं, चावल तथा आयातित खाद्य तेलों के आबंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति विभिन्न राज्यों की परस्पर आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्ध मात्रा, गत समय में उठाई गई मात्रा, आदि को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किए जाते हैं। इन मदों के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और वे किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की समूची मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

विटामिन "ए" और लौह-तत्व की कमी

[अनुवाद]

279. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश जनता विटामिन "ए" तथा लौह-तत्व की कमी से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कुछ चुनींदा खाद्यान्नों को विटामिन "ए" और लौह-तत्व की प्रचुरता वाले बनाने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषणिक मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा 10 राज्यों में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि 5 से 7 प्रतिशत स्कूल पूर्व आयु के बच्चे विटामिन "ए" की कमी के कारण नेत्र रोग से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद के सर्वेक्षणों से यह भी पता चला है कि 70 से 80 प्रतिशत तक गर्भवती महिलाएं और 50 से 60 प्रतिशत स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों में होम्मोग्लोबिन का स्तर कम है जो कि आयरन की कमी के कारण अरक्तता का द्योतक है।

(ख) और (ग) खाद्य विभाग खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय पहले से ही 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी डेरियों के माध्यम से दूध के विटामिन "ए" से पौष्टिकृत कर रहा है।

नमक को लोह से पौष्टिकृत करने की प्रोद्योगिकी का पहले ही विकास किया जा चुका है। खाद्य विभाग द्वारा दो संयंत्र, एक राजस्थान में और दूसरा तमिलनाडु में लगाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय पोषणिक अरक्तता और विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता के विरुद्ध रोग निरोधक योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को आयरन और फालिक एसिड और 3 करोड़ बच्चों (एक से 5 वर्ष की आयु वाले) को विटामिन "ए" की गोलियों की सप्लाई करेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत "काल-दर" वाले कर्मचारियों को सम्मिलित करना

280. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत काल दर वाले (टाईम रेटिड) कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिए नया फार्मूला लागू करने के परिणामस्वरूप लगभग 2 लाख जूट मिल श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा के लाभों से वंचित हो जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का काफी संख्या में "काल दर" वाले, जूट मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) मासिक मजदूरी की गणना के तरीके के बारे में कुछ गलतफहमी थी। इस मामले की क० रा० बी० निगम के मुख्यालय द्वारा जांच की गई है तथा क्षेत्रीय निदेशक को उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है। फलस्वरूप, जूट मिलों के काल-दर कर्मचारी अधिनियम की परिधि से बाहर नहीं हुए हैं।

युवा महिला स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

281. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "युवा महिला स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम" नाम से कोई कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को किन स्थानों पर शुरू किया गया था और यह कितनी अवधि का था; और

(ग) इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जुलाई, 1988 में "युवा महिला स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम" शीर्षक से एक अनुसंधान परियोजना शुरू की है। इस समय यह परियोजना तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों मे चल रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य

और पारिवारिक जीवन शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा में सुधार करके, व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, उनकी स्थिति में सुधार करना तथा लड़कियों को आत्म-विश्वासी और आत्म-निर्भर बनाकर उनके आत्म-सम्मान में सुधार करना है। इस परियोजना का बुनियादी सर्वेक्षण समाप्त हो गया है। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रयास में प्रशिक्षण पाठ्यचर्या शामिल है जिसे चुनिन्दा गांवों में स्थापित किए गए युवती विकास केन्द्रों में लड़कियों को प्रदान किया जा रहा है। जिला स्तर के साथ-साथ खंड-स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और कौशल निर्माण आदि के बीच अन्तर क्षेत्रीय सम्बन्ध भी स्थापित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में सुधार

282. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ा मिलों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान हड़ताल और तालाबंदी के कारण कौन-कौन-सी मिलें बन्द हुई और इनके बन्द होने के क्या कारण थे; और

(ग) मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में एन० टी० सी० द्वारा चलाई जा रही तीन मिलों में से स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन के सम्बन्ध में 479 लाख रुपए के निवेश वाले आधुनिकीकरण प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है और कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी और राय बरेली टैक्स टाइल मिल्स, रायबरेली के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण योजनाएं विचाराधीन निर्माणाधीन है।

(ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश में गत एक वर्ष के दौरान हड़ताल और अथवा तालाबन्दी के कारण एन० टी० सी० के अधीन कोई भी वस्त्र मिल बन्द की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल

[अनुवाद]

283. श्रीमती चन्द्रेपति सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हाल ही में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) पिछले दिनों डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनिटर डाक्टरों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

आवासीय समितियों के लिए भूमि की मूल्य दरों में वृद्धि

[हिन्दी]

284. श्री मदन लाल खुराना :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री के० एस० राव :
श्री सरजू प्रसाद सरोज :
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने इन सहकारी समितियों को आवंटित की जाने वाली भूमि की मूल्य दरो में भारी वृद्धि कर ली है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अब उक्त भूमि की घटाई गई मूल्य दर अभी भी अधिक है और वह दिल्ली के लोगों को स्वीकार्य नहीं है;

(घ) उक्त भूमि की पिछली, बढ़ी हुई और वर्तमान मूल्य दरों का अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(ङ) सरकार भूमि का मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(च) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पपनकलां में सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आबंटन करने के लिए उनकी कोई वरीयता सूची तैयार की है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन समितियों को यह भूमि कब आवंटित किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 2,017.

(ख) से (ङ) जोन-वार भूमि की दरों के ब्योरे नीचे दिये गये हैं :—

क्रम संख्या	जोन	पिछली दरें (31-8-88 तक वैध)	बढ़ी हुई दरें 1-4-89 से 31-3-90	वर्तमान दरें
		प्रति वर्ग मीटर		
1.	दक्षिण/पपनकलां	450 रु०	1375 रु०	975 रु०
2.	पश्चिम तथा उत्तरी	425 रु०	—	950 रु०
3.	पूर्वी तथा रोहिणी	400 रु०	—	925 रु०

वर्तमान दरें अधिग्रहण की अनुमानित लागत और बिना किसी अतिरिक्त कर आदि के विकास पर आधारित हैं तथा इसलिए कमी करने की कम गुन्जाइश है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूची तैयार की जा रही है।

(छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के अनुसार यह कार्य चालू वर्ष में आरम्भ होगा।

मेडिकल कालेजों की प्रवेश परीक्षा

285. श्री हर्षवर्धन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन द्वारा मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा की प्रतीक्षा सूची एवं परिणाम प्रकाशित कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि प्रतीक्षा सूची प्रकाशित कर दी गई है और इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है तथा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को अलग से डाक द्वारा सूचित किया जा रहा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए चयनित छात्र

[अनुवाद]

287. श्री एडुआर्डो फैलीरो :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एम० डी० और एम० एस० आदि स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के चयन के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परीक्षा का परिणाम कब प्रकाशित किया गया;

(ग) क्या उपरोक्त स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए चयन किए गए छात्रों को अभी तक कालेजों का आबंटन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

(ख) यह परिणाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 22 मार्च, 1990 को घोषित किया गया था।

(ग) और (घ) चुने गए छात्रों को स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के आबंटन का मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में कुछ स्पष्टीकरणों के लिए प्रस्तुत किया गया है और यह मामला निर्णय के लिए अदालत के समक्ष है।

रोसड़ा (बिहार) में खाद्य प्रसंस्करण एकक

[हिन्दी]

288. श्री दशई चौधरी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोसड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र (बिहार) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्र में लीची, आम, टमाटर, अमरूद जैसे फल बड़े पैमाने पर पैदा किये जाते हैं लेकिन वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अभाव में किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सार्वजनिक हित में रोसड़ा में एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) यद्यपि उक्त क्षेत्र में लीची, आम, टमाटर आदि जैसे फल पैदा किये जा रहे हैं परन्तु बिहार में फलों और सब्जियों के उत्पादन में लगे यूनिटों का क्षमता उपयोग राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रहा है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय का रोसड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं पर प्रतिबन्ध

2?9. **श्री राम सजीवन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और इसकी सहायक केन, बंगे और पैसूनी नदियों में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों के लाभ के लिए यह प्रतिबन्ध जल्दी ही उठा लिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) इन नदियों पर लिफ्ट सिंचाई स्कीमों जैसी कोई सामान्य रोक नहीं है । किन्तु स्कीम को उपलब्ध जल प्रवाह तथा परियोजना के लिए निर्धारित रखे जा सकने वाले हिस्से के सम्बन्ध में जांच करवाना अपेक्षित होता है ।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा एकत्र की गई राशि

[अनुवाद]

291. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार खुली निविदा आमन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत जब्त कितनी धरोहर राशि बैंक गारन्टी राशि अब तक एकत्रित कर ली है;

(ख) क्या सम्पूर्ण अथवा आंशिक राशि सरकारी खाते मे अन्तरित कर दी गई है और क्या इस राशि को भारत की संचित निधि में जमा कर दिया गया है;

(ग) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकार में अन्तरित न की गई धनराशि की स्थिति क्या है; और

(घ) इस धनराशि को किस प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जायेगा ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद ने खुली निविदा योजना के अन्तर्गत 56.60 करोड़ रु० की राशि एकत्रित की थी और इसे भारत की समेकित निधि में जमा करा दिया गया है। 31-3-'1990 की स्थिति अनुसार ई० एम० डी०/बी० जी० जब्त करने के जरिए 10.17 करोड़ रु० की कुल राशि वसूल की गई थी जिसमें से 4 करोड़ रु० पहले ही भारत की समेकित निधि में जमा करा दिए गए हैं। सरकार ने परिषद को अनुदेश दिए हैं कि वह बाकी राशि को भी तुरन्त सरकारी निधि में अन्तरित कर दे। इस राशि का उपयोग निर्यात संवर्धन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में धान का न खरीदा जाना

292. **श्री के० चोक्का राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश में रैयतों से सीधे धान खरीद रहा है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है और चावल का नहीं किया है; यदि तो आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद के प्रयोजनार्थ धान का चावल में परिवर्तित मूल्य क्या होगा;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद न करने और मिल मालिकों द्वारा धान न खरीदे जाने परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश में रैयतों को अपना उत्पाद कम मूल्यों पर बेचना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस गलत प्रणाली को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश में मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप बिक्री के लिए स्वेच्छा से पेश किए गए सारे धान की वसूली किसानों से सीधे कर रहा है।

(ख) सरकार धान का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है जिस पर भारतीय खाद्य निगम मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन स्वैच्छिक आधार पर धान की वसूली करता है। धान के समर्थन मूल्य, निकासी के अनुपात और अन्य वसूली प्रासंगिक खर्चों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किए गए मूल्यों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक लेवी के अधीन चावल मिल मालिकों से चावल की वसूली की जाती है। खरीफ विपणन मौसम 1989-90 के लिए धान का समर्थन मूल्य (अखिल भारत) और लेवी चावल का मूल्य (आन्ध्र प्रदेश के लिए) नीचे दिया गया है :

(रुपए प्रति क्विंटल)

किस्म	धान (अखिल भारत)	लेवी चावल (आन्ध्र प्रदेश)
साधारण	185.00	304.15
बढ़िया	195.00	319.90
उत्तम	205.00	335.65

आंध्र प्रदेश में मिल मालिकों से सांविधिक लेवी एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक किस्म की धान से चावल तैयार करने की दर 66.66 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में धान के मामले में समर्थन मूल्य की सुविधा प्रदान करने के लिए विनियमित मंडियों रहित जिलों में 198 क्रय केन्द्र खोले थे। आंध्र प्रदेश में हाल ही में आए समुद्री तूफान की दृष्टि में सरकार ने विनिर्दिष्टियों में रियायत दे दी थी ताकि किसानों को हानि से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम समर्थन मूल्य पर "वर्षा से भीगा" धान खरीद सके। वर्तमान विपणन मौसम 1989-90 में 27 जुलाई, 1990 तक आंध्र प्रदेश में लगभग 1.54 लाख मीटरी टन धान और 23.51 लाख मीटरी टन लेवी चावल की वसूली कर ली गई है।

एक्स-रे से कैंसर होना

[हिन्दी]

293. **श्री हरीश पाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि एक्स-रे 25 वर्षों के बाद भी कैंसर का कारण हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अधिक बार एक्स-रे कराने के मामले में कैंसर होने की सम्भावना होती है जो कि 5 से 35 वर्ष की समय अवधि के दौरान किसी समय हो सकता है। बरहहाल, नैदानिक प्रयोजनों के लिए दी गई विकिरण की खुराकें बहुत ही हल्की होती हैं और कैंसर होने की बहुत ही कम सम्भावना होती है। देश में एक्स-रे विनियमित करने की नैदानिक पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं पर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी डाक्टरों और अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली फीस को नियन्त्रित करना

[अनुवाद]

294. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का, देश में गैर-सरकारी डाक्टरों, नर्सिंग होमों और अस्पतालों

द्वारा परामर्श एवं उपचार के लिए ली जाने वाली फीस को नियन्त्रित व नियमित करने का विचार है;

(ख) क्या अनेक राज्य सरकारों ने भी ऐसे ही प्रस्ताव को स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) संविधान के तहत राज्य सरकारें नर्सिंग होम और अस्पतालों के नियन्त्रण के लिए कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में नर्सिंग होम अधिनियम/नियम नर्सिंग होमों में बनाए रखे जाने वाले मानकों को विनियमित्र करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना

295. **श्री चित्त बसु** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के भागों के सुव्यवस्थित के लिए "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" नामक एक परियोजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना पर दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें दिल्ली का संघशासित प्रदेश तथा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग शामिल है, के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना—2001 तैयार की गई है।

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 2001 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे पुनर्गठनों में, मौजूदा कानून किसी विशेष संघ शासित क्षेत्र में लागू प्रशासनिक व्यवस्थाएं ही जारी रहती हैं तथा ये उत्तरवर्ती राज्य पर तब तक बाध्य होते हैं जब तक कि उत्तरवर्ती राज्य द्वारा इन्हें संशोधित अथवा अस्वीकृत नहीं किया जाता।

डी० डी० टी० का प्रयोग

296. **श्रीमती उमा गजपति राजू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या देश में मलेरिया निवारण कार्यक्रमों के तहत डी० डी० टी० और अन्य कीटनाशकों का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है क्योंकि ये हृदय, यकृत, गुर्दे और मस्तिष्क के लिए हानिकारक हैं;

(घ) क्या देश में बोतल में बेचे जा रहे दूध के नमूनों में निर्धारित मात्रा से भी अधिक डी० डी० टी० पाया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में डी० डी० टी० के प्रयोग को सुरक्षित सीमा तक लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) 197 में शुरू की गई संशोधित कार्य योजना के अन्तर्गत मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन से देश में 1977 के मुकाबले 1989 में वार्षिक परजीवी घटना (वार्षिक परजीवी घटना = प्रतिवर्ष प्रति हजार जनसंख्या के पीछे पाजिटिव रोगियों की संख्या) में ,8 प्रतिशत की कमी आई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया और अन्य वेक्टर वाहिए रोगों के नियन्त्रण के लिए डी० डी० टी० के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ।

(घ) अखिल भारतीय समेकित अनुसंधान परियोजना की हाल ही (1986) की कीटनाशी अवशिष्ट वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार (गोजातीय दूध में पता लगाए डी० डी० टी० अवशिष्ट 0.05 पी० पी० एम० थे; दूध में डी० डी० टी० और संबद्ध उत्पादों की अधिकतम अवशिष्ट सीमा 1.25 पी० पी० एम० है । पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात 1970-71 में दूध में और दूध के उत्पादों में पता लगाए गए अवशिष्ट की मात्रा औसतन 0.8 पी० पी० एम० थी ।

(ङ) जन स्वास्थ्य में डी० डी० टी० के इस्तेमाल को सरकार द्वारा 10,000 मैट्रिक प्रतिवर्ष तक सीमित कर दिया गया है और उसमें क्रमिक रूप में धीरे-धीरे कमी लाई जानी है ।

छोटे-छोटे इन्जीनियरिंग उपांतरणों के जरिए जैव-पर्यावरणिक नियंत्रण रखने मच्छर फैलने की जगहों पर मच्छर लार्वा भक्षी मछलियां पालने, इम्प्रेगनेटिड मच्छरदानियों के साथ निजी बचाव तरीकों को इस्तेमाल करने की वैकल्पिक विधियां शुरू की जा रही हैं ।

प्रतिबन्धित "बी० बी० ओ०" का प्रयोग करना

297. **श्री शंकर सिंह वघेला :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

डा० ए० के० पटेल :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री डी० अमात : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा "ब्रोमिनेटिड वेजिटेबल आयल" के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद कुछ लोकप्रिय शीतल पेयों में इनका प्रयोग अभी भी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे शीतल पेयों के दोषी उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) इस समय बी० वी० ओ० के विकल्प के रूप में क्या-क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं और क्या इन सबको हानिरहित किया गया है; और

(घ) उन शीतल पेय उत्पादकों के नाम क्या है जो "बी० वी० ओ०" का इस्तेमाल कर रहे थे और जिन्होंने इस समय इसका प्रयोग बन्द कर दिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से उपचार

298. श्री कड़िया मुण्डा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के उपचार की बढ़ती मांग को देखते हुए विशेषकर महानगरों में और अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल/औषधालय/उपचार केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने और कितने अस्पताल/औषधालय खोलने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) आयुर्वेदिक अस्पतालों/औषधालयों को खोलना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का सरोकार है। तथापि, वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक औषधालय/यूनिटें स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत खोले जाने का प्रस्ताव है :

स्थान	आयुर्वेद	होम्यो०	यूनानी	सिद्ध
दिल्ली	6	7	1	—
बंगलौर	1	—	—	—
कलकत्ता	—	1	1	—

इसके अलावा, आयुर्वेद और होम्योपैथी में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने के लिए डा० राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों में परामर्श चेम्बर खोलने का भी प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान अभी कोई नया अस्पताल खोलने का प्रस्ताव नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन को अभी योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

299. श्री राघवजी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों सम्बन्धी ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है अथवा वापस कर दिया गया है;

(ख) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को पुनर्विचार के लिए पुनः भेजी गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त जिलों की ऐसी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; जो 30-6-1990 को केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन थीं तथा इन परियोजनाओं पर क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) सिहोर जिले में कोलार नामक एक वृहद सिंचाई परियोजना राज्य सरकार को लौटा दी गई थी क्योंकि जांच करने पर ध्यान में आई अन्य कमियों के अलावा यह परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य पायी गई थी। राज्य सरकार ने तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए कोई संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) विदिशा जिले में बाह मध्यम सिंचाई परियोजना को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात सलाहकार समिति ने अप्रैल, 1981 में स्वीकार्य पाया था बशर्ते कि इस परियोजना को वन दृष्टिकोण से और राज्य के वित्त विभाग से स्वीकृति मिले। योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति के लिए इस परियोजना प्रस्ताव पर अगली कार्रवाई करने हेतु उक्त टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार को करनी है।

आंत्र शोथ और हैजे से हुई मौतें

301. **श्री हेत राम :**

श्री तेज नारायण सिंह :

श्री राम बहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जानकारी है कि पटना शहर में आंत्र-शोथ और हैजा की महामारी से कई लोग मौत के शिकार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है; और

(ग) इन महामारियों से निपटने के लिए बिहार सरकार को दवाओं की कमी को पूरा करने के अतिरिक्त किस प्रकार की और कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार पटना शहर में 20-6-1990 से 20-7 1990 के मध्य सूचित किए गए आंत्र-शोथ और हैजे के मामले 70 मौतों सहित 1456 थे।

(ग) केन्द्रीय सरकार प्रभावित क्षेत्रों में महामारी सम्बन्धी अन्वेषण के लिए चिकित्सा दल भेज कर और उपचारी उपायों की सिफारिश राज्य सरकार की सहायता कर रही है।

स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुरोध पर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा हैजा वैक्सीन से जनता को प्रतिरक्षण देने के लिए 3 जेट गन प्रदान की गई हैं। इसके अलावा औषधें/सुइयां/ओ० आर० एस० पैकेट इत्यादि भी राज्य सरकार को सप्लाई किए गए हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण

302. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि गत दो महीनों के दौरान प्रत्येक प्रत्येक महीने पर्वतीय क्षेत्रों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से आगे वितरण के लिए चीनी, गेहूं, चावल, खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आवंटन किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा को गेहूं, चावल और आयातित खाद्य तेलों के किए गए आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(हजार मी० टन में)

राज्य	माह	गेहूं	चावल	खाद्य तेल
हिमाचल प्रदेश	जून, 90	10.0	6.5	0.8
	जुलाई, 90	10.0	6.5	1.0
जम्मू तथा कश्मीर	जून, 90	20.0	35.0	0.7
	जुलाई, 90	20.0	35.0	0.7
अरुणाचल प्रदेश	जून, 90	0.8	7.0	0.05
	जुलाई, 90	0.8	7.0	0.15
मणिपुर	जून, 90	3.0	7.0	0.2
	जुलाई, 90	3.0	7.0	0.3
मेघालय	जून, 90	2.1	9.5	0.2
	जुलाई, 90	2.1	9.5	0.2
मिजोरम	जून, 90	1.25	6.0	0.3
	जुलाई, 90	1.25	6.0	0.3
सिक्किम	जून, 90	0.5	4.5	0.1
	जुलाई, 90	0.5	4.5	0.15
नागालैण्ड	जून, 90	6.25	9.25	0.3
	जुलाई, 90	6.25	9.25	0.3
त्रिपुरा	जून, 90	2.5	17.85	0.2
	जुलाई, 90	2.5	17.85	0.3

चीनी चीनी का आवंटन 1-10-86 की अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। इस आधार पर उपर्युक्त राज्यों के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा नीचे दिखाया गया है :

(मी० टन में)

हिमाचल प्रदेश	2019
जम्मू तथा कश्मीर	2884
अरुणाचल प्रदेश	314
मणिपुर	694

मेघालय	662
मिज़ोरम	261
नागालैंड	426
सिक्किम	165
त्रिपुरा	1001

केंद्रीय पूल से आबंटन पूरे राज्य के लिए किया जाता है। राज्य के भीतर जिसमें राज्य के पहाड़ी इलाके शामिल हैं, वितरण करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है।

पान मसाले की खपत

303. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने सरकार के इस तर्क का समर्थन नहीं किया है कि "प्रतिदिन 4 ग्राम से अधिक पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है"; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कार्य कर रहे राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रतिदिन 4 ग्राम पान मसाले का सेवन करना सुरक्षित है और यह सांविधिक चेतावनी उस पुड़िया पर दी जा सकती है कि प्रतिदिन 4 ग्राम से अधिक पान मसाले का सेवन करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अतः उन्होंने सुझाव दिया है कि निम्नलिखित सांविधिक चेतावनी दर्शायी जाये "पान मसाले का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकरक हो सकता है।"

तदनुसार भारत के राजपत्र के 8-3-90 के सा० का० नि० संख्या 128 (ई) के तहत एक अन्तिम अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है जिसमें इस बात को आवश्यक बना दिया गया है कि पान मसाले के प्रत्येक पैकेट पर और इससे संबंधित विज्ञापन में निम्नलिखित चेतावनी दी जायेगी, अर्थात "पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।"

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मद्रास के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा

304. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समूह क, ख, ग और घ के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा का कार्य वर्ष 1985 के दौरान एक साथ आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने समूह ग और घ के (लिपिकीय तथा चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा करने के लिए कब तक की तारीख निर्धारित की है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर जारी किये गये अनुदेशों/मार्ग-निर्देशों में केवल संगठित समूह "क" सेवाओं के बारे में 3 वर्ष में एक बार आवधिक संवर्ग पुनरीक्षण की व्यवस्था है। तदानुसार लोक निर्माण विभाग की संगठित समूह "क" इंजीनियरी सेवाओं के बारे में, 1977 में, संवर्ग पुनरीक्षा प्रारम्भ की गई थी, जिसे केवल 1985 में ही अन्तिम रूप दिया जा सका। समूह "ग" और "घ" स्टाफ के बारे में, आवधिक संवर्ग पुनरीक्षा करने के लिए सरकार के कोई अनुदेश नहीं थे। समूह "ख", "ग" तथा "घ" संवर्गों के बारे में आवधिक संवर्ग पुनरीक्षणों के लिए पहली बार नवम्बर, 1987 में सरकार द्वारा मार्ग-निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार समूह "ख", "ग" तथा "घ" संवर्गों के में संवर्ग पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात किये जाने होते हैं।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों (लिपिकीय तथा चतुर्थ श्रेणी) के संवर्ग की पुनरीक्षा करने के लिए कोई नियत तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

305. श्री पी॰ एम॰ सईद : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए कुछ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और इस योजना के अन्तर्गत यह धनराशि केन्द्रीय अंशदान के अतिरिक्त किन-किन स्रोतों से जुटाई जाएगी;

(ख) इस वर्ष के अन्त तक कितनी अतिरिक्त भूमि को सिंचित क्षेत्र बनाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) 136 करोड़ रुपए, जिसमें से 77 करोड़ रुपए राज्य योजना से तथा 59 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता से है।

(ख) 59430 हेक्टेयर।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, परियोजना को पूरा करने की अवधि दसवीं योजना तक बढ़ने की संभावना है। कमान क्षेत्र विकास कार्यों सहित राज्य सरकार को संशोधित लागत को अभी अन्तिम रूप देना है।

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एकक

[हिन्दी]

307. श्री नन्दलाल मीणा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्योरा क्या है, जहां इन्हें प्रस्थापित करने का विचार किया गया है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या केन्द्रीय सैक्टर के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा

[अनुवाद]

308 **श्री रामचन्द्र डोम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की कोई समीक्षा की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षय रोग के मामलों और तत्सम्बन्धी मृत्यु दर का राज्यवार और वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, हां।

हाल ही में एक स्वतन्त्र एजेंसी-इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनिकेशन आपरेशन एण्ड कम्यूनिटी डवलपमेंट, बेंगलूर द्वारा राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन का गहन मूल्यांकन किया गया था।

(ख) से (घ) देश में क्षयरोग की जानपदिक रोग वैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए हर वर्ष राज्य वार रोग-प्रकोप और मृत्यु का सर्वेक्षण करना संभव नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान/अनुसंधान परिषद द्वारा 1955-58 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और बाद में देश के विभिन्न भागों में किये गये सीमित सर्वेक्षणों के अनुसार अनुमान है कि कुल जनसंख्या का लगभग 1.5 प्रतिशत भाग फेफड़ों के विकिरण विज्ञानी सक्रिय क्षय रोग से पीड़ित है, जिसमें से लगभग 0.4 प्रतिशत रोगी स्पूटम पाजिटिव अथवा संक्रामक रोगी हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान बेंगलूर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार क्षयरोग से होने वाली मृत्यु दर प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे 53 है। उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्षय रोगियों और क्षय रोग से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में क्षयरोग से ग्रस्त रोगियों की अनुमानित संख्या और मौतों की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लाखों में)	अनुमानित एक्सरे रोगी (लाखों में)	अनुमानित स्पूटम रोगी (लाखों में)	मौतों की अनुमानित संख्या (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	535.00	8.05	2.00	0.27
2.	असम	200.00	3.00	0.75	0.10
3.	बिहार	700.00	10.50	2.60	0.35
4.	गुजरात	340.00	5.10	1.25	0.17
5.	हरियाणा	130.00	1.95	0.50	0.06
6.	हिमाचल प्रदेश	40.00	0.60	0.15	0.02
7.	जम्मू व कश्मीर	60.00	0.90	0.25	0.03
8.	कर्नाटक	370.00	5.55	1.40	0.18
9.	केरल	255.00	3.80	0.95	0.13
10.	मध्य प्रदेश	520.00	7.80	1.95	0.26
11.	महाराष्ट्र	630.00	9.45	2.35	0.31
12.	मणिपुर	14.00	0.21	0.05	0.07
13.	मेघालय	13.00	0.20	0.05	0.07
14.	नागालैंड	8.00	0.12	0.03	0.04
15.	उड़ीसा	265.00	4.00	1.00	0.13
16.	पंजाब	270.00	2.55	0.65	0.08
17.	राजस्थान	340.00	5.10	1.25	0.17
18.	सिक्किम	3.00	0.05	0.01	0.02
19.	तमिलनाडु	483.00	7.25	1.80	0.24
20.	त्रिपुरा	20.00	0.30	0.10	0.01

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तर प्रदेश	1110.00	16.65	4.15	0.55
22.	पश्चिम बंगाल	545.00	8.20	2.05	0.27
	संघ राज्य क्षेत्र				
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2.00	0.03	1.01	0.01
24.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	0.09	0.02	0.03
25.	चंडीगढ़	4.50	0.07	0.02	0.02
26.	दादरा व नागर हवेली	1.00	0.02	0.05	0.01
27.	दिल्ली	62.00	0.93	0.25	0.03
28.	गोवा दमण व द्वीव	11.00	0.17	0.04	0.05
29.	लक्षद्वीप	0.40	0.01	0.05	0.01
30.	मिजोरम	5.00	0.08	0.02	0.02
31.	पांडिचेरी	6.00	0.09	0.02	0.03
	कुल	6850.90	102.82	25.68	3.58

दिल्ली के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाय

309. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टेप्स एनएडिक्वेट टू मीट फ्लड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या दिल्ली में, विशेष रूप से निचले क्षेत्रों की कालोनियों तथा झुग्गी, झोंपड़ी बस्तियों में बाढ़ नियंत्रण के लिये की गई अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में बार-बार शिकायतें करने/चेतावनी देने के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार दिल्ली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वहां के निवासियों के जान माल की सुरक्षा हेतु सभी सम्भव उपाय करने को उच्च प्राथमिकता देगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां। आने वाली बाढ़ों के विषय में अग्रिम रूप से बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निवासियों को सूचित करने के लिए प्रबन्ध पहले ही कर लिए गए हैं।

(ख) से (ङ) जबकि दिल्ली में अधिकांश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को यमुना के दोनों किनारों पर तटबंध बांधकर सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है, गंदी बस्तियां जो नदी के तल में बस गयी है, को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती लेकिन इन क्षेत्रों में बसे लोगों को बाढ़ों के सम्बन्ध में समय पर चेतावनी दे जाती है तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है।

एम० बी० बी० एस० और बी० डी० एस० पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को प्रवेश

310. श्री जनक राज गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न मेडिकल कालेजों में चालू वर्ष के दौरान एम० बी० बी० एस० तथा बी० डी० एस० पाठ्यक्रम के कितने छात्रों को प्रवेश प्रदान किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में वर्तमान वर्ष 1990-91 के दौरान देश के किसी भी मेडिकल कालेज में एम०बी०बी०एस०/बी० डी० एस० पाठ्यक्रमों के लिए कोई सीधा नामांकन नहीं किया है। बहरहाल, भारत सरकार हर वर्ष मेडिकल कालेजों वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों तथा देश के कुछ अन्य चिकित्सा संस्थानों से केन्द्रीय पूल में एम० बी० बी० एस०/बी० डी० एस० सीटों में अपना अंशदान देने के लिए अनुरोध करती है। केन्द्रीय पूल की सीटों की संख्या वर्षानुवर्ष भिन्न होती है। ये सीटें बाद में बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्यों, रक्षा कार्मिकों के बच्चों, अन्य अर्ध सैनिक संगठनों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान अध्येतावृत्ति, अपने खर्च से पढ़ने वाले विदेशी छात्रों, बर्मा और श्रीलंका आदि के प्रवासियों को आवंटित की जाती हैं। इन सीटों के आबंटनों की संख्या हर वर्ष भिन्न-भिन्न होती है जो केन्द्रीय पूल में उपलब्ध सीटों पर निर्भर करती है। छात्रों का चयन और नामांकन उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जिन्हें ये सीटें आबंटित की जाती हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[हिन्दी]

311. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में छह किलोमीटर की दूरी तक कितने गांवों में चिकित्सा सुविधाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या और आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा 20 से 30 गांवों को सेवा प्रदान की जाती है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कवर की जाने वाली दूरी (परिधीय दूरी) 7 कि० मीटर से कम होती है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ कम-से-कम 6 उपकेन्द्र जुड़े होते है।

(ख) और (ग) जी, हां। 1-4-90 तक 1,30,390 उपकेन्द्र, 20,531 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1852 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे। 19 0-91 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए 4765 उपकेन्द्र, 1344 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 269 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

रोजगार निदेशालय (रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय) में पदोन्नति में गत्यावरोध

[अनुवाद]

312. श्री ए० नरेन्द्र साय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार निदेशालय (रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय) में अधिकारियों/कर्मचारियों को एक ही पद पर 10-15 वर्ष तक नियमित सेवा करने के बावजूद पदोन्नति नहीं मिल पाती है;

(ख) क्या इसमें से अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को इस निदेशालय की स्थापना के समय से 40 सूत्री रोस्टर के आधार पर पदोन्नति नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कुल मिलाकर, रोजगार निदेशालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) में सभी वर्गों के पदों के लिए पदोन्नति के चैनल उपलब्ध हैं। तथापि कुछ ऐसे मामले हैं जहां कर्मचारियों को मुख्यतः उच्चतर संवर्ग में रिक्तियों की कमी के कारण दस वर्षों की सेवा करने के बाद भी पदोन्नति नहीं की जा सकी।

(ख) और (ग) रोजगार निदेशालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) में अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे कर्मचारी की उपेक्षा नहीं की गई है जो अन्यथा राजपत्रित पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था।

भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा

[हिन्दी]

313. श्री दौलत राम सारण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद, योग और आयुर्विज्ञान की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से

चिकित्सा सेवाओं के शिक्षण, प्रशिक्षण और संवर्धन पर खर्च की जा रही धनराशि लोगों की आवश्यकता और मांग की तुलना में अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आबंटन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी औषध पद्धतियों के लिए धनराशियों का आबंटन इन पद्धतियों के लिए अपेक्षित धनराशियों को देखते हुए किया जाता है।

इन पद्धतियों के लिए आबंटित धनराशियों में से, जो भी संभव होता है, इन पद्धतियों के जरिए प्रशिक्षण, अध्यापन एवं प्रोन्नति पर खर्च किया जाता है। पंचवर्षीय योजना, जिसे अभी योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है, के दौरान इस सम्बन्ध में और अधिक धनराशियों की मांग की गई है।

बिहार में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

[अनुवाद]

314. **श्री जनार्दन यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार बिहार के गोड्डा जिले में गोदाम खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए खाद्यान्न भण्डारण निर्माण कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। निर्माण कार्यक्रमों को तैयार करते समय बिहार के गोड्डा जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

श्रमिक संगठनों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता

[हिन्दी]

315. **श्री रामदास सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रमिक संगठनों को पुरानी लिखित प्रमाण पत्र (चैक रिटन प्रूफ) के स्थान पर गुप्त मतदान से मान्यता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) 21 और 22 अप्रैल, 1990 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 29वें अधिवेशन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, 8 मई, 1990 को एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई थी जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन और नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो नए औद्योगिक सम्बन्ध कानून के लिए विशेष प्रस्ताव बताएगी। आशा है कि यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ ट्रेड यूनियनों की मान्यता से सम्बन्धित मामलों पर

विचार करेगी। समिति से 31 अगस्त, 1990 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

पटियाला शहर में पेय जल

316. डा० अतिन्दर पाल सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पटियाला शहर में पेय जल का संकट दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) उक्त शहर की आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेय जल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जीवन बीमा निगम (एल०आई०सी०) की वित्तीय सहायता से 3 करोड़ रुपए लागत की एक जल आपूर्ति योजना पटियाला शहर में प्रगति पर है। 8 ट्यूबवेल ऊपरी जलाशयों तथा शहरी पुन: स्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण प्रणाली सहित तीन नयी कलोनियों के लिए 2.62 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर पटियाला जिला योजना बोर्ड के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार एल० आई०सी० द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) एल०आई०सी० जल आपूर्ति योजना तथा शहरी-पुन:स्थापन कार्यक्रम, बशर्ते कि निधियों उपलब्ध हों, मार्च, 1990-91 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

कोसी नदी पर बांध का निर्माण

317. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच कोसी नदी पर एक बांध के निर्माण के बारे में कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का नेपाल सरकार से इस बारे में बातचीत फिर से शुरू करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कोसी पर उच्च बांध के लिए परियोजना रिपोर्ट नेपाल को 1981 में दी गई थी और बाद में हुई बैठकों में भी इस मामले पर विचार किया गया।

सोयाबीन को लोकप्रिय बनाने की योजना

[अनुवाद]

318. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव शरीर के विकास के लिए प्रोटीन की कितनी निम्नतम मात्रा की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या सोयाबीन में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या जनता के गरीब वर्गों में सोयाबीन से निर्मित पदार्थों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) प्रतिदिन प्रोटीन खाने की अनुमोदित मात्रा प्रौढ़ों के मामले में एक ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन तथा शिशुओं के मामले में 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन है। विभिन्न आयु वर्गों तथा शारीरिक परिस्थितियों के लिए प्रोटीन की अनुमोदित मात्रा संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दूध छुड़ाने वाले आहारों, खाने के लिए तैयार बाहर रखे गए आहारों या सोयाबीन प्रोटीनों के इस्तेमाल करके दूध के विकल्प जैसे विभिन्न प्रकार के आहारों का विकास कर सोयाबीन को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज द्वारा तैयार की गई ब्रेड में 6 प्रतिशत तक टन सोयाबीन आटा होता है। देश के विभिन्न भागों में स्थित 6 यूनिटों में सोयाबीन से दूध का एक विकल्प पहले ही तैयार किया जा रहा है। खाने के लिए तैयार (आर० टी० ई०) आहार बनाने वाली 5 यूनिटें भी कार्य कर रही हैं।

विवरण

प्रोटीन के लिए आर० डी० ए०	भारतीय आयु० अनुसंधान परिषद 1988	
पुरुष	60 ग्राम	
महिला	50 ग्राम	
गर्भावस्था	65 ग्राम	
स्तन्यकाल	(0-6 महीना) 75 ग्राम	
	06-12 महीना (68 ग्राम)	
शिशु	0-6 महीने 2.05 किलोग्राम	
	6-12 महीने 1.65 किलोग्राम	
बच्चे	1-3 वर्ष	23
	4-6 वर्ष	31
	7-9 वर्ष	41
लड़के	10-12 वर्ष	53
लड़कियां	10-12 वर्ष	55
लड़के	13-15 वर्ष	71
लड़कियां	13-15 वर्ष	67
लड़के	16-18 वर्ष	79
लड़कियां	16-18 वर्ष	65

कर्नाटक को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

319. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :
श्री जी०एस० बासवराज :
श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पूल से कर्नाटक को जनवरी से जून, 1990 तक के दौरान प्रत्येक महीने सार्वजनिक वितरण के लिए कुल कितनी मात्रा में चावल और गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आबंटन किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य में इन वस्तुओं की कुल कितनी आवश्यकता थी;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इन वस्तुओं के वर्तमान आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ङ) गेहूं, चावल और आयातित खाद्य तेल के वास्ते कर्नाटक सरकार द्वारा की गई मांग और जनवरी से जून, 1990 की अवधि के दौरान किए गए आबंटन का ब्योरा नीचे दिया गया है—

(हजार मी० टन में)

माह	गेहूं		चावल		आयातित खाद्य तेल	
	मांग	आबंटन	मांग	आबंटन	मांग	आबंटन
जनवरी, 90	25	25	75	50	103	2.5
फरवरी, 90	25	25	75	50	(अधिवार्षिक मांग)	2.5
मार्च, 90	25	25	75	50		3.0
अप्रैल, 90	25	25	75	50		3.0
मई, 90	25	25	75	50		3.9
जून, 90	25	25	75	50		4.5
कुल :	150	150	450	300	103	19.4

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से गेहूं, चावल और आयातित खाद्य तेलों का आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, विभिन्न राज्यों की मांग, बाजार में उनकी उपलब्धता, गत समय में उठाई गई मात्रा, आदि को ध्यान में रखकर माह-दर-माह

आधार पर किया जाता है। इन वस्तुओं का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका उद्देश्य किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना नहीं होता।

लेवी चीनी—लेवी चीनी का आबंटन राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग पर आधारित नहीं होता है। इसका आबंटन 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के वास्ते प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान मानदण्ड पर किया जाता है। इस आधार पर कर्नाटक के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा 17,769 मी० टन का है।

मिट्टी का तेल—राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की मांग का आकलन, विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए आबंटन में उचित वृद्धि करके किया जाता है। वर्ष को चार महीनों के तीन ब्लाकों अर्थात् सर्दी (नवम्बर से फरवरी), गर्मी (मार्च से जून) और बरसात (जुलाई से अक्तूबर) में बांटा गया है और आबंटन ब्लाकवार किया जाता है।

जनवरी से जून, 1990 के दौरान कर्नाटक को किया गया आबंटन निम्नवत है—

	(हजार मी० टन में)
जनवरी, 1990	39.615
फरवरी, 1990	39.615
मार्च, 1990	35.256
अप्रैल, 1990	34.256
मई, 1990	34.256
जून, 1990	34.256

राज्यों में बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कदम

320. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, राज्य सरकारों ने उन व्यवसायों में बाल-श्रमिकों को रोजगार देने पर रोक लगाने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के उल्लंघनों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होता है संबंधित नियोजकों के खिलाफ अभियोजन चलाए जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1988-89 के दौरान बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1936 के अधीन 230 अभियोजन और कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन 1233 अभियोजन चलाए गए हैं।

महानदी चित्रोत्पला परियोजना

321. **श्री नकुल नायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की महानदी-चित्रोपाला परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है;

(ग) इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धन-राशि आबंटित की गई है; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन एवं विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) यह सातवीं योजना की स्कीम है जिसे आठवीं योजना में आगे लाया जाएगा। आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के अन्त तक 4.44 लाख रुपए। योजना के कार्यदल ने वर्ष 1990-91 के लिए 3 करोड़ रुपऐ के परिव्यय की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पर खर्च की गई धनराशि

[हिन्दी]

322. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में, राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या सरकार को, इस योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि के पूरा खर्च न किए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1987-88 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के आबंटनों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य/ क्षेत्र का नाम	कुष्ठ	गिनी कृमि	दृष्टिहीनता	मा० वि० प०	क्षयरोग
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	230.00	3.55	45.17	9.00	55.00
असम	23.00	—	22.97	—	24.20
बिहार	98.00	—	38.26	1.20	98.50
गुजरात	59.00	3.95	42.54	4.00	100.00
हरियाणा	4.00	—	12.94	—	24.00
हिमाचल प्रदेश	4.00	+	10.45	0.55	18.0
जम्मू और कश्मीर	2.00	—	6.10	—	16.80
कर्नाटक	70.00	3.55	42.20	8.42	73.00
केरल	40.00	—	17.75	13.00	44.00
मध्य प्रदेश	65.00	7.45	75.77	5.32	97.00
महाराष्ट्र	120.00	7.00	54.86	2.30	150.00

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	2.00	—	2.93	—	5.00
मेघालय	4.00	—	4.22	—	5.10
नागालैंड	8.00	—	1.58	—	5.00
उड़ीसा	90.00	—	28.53	3.30	36.30
पंजाब	3.00	—	14.32	4.60	36.50
राजस्थान	25.00	9.15	32.61	4.80	48.00
सिक्किम	11.00	—	1.43	—	3.10
तमिलनाडु	175.00	1.35	33.95	5.60	98.50
उत्तर प्रदेश	150.00	—	108.00	9.00	155.00
पश्चिम बंगाल	90.00	—	31.69	2.60	76.11
त्रिपुरा	4.00	—	2.07	—	6.10
अरुणाचल प्रदेश	1.00	—	3.04	—	6.00
गोवा दमन और दीव	1.00	—	1.26	—	4.10
मिजोरम	4.00	—	1.98	2.50	3.60
पांडिचेरी	9.00	—	3.67	—	5.50
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00	—	1.47	1.25	2.60
चंडीगढ़	1.00	—	0.42	—	2.60
दादरा और नगर हवेली	1.00	—	0.26	—	0.50
दिल्ली	1.00	—	0.38	—	58.00
लक्षद्वीप	4.00	—	0.27	1.25	0.50
अन्य	400.00	14.00	6.08	—	110.50
कुल योग	1700.00	50.00	650.00	80.00	1350.00

राष्ट्रीय स्कूल	रा० म० उ० कार्य	रा० मा० उ० कार्य	रोमे	प्र० एवं रो० + विशेष पराचिकि० एवं प्रयोगशाला सुविधाएं	कुल योग रु० लाख में
7	8	9	10	11	12
—	321.18	14.42	—	10.80	689.12
—	356.26	2.14	—	5.68	434.25
—	547.12	11.16	—	35.07	809.82
0.50	642.11	3.54	—	7.15	869.79
0.20	453.70	—	—	4.18	499.02
—	142.27	—	—	4.09	161.36
—	67.84	—	82.00	3.46	104.20
1.50	621.90	7.92	—	9.09	837.58
—	—	9.33	—	7.80	131.88
0.80	70.62	6.12	4.00	6.76	970.75
1.20	877.98	34.77	8.00	19.69	1275.79
0.10	50.33	—	—	1.41	62.37
—	45.91	—	—	1.41	60.64
0.10	25.11	—	—	2.30	42.09
0.70	411.86	7.14	—	10.25	588.18

7	8	9	10	11	12
0.80	519.95	—	—	18.63	597.80
—	455.11	—	—	10.02	784.1
0.10	4.40	—	—	1.30	21.32
—	89.28	14.71	—	13.61	432.00
1.70	832.27	14.41	—	24.65	1295.36
—	217.95	7.91	—	22.35	439.50
—	47.62	—	—	1.30	61.09
0.10	97.17	—	—	2.20	109.71
—	3.66	3.22	—	5.80	19.04
—	57.19	5.52	—	6.10	75.47
0.10	1.90	—	—	1.90	25.49
—	38.25	2.34	—	0.70	47.71
0.10	33.58	—	—	2.00	39.60
—	1.79	—	—	2.85	6.50
—	83.57	—	—	1.00	143.95
—	1.57	0.34	—	1.45	9.03
2.00	266.03	—	—	10.00	825.87
कुल योग 10.00	8200.00	150.00	20.00	270.00	12480.00

वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के आबंटन के राज्यवार ब्यौरे

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोमे स्कीम	स्कूल स्वास्थ्य	एम० पी० डब्ल्यू० का प्रशिक्षण	स्प० और पी० एम० डब्ल्यू० का प्रशिक्षण	सी० एच० जी, का प्रशिक्षण	पी० एच० सी/ आर० डी० में प्रयोगशाला सुविधाएं	मलेरिया नियंत्रण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	9.50	05.0	—	14.40	365.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	1.30	—	—	0.24	39.51
3.	असम	—	—	3.80	0.20	—	—	423.72
4.	बिहार	—	—	21.55	0.20	—	—	516.58
5.	गोवा	—	--	1.00	—	—	0.06	2.77
6.	गुजरात	—	0.50	4.75	0.20	—	6.90	504.93
7.	हरियाणा	—	0.20	1.80	0.25	—	—	264.19
8.	हिमाचल प्रदेश	—	0.20	1.60	0.25	—	2.10	125.46
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	3.10	0.20	—	2.20	53.19
10.	कर्नाटक	—	1.50	3.70	0.50	—	6.90	459.16
11.	केरल	4.00	—	7.20	1.00	—	6.96	—
12.	मध्य प्रदेश	4.00	0.80	2.20	0.20	—	—	818.17
13.	महाराष्ट्र	8.00	1.20	1.45	0.20	—	16.80	1049.63
14.	मणीपुर	4.00	0.10	0.65	0.20	—	—	56.68
15.	मेघालय	—	—	0.65	0.20	—	—	37.32
16.	मिजोरम	—	0.10	0.80	—	—	0.18	14.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	नागालैंड	—	0.10	0.65	0.20	—	—	30.03
18.	उड़ीसा	—	0.70	5.75	0.20	—	7.80	353.92
19.	पंजाब	—	0.80	8.65	0.20	—	21.60	381.10
20.	राजस्थान	—	—	5.75	0.20	—	7.20	625.56
21.	सिक्किम	—	0.10	0.80	0.20	—	0.24	0.31
22.	तमिलनाडु	—	—	9.70	0.20	—	—	133.19
23.	त्रिपुरा	—	—	0.55	0.20	—	0.90	56.13
24.	उत्तर प्रदेश	—	1.60	11.15	1.00	—	—	1273.41
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	12.95	0.50	—	—	217.32
26.	अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	0.10	0.25	—	—	—	44.76
27.	चण्डीगढ़	—	—	0.25	—	—	0.12	33.68
28.	दादर व नगर हवेली	—	—	0.70	—	—	0.12	11.59
29.	दामन व दीव	—	—	0.75	—	—	—	0.05
30.	दिल्ली	—	—	0.40	—	—	0.24	84.97
31.	लक्षद्वीप	—	—	0.30	—	—	0.24	0.93
32.	पांडिचेरी	—	—	0.75	—	—	1.30	1.49
33.	अन्य	—	2.00	4.60	3.00	1.00	—	319.49
	योग	20.00	10.00	140.00	10.00	1.00	97.00	8300.00

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	फाइलेरिया नियंत्रण	क्षयरोग नियंत्रण	कुष्ठ नियंत्रण	दृष्टि हीनता	गिनिकृमि उन्मूलन	भा० चि० प० स्नातकोत्तर विभाग	भा० चि० प० फार्मेसिस	भा० चि० प०/होम्यो० औषधालय	योग
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.10	55.00	260.00	43.72	3.99	7.50	0.25	—	777.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	6.20	8.00	1.44	—	—	—	—	56.69
3.	असम	2.06	24.35	23.00	21.16	—	—	—	—	498.29
4.	बिहार	16.13	77.00	98.00	41.37	—	1.20	—	—	772.13
5.	गोवा	4.56	3.85	1.00	2.90	—	—	—	—	16.64
6.	गुजरात	12.16	60.00	55.00	21.89	3.50	4.00	—	—	673.83
7.	हरियाणा	—	24.00	8.00	9.93	—	—	—	—	308.37
8.	हिमाचल प्रदेश	—	20.00	4.00	13.18	—	—	—	—	166.79
9.	जम्मू व कश्मीर	—	20.00	2.00	5.90	—	—	—	—	86.59
10.	कर्नाटक	10.37	65.00	100.00	51.96	5.35	8.00	—	—	712.44
11.	केरल	15.09	20.00	45.00	29.88	—	13.00	—	—	142.13
12.	मध्य प्रदेश	7.85	98.00	70.00	70.99	5.73	5.00	0.57	—	1084.11
13.	महाराष्ट्र	36.44	150.00	100.00	37.31	6.40	2.00	0.57	—	1420.00
14.	मणिपुर	—	11.00	3.00	6.76	—	—	—	—	82.39

1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	मेघालय	—	5.10	4.00	3.55	—	—	—	—	50.32
16.	मिज़ोरम	—	3.60	4.00	1.88	—	—	—	—	28.48
17.	नागालैंड	—	5.00	6.00	1.60	—	—	—	—	43.58
18.	उड़ीसा	8.39	30.00	100.00	23.91	—	3.20	—	—	533.87
19.	पंजाब	—	30.00	10.00	12.31	—	4.60	—	—	469.26
20.	राजस्थान	—	48.00	25.00	22.63	8.58	4.80	—	—	747.72
21.	सिक्किम	—	3.10	13.00	2.02	—	—	—	—	19.77
22.	तमिलनाडु	22.02	88.00	173.00	22.61	1.45	5.10	0.61	—	455.88
23.	त्रिपुरा	—	6.10	8.00	1.97	—	—	—	—	73.85
24.	उत्तर प्रदेश	27.35	155.00	140.00	96.35	—	9.00	—	—	1714.86
25.	पश्चिम बंगाल	10.39	76.00	90.00	31.87	—	2.60	0.61	—	441.63
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1.95	2.60	8.00	0.17	—	—	—	1.25	59.08
27.	चंडीगढ़	—	2.60	1.00	0.22	—	—	—	—	37.87
28.	दादरा व नागर हवेली	—	0.50	1.00	0.36	—	—	—	—	14.27
29.	दमण व दीव	1.92	0.75	1.00	6.63	—	—	—	—	4.60
30.	दिल्ली	—	58.00	1.00	0.53	—	—	—	—	145.14
31.	लक्षद्वीप	0.45	0.50	2.00	0.17	—	—	—	1.25	5.84
32.	पांडिचेरी	5.77	5.50	8.00	1.88	—	—	—	—	25.19
33.	अन्य	—	95.75	328.00	16.95	10.00	—	—	—	788.79
	योग	200.00	1250.00	1700.00	600.00	45.00	70.00	2.00	5.00	12450.00

वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के आवंटन का राज्यवार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोमे योजना	स्कूल स्वास्थ्य	बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण	सी० एच० ओ० प्रशि०	पी० एच० सी०/ आ० डी० एस० प्रयोगशाला सुविधाएं	मलेरिया नियंत्रण	फाइलेरिया नियंत्रण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	10.00	—	—	—	510.59	7.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.10	2.10	—	—	1.20	127.06	—
3.	असम	—	—	0.20	—	—	3.00	451.02	2.50
4.	बिहार	—	0.50	0.40	—	—	6.00	547.70	16.00
5.	गोवा	—	—	2.00	—	—	1.20	4.12	2.50
6.	गुजरात	—	0.50	2.50	—	—	—	721.97	11.00
7.	हरियाणा	—	0.50	—	—	—	6.00	163.18	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	0.40	0.80	0.10	—	—	137.40	—
9.	जम्मू व कश्मीर	5.00	—	0.40	—	—	3.00	78.49	—
10.	कर्नाटक	—	0.40	1.20	—	—	—	511.20	7.00
11.	केरल	—	—	6.50	0.10	—	—	3.15	10.00
12.	मध्य प्रदेश	—	1.30	10.50	—	—	6.00	865.12	2.00
13.	महाराष्ट्र	—	1.70	3.50	—	—	9.00	1012.11	42.00
14.	मणिपुर	5.00	0.10	2.10	—	—	3.00	72.33	—
15.	मेघालय	—	—	2.10	—	—	3.00	60.08	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मिज़ोरम	—	0.10	0.60	—	—	1.80	43.87	
17.	नागालैंड	—	0.10	0.60	—	—	1.20	39.84	
18.	उड़ीसा	—	1.20	1.80	—	—	6.00	331.63	12,00
19.	पंजाब	—	0.20	1.80	—	—	9.00	365.57	—
20.	राजस्थान	—	0.84	1.50	—	—	—	691.02	—
21.	सिक्किम	—	—	0.50	—	—	1.20	14.86	—
22.	तमिलनाडु	—	—	1.50	—	—	6.00	163.43	32.00
23.	त्रिपुरा	—	—	1.60	—	—	2.40	77.08	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	1.00	10.00	0.30	—	12.00	1155.25	33.00
25.	पश्चिम बंगाल	—	0.50	0.80	—	—	9.00	245.41	11.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	0.10	—	0.40	—	1.60	46.67	2.00
27.	चण्डीगढ़	—	—	0.40	—	—	0.12	31.57	—
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	0.40	—	—	0.48	12.33	—
29.	दमण व द्वीव	—	—	1.50	—	—	0.12	3.13	1.50
30.	दिल्ली	—	0.46	0.40	—	—	0.96	86.91	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	0.40	—	—	0.84	1.03	1.50
32.	पांडिचेरी	—	—	1.50	—	—	0.88	3.47	7.00
33.	अन्य	—	—	5.00	4.50	1.00	—	321.41	—
	योग	10.00	10.00	75.00	5.00	1.00	95.00	8900.00	200.00

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षयरोग नियंत्रण	कुष्ठ नियंत्रण	दृष्टि हीनता नियंत्रण	गिनीकृमि उन्मूलन	मा० चि० प० स्नातकोत्तर	मा० चि० प० फार्मेसिया	मा० चि० प० होम्यो औषधालय	कुल
		11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	53.00	260.00	38.32	5.75	5.98	1.00	—	891.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	6.00	1.45	—	—	—	—	143.91
3.	असम	24.50	23.00	16.74	—	—	—	—	520.96
4.	बिहार	80.00	113.00	28.53	—	1.23	—	—	793.36
5.	गोवा	5.00	1.00	3.13	—	—	—	—	18.95
6.	गुजरात	75.00	57.00	19.64	3.50	2.15	—	—	893.26
7.	हरियाणा	25.50	4.00	10.73	—	—	—	—	209.91
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	8.00	11.78	—	—	—	—	178.48
9.	जम्मू व कश्मीर	17.00	2.00	6.10	—	—	—	—	111.99
10.	कर्नाटक	40 00	110.00	51.65	5.25	7.51	—	—	734.21
11.	केरल	28.00	60.00	27.41	—	5.61	—	—	140.77
12.	मध्य प्रदेश	85.00	85.00	70.07	85.0	5.89	1.00	—	1140.38
13.	महाराष्ट्र	125.00	100.00	43.21	15.50	1.00	—	—	1353.02
14.	मणिपुर	5.00	2.00	4.48	—	—	—	—	94.01
15.	मिजोरम	5.00	6.00	3.55	—	—	—	—	79.73
16.	नागालैंड	5.00	6.00	3.13	—	—	—	2.50	63.00
17.	मेघालय	4.00	8.00	1.82	—	—	—	—	55.56

		11	12	13	14	15	16	17	18
18.	उड़ीसा	28.00	120.00	26.21	—	1.65	—	—	528.49
19.	पंजाब	33.00	8.50	17.11	—	3.75	—	—	438.93
20.	राजस्थान	44.00	35.00	22.46	9.50	3.00	—	—	860.32
21.	सिक्किम	2.00	13.00	4.62	—	—	—	—	36.18
22.	तमिलनाडु	81.00	174.50	17.71	2.00	3.70	—	—	481.84
23.	त्रिपुरा	5.00	9.00	1.97	—	—	—	—	97.05
24.	उत्तर प्रदेश	135.00	180.00	96.78	—	7.23	—	—	1630.63
25.	पश्चिम बंगाल	75.00	110.00	41.81	—	1.23	—	—	494.75
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3.00	8.00	0.87	—	—	—	1.25	63.89
27.	चंडीगढ़	3.00	1.00	0.22	—	—	—	—	36.31
28.	दादरा व नागर हवेली	0.50	1.00	0.36	—	—	—	—	15.07
29.	दमण व द्वीव	0.50	1.50	0.73	—	—	—	—	8.98
30.	दिल्ली	51.50	1.00	1.33	—	—	—	—	142.56
31.	लक्षद्वीप	0.50	2.00	0.17	—	—	—	1.25	7.69
32.	पांडिचेरी	4.00	8.50	2.06	—	—	—	—	27.41
33.	अन्य	131.00	476.00	23.85	20.00	—	—	—	982.76
	योग	1200.00	2000.00	600.00	70.00	50.00	2.00	5.00	13223.00

खाद्यान्नों की खरीद

323. श्री गोपाल सिंह मक्कासर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में विभिन्न खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा की खरीद की गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान बाढ़ और अन्य कारणों से खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा की क्षति हुई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को कितना घाटा हुआ है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-1, विवरण-2 और विवरण 3 में दिए गए हैं जिनमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्य-वार) वसूल किए गए चावल, गेहूं और मोटे अनाजों की मात्राएं दी गई हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में भण्डारण, मार्गस्थ और बहु हैंडलिंग के दौरान वर्षा, बाढ़ों और समुद्री तूफानों आदि जैसे विभिन्न कारणों से खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राएं प्रभावित/क्षतिग्रस्त हो गई थीं :

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष	ठोस से क्षतिग्रस्त अनाजों में अंतरित खाद्यान्नों की मात्रा	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के स्टाक को रखने का औसत	स्टाक रखने की औसत की तुलना में क्षति की प्रतिशतता
1986-87	1.08	169.91	0.64
1987-88	0.61	131.66	0.46
1988-89	0.46	73.97	0.62

विवरण 1

चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1986-87 मा० खा० नि द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	1987-88 सभी मा० खा० नि० द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	1988-89 मा० खा० नि० द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	1989-90 मा० खा० नि० द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	
आंध्र प्रदेश	1471	1417	1517	1517	1481	1481	2447	2447
अरुणाचल प्रदेश	—	1	—	नग०	—	—	—	—
असम	12	13	7	7	5	5	5	5
बिहार	—	—	—	—	4	15	—	—
गुजरात	—	—	—	—	—	31	—	23
हरियाणा	676	678	319	319	674	674	956	957
जम्मू तथा कश्मीर	—	23	—	6	...	6	...	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	121	121	66	66	123	123	149	149
मध्य प्रदेश	459	459	279	279	283	284	236	337
महाराष्ट्र	—	नग०	—	नग०	—	नग०	—	नग०
उड़ीसा	123	123	68	68	134	134	217	217
पंजाब	3659	4278	3251	3361	2837	2856	4717	4991
राजस्थान	20	20	20	20	21	21	34	34
तमिलनाडु	—	887	—	564	—	754	—	916
उत्तर प्रदेश	नग०	1015	—	607	नग०	1216	1	1514
पश्चिम बंगाल	49	49	64	64	97	97	93	93
चण्डीगढ़	8	8	7	7	12	12	26	26
दिल्ली	—	—	—	—	3	3	6	6
पांडिचेरी	7	10	5	9	7	10	4	6
जोड़	6605	9156	5603	6894	5681	7722	8991	11727

नग० : 500 मीटरी टन से कम

विवरण-2

गेहूं की वसूली

(हजार मीटरी टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1987-88 भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	1988-89 मा० खा० नि० द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	1989-90 मा० खा० नि० द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	1990-91 27-7-1990 (स्थिति के अनुसार) मा० खा० नि० द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल
हरियाणा	689	2247	364	1260	514	1973	464	2590
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	1
जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	5	नग०	नग०	—	नग०
मध्य प्रदेश	नग०	नग०	—	—	—	—	नग०	नग०
पंजाब	1911	4419	2442	4749	2282	5602	2508	6742
राजस्थान	62	62	—	—	106	106	135	135
उत्तर प्रदेश	98	1152	33	521	67	1323	120	1601
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	2	2
दिल्ली	नग०	नग०	—	—	—	—	—	2
जोड़	2750	7880	2839	65'5	2969	9004	3229	11071

नग० = 500 मीटरी टन से कम

विवरण-3

खरीफ के मोटे अनाजों की वसूली

(हजार मीटरी टन)

	1986-87	1987-88		1988-89		1989-90		27-7-90 (की स्थिति के अनुसार)
राज्य	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे	सभी एजेंसियों द्वारा कुल
आन्ध्र प्रदेश	—	नग०	—	—	—	—	—	—
हरियाणा	—	—	—	—	—	21	—	—
मध्य प्रदेश	—	8	—	41	—	2	—	43
महाराष्ट्र	—	8	—	173	—	नग०	—	142
राजस्थान	—	—	—	—	—	12	—	5
उड़ीसा	—	—	—	--	—	नग०	—	—
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1	1
जोड़	—	16	—	214	—	35	1	191

नग०=500 मीटरी टन से कम

श्रमिकों के अवैध रूप से विदेश भेजे जाने पर रोक लगाने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन

[अनुवाद]

324. **श्री आर० गुण्डूराव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय श्रमिकों के विदेश भेजे जाने पर निगरानी रखने और उनके हितों की रक्षा करने की दृष्टि से उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उसमें संशोधन करने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उत्प्रवास अधिनियम, 1933 में किए जाने वाले संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों से श्रमिकों के अवैध रूप से विदेश भेजे जाने पर किस सीमा तक लगाई जा सकेगी ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में अब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में पहले से ही अनेक उपबन्ध हैं जिनका उद्देश्य गैर कानूनी जन शक्ति निर्यात को रोकना है।

भारतीय कला केन्द्र आदि द्वारा भूमि का दुरुपयोग

325. **श्री आर जीवरत्नम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कला केन्द्र, त्रिवेणी कला संगम और संगीत भारती भूमि और विकास कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा उन्हें आबंटित भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त प्रत्येक संस्था से किसी शुल्क की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) सभी तीन मामलों में भूमि/भवनों के दुरुपयोग की सूचना दी गई है। इन संस्थाओं से लिए जाने वाले प्रस्तावित प्रभारों के विरुद्ध अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों पर और क्या संस्थाओं के कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर यह दुरुपयोग क्षमा करने लायक होगा अथवा जुर्माना आदि लगाकर इनको अस्थाई रूप से विनियमित किया जा सकता है, पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खिलाड़ियों को रोजगार देना

[हिन्दी]

326. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने देश में खेल-कूदों को प्रोत्साहन देने के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने 1984 से खेल कोटा मे लगभग 30 क्रिकेट खिलाड़ियों की भर्ती की है।

उत्तर प्रदेश को लेवी की चीनी

327. श्री हरीश रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी के सार्वजनिक वितरण का मासिक कोटा कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में चीनी की मात्रा कम कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के लेवी चीनी के मासिक कोटे के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को लेवी चीनी के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

देश में "एनर्जी फूड" संयंत्र

[अनुवाद]

328. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का देश में और अधिक "एनर्जी फूड" संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये "एनर्जी फूड" संयंत्र किन-किन राज्यों/नगरों में स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) ये संयंत्र किस तारीख तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान (उदयपुर), उत्तर प्रदेश (बदायूं) और मध्य प्रदेश (उज्जैन)।

(ग)

स्थान	वर्ष के दौरान
उदयपुर	1990-91
उज्जैन	1990-91
बदायूं	1991-92

उत्तर प्रदेश में बन्द कपड़ा मिलें

[हिन्दी]

329. श्री राजबीर सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी कपड़ा मिलें कार्यरत हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ कपड़ा मिलें इस समय बन्द पड़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनके बन्द होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन मिलों के जल्द पुनः शुरू करने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 54 सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें कार्यरत थी।

(ख) जी हां।

(ग) मिल बंदी के लिए जिन विभिन्न संघटकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, वे हैं : कम उत्पादकता, आधुनिकीकरण का अभाव, वित्तीय अड़चनें, श्रमिक असंतोष आदि। सरकार ने अयंक्षम पाई जाने वाली रुग्ण/बंद पड़ी वस्त्र मिलों के पुनर्स्थापन के लिए पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय निर्धारित करने एवं लागू करने हेतु सरकार ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनसरचना बोर्ड की भी स्थापना की है।

विभिन्न उद्योगों के कामगारों को समान न्यूनतम मजूरी

[अनुवाद]

331. श्री टी० बशीर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दक्षिणी राज्यों के बीड़ी, काजू और हथकरघा जैसे परम्परागत उद्योगों में कामगारों की मजूरी दरों में भारी अन्तर है;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से काजू, बीड़ी, हथकरघा आदि उद्योगों के कामगारों के लिए समान न्यूनतम मजूरी दरें निश्चित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बीड़ी, काजू, हथकरघा तथा टाइल उद्योगों में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी जिसमें केन्द्रीय सरकार और दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसे समुचित कार्रवाई के लिए फरवरी, 1990 में सभी दक्षिणी राज्यों को भेज दिया गया है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अधीन अपने-अपने राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें राज्य सरकारें हैं।

महाराष्ट्र को चीनी, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल की सप्लाई

332- श्री सुधाकर बलवंत राव देशमुख : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र राज्य तथा ग्रेटर मुम्बई नगर को, अलग-अलग प्रतिमाह कितनी मात्रा में आयातित खाद्य तेलों, लेवी चीनी और मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार कोटा बढ़ाने के लिए तथा इन सभी तीन वस्तुओं के आवंटन के तरीके में परिवर्तन करने के लिए भी अभ्यावेदन करती रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, आयातित खाद्य तेलों, लेवी चीनी और मिट्टी के तेल के आवंटन निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं :—

आयातित खाद्य तेल : केन्द्रीय पूल के भण्डार स्थिति, बाजार में उपलब्ध मात्रा, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ये आवंटन माह-दर-माह आधार पर किए जाते हैं। अगस्त, 90 के लिए महाराष्ट्र को 16,500 मी० टन मात्रा का आवंटन किया गया है।

लेवी चीनी : यह आवंटन 1-10-1986 को अनुमानित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता के समान मापदण्ड के आधार पर किया जाता है। महाराष्ट्र के संबंध में लेवी चीनी का मासिक कोटा 25,031 मी० टन है।

मिट्टी का तेल : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की जरूरत का आकलन पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के लिए किए गए आवंटन पर उपयुक्त वृद्धि करके किया जाता है। ये आवंटन खण्ड-वार, अर्थात शीत खण्ड (नवम्बर से फरवरी), ग्रीष्म खण्ड (मार्च से जून) और वर्षा खण्ड (जुलाई से अक्तूबर) के लिए किए जाते हैं। महाराष्ट्र के लिए वर्षा खण्ड 1990 के लिए किया गया मिट्टी के तेल का आवंटन 1,22,058 मी० टन प्रतिमाह है।

इन मदों का राज्य के अन्दर वितरण करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है और इसलिए बृहत्तर मुम्बई को किए गए आवंटन के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने आयातित खाद्य तेलों के आवंटन को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन किया है। इस अनुरोध पर विचार करते हुए महाराष्ट्र को आयातित खाद्य तेल का कोटा, जो जुलाई, 1990 में 14,500 मी० टन था, बढ़ाकर अगस्त, 1990 में 16,500 मी० टन कर दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने 1989 की जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी का भी कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है। लेवी चीनी की वर्तमान उपलब्धता को देखते हुए, इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है।

महाराष्ट्र सरकार से मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने या आवंटन के तरीके में परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

"रेबीज" के कारण मौतें

333. श्री के० एस० राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने "रेबीज" के कारण हाल के वर्षों में हुई मौतों का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में "रेबीज" के कारण राज्यवार कितनी मौतें हुई;

(ग) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में दिल्ली में और दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में "रेबीज" के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार ने "रेबीज" बीमारी से प्रभावशाली ढंग से प्रतिरक्षण हेतु कोई त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि जलातंक की घटनाओं के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अनुमान है कि देश में हर वर्ष जलातंक के कारण लगभग 25,000 मौतें होती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए कुत्ते के काटने एवं जलातंक के रोगियों और उससे हुई मौतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1989 के दौरान कुत्ते के काटने के 283 मामले एवं 29 मौतें हुई थी।

(ङ) और (च) कृषि मंत्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय श्वान जलातंक नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों और स्थानीय नगर निकायों द्वारा शुरू किए गए नियंत्रण कार्यकलापों की पुनरावृत्ति करने के लिए 30 जलातंक नियंत्रण यूनिटें खोली गई है।

विवरण

भारत में वर्ष 1987 से 1989 तक के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे सूचित किए कुत्ते के काटने और जलातंक रोगी और उनके कारण हुई मौतें :—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987		1988		1989	
		सी०	डी०	सी०	डी०	सी०	डी०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1349	126	915	65	490	45
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	309	7	562	11	365	6
4.	बिहार	175	2	630	5	1331	16
5.	गोवा	29	15	17	2	15	4
6.	गुजरात	11953	13	64	22	157	23
7.	हरियाणा	1267	—	2	—	70	—
8.	हिमाचल प्रदेश	5	—	—	—	1	—
9.	जम्मू और कश्मीर	175	—	490	1	148	—
10.	कर्नाटक	3282	32	3107	36	2180	29
11.	केरल	389	40	40	27	172	14
12.	मध्य प्रदेश	1458	15	941	6	649	11
13.	महाराष्ट्र	301	301	347	347	842	194
14.	मणिपुर	8	—	13	—	—	—
15.	मेघालय	225	2	68	—	3	—
16.	मिजोरम	74	—	22	—	5	—
17.	नागालैंड	62	—	168	5	32	
18.	उड़ीसा	922	34	706	44	549	25
19.	पंजाब	3	1	3	—	—	—
20.	राजस्थान	1846	6	636	6	414	
21.	सिक्किम	368	—	385	—	283	—
22.	तमिलनाडु	786	3	174	10	117	19
23.	त्रिपुरा	19	1	—	—	151	—
24.	उत्तर प्रदेश	597	—	27	—	182	—
25.	पश्चिम बंगाल	243	243	+	+	+	+
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	1	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	4	—	1	—	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	दादरा और नागर हवेली	10	—	4	—	23	—
29.	दमण और दीव	+	+	+	+	+	+
30.	दिल्ली	194	21	239	23	283	29
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	11	10	14	7	9	8
	योग	26066	874	9577	618	8506	427

टिप्पणी : सी-कुत्ते के काटे के मामले।

डी-मौतें

—शून्य

+अनुपलब्ध

आंकड़े अनन्तिम हैं और अव्यवस्थित रखरखाव के कारण तुलनीय नहीं हैं।

दिल्ली में अप्राधिकृत कालोनियों को विनियमित करना

334. कुमारी उमा भारती : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989 के अन्त तक दिल्ली में बसी सभी अप्राधिकृत कालोनियों को विनियमित करने पर विचार किया जा रहा है तथा इन कालोनियों में जल, मल-निकास, बिजली और सड़कों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) अप्राधिकृत कालोनियों को विनियमित करने के बारे में अधिसूचना कब तक जारी की जायेगी तथा आवश्यक सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जून, 1977 के पश्चात बनी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। यद्यपि दिल्ली प्रशासन ने उन अनधिकृत कालोनियों में जो 1-1-1981 को विद्यमान थी, उनके लाभार्थियों द्वारा विकास प्रभार अदा करने पर पेयजल तथा बिजली मुहैया कराने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

335. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं कब से केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा; और

(घ) वर्ष 1990 के दौरान मध्य प्रदेश की किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(ग) स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य को मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा भेजे गए प्रेक्षणों की अनुपालना भेजनी होती है।

(घ) कोई नहीं।

विवरण

मध्य प्रदेश की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4
	तकनीकी आर्थिक रूप से मूल्यांकित		
	(क) वृहद परियोजना		
1.	बारगी बहुप्रयोजनी	1/89	पर्यावरण विभाग ने 7/90 में कुछ पर्यावरणीय सुरक्षा/कार्य योजनाओं का सुझाव दिया था जिन्हें अनुपालन के लिए राज्य को भेजे गए हैं।
2.	केन्द्र व्यपवर्तन	8/88	राज्य सरकार को पुर्नस्थापना और पुनर्वास योजनाओं के लिए कल्याण मंत्रालय की सहमति प्राप्त करनी है।
3.	माहुन	6/83	राज्य से जलग्रहण क्षेत्र उपचार पर अनुपालना और अद्यतन लागत अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।
4.	मान	1/84	राज्य को संशोधित अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करने हैं।
	(ख) मध्य परियोजनाएं		
1.	बाह परियोजना	5/87	राज्य सरकार को वन स्वीकृति के लिए प्रबन्ध करना है।

1	2	3	4
2.	महुआर परियोजना	7/84	—वही—
3.	गेज परियोजना	6/84	—वही—
4.	बरनार परियोजना	10/84	—वही—
(ख) परियोजनाएं जिन पर सलाहकार समिति द्वारा विचार स्थगित किया गया।			
	(क) वृहद परियोजनाएं		
1.	ओमकारेश्वर बहुप्रयोजनी	5/88	राज्य सरकार को पर्यावरणीय और वन व्यपवर्तन कार्य योजनाएं प्रस्तुत करनी हैं।
	(ख) मध्यम परियोजनाएं		
2.	सुतियापेट	6/89	राज्य को तकनीकी कमियों के संबंध में टिप्पणियों का अनुपालन करना है।
(ग) राज्य सरकार को अनुपालन के लिए भेजी गई टिप्पणियां			
	(क) वृहद परियोजनाएं		
1.	बाणसागर नहर	7/88	राज्य को सिंचाई आयोजना, नहर अभिकल्पन लागत अनुमान पहलुओं आदि को सुलझाना है।
2.	बारगी व्यपवर्तन	4/88	राज्य को लागत अनुमान और पर्यावरणीय पहलुओं को सुलझाना है।
3.	केली सिंचाई	5/88	राज्य को बांध डिजाइन सिंचाई आयोजना, लागत अनुमान और पर्यावरणीय पहलुओं को सुलझाना है।
4.	मोगरा सिंचाई	5/89	राज्य को जल विज्ञान सिंचाई आयोजना, डिजाइन, प्राक्कलन और पर्यावरणीय पहलुओं को सुलझाना है।
5.	थानवर टेंक	12/89	राज्य को निर्माण के अग्रिम स्तर में परियोजनाओं के मूल्यांकन पर नए दिशा निर्देशों का अनुपालन करना है।
(घ)	हाल ही में प्राप्त परियोजनाएं		
	(क) वृहद परियोजना		
1.	महानदी जलाशय	2/90	हाल ही में प्राप्त हुई है।

कृषि श्रमिक

[अनुवाद]

336. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति : क्या श्रम मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृषि श्रमिकों की कुल संख्या और कुल कृषि श्रमिकों में से महिलाओं के प्रतिशत का पता लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है; और

(ग) कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने और उनके हितों की रक्षा के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार, भारत में कृषि श्रमिकों के रूप में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 55,498, 704 थी। उनमें महिला कृषि कर्मकारों की संख्या 20,767,858 है जो कुल कृषि श्रमिकों का 37.42 प्रतिशत है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1938, अन्तर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों को कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, आई० आर० डी० पी० और जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी-निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है जिनका उद्देश्य समुदाय के सबसे गरीब वर्गों की स्थिति में सुधार करना है जिनमें अधिकांश कृषि श्रमिक शामिल हैं।

मंत्रियों के लिए पृथक आवास पूल

337. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों आदि के लिए एक पृथक आवास पूल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आवासों में कार्यालय सुविधायें और सुरक्षा व्यवस्था समान स्तर पर उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए निर्धारित बंगलों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। इस आशय का एक संकल्प दिनांक 30-5-90 को भारत के असाधारण राजपत्र में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है और इन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) से (घ) किसी मंत्री के आवास पर उपयुक्त कार्यालय वास तथा सुरक्षा व्यवस्था कार्यात्मक आवश्यकतायें हैं। यद्यपि इस प्रयोजनार्थ कोई समान पैटर्न नहीं बनाया गया है। किन्तु उनके लिए बगले आरक्षित करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखा गया है। इस प्रयोजन हेतु कोई विशेष राशि निर्धारित नहीं की गयी है।

(ङ) इस प्रयोजन के लिए बंगले आरक्षित सम्बन्धी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

परिसरों की अनुसूची

क्र० सं०	बंगला नं०	
ए०	5 तथा 7 रेस कोर्स प्रधान मंत्री के लिए आरक्षित	VIII
बी०	10 जनपथ, लोक सभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के लिए आरक्षित	VIII
	2, विलिंगडन क्रिसेंट राज्य सभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता के लिए आरक्षित	
सी०	मंत्रि परिषद के सदस्य के लिए	
1.	2, अकबर रोड	VII
2.	7, ,,	VII
3.	9, ,,	-तदैव-
4.	10, ,,	,,
5.	11, ,,	,,
6.	12, ,,	,,
7.	14, ,,	,,
8.	17, ,,	,,
9.	18, ,,	,,
10.	24, ,,	,,
11.	5, अशोक रोड	,,
12.	7, ,,	,,
13.	8, ,,	,,
14.	9, ,,	,,
15.	15, ,,	,,
16.	25, ,,	,,
17.	30, औरंगजेब रोड	,,
18.	32, ,,	,,

19.	34, औरंगजेब रोड	VII
20.	36, ,,	-तदैव-
21.	1, सरकार रोड	,,
22.	5, कुम्बक्स रोड	,,
23.	5, जनपथ रोड	,,
24.	6, ,,	,,
25.	12, ,,	,,
26.	2, कृष्णामेनन मार्ग	,,
27.	3, ,,	,,
28.	4, ,,	,,
29.	4, कुशक रोड	,,
30.	1, मोती लाल नेहरू मार्ग	-वही-
31.	9, एम० एस० एम० मार्ग	,,
32.	34, पृथ्वी राज रोड	,,
33.	1, रेसकोर्स रोड	,,
34.	11, ,,	,,
35.	10, रायसीना रोड	,,
36.	3, सफदरजंग रोड	,,
37.	7, ,,	,,
38.	9, ,,	,,
39.	12, ,,	,,
40.	19, ,,	,,
41.	23, ,,	,,
42.	27, ,,	,,
43.	2, सफदरजंग रोड	,,
44.	1, सुनहरी बाग रोड	VII
45.	3, ,, ,, ,,	,,
56.	1, तीन मूर्ति मार्ग	,,
47.	4, ,, ,, ,,	,,
48.	19, ,, ,, ,,	,,
49.	1, तीन मूर्ति लेन	,,
50.	8, तीस जनवरी मार्ग	,,
51.	9, त्यागराज मार्ग	,,

52.	11, त्याग मार्ग	VIII
53.	1, तुगलक रोड	,,
54.	2, ,,	,,
55.	7, ,,	,,
56.	14, ,,	,,
57.	16, ,,	,,
58.	23, ,,	,,
59.	25, ,,	,,
60.	1, विलिंगडन क्रिसेन्ट	,,
61.	3, रेसकोर्स रोड	,,
62.	10, अशोक रोड	VI
63.	4, डुप्लेक्स लेन	,,
64.	5, सफदरजंग लेन	,,

उपेक्षित बच्चों हेतु योजना

338. **श्री हरा अम्बारास** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उपेक्षित बच्चों के लिए कोई योजना शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय 1979-80 से देखभाल तथा सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता आ रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अनाथ, निराश्रित तथा उपेक्षित बच्चों की देखभाल और कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। वित्त पोषण पद्धति में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच क्रमश: 45 : 45 : 10 के अनुपात में हिस्सेदारी की व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों के मामले में यह हिस्सा प्रणाली $47\frac{1}{2}$: $47\frac{1}{2}$: 5 है। संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह अनुपात 90 : 10 है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें देखभाल, सुरक्षा तथा सामान्य नागरिकों की तरह विकास तथा प्रगति के लिए अवसर प्रदान करना है।

नार्थ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लैटों की बागवानी की देखभाल

339. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय, नार्थ एवेन्यू के क्षेत्राधिकार में आने वाले फ्लैटों/बंगलों में बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों की कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गई/उनका प्रयोग किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान उपर्युक्त मदों अर्थात् बीज, उर्वरक की मांग पर ध्यान न दिए

जाने तथा इन बंगलों की देखभाल करने के लिए मालियों को नियमित सेवाएं उपलब्ध न कराए जाने के बारे में संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ग) संसद सदस्यों को उपलब्ध कराई गई बागवानी सुविधाओं के संबंध में उनकी शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) आपूर्ति आयोग की गई मात्रा नीचे दी गई है—

(1) बीज—45.25 क्विंटल

(2) उर्वरक—47 क्विंटल

(3) कीटनाशक—9.00 लीटर

(4) बी० एच० सी० पाऊडर—4.5 क्विंटल

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि पूछताछ कार्यालय और अधिकारियों के रिहायशी दूरभाषों पर प्राप्त हुई शिकायतों को तत्परता से निपटाया जाता है ।

(ग) प्रत्येक माली को ड्यूटी कार्ड जारी किये गये हैं, जिस पर उन्हें संसद सदस्य के हस्ताक्षर कराने अपेक्षित है । किसी प्रतिकूल टिप्पणी के लिए तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए पर्यवेक्षीय स्टाफ द्वारा इन कार्डों की जांच की जाती है ।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों के चुनाव

340. श्री कमल चौधरी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी सहकारी सामूहिक आवास समितियों की संख्या और उनका ब्योरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के अनुसार अनिवार्य वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित नहीं की हैं और वार्षिक चुनाव नहीं कराए हैं तथा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) उनमें से ऐसी सहकारी सामूहिक आवास समितियों का ब्योरा क्या है, जिनके पदाधिकारी समितियों की निधि और उनके प्रबन्धन पर अवैध नियन्त्रण रखने के लिए वर्ष 1984 से 1987 तक की अवधि के दौरान दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 30 (5) (क) का उल्लंघन करके लगातार दो कार्यकालों से भी अधिक समय तक अपने पदों पर बने रहे थे; और

(ग) प्रत्येक दोषी समिति के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है, यह कार्यवाही किन-किन तारीखों को आरम्भ की गई और यदि किसी मामले में कार्यवाही आरंभ किए जाने में विलम्ब हुआ है, तो इनके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) ऐसी समितियों की सूची संलग्न विवरण-1 के अनुसार है ।

(ख) ऐसी समितियों की सूची संलग्न विवरण-2 के अनुसार है ।

(ग) इस मामले में की गई कार्यवाही भी प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-1 और विवरण-2 में दर्शायी गई है ।

विवरण

क्र० सं०	समिति का नाम		की गई कारंवाई
1.	अनुभव सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०		1986 में मांग पत्र जारी किया गया और तदन्तर चुनाव हुए।
2.	अदिति	वही	वही
3.	लक्की होम	वही	वही
4.	रवि	वही	वही
5.	प्रिंटरस	वही	1987 मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
6.	लोक नायक	वही	वही
7.	चेतक	वही	वही
8.	तारा	वही	वही
9.	सीता राम	वही	वही
10.	जाटव	वही	वही
11.	अन्तिरिक्ष	वही	वही
12.	न्यू स्वास्तिक	वही	वही
13.	लेबर	वही	बरखास्त की गई तथा प्रशासक नियुक्त किया गया।
14.	केसर	वही	धारा 55 के अन्तर्गत जांच आरम्भ की गई।
15.	यूनाईटिड इंडिया	वही	1989 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
16.	डी०एस०आई० डी०सी०फ्रैन्डस	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
17.	परवाना	वही	बर्खास्त की गई तथा प्रशासक नियुक्त किया गया।
18.	बिजली	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
19.	सरस्वती एन्क्लेव	वही	वही
20.	पूजा	वही	वही
21.	मिथला	वही	1986 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।

1	2		3
22.	वसुन्धरा	वही	वही
23.	विनिता	वही	1986 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
24.	सारिथिमो	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
25.	मीना	वही	1977 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
26.	श्रीजगदम्बा	वही	1988 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
27.	न्यू दिल्ली एपार्टमेंट	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
28.	दिल्ली राजधानी	वही	वही
29.	श्रीबाला जी	वही	1986 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
30.	जय त्रिवेणी	वही	वही
31.	सेन्ट्रल दिल्ली	वही	वही
32.	ओशनयन केवल राजश्री	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
33.	ईस्ट वेस्ट	वही	वही
34.	फैन्सी	वही	वही
35.	फाईन होम	वही	वही
36.	न्यू प्रगतिशील	वही	वही
37.	मानव	वही	धारा 55 के अन्तर्गत जांच के आदेश
38.	मिलनसार	वही	धारा 32 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा 1987 में चुनाव हुए।
39.	यंग फ्रेंड्स	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
40.	सीलवर ओक	वही	वही
41.	क्षीरसागर	वही	वही
42.	नवीनतम	वही	वही

1	2		3
43.	तरंग	वही	वही
44.	सरस्वती	वही	वही
45.	विश्वविहा	वही	वही
46.	स्पोटस	वही	1986 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
47.	सिक्षा	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
48.	कामधेनु	वही	वही
49.	मेनपावर	वही	वही
50.	मीजाम्जमी	वही	वही
51.	स्वरूप सदन	वही	वही
52.	पंजाबी सौदागर	वही	वही
53.	मूनलाइट	वही	1986 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
54.	वीकल्प	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
55.	रिटरिट	वही	वही
56.	न्यू डी०जी०के० सहकारी ग्रुप आवास समिति		1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
57.	समराइज	वही	वही
58.	हिल	वही	वही
59.	नेहरू सेवा सदन	वही	वही
60.	टैक्नोलाजी	वही	वही
61.	श्री महावीर	वही	वही
62.	अरुणादेय	वही	1988 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
63.	विकरान्त	वही	1986 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
64.	हैबीटेड	वही	वही
65.	बिजनेस एण्ड प्रोफसनल वूमैन	वही	वही
66.	कश्मिरी सहायक	वही	वही
67.	प्रेस एसोएशिएशन	वही	वही

1	2		3
68.	हिन्दुस्तान टाइम्स इम्पलाइज	वही	वही
69.	नागार्जुन	वही	वही
70.	सी०आई०एस० आफिसर्स	वही	वही
71.	ए०आई० आई०एम०एस० एम्पलाइज		
72.	नवभारत	वही	वही
73.	इलाहाबाद बैंक स्टाफ	वही	वही
74.	ई०आई०एल० एम्प०	वही	वही
75.	गस्त	वही	वही
76.	गोवन	वही	वही
77.	साऊथ दिल्ली	वही	वही
78.	सेन्ट्रल गावरमेंट सर्विस	वही	वही
79.	सुदर्शन	वही	धारा 32 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
80.	कुडियाल	वही	वही
81.	ओखला	वही	1986 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
82.	नवयुग	वही	वही
83.	ओक्सफोड	वही	वही
84.	आर्य नगर	वही	वही
85.	डिलक्स सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०		1986 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
86.	सूर्य किरण	वही	वही
87.	न्यू आवर्स	वही	वही
88.	सिद्धार्थ	वही	वही
89.	न्यूयुग	वही	वही
90.	पर्वतीय विकास	वही	वही
91.	वर्धान	वही	वही

1	2		3
92.	न्यू इंडिया	वही	वही
93.	न्यू सूर्य किरण	वही	वही
94.	आर्य	वही	वही
95.	न्यू लक्ष्मी	वही	वही
96.	दिल्ली निवास	वही	वही
97.	सुखदम	वही	वही
98.	वन्दना	वही	वही
99.	न्यू आर्य	वही	वही
100.	बादलस	वही	वही
101.	नीरज	वही	वही
102.	मानवस्थली	वही	वही
103.	अमरज्योती	वही	वही
104.	विशाल	वही	वही
105.	सुन्दर	वही	वही
106.	आदर्श	वही	वही
107.	स्टार लाइट	वही	1987 में मांग पत्र जारी किया गया तथा तदन्तर चुनाव हुए।
108.	मीलन	वही	वही
109.	आई॰आई॰टी॰डी॰ उटियर्स	वही	वही
110.	कस्तूरबा	वही	वही
111.	अभय	वही	वही
112.	आजाद	वही	वही

विवरण-2

क०सं०	सोसाइटी का नाम	की गई कार्यवाही
1.	अदिति सी॰जी॰एच॰एस॰लिमिटेड	सोसाइटी को दो वर्ष से ज्यादा कार्यकाल के पदाधिकारियों को हटाने और नये चुनाव कराने के निर्देश दिए गए।
2.	यूनाइटेड इंडिया सी॰जी॰एच॰एस॰ लिमिटेड	वही
3.	सरस्वती एन्क्लेव सी॰जी॰एच॰एस॰ लि॰	वही
4.	दूरदर्शन सी॰जी॰एच॰एस॰ लि॰	वही
5.	ईस्ट-[illegible]सी॰जी॰एच॰एस॰ लि॰	वही

1	2	3
6.	विद्युत सी०जी०एच०एस० लि०	वही
7.	महेश सी०जी०एच०एस० लि०	वही
8.	अंना सी०जी०एच०एस० लि०	वही
9.	दिल्ली आफिसर्स सी०जी०एच०एस० लि०	वही
10.	समाज कल्याण सी०जी०एच०एस० लि०	वही

खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना-ले-जाना

341. श्री गंगा चरण लोधी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं तथा चावल का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने तथा ले जाने पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध को हटाए जाने के पश्चात् प्रमुख बाजारों में इस समय गेहूं का मूल्य कितना है और इसके परिणामस्वरूप किन-किन राज्यों को लाभ हुआ है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) गेहूं और लेवी-मुक्त चावल के अन्तर्राज्यीय संचलन के लिए क्रमश: 13 अप्रैल, 1977 और 30 सितम्बर, 1977 से समस्त देश को एक जोन माना जाता हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवश्यक मदों का आयात

342. श्री के० राममूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज, दालों, खाद्य तेलों, दूध और दुग्ध उत्पादों, चीनी और गुड़ (खांडसारी सहित) आवश्यक मदों की वार्षिक मांग और पूर्ति का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1988-89 और 1989-90 में प्रत्येक मद की पूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक मद का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) किसी वस्तु विशेष की मांग उक्त वस्तु की मांग तय करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके/पद्धतियों पर निर्भर करती है। तथापि, वर्ष 1988-89 के लिए अनाजों, दालों, खाद्य तेलों तथा चीनी की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता नीचे दी गई है। 1989-90 के लिए इसी प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

मद	वर्ष
	1989
(1) अनाज	456.2 ग्राम प्रति दिन
(2) दालें	40.4 ग्राम प्रति दिन
(3) खाद्यान्न	496.6 ग्राम प्रति दिन
	1988-89
(4) खाद्य तेल	5.3 कि० ग्रा० वार्षिक
(5) चीनी	12.2 कि० ग्रा० वार्षिक

(ख) 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान इन वस्तुओं का आयात इस प्रकार था :

(मी० टनों में)

वस्तु	1988-89	1989-90
(1) गेहूं	20,11,000	—
(2) चावल	6,84,000	5,24,000
(3) दालें	8,26,543	4,29,067
(4) खाद्य तेल	3,72,623	3,37,672
(5) स्प्रेटा दुग्ध पाउडर		
ई० ई० सी० उपहार (आपरेशन फ्लड-III)	17,990	14,991
वाणिज्यिक (ई० ई० सी०) (सूखे के कारण)	14,273	2,108
सूखा राहत (ई० ई० सी० उपहार)	2,000	—
(6) बटर आयल		
सूखा राहत (ई० ई० सी० उपहार)	2,998	—
(7) मक्खन		
ई० ई० सी उपहार (आपरेशन फ्लड-III	7,314	
(8) चीनी	—	2,42,000

फ्लैटों/भूखंडों हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लंबित आवेदन

343. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1990 को दिल्ली में फ्लैटों और भूखंडों के आवंटन हेतु व्यक्तियों और सहकारी संस्थाओं के कितने आवेदन लम्बित पड़े थे; और

(ख) सरकार का इन आवेदनों को किस प्रकार और कब निपटाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या — 97,110

रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखंडों के आवंटन की प्रतीक्षा करते पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या — 45,856

इसके अतिरिक्त, 20,000 आवेदक अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के अन्तर्गत पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाटरी (ड्रा आफ लाट्स) को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण का आगामी चार वर्षों में फ्लैटों का निर्माण करने का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1.	1990-91	12,600
2.	1991-92	19,000
3.	1992-93	26,000
4.	1993-94	26,500
		84,100

रोहिणी योजना के अर्न्तगत पंजीकृत व्यक्तियों के बकाया आगामी 4 से 5 वर्षों के दौरान पूरा कर लिए जाने की आशा है।

अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए स्थायी समिति

344. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री ए० के० राय : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्तर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थायी समिति गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) परिषद से लिए गए सदस्यों सहित जल संसाधनों में अन्तर्राज्यीय मुद्दों पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की एक स्थायी समिति 6-4-1990 को गठित की गई है। यह समिति राज्यों द्वारा भेजे गए मुद्दों पर विचार करेगी तथा इन मुद्दों को हल करने के लिए उपाय किए जाने हेतु सिफारिश करेगी।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में स्कूल आफ नर्सिंग का दर्जा बढ़ाया जाना

345. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल नई दिल्ली स्थित स्कूल आफ नर्सिंग का दर्जा बढ़ाकर कालेज के समकक्ष करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी व्यवस्था के लिए आवश्यक आधार-भूत ढांचा उपलब्ध है; और

(घ) कालेज में अध्यापकों की नियुक्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रभावित पदधारकों को क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव नर्सिंग के सभी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर नर्सिंग कालेज करने के बारे में भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है। दिल्ली विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति द्वारा पहले ही निरीक्षण किया जा चुका है और उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) आवश्यक अतिरिक्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा आवश्यक योजना प्रावधान किया गया है।

(घ) कालेज में नियुक्ति के लिए सभी उपलब्ध अध्यापकों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे भर्ती नियमों के अनुसार अर्हताओं को पूरा करते हैं।

सेवानिवृत्ति होने वाले व्यक्तियों सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आबंटन

346. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की न्यू पैटर्न स्कीम में पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों सम्बन्धी योजना, 1989 के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या रोहिणी के सैक्टर 18 में सड़कों/बाई लेन का निर्माण और नागरिक सुविधाओं का कार्य पूरा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त सेक्टर के फ्लैटों को रहने लायक बनाने हेतु शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुग्ण कपड़ा मिलों की फालतू भूमि की बिक्री

[हिन्दी]

347. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री 21 जुलाई, 1990 के "बिजनैस स्टैण्डर्ड" में नो 'डिसिजन आन लैण्ड सेल बाई एन० टी० सी० मिल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण कपड़ा मिलों की फालतू भूमि के निपटान के सम्बन्ध कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस भूमि को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को बेचने का विचार है और यदि नहीं, तो सरकार का इस भूमि का निपटान कैसे और कब करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र में कालोनियों का गिराया जाना

348. श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग ने दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र के कुछ पुरानी कालोनियों को गिराने और अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कालोनियों को गिराये जाने की स्थिति में, इन कालोनियो के निवासियों को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) हालांकि मुख्यतः नदी के नहरीकरण के लिए यमुना नदी के साथ-साथ कुछ भूमि को अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचित किया गया है, फिर भी दिल्ली प्रशासन द्वारा, पुरानी कालोनियों को गिराने और अधिग्रहीत करने का ऐसी कोई आम नीति का निर्णय नहीं लिया गया है।

मैला सिर पर ढोना

[अनुवाद]

349. डा० सी० सिलवेरा : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1990-91 के दौरान मनाये जा रहे सामाजिक न्याय वर्ष मे मैला को सिर पर ढोने की प्रथा समाप्त करने के बारे में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना जिसमें विद्यमान शुष्क शौचालयों को जल-वाहित फ्लश शौचालयों में बदलने तथा बेरोजगार सफाई कर्मचारियों का सम्मान जनक रोजगार/व्यवसाय में पुनर्वास की व्यवस्था है, के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से 1990-91 के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसका अन्तिम लक्ष्य सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना है।

(ख) से (घ) इस योजना के लिए 1990-91 के दौरान कल्याण मंत्रालय के बजट में 23.00 करोड़ रुपए तथा शहरी विकास मंत्रालय के बजट में 20.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, कार्रवाई की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान 500 कस्बों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

सिना कालेगांव वृहद सिंचाई परियोजना

[हिन्दी]

350. **श्री एस० बी० थोरट** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से सिना कालेगांव वृहत सिंचाई परियोजना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) सिना कालेगांव वृहद सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र सरकार से 1976 में प्राप्त हुई थी और केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों को अनुपालना न किए जाने के कारण 1979 में राज्य सरकार को लौटा दी गई थी।

अस्पतालों में बहिरंग विभाग में, "वेटिंग नम्बर" जारी करना

[अनुवाद]

351. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों के बहिरंग विभागों में रोगियों की अस्पताल के प्रत्येक बहिरंग विभाग द्वारा जारी किए गए कुछ वेटिंग नम्बरों के आधार पर जांच की जाती है;

(ख) क्या इस प्रणाली से आम रोगी को कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या सरकार का "डिजिटल वेटिंग टोकन" योजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) दिल्ली में प्रमुख सरकारी अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभागों में डाक्टरों द्वारा रोगियों की जांच उनके पंजीकरण के बाद उनके क्रम के अनुसार की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

352. **श्री केशरी लाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुल कितने औषधालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित होते हैं;

(ग) क्या सरकार का कानपुर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नये औषधालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये औषधालय किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) कानपुर में चल रहे, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की संख्या 9 है और लाभार्थियों की संख्या 1,74,174 है।

(ग) कानपुर में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कताई की नई प्रौद्योगिकी

353. **श्रीमती सुभाषिनी अली :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित प्रौद्योगिकी विकास एसोसियेशन, लखनऊ द्वारा विकसित कताई की नई प्रौद्योगिकी का सारे देश में प्रसार हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस प्रौद्योगकी को लोकप्रिय बनाने, इसका मूल्यांकन करने तथा इसमें और सुधार करने के लिए कोई क्षेत्रीय प्रदर्शनी केन्द्र लगाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और जैसे ही तैयार हो जाएगी इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा की भीमकुण्ड सिंचाई परियोजना

354. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में भीमकुण्ड सिंचाई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना की क्षमता और नवीनतम अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) उस परियोजना का कार्य-प्रारम्भ होने पर जलमग्न होने वाले गांवों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस परियोजना के पूरा होने पर कुल कितनी हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने की संभावना है

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस परियोजना को 1990-91 की वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) इस परियोजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

महानगरों में भिखारी

355. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में तथा अन्य महानगरों में आम रास्तों पर सड़कों के किनारे बैठने वाले अनेक विकलांग भिखारियों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निस्सहाय व्यक्तियों वृद्धावस्था पेंशन

356. श्रीमती सुभावती अली : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में लागू निस्सहाय और दुर्बल व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन बहुत कम है और इस राशि में काफी समय से कोई परिवर्तन नहीं किया है तथा इसमें असमानता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के कार्यान्वयन का आलोचनात्मक पुनरीक्षा करने हेतु एक राष्ट्रीय कृतक बल गठित करने का है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) इन योजनाओं के संचालन के पुनरीक्षण के लिए कोई कृतक बल नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है। ये योजनाएं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार विशिष्ट संख्या को शामिल करते हुए योजना को क्रियान्वित करने हेतु अपनी-अपनी पेंशन योजनाएं नियम एवं विनियम है। इन पेंशनों के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार कोई अंशदान नहीं देती है।

राजस्थान में मस्तिक ज्वर के उपचार के लिए औषधियों की उपलब्धता

[हिन्दी]

357. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिले-वार मस्तिष्क ज्वर के कारण वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस रोग के उपचार हेतु आवश्यक औषधियों का आयात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन औषधियों के उपलब्ध न होने के कारण दवा-विक्रेताओं द्वारा इनकी मनमाने मूल्य पर बिक्री की जाती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन औषधियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान राजस्थान राज्य से जापानी एनसेफाइटिस का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ख) इस रोग के उपचार के लिए किसी भी औषध का आयात नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटितियों द्वारा अनधिकृत निर्माण

[अनुवाद]

358. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटितियों द्वारा अनधिकृत निर्माण किए जाने के बारे में 30 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन सभी मामलों में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन अनधिकृत निर्माणों को रोकने का है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण का कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जब कहीं भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आते हैं, पट्टा आबंटन की शर्तों को ध्यान में रखते हुये दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण

359. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से ऋण की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना अवधि के दौरान भी विश्व बैंक से कोई ऋण मांगने का है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) सिर्फ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना के दौरान विश्व बैंक से किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के सम्बन्ध में केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय

360. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से सम्बन्धित औद्योगिक विवादों पर केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए अधिनिर्णयों का ब्योरा क्या है;

(ख) कार्यान्वित किए अधिनिर्णयों का ब्योरा क्या है तथा किन अधिनिर्णयों के विरुद्ध प्रबन्धकों द्वारा अपील की गई है तथा किन अधिनिर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया गया है और अपील भी नहीं की गई है। जिसके कारण अभियोजन हो सकता है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के प्रबंधकों को सरकार की नीति के अनुसार मुकदमाबाजी को आगे न ले जाने की सलाह दी गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को अपने प्रशासनिक मन्त्रालय से परामर्श करना होता है यदि यह श्रम न्यायालय/अधिकरण, उच्च न्यायालय आदि के निर्णय के खिलाफ अपील दायर करना चाहते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय बाद में विधि मन्त्रालय और श्रम मन्त्रालय से परामर्श करता है तथा उपक्रम को सलाह की सूचना देता है। उपरोक्त अनुदेशों को सरकार ने हाल ही में दोहराया है।

मूल स्वास्थ्य नीति में परिवर्तन

361. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की मूल स्वास्थ्य नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) नई स्वास्थ्य नीति देश की वर्तमान स्वास्थ्य नीति से किस प्रकार भिन्न है; और

(घ) वर्तमान स्वास्थ्य नीति में किन कारणों से परिवर्तन लाया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा जल के उपयोग के सम्बन्ध में समझौता तैयार करने हेतु विश्व बैंक से सहायता

362. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने जल संसाधनों के अधिकतम तथा अर्थक्षम विकास हेतु गंगाजल के उपयोग के सम्बन्ध में एक व्यापक सहमति तैयार करने में भारत को सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा की गई पेशकश का ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्पूर्ण योजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान की पेय जल योजनाएं

363. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए कोई पेयजल योजनाएं प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) उक्त योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने दूसरी राजस्थान जलापूर्ति तथा मल-निर्यात परियोजना हेतु विश्व बैंक समूह की सहायता प्राप्त करने के लिए एक आरम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । इस परियोजना में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर तथा अलवर में 51 1.6 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति तथा मलनिर्यात सुविधायें बढ़ाने पर विचार किया गया है।

(घ) राज्य सरकार को इस परियोजना में संशोधन करने का परामर्श दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में प्रशीतन केन्द्र

364. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश राज्य में निकट भविष्य मे कुछ प्रशीतन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय का आंध्र प्रदेश में प्रशीतन केन्द्र खोलने का कोई विचार नहीं है।

महामारी की तरह फैल रहे नशीली औषधियों और एल्कोहल के सेवन पर निगरानी रखने के लिए कार्यक्रम

365. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशीली औषधियों और एल्कोहल के दुरुपयोग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महामारी की तरह फैल रहे नशीली औषधियों के सेवन पर निगरानी रखने और अनुसंधन और विकास कार्यों में समन्वय के लिए कोई नया कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां में है, तो राज्यों और देश की विभिन्न कल्याणकारी एजेंसियों को नशीली औषधियों के दुरुप्रयोग के विरुद्ध अभियान छोड़ने के लिए क्या भूमिका दी गई है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) नशीली औषधियों और एल्कोहल के दुरुपयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के जवाब में भारत सरकार द्वारा एक त्रिकोणीय कार्य नीति शुरू की गई है (1) निर्भरता पैदा करने वाली नशीली औषधियों की आपूर्ति के नियन्त्रण के कानून का कारगर प्रवंतन (2) नशीली औषधियों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन साधारण को शिक्षित करना तथा इनके विरुद्ध चेतना का निर्माण, और (3) इनके शिकार व्यक्तियों को पहचानने उपचार करने और उनका पुनर्वास करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी माध्यम से सेवाओं का संवर्धन/समुदाय की भागीदारी को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से मद्यमान निषेध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की एक योजना कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत बढ़ती हुई इस महामारी के प्रभाव को मानिटर करने और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को समन्वित करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जा रहे है।

(ग) देश की स्वैच्छिक कल्याण एजेंसियों का शिकार व्यक्तियों के लिए परामर्श, निर्व्यसन तथा उत्तरवर्ती देखभाल जैसी सेवाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है और इसके साथ-साथ उन्हें नशीली औषधियों तथा मदिरापान के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने तथा चेतना निर्माण कार्यक्रम शुरू करने का काम सौंपा गया है। राज्य सरकारों को अपने राज्य के स्वैच्छिक संगठनों को चुनने और वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को उनकी सिफारिश करने की भूमिका सौंपी गई है। इसके अति अतिरिक्त राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में नशीली औषधियों के दुरूपयोग की स्थिति को निरन्तर मानिटर करना है और अपनी ओर से समुचित उपाय करने है।

पटसन उद्योग की समस्याएं

366. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन उद्योग की समस्याओं जिसमें आधुनिकीकरण और विविधीकरण कार्यक्रम की धीमी प्रगति शामिल है, की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पटसन मिलों को पटसन की विविध वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देने के अलावा बन्द मिलों को पुन: चालू करने हेतु और पटसन के भाव बढ़ाने और अन्य गैर कानूनी कार्यों में सक्रिय लोगों को सजा दिलाने के क्या-क्या उपाय किए गए है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार पटसन उद्योग द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं की समय-समय पर समीक्षा करती रही है जिनमे आधुनिकीकरण और विविधीकरण योजनाओं की प्रगति भी शामिल है। जबकि वर्ष 1986 की पटसन आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत योजना ने संतोषजनक प्रगति नहीं दर्शाई है, फिर भी पटसन उद्योग में जिसमें विकेन्द्रीकृत क्षेत्र भी शामिल है, विविधीकरण कार्यक्रम मे पिछले तीन वर्षों से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना तथा विशेष पटसन विकास निधिकार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए जनवरी, 1990 में स्थापित समिति की रिपोर्ट में निहित सुझावों के आधार पर अनेक कदम उठाए गए हैं तथा इनका कार्यान्वयन विभिन्न चरणों पर चल रहा है।

2. पटसन मिलों को सम्पूर्ण फाइबर के लचीलेपन की अनुमति देने के अतिरिक्त अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :---

(1) खाद्य, अनाज, सीमेन्ट, उर्वरक तथा चीनी जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पटसन माल के अनिवार्य प्रयोग के सम्बन्ध में आरक्षण आदेश जारी करना।

(2) तीन वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न विविधीकृत पटसन उत्पादों की घरेलू बिक्री पर क्रमश: 12%, 10% और 8% की दर से तथा निर्यात पर 10% की दर से उपदान प्रदान करने के लिए आन्तरिक बाजार सहायता (आई एम ए) शुरू करना।

(3) 31-12-1990 तक उन्नत प्रौद्योगिकी की कुछ मशीन मदों के नि:शुल्क आयात की अनुमति प्रदान करना।

(4) विनिर्माताओं तथा व्यापारी निर्यातकों दोनों को लगभग सभी पटसन उत्पादों के निर्यात पर 12% की दर से नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना।

(5) बाजार कीमत से भिन्न लागत जमा कीमत फार्मूले पर खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन बोरों की खरीद।

(6) छूट प्राप्त कीमतों पर हैसियन और सैकिंग के लिए विश्व व्यापी निविदाओं के आधार पर पटसन माल के निर्यात पर जे० एम० डी० सी० और एस० टी० सी० द्वारा समग्र घाटों में हिस्सा बंटाना।

(7) वर्ष 1990-91 के केन्द्रीय बजट के प्रस्तावों के अनुसार अनेक विविधीकृत पटसन उत्पादों के मामले में उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करना।

3. इस समय बन्द पड़ी मिलों की कुल संख्या 17 है जिससे 46780 कामगार प्रभावित हुए है। इनमे से 3 मिलें जिनमें 4540 कामगार हैं, पश्चिम बंगाल से बाहर स्थित हैं। पटसन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों तथा पटसन मिलों को सम्पूर्ण फाईबर के लचीलेपन की अनुमति देने सम्बन्धी हाल ही के विविधीकरण कार्यक्रम की घोषणा से सम्भवत: इन बंद

पड़ी कुछ मिलों को दुबारा खोलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग के साथ इस आशय का समझौता हो गया है कि अब से खाद्यान्नों के लिए बी ट्विल के आर्डर पटसन मिलों को डी० जी० एस० एण्ड के जिरए खरीफ और रबी मौसम में चमोत्कृष मांग होने के दौरान इकटठे आर्डर देने के बजाए पूरे वर्ष चरणबद्ध तरीके से दिए जायेंगे। इस कदम का उद्देश्य पटसन माल के बाजार को स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ मांग करने वाले संगठनों को लाभ पहुंचाना है।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का विकास

367. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों/पुराने कटरों के विकास की अत्यधिक आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान समय-समय पर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की दशा सुधारने के लिए यदि कोई प्रस्तावित योजना है तो वह क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने मलिन बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहर के विभिन्न भागों में अब तक लगभग 20,000 प्लॉट बनाये मलिन बस्ती समुदायों के लिए स्कूल, पार्क, टाट-लाल, सामुदायिक प्रयोजनों के लिए खुले स्थान, सामुदाय सुविधा परिसर, बारात घरों आदि से सम्बन्धित सुविधाएं मुहैया कर दी गई हैं।

2. मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत अधिसूचित मलिन बस्तियों कटरों के निवासियों को खड़ंजों वाले मार्ग, जल आपूर्ति, मल-निर्यात, बरसाती पानी की नालियां, समुदाय भवन/बारात घर जैसी मूलभूत सुविधाएं तथा सामुदायिक विकास सुविधाएं मुहैया की जाती है।

3. दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग के नियंत्रणाधीन और प्रबन्धाधीन कटरों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटरों में संरचनात्मक सुधार की अनुमोदित प्लान स्कीम के अन्तर्गत मरम्मत की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों के घनिष्ठ समन्वय में और स्थल आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी 950 से अधिक सम्पत्तियों में मरम्मत की गई थी।

4. वर्ष 1990-91 के लिए, मलिन बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार के लिए 200 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है तथा मलिन बस्ती कटरों की मरम्मत/नवीकरण कार्यक्रम के लिए 100 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दो योजनाओं के अन्तर्गत जून, 90 तक क्रमशः 86.42 लाख रुपये और 23.29 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी।

दिल्ली में डी० डी० ए० सम्पत्ति के कब्जाधारियों को मालिकाना अधिकार

368. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डी० डी० ए० सम्पत्ति के अनेक कब्जाधारियों को मालिकाना अधिकार दिया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की पट्टा धारण सम्पत्तियों को पूर्व स्वामित्व में परिवर्तित करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

गुर्दे बेचा जाना

369. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक मे गरीब और निस्सहाय व्यक्तियों को अपने गुर्दे बेचने के लिए प्रलोभन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग सरकार का इस कुप्रथा को निरुत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सरकार ने ये रिपोर्टें देखी है कि बम्बई और मद्रास जैसी जगहों पर मानव अंगों विशेष रूप से गुर्दों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। तथापि, कर्नाटक सरकार द्वारा ऐसे कोई मामले सूचित नहीं किए गए हैं।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ गुर्दों सहित मानव अंगों के व्यापार के विनियमन की दृष्टि से सरकार एक कानून बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारतीय रुई निगम द्वारा कर्नाटक में कपास की वसूली

370. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई निगम द्वारा पिछले छह माह के दौरान कर्नाटक में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की कपास की वसूली की गई; और

(ख) भारतीय रुई निगम द्वारा चालू वर्ष के लिए कपास की वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय कपास निगम ने चालू रुई मौसम के पिछले छः महीनों के दौरान कर्नाटक से लगभग 13 करोड़ रु० मूल्य की लगभग 1.40 लाख क्विंटल कपास की खरीददारी की।

(ख) सी० सी० आई० ने वर्ष 1989-90 के दौरान कर्नाटक से 50,000 गांठ सहित रुई की 10 लाख गांठ की वाणिज्यिक खरीददारी का लक्ष्य निर्धारित किया था।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

371. श्री बलवन्त मणवर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले दो वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भविष्य में देश में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री, (श्री रशीद मसूद) : (क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां। आजमायशीतौर पर 1990-91 के दौरान 344 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

1988-89 और 1989-90 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89	1989-90	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	8
3.	असम	47	3	50
4.	बिहार	407	शून्य	407
5.	गोवा	2	1	3
6.	गुजरात	49	25	74
7.	हरियाणा	30	33	63
8.	हिमाचल प्रदेश	15	30	45
9.	जम्मू व कश्मीर	61	1	62
10.	कर्नाटक	282	306	588
11.	केरल	127	164	291
12.	मध्य प्रदेश	200	46	246

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	शून्य	107	107
14.	मणिपुर	13	6	19
15.	मेघालय	7	11	18
16.	मिजोरम	4	शून्य	4
17.	नागालैंड	4	2	6
18.	उड़ीसा	96	112	208
19.	पंजाब	85	95	180
20.	राजस्थान	300	150	450
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	384	164	548
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	503	124	627
25.	पश्चिम बंगाल	127	अप्राप्त	127
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	2	3
27.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	1	शून्य	1
29.	दमण व द्वीव	शून्य	2	2
30.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	2	शून्य	2
	योग :	2751	1388	4139

जनसंख्या पर नियंत्रण

372. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश की जनसंख्या एशिया की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;

(ख) गत पांच वर्षों में एशिया तथा भारत में जनसंख्या में औसत वृद्धि-दर कितनी-कितनी थी; और

(ग) परिवार नियोजन के अति प्रभावी तरीके का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ख) संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशन "वर्ल्ड पापूलेशन प्रासपेक्ट्स 1988" के अनुसार, एशिया और भारत की अनुमानित जनसंख्या तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार है :

वर्ष	जनसंख्या (हजारों में)		वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	एशिया	भारत	एशिया	भारत
1985	2,834,276	769,183	1.85	2.08
1990	3,108,476	853,373		

1985 और 1990 में भारत की जनसंख्या एशिया की जनसंख्या का क्रमशः 27.14 प्रतिशत और 27.45 प्रतिशत बैठती है।

(ग) परिवार नियोजन की स्वीकृति हेतु कम आयु वर्ग के तथा कम बच्चों वाले दम्पतियों को अधिकाधिक संख्या में दर्ज करने के लिए इस कार्यक्रम के बच्चों के जन्म में अन्तर रखने वाले तरीकों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तथापि, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम देश की लोकतान्त्रिक परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए एक जन आन्दोलन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है और दम्पतियों को सभी उपलब्ध तरीकों के सम्बन्ध में ब्यौरा बतलाया जाता है लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार पसंदीदा तरीके को चुनना दम्पती विशेष के ऊपर छोड़ दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चाय, दालों और साबुन की सप्लाई

373. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चाय, दालें, साबुन आदि वितरित करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं; और

(ख) किन-किन राज्यों ने इस प्रणाली के तहत सप्लाई शुरू कर दी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों का इस्तेमाल करके चाय; दालें, साबुन, आदि जैसी आम खपत की और अधिक मदों को वितरित करने पर विचार करें।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ राज्य, जैसे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि चाय, दालें, साबुन, नमक, दियासलाई, कापियां आदि जैसी एक या अधिक मदें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए सप्लाई कर रहे हैं।

महिला श्रमिकों का राष्ट्रीय औसत और केरल में उनकी प्रतिशतता

375. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला श्रमिकों का राष्ट्रीय औसत क्या है और केरल में उनकी प्रतिशतता क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम नमूना सर्वेक्षण (43वां दौर जुलाई, 1987 जून, 1988) के अनुसार, अनुमान है कि भारत और केरल में कुल नियोजित व्यक्तियों (पुरुष और महिला दोनों) की तुलना में अवसर प्रमुख तथा सहायक हैसियत में नियोजित महिलाओं की प्रतिशतता क्रमश: 33.12 और 35.14 है और भारत तथा केरल में कुल महिला जनसंख्या की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्रमश: 28.0 और 26.9 है।

दक्षिण के राज्यों में बाल श्रम

375. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के राज्यों में किसी भी राज्य से बाल श्रम के मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नवीनतम नमूना सर्वेक्षण (43वां दौर; जुलाई, 1987 जून, 1988) के अनुसार, अनुमान है कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कामकाजी बालकों (आयु 5-14 वर्ष) से संबंधित मामलों की संख्या क्रमश: 26.5 लाख, 12.9 लाख, 02.1 लाख और 12.8 लाख है।

राजस्थान में खाद्य तेलों की मिलों की स्थापना

376. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में वनस्पति तेल की मिलों की स्थापना करने अथवा इनकी स्थापना हेतु आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ तेल मिलों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) राजस्थान मे वनस्पति तेल के एकक लगाने का सरकार का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। नीति के रूप में क्षेत्रीय स्तर को ध्यान में रखे बगैर किसी भी उद्यमों/संगठन से प्राप्त आवेदन पत्रों पर, आशय पत्रों औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी देने के लिए गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने की आवश्यकता, स्थान सम्बन्धी नीति आदि जैसे बिन्दु परिणामों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) सहकारी क्षेत्र से हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार स्थित कपड़ा मिलें

[हिन्दी]

377. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कोई कपड़ा मिल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मिलों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार का बिहार में कोई वस्त्र मिल स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ऐसा निवेश करना प्राथमिकता नहीं है।

वनस्पति घी का उत्पादन

378. **श्री फूल चन्द वर्मा** :

श्री संजय लाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण गत कुछ महीनों के दौरान वनस्पति घी के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) क्या वनस्पति घी उत्पादकों द्वारा इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने वनस्पति घी के उत्पादन में सरसों के तेल के प्रयोग पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) क्या इन कारणों से वनस्पति घी के उत्पादन में कमी हुई है;

(ङ) क्या वनस्पति घी के मूल्यों में जुलाई, 1990 के दौरान काफी वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने तथा वनस्पति घी के मूल्यों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी हां। माह जून, 1990 में वनस्पति के उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई है।

(ख) जी हां। वनस्पति विनिर्माता संघों से कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) माह जुलाई, 1990 के दौरान वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि का रूख रहा है।

(च) वनस्पति घी के उत्पादन को बढ़ाने और खाद्य तेलों के मूल्यों के बढ़ते रुख को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. हाल के महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित तेलों की आपूर्ति बढ़ाई गई है।

2. खाद्य तेलों और वनस्पति विनिर्माताओं सहित थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं के पास स्टाक सीमाओं को कम किया गया है।

3. खाद्य तिलहनों की स्टाक सीमाओं को निचले स्तर पर पुनर्स्थापित किया गया है।

4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक अग्रिमों के न्यूनतम अन्तर में वृद्धि की गई है।

6. केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी विरोधी अभियान चलाने तथा मूल्य रेखा समान बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

6. तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पारम्परिक तेलों के साथ परिष्कृत अपारम्परिक तेलों के सम्मिश्रण की अनुमति दी गई है।

7. परिष्कृत रेपसीड/सरसों के तेल पर उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है।

8. सरसों के तेल के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए वनस्पति के विनिर्माण में एक्सपेलर सरसों के तेल के 20% तक प्रयोग को वापस ले लिया गया है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

379. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री गुलाब चन्द कटारिया :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
श्री काशीनाथ सोनकर :
श्रीमती बासवराजेश्वरी :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री माधवराव सिंधिया :
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री आर० गुंडू राव :
श्री अन्बारासु इरा :
प्रो० रासासिंह रावत :
श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :
श्री प्रताप राव बी० भोंसले : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष के दौरान चीनी, चाय; खाद्यान्न दाल, नमक, सीमेंट, साबुन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्य वृद्धि रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) पिछले 29 सप्ताहों के दौरान (30-12-1989 और 21-7-1990 के बीच) चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में मिश्रत रुख रहा है। इस अवधि में जहां वनस्पति, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, आलू, प्याज, अरहर, चना, गुड़ और सीमेंट के थोक मूल्य सूचकांकों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है वहां चालू, गेहूं, मूंग, चाय, चीनी, नमक और नहाने के साबुन के थोक मूल्य सूचकांकों में सामान्य वृद्धि हुई है। ज्वार, लाल मिर्च और आटा जैसी वस्तुओं के मूल्य सूचकांकों में कमी आई है, कपड़े धोने के साबुन, दियासलाई, कोक तथा मिट्टी के तेल के मूल्य सूचकांक स्थिर रहे हैं।

(ख) कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि इन कारणों से हुई कही जा सकती है : 1989-90 और पिछले वर्षों में मुद्रा आपूर्ति में तीव्र वृद्धि। कुछ आवश्यक वस्तुओं (अर्थात दालें, खाद्य तेल) के संबंध में आपूर्ति और मांग का असंतुलन; मौसमजन्य कारण और कुछ आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी के कारण स्फीतिकारी संभावनाएं तथा अन्य बातें जैसे, पेट्रोलियम उत्पादों के आकलित मूल्यों में वृद्धि, अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि और रेलवे के भाड़े और किरायों में वृद्धि इत्यादि।

(ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख पर नियन्त्रण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों उपाय किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए उपायों में मुख्यतया कम आपूर्ति वाली आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना; खाद्यान्नों की प्रभावी अधिप्राप्ति और सुरक्षित भंडार रखना; सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, मूल्य और उपलब्धता की स्थिति को मानीटर करना आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य नियामक उपायों के उपबंधों को कड़ाई से लागू करना और मूल्यों में किसी असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए, जरूरत पड़ने पर आयात के जरिए घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना शामिल है।

व्यापक बृहत आर्थिक मोर्चे पर किए गए उपायों के अतिरिक्त सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्य तेल, दालें, चाय, चीनी और सीमेंट इत्यादि जिन पर दबाव है, के बारे में भी विशेष उपाय किए गए हैं।

"सबके लिए स्वास्थ्य" योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां

380. श्री मनोरंजन भक्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सबके लिए स्वास्थ्य" योजना की उपलब्धियां इस योजना के लागू किए जाने से अब तक निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष-वार और राज्य-वार लक्ष्य प्राप्ति में कितनी कमी आई है;

(ग) लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत शीघ्रता से लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता देने और उपलब्धियों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए औषध उद्योग कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ङ) राज्यों/संघ राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

"एड्स" रोग की रोकथाम

381. श्री मनोरंजन भक्त :

श्रीमती बासवराजेश्वरी :

श्री उदयसिंह राव नानासाहेब गायकवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार "एड्स" रोग की रोकथाम के लिए किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) देश में "एड्स" रोग के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) गत तीन महीनों के दौरान आज तक "एड्स" रोग से ग्रस्त कितने रोगियों का पता लगाया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया।

इस कार्यक्रम के मुख्य घटक-निगरानी, स्वास्थ्य शिक्षा और रक्त तथा उत्पादों की निरापदता हैं। वर्ष 1990-91 में इन पर लागत 350 लाख रुपये है।

(ग) हमारे देश में एच० आई० वी० संक्रमण का संचरण की मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हैं :

1. विषम लैंगिक स्वैरता (हैटरो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी) से;

2. रक्त और रक्त उत्पादों के माध्यम, और

3. मां से बच्चे को।

(घ) पिछले 3 महीनों के दौरान देश में पता लगाए गए एड्स के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

अप्रैल	—शून्य
मई	—4
जून	—शून्य
योग	—4

एड्स के रोगियों से अभिप्राय उन संक्रामित व्यक्तियों से है, जो पूरी तरह से इस रोग से ग्रस्त हैं। जून, 1990 के अन्त तक जांचे गए अत्यधिक खतरे वाले 4.96 लाख व्यक्तियों में से 2604 व्यक्तियों को एच० आई० वी० वायरस से संक्रमित पाया गया।

बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए एहतियाती कदम

382. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने गांव तथा कितने लोग बाढ़-प्रवण क्षेत्र में हैं;

(ख) बाढ़ों के प्रकोप को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में कितनी जीवन रक्षक नौकाएं दी गई हैं तथा प्रति नौका व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कितना है;

(घ) क्या ये नौकाएं मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों को पर्याप्त संख्या में नौकाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) किसी एक वर्ष में बाढ़ से प्रभावित हुए अधिकतम क्षेत्र के मापदण्ड के आधार पर, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट (1980) के अनुसार बाढ़ों से प्रभावित होने वाला राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1988 में देश व्यापी बाढ़ों से लगभग 88000 गांव तथा 535 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए थे।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा पहले से की गई सामान्य राहत व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग अन्तर्राज्यीय नदी बेसिन पर देश भर में फैले 157 केन्द्रों से बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ चेतावनियां जारी करता है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर नावों की व्यवस्था करती है। यदि उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो यह सैन्य (मिलिटरी) प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है।

विवरण

बाढ़ों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र

क्षेत्र-लाख हेक्टेयर में

क्र० सं०	राज्य	बाढ़ों से प्रभावित होने वाला क्षेत्र (1978)
1.	आंध्र प्रदेश	13.9
2.	असम	31.5
3.	बिहार	42.6
4.	गुजरात	13.9
5.	हरियाणा	23.5
6.	हिमाचल प्रदेश	2.3

1	2	3
7.	जम्मू और कश्मीर	0.8
8.	कर्नाटक	0.2
9.	केरल	8.7
10.	मध्य प्रदेश	2.6
11.	महाराष्ट्र	2.3
12.	मणिपुर	0.8
13.	मेघालय	0.2
14.	उड़ीसा	14.0
15.	पंजाब	37.0
16.	राजस्थान	32.6
17.	तमिलनाडु	4.5
18.	त्रिपुरा	3.2
19.	उत्तर प्रदेश	73.36
20.	पश्चिम बंगाल	26.5
21.	दिल्ली	0.5
22.	पांडिचेरी	0.1
	कुल :	335.16

अर्थात 34 मिलियन हेक्टेयर

जल संसाधन प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण परियोजना

383. **डा० असीम बाला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एस० ए० आई० डी० द्वारा सहायता प्राप्त जल संसाधन प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण परियोजना का उन संबंधित राज्य (राज्यों) को सिंचाई प्रणाली प्रबन्ध दृष्टिकोण/तकनीक नीति के सुधार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जहां परियोजना वर्ष 1983 से कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना देश की सिंचाई की सम्भाव्यताओं के बेहतर प्रबन्ध में कहां तक सहायक हुई है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के इंजीनियरों को सेवा प्रशिक्षण का लाभ देने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) यू० एस० ए० आई० डी० से सहायता प्राप्त जल संसाधन प्रबन्ध और प्रशिक्षण परियोजना का उद्देश्य प्रभावी जल वितरण प्रणालियों के प्रबन्ध और नदी बेसिन जल संसाधन आयोजना और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी भारतीय संस्थानों और मानव संसाधनों की कार्य क्षमता को सुदृढ़ करना है। इसके लिए 11 राज्यों में जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान गठित किए गए हैं तथा अनेक प्राथमिक संस्थान इस परियोजना से सम्बद्ध रही हैं। नदी बेसिन आयोजना और प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते एक केन्द्रीय प्रशिक्षण एकक का गठन किया गया है। राज्य के सिंचाई और कृषि विभागों के अधिकारियों को इन संस्थानों में तथा विदेशों के चुनिन्दा संस्थानों/संगठनों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जल संसाधनो के इष्टतम उपयोग के लिए अनेक अनुसंधान अध्ययन सम्बन्धी कार्य शुरू किए गए हैं। इन प्रयासों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने तथा हमारी जल प्रबन्ध/उपयोग पद्धतियों को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध सेवारत प्रशिक्षण सुविधाओं में सभी राज्य भाग ले सकते हैं।

(घ) केन्द्रीय प्रशिक्षण एकक द्वारा बेसिन आयोजना पर पाठ्यक्रम नियमित रूप से चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विकसित जल प्रबन्ध पद्धतियों पर चुनिन्दा अमेरिकन संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन दौरों के वास्ते भी प्रतिभागियों को नामांकित किया जाता है।

दिल्ली में सरकारी कालोनियों में बरामदों को ग्लेजिंग न किया जाना

384. **श्री राम सागर (सैदपुर)** :

श्री नन्द लाल मीणा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रामकृष्ण पुरम और सरकार की अन्य आवासीय कालोनियों के निवासियों में, अपने परिवार में बढ़ती उम्र के सदस्यों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को देखते हुए बरामदों की ग्लेजिंग हो पाने के कारण भारी असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली धनराशि की पहले ही दी जा चुकी स्वीकृति से चिपटे रहने सम्बन्धी कड़ा रुख त्यागने तथा टाईप दो और तीन के क्वार्टरों में बरामदे को कवर करने के खर्च को पूरा करने हेतु धनराशि का आवंटन बढ़ाने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पुराना कड़ा रुख न त्यागने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) इस मामले में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और बरामदों की ग्लेजिंग सहित सरकारी रिहायशी वास में परिवर्धनों/परिवर्तनों पर लगी अधिकतम वित्तीय सीमा को बढ़ाने के प्रश्न की पुन: जांच की जा रही है।

गाजीपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

385. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस समिति ने वर्ष 1964 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का अध्ययन किया था उस समिति ने वहां फल संरक्षण और डिब्बाबन्दी उद्योग स्थापित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस रिपोर्ट को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं और क्या इसे अब कार्यान्वित करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी केन्द्र/क्षेत्रों का विकास

386. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और वर्ष 1985 में क्रमशः नियुक्त की गई कृति बल और शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में निकासीय प्रदानों के लिए किन-किन शहरी केन्द्रों/क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ख) पता लगाए गए केन्द्रों/क्षेत्रों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी दल में छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के सुनियोजित विकास के संबंध में सिफारिशें दी थी। तथापि, कर्मी दल ने विकासार्थ किसी विशिष्ट क्षेत्रों अथवा केन्द्रों की शिनाख्त नहीं की थी क्योंकि यह उसके विचारार्थ विषयों का भाग नहीं था।

इस कर्मीदल की सिफारिशों से संकेत पाकर, छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में किया गया था और यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहा।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की, आर्थिक सवेग के सृजकों के रूप में 329 कस्बों की शिनाख्त की और सुझाव दिया कि आर्थिक सवेग के इन सृजकों पर विकासात्मक प्रयोजनार्थ अग्रता के आधार पर विचार किया जाना चाहिये। उन्होंने विकासात्मक प्रयोजनार्थ 49 स्थानिक अग्रता शहरीकरण क्षेत्र की भी शिनाख्त की।

छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 380 छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों को छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई जिसमें से 157 कस्बे वे हैं जिनकी शिनाख्त राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा की गई है। इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को 143.62 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा शिनाख्त किये गये कस्बों सहित छोटे तथा मध्य दर्जे के

कस्बों को आठवीं योजना अवधि के दौरान सहायता की किस्म आठवीं योजना की किस्म तथा आकार पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा सरकारी विभागों में सप्लाई हेतु एजेंटों की नियुक्ति

[हिन्दी]

387. **प्रो० महादेव शिवनकर :**

श्री राम प्रसाद चौधरी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम और राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डी० पी० आर०) लिमिटेड ने रक्षा और अन्य सरकारी विभागों को सप्लाई करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंटों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए इन एजेंटों की नियुक्ति करना आवश्यक है; और

(घ) यदि नहीं, तो एजेंटों की नियुक्ति करने के क्या कारण हैं और इस परिहार्य खर्च के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

388. **प्रो० महादेव शिवनकर :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड से भर्ती और पदोन्नति के मामलों में पदों के आरक्षण सम्बन्धी सरकारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

389. **प्रो० महादेव शिवनकर :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन अन्तर्राज्यीय जल विवादों को हल किया जाना बाकी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार देश में जल संसाधनों के समान और नीतिसंगत वितरण के लिए क्या कदम उठा रही है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) कावेरी जल के

बंटवारे तथा रावी-व्यास के अधिशेष जल के बंटवारे से संबंधित दो जल विवादों को अधिकरणों को सौंपा जा चुका है, निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ख) राज्यों को अपनी मास्टर प्लान पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों के वैज्ञानिक इष्टतम विकास के बारे में विचार करने तथा अन्तर्बेसिन अंतरणों जहां कहीं आवश्यक और व्यवहार्य हो, के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण स्थापित किया गया है।

हथकरघा बुनकरों के लिए आरक्षित कपड़ा

390. **प्रो० महावीर सिंह ठाकुर :**

श्री रामप्रसाद चौधरी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए आरक्षित 22 प्रकार के कपड़ों को कम करके 10 प्रकार का कर दिया है;

(ख) क्या आरक्षित किस्म के कपड़े की किस्म को कम करने से मिलों की तुलना में बुनकरों के हितों की हानि पहुंचेगी; और

(ग) सरकार ने इन बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए क्या प्रबंध है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार हथकरघा बुनकरों को संरक्षण प्रदान करने तथा विशेष रूप से हथकरघों पर उत्पादन के लिए वस्तुओं के आरक्षण की नीति के लिए वचनबद्ध है। इसीलिए सरकार संविधान की नौवी अनुसूची में हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन हेतु शीघ्र ही एक विधेयक ला रही है। इसके साथ ही आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के लिए सृजित केन्द्रीय एवं राज्य प्रवर्तन तन्त्र को और मजबूत करने का भी प्रस्ताव है।

मणिपुर में "एड्स" के विषाणु

[अनुवाद]

391. **श्री धर्मेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मणिपुर राज्य में नशीली दवाओं के सेवन से वृद्धि तथा नशीली दवाओं के आदि व्यक्तियों द्वारा राज्य में एड्स के विषाणु फैलाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मणिपुर राज्य की उस स्थिति के बारे में कोई गहन अध्ययन कराया है; और

(ग) हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ग) एच० आई० वी० संक्रमण/एड्स सम्बन्धी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मणिपुर राज्य को मुख्यालयों से एक दल भेजा गया था। यह देखा गया कि संक्रमण का सम्भावित स्रोत मुख्यत: वे व्यक्ति हैं जो अन्त:शिरा नशीली औषधों का दुरुपयोग करते हैं। मणिपुर में सीरो पाजिटिव मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
आई० वी० औषधों का दुरुपयोग करने वाले	415	15	430
रक्त दाता	16	—	16
यौन संचारित रोग से पीड़ित रोगी	2	—	2
कुल	433	15	448

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जे० एन० अस्पताल, इम्फाल में एड्स यूनिट की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये की राशि और 10 लाख रुपये की और राशि लक्षित समूहों अर्थात युवा वर्ग और कालेज जाने वाले छात्रों और रक्त दाताओं के लिए एड्स सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का विकास करने के लिए दी है।

बिहार की सिंचाई और बाढ़ परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटन

[हिन्दी]

392. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) आबंटित की गयी धनराशि में से इन परियोजनाओं पर अब तक वर्ष-वार, कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए मन्जूर की गयी पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) इन परियोजनाओं में से किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है। राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम के अनुसार वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते 806 करोड़ रुपए की तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 77 करोड़ रुपए की राज्य की अनुमोदित

योजना परिव्यय में से पिछले दो वर्ष अर्थात 1988-89 और 1989-90 के दौरान राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 720 करोड़ रुपए तथा 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

सरकारी उपक्रमों में हड़ताल

393. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के किन-किन उपक्रमों में गत दो वर्षों के दौरान हड़तालें हुई;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की कितनी हानि हुई; और

(ग) इस हानि को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम रही है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी का उत्पादन और मूल्य

394. श्री आर० एन० राकेश :

श्री संजय लाल :

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष चीनी की मांग की तुलना में उसके उत्पादन की क्या सम्भावना है;

(ख) देश में चीनी की वार्षिक मांग और पूर्ति का आकलन क्या है;

(ग) क्या चीनी का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में इसके मूल्य स्थिर नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और चीनी के बढ़ते मूल्यों में बढ़ोतरी रोकने हेतु अब तक उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन और आवश्यकता क्रमशः लगभग 109 लाख टन और 103-104 लाख टन होने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में चालू मौसम के दौरान चीनी की कीमतें (पिछले कुछ महीनों से) सामान्यतौर पर स्थिर रहीं।

मुम्बई में "एड्स"

[अनुवाद]

396. श्री आर० एन० राकेश :

श्री उदयसिंह राव नानासाहिब गायकवाड़ :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री कैलाश मेघवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 1995 तक मुम्बई की प्रत्येक तीसरी महिला "एड्स" रोग से प्रभावित हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस खतरनाक रोक फैलने से रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर दिया जाएगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

397. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री पी० एम० सईद :

डा० ए० के० पटेल :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कर्मचारी यूनियन ने तथा तकनीकी कर्मचारियों ने 18 जुलाई, 1990 से तीन दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) कर्मचारियों की मुख्य शिकायतें क्या हैं;

(घ) इन मांगों के पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) इस संस्थान के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए प्रो० टन्डन की अध्यक्षता में गठित कैरियर डेवलेपमेंट समिति ने क्या सिफारिशें की है; और

(च) सरकार ने टण्डन समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कर्मचारी यूनियन जिसमें तकनीकी कर्मचारी भी शामिल हैं, अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 17 से 19 जुलाई, 1990 तक तीन दिन प्रात: 8 बजे से प्रात: 11 बजे तक सांकेतिक हड़ताल पर तथा उसके उसके बाद फिर 24 जुलाई, 1990 को एक दिन की हड़ताल पर रही :

(I) कैरियर डेवलपमेंट कमेटी की सिफारिशों का कार्यान्वयन। (II) एक बार संवर्ग समीक्षा का लाभ जो 1984 में आरम्भ किया गया था, शेष कर्मचारियों को भी दिया जाए।

कैरियर डेवलपमेंट कमेटी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है—

(क) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपने ग्रेड/पद में पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर को नियमित सेवा के 5 वर्ष पूरे कर लिए है; पदोन्नति पर विचार किए जाने के पात्र होंगे।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत कम-से-कम तीन पदोन्नतियां होंगी।

(ग) इस स्कीम के अन्तर्गत हुई पदोन्नति कर्मचारियों पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी और जैसे ही उस कर्मचारी द्वारा वह पद रिक्त होगा, तब उसे उस स्तर पर भरा जाएगा जिस स्तर पर उस पद सृजन हुआ।

(घ) यह पहली जनवरी, 1989 से लागू होगा।

कैरियर डेवलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने सम्बन्धी कर्मचारी यूनियन की मांग पर सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक विचार किया गया है और उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

बहरहाल, शेष कर्मचारियों को एक बार संवर्ग समीक्षा लाभ देने की दूसरी मांग पर जिसे 1984 में आरम्भ किया गया था, विचार किया जा रहा है।

बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की बैठक

[हिन्दी]

398. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या जून, 1990 के तीसरे सप्ताह के दौरान दिल्ली में बाण सागर बांध नियन्त्रण बोर्ड और कार्य समिति की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां तो इस बैठक में क्या निर्णय किए गए;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने बाण सागर बांध के निर्माण हेतु 1990-91 के दौरान पर्याप्त धनराशि आबंटित कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इन दोनों राज्यों द्वारा बाण सागर बांध के निर्माण हेतु पृथक-पृथक रूप से कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ङ) क्या उन गांवों के निवासियों को, मार्च, 1991 तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा, जिनकी भूमि, वृक्ष और मकान बांध बनने से जलमग्न हो जाएंगे; और

(च) नहरों का निर्माण और पन बिजली केन्द्रों की स्थापना का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) बाणसागर नियन्त्रण बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक 19-6-90 को आयोजित की गयी थी।

(ख) समिति ने, कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के बाद वर्ष 1990-91 के लिए निधियों की आवश्यकता पर विचार किया।

(ग) राज्य सरकार द्वारा निधियां किस्तों में निर्मुक्त की जाती हैं।

(ग) कार्यकारिणी समिति ने 1990-91 के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार प्रत्येक से 14.34 करोड़ रुपए का योगदान निश्चित किया है।

(ङ) भूमि सम्पत्ति और वृक्षों के अधिग्रहण के लिए मुआवजे पर जून, 1990 तक लगभग 49.2 करोड़ रुपए की राशि पहले ही व्यय की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास 1.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह कार्य वास्तविक जलमग्नता की अनुसूची से काफी पहले किया गया है।

(च) निधियों के उपलब्ध होने पर नहर का निर्माण कार्य सन 2000 तक तथा विद्युत घरों का सन् 1995 तक।

पेप्सी खाद्य संयन्त्रों में पूंजी निवेश रोजगार

[अनुवाद]

399. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी खाद्य परियोजना की पंजाब में जहुरा में फल प्रसंस्करण संयन्त्र में कितना पूंजी निवेश किया गया है और वहां कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) चन्नो स्थित आलू और अनाज प्रसंस्करण संयन्त्र में कितना पूंजी-निवेश किया गया है और इस परियोजना में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) चन्नो स्थित शीतल पेय सांद्र संयन्त्र में इस कम्पनी ने कितना पूंजी निवेश किया है और इस संयंत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी भी उपलब्ध हो पायेगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेप्सी फूड्स परियोजना का कृषि अनुसंधान केन्द्र

400. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी फूड्स की कृषि अनुसंधान और कृषि अनुसंधान केन्द्र के लिये प्रस्तावित 100 एकड़ फार्म सम्बन्धी परियोजना की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विकसित बीजों की नई किस्मों आदि का ब्यौरा क्या है इससे पंजाब के किसानों को कितनी सहायता मिली है; और

(ग) इस परियोजना से कितने कृषि अनुसंधान से संबंधित कार्य में अन्य कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी भी उपलब्ध हो पायेगा, सभापटल पर रख दी जायेगी।

शिशु मृत्यु-दर

401. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अत्यधिक बढ़ती शिशु मृत्यु दर से अवगत है;

(ख) किन राज्यों में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है; और

(ग) शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु कौन से उपाय किए गए अथवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर में कमी आने का पता चला है वर्ष 1988 में यह दर 94 थी जबकि 1984 में 104 थी। 1984 से 1988 के दौरान बड़े राज्यों तथा अखिल भारतीय राज्य-वार शिशु मृत्यु दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बड़े राज्यों में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश का स्थान है।

(ग) शिशु मृत्यु पर नियन्त्रण रखने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ पारम्परिक दाइयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गहन कार्यक्रम चलाना, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, स्वास्थ्य जनशक्ति को प्रशिक्षण देना, जच्चा बच्चा और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यों को तेज करना, सभी बच्चों को रोग रक्षित करना, अतिसार रोग नियन्त्रण के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी को बढ़ावा देना, तीव्र श्वसनी संक्रमण की रोकथाम करना, स्तनपान को बढ़ावा देना तथा दूध छुड़ाने के उचित उपाय करना पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता तथा महिला और बाल विकास विभाग के समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत पूरक आहार की योजना शामिल है।

विवरण

बड़े राज्यों तथा अखिल भारतीय अनुमानित शिशु मृत्यु दर 1984-1988

क्रम सं०	बड़े राज्य	शिशु मृत्यु दर				
		1984	1985	1986	1987	1988
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	78	83	82	79	83
2.	असम	99	111	109	102	99
3.	बिहार	95	106	101	101	97
4.	गुजरात	106	98	107	97	90
5.	हरियाणा	101	85	85	87	90
6.	हिमाचल प्रदेश	90	84	88	82	80
7.	जम्मू और कश्मीर	78	85	81	71	71
8.	कर्नाटक	74	69	73	75	74
9.	केरल	29	31	27	28	28

1	2	3	4	5	6	7
10	मध्य प्रदेश	121	122	118	120	121
11.	महाराष्ट्र	76	68	63	66	68
12.	उड़ीसा	131	132	1[illegible]3	126	122
13.	पंजाब	65	71	68	62	62
14.	राजस्थान	122	108	107	102	103
15.	तमिलनाडु	7[illegible]	81	80	76	74
16.	उत्तर प्रदेश	155	142	132	127	124
17.	पश्चिम बंगाल	82	74	71	71	69
	भारत	104	97	96	95	94

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगें

402. **श्री संजय लाल :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगें मंजूर करने हेतु सरकार से मई, 1990 में पुन अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिद्धांत रूप में उनकी मांगें मंजूर कर ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कामगार संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मई, 1990 में सरकार को एक ज्ञापन दिया। सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की इन मांगों को स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि यह उस आई० सी० डी० एस० योजना के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा जो अंशकालिक आधार पर काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं की स्वेच्छा और सामुदायिक भागेदारी पर आधारित है। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया है और सुनवाई की अगली तारीख 6 नवम्बर, 1990 है। मामला अदालत में विचाराधीन है।

विश्वायतन योगाश्रम के प्रशिक्षार्थियों की मांगें

[हिन्दी]

403. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और कटरा स्थित विश्वायतन योगाश्रम के कर्मचारी और प्रशिक्षणार्थी गत कई महीनों से हड़ताल पर है और इन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन भी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रशिक्षार्थियों और कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार ने इनकी मांगें पूरी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदान में से खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) कर्मचारी और प्रशिक्षणार्थी हड़ताल पर नहीं गए थे। लेकिन, उन्होंने मई, 1990 के महीने में प्रदर्शन किया था।

(ख) उनकी प्रमुख मांगें सरकार द्वारा विश्वायतन योगाश्रम के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने, की गई कथित अनियमितताओं की जांच करवाने, विश्वायतन योगाश्रम द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने और उन्हें मान्यता देने तथा तालाबन्दी को समाप्त करने के बारे में थीं। इस मन्त्रालय ने विश्वायतन योगाश्रम के, जो एक निजी पंजीकृत सोसाइटी है, प्रबन्ध न्यासियों को सलाह दी थी कि वे शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदानों के लिए सम्पर्क करें।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्वायतन योगाश्रम के प्रबन्ध न्यास द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वायतन योगाश्रम को जारी किए गए अनुदानों तथा उसके द्वारा वेतन आदि पर किए गए खर्च का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	रिलीज किए गए अनुदान	व्यय
1985-86	8.00 लाख	7.98 लाख
1986-87	7.00 लाख	8.50 लाख
1987-88	7.00 लाख	9.60 लाख
1988-89	5.00 लाख	14.34 लाख
1989-90	5.00 लाख	7.74 लाख, 28-2-1990 तक

चीनी, चाय और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

404. **प्रो० मधुनाथ पांडेय :**

श्री पी० सी० थामस :

श्री सी० डी० गामित :

प्रो० के० वी० थामस :

श्री कल्पनाथ राय :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री टी० बशीर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी, खाद्य तेल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली अन्य उपभोक्ताओं के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस वृद्धि का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले गेहूं और चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य हाल ही में बढ़ाया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

गेहूं : 1-5-1990 से 204 रु० से बढ़ाकर 234 रु० प्रति क्विंटल

चावल : कॉमन किस्म

244 रु० से बढ़ाकर 289 रु० प्रति क्विंटल

फाइन किस्म

304 रु० से बढ़ाकर 349 रु० प्रति क्विंटल

सुपर फाइन किस्म

325 रु० से बढ़ाकर 370 रु० प्रति क्विंटल

चावल के मूल्यों में वृद्धि 25-6-1990 से की गई है।

चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसी अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के मूल्यों में हाल में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। इन दो वस्तुओं के निर्गम मूल्य, गेहूं और धान के समर्थन मूल्यों में वृद्धि और खाद्य राजसहायता को नियन्त्रित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संशोधित किए गए हैं। सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य सम्पूर्ण आर्थिक लागत को पूरा नहीं करते हैं तथा राज सहायता के रूप में बहुत बड़ा वित्तीय बोझ सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः उक्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जा सका।

कावेरी जल विवाद

[अनुवाद]

405. **श्री उत्तम राठौड़ :**

श्री वी० कृष्ण राव :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कावेरी जल विवाद को उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के विचारार्थ विषय क्या है और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) न्यायाधिकरण स्थापित करने के बारे में सम्बन्धित राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यह न्यायाधिकरण अपने निष्कर्षों को कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) न्यायाधिकरण का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चित्ततोष मुकर्जी हैं तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एस० डी० अग्रवाल और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एन० एस० राव इसके सदस्य हैं। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है।

(ग) सभी चारों बेसिन राज्यों ने न्यायाधिकरण के समक्ष कार्य हेतु अपने प्रतिनिधियों को नामांकित कर दिया है तथा 28-7-1990 को न्यायाधिकरण द्वारा की गई पहली सुनवाई के दिन सभी राज्यों के चारों प्रतिनिधि मौजूद थे।

(घ) न्यायाधिकरण के वास्ते कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराना

406. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक्टर, विशेषकर नए ग्रेजुएट डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना पसन्द नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने नए ग्रेजुएट डाक्टरों के लिए ग्रामों में कम से कम पांच वर्ष सेवा वर्ष सेवा करना अनिवार्य कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की सेवाएं अनिवार्य करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) अब तक जो सूचना उपलब्ध है, 31 मार्च, 1990 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे चिकित्सा अधिकारियों के 24,332 पदों में से केवल 4084 पद रिक्त थे जो कि 16.8 प्रतिशत के लगभग है। किसी सेवा अथवा संगठन में 12 से 13 प्रतिशत तक हमेशा रिक्तियां रहती हैं जो पदधारियों की मृत्यु होने, त्याग-पत्र देने/स्थानान्तरण इत्यादि के कारण होती हैं। ऊपर दी गई सूचना भी सही आंकड़े प्रदर्शित नहीं करती है क्योंकि कुछ राज्यों के आंकड़े 31 दिसम्बर, 1989 बल्कि 1-87 से भी सम्बन्धित हैं। बहरहाल यह एक आम शिकायत है कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों मे सेवा करना पसन्द नही करते।

(ख) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने फरवरी, 1989 में हुई अपनी बैठक में सिफारिश की कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सरकारी सेवा मे आने वाले

सभी व्यक्तियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी अपवाद के 2 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य बना दें। इस सिफारिश को सभी सम्बन्धितों को परिचालित कर दिया गया है। अब तक जो सूचना उपलब्ध है, निम्नलिखित राज्यों ने डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य बना दिया है अथवा चिकित्सा छात्रों से स्नातक स्तर के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए बांड ले लिये है :

(क) वे राज्य जिन्होंने डाक्टरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य बना दिया है :

(1) गुजरात

(2) केरल (एक वर्ष)

(3) तमिलनाडु

(4) कर्नाटक

(ख) वे राज्य जो छात्रों से बांड ले रहे हैं :

(1) महाराष्ट्र

(2) मेघालय

राजस्थान में सिंचाई सुविधाएं

407. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) इस संबंध में क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नेहरू रोजगार योजना

408. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाएगी जिसे बाद में छोटे-छोटे उद्यमों, मंजूरी रोजगार और "आवास और शहरी आश्रय स्थलों" में सुधार के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के वित्त पोषण करने के लिए शहरी निकायों को जारी की जाएगी; और

(ख) दोबारा तैयार की गई योजना और इस वर्ष के लिए निर्धारित किए गए राज्य-वार लक्ष्यों का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 1990-91 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के लिए केन्द्रीय बजट में 119.80 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध की जाने वाली प्रस्तावित योजना वार निधियां इस प्रकार हैं :

	रुपए करोड़ों में
(i) लघु उद्यम	12.75
(ii) शहरी मजदूरी रोजगार	58.50
(iii) आवास एवं आश्रय उन्नयन	36.00
(iv) प्रशासनीय और परिचालन व्यय (सभी योजनाएं)	6.69
(v) पुन: स्थापन के लिए आरक्षित	5.63
(vi) बिना विधान मंडल के संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया राज्य अंश	0.23
	119.80 रुपये

(ख) दोबारा तैयार की गई योजना के ब्यौरे और राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

दोबारा तैयार की गई नेहरू रोजगार योजना के संक्षिप्त ब्यौरे

नेहरू रोजगार योजना गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी बेरोजगार और अर्द्ध-रोजगार वाले निर्धनों के लिए बनाई गई है। 1989-90 के दौरान केन्द्रीय निधियां प्रत्यक्षत: शहरी स्थानीय निकायों (3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए) और राज्यों में—संघ राज्य क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों के अतिरिक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सौंप दी गई थीं जहां तक, पहाड़ी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय निधियां सीधे ही सम्बन्धित पहाड़ी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/प्रशासक को रिलीज की गई थीं।

2. चालू वित्तीय वर्ष से नेहरू रोजगार योजना के लिए केन्द्रीय निधियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अथवा उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ उनके द्वारा नामित एकल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संगठन को रिलीज की जाएंगी। संशोधित मार्ग निदेशनों के अनुसार राज्य स्तर, जिला स्तर स्थानीय निकाय अथवा शहरी लघु लघु उद्यम और शहरी मजदूरी रोजगार की योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले अन्य अभिकरणों को इन निधियों का आवंटन करने में राज्य सरकारें स्वतन्त्र होंगी। निधियों के अंतरण और इसका हिसाब रखने के लिए विस्तृत पद्धति को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि :

(क) प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की शहरी जनसंख्या आधार पर निधियों का संविभाजन।

(ख) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों द्वारा निधियों की समय पर प्राप्ति।

(ग) निधियां कालातीत न हों।

(घ) कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अपने स्वयं के भाग के रूप में तत्परता से अदायगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यान्वयन की गति बनी रहे।

3. राज्य सरकारों को राज्य, राज्य स्तर अभिकरणों, जिला शहरी विकास अभिकरणों, स्थानीय प्राधिकरणों के स्तर पर शहरी लघु उद्यम और शहरी मजदूरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक प्रबंध निर्धारित करने में पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

4. शहरी लघु उद्यम योजना के तहत प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रदर्शन और कार्य-कुशलता उन्नयन उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे। जिला/राज्य अभिकरणों द्वारा प्रशिक्षण रूप-रेखा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों/सेवाओं के लिए मांग को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

5. पहाड़ी राज्यों में विशेष स्थितियों को देखते हुए, उन्हें आवास तथा आश्रय उन्नयन की योजना एक लाख से कम जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में भी लागू करने की अनुमति दी जाएगी। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर यह योजना मामला-दर-मामला आधार पर नए विकासशील औद्योगिक नगरों पर भी लागू की जा सकती है।

विवरण

वर्ष 1989-90 के दौरान नियतित और 1990-91 के दौरान नियतन के लिए प्रस्तावित निधियों के आधार पर नेहरू रोजगार योजना की तीन योजनाओं के लिए अनुमानित लक्ष्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहरी लघु उद्यम योजना		शहरी मजदूरी रोजगार योजना	आवास तथा आश्रय उन्नयन योजना	
	यूनिट	प्रशिक्षार्थी	कार्य दिवस	कार्य दिवस	प्रशिक्षार्थी
			(लाख में)		
आन्ध्र प्रदेश	12300	2900	9.00	5.75	2900
बिहार	11000	2550	12.85	6.10	2600
गोवा	300	60	0.55	2.85	50
गुजरात	6000	1400	8.45	0.80	1450
हरियाणा	1700	400	12.70	4.90	400
कर्नाटक	10500	2450	11.85	2.20	2500
केरल	5000	1100	3.85	5.25	1150
महाराष्ट्र	13000	3000	16.65	5.20	2700
मध्य प्रदेश	10800	2600	12.80	1.50	2700
उड़ीसा	3200	700	5.85	1.50	750
पंजाब	3300	700	4.70	3.00	800
राजस्थान	6400	1500	10.00	6.00	1550

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	15000	3400	9.90	12.80	3100
उत्तर प्रदेश	28000	6400	40.85	4.60	6500
पश्चिमी बंगाल	12000	2700	8.15	0.10	2350
अरुणाचल प्रदेश	400	150	0.20	0.05	70
असम	1800	550	3.10	0.70	400
हिमाचल प्रदेश	800	300	0.85	0.10	140
जम्मू तथा कश्मीर	1400	450	0.95	0.30	250
मणिपुर	600	200	0.70	0.10	100
मेघालय	400	150	0.25	0.05	90
मिजोरम	300	100	0.40	0.05	50
नागालैंड	500	200	0.30	0.10	90
सिक्किम	400	140	0.35	0.05	60
त्रिपुरा	300	100	0.65	0.05	60
अण्डमान तथा निकोबार	200	40	0.10	0.01	20
चण्डीगढ़	400	70	0.10	0.15	80
दमन तथा द्वीव	300	70	0.10	0.01	30
दादर तथा नगर हवेली	200	40	0.05	0.02	20
लक्षद्वीप	200	40	0.35	0.01	20
पांडिचेरी	300	90	0.25	0.10	80
दिल्ली	1800	410	—	0.10	50
योग	148800	34960	176.90	64.50	35110
	(यानि 1.50 लाख)		(यानि 177)		

टिप्पणी :— 1. स्थापित किए जाने वाले सम्भावित स्व-रोजगार उद्यम — 1.50 लाख

2. उत्पन्न किए जाने वाले सम्भावित मजदूरी श्रम के कार्य दिवस — 240 लाख कार्य दिवस

3. प्रशिक्षित किये जाने वाले सम्भावित लाभ ग्राही — 0.70 लाख

चीनी का खुदरा मूल्य

409. श्री फूल चंद वर्मा : : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 से जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बाजारों में महीने-वार चीनी का खुदरा मूल्य कितना था; और

(ख) वर्तमान संभावनाओं के आधार पर जुलाई-दिसम्बर, 1990 के दौरान चीनी का कितना खुदरा मूल्य रहने का अनुमान है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार आने वाले महीनों के दौरान पर्याप्त मात्रा में मासिक खुली बिक्री की चीनी जारी करके और अन्य नियामक उपायों खुले बाजार में उचित कीमतों पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

विवरण

प्रमुख बाजारों में चीनी की खुदरा कीमतें

(स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

मौसम (1988-89)   (आंकड़े रुपये प्रति किलोग्राम)

को	दिल्ली एम-30	दिल्ली एस-30	कानपुर एस-30	कलकत्ता एस-30	बम्बई एम-30	बम्बई एस-30	मद्रास एस-30
1	2	3	4	5	6	7	8
जनवरी-89							
6	7.00	6.80	7.25	7.50	6.77	7.10	6.40
13	7.00	6.80	7.30	7.50 (2)	7.20	7.00	6.20
20	7.00	6.80	6.75		7.15	6.90	6.30
31	7.00	7.00	6.75	7.30 (30)	7.15	7.00	6.30
फरवरी-89							
7	7.30	7.00	6.75	7.30	7.30	7.20	6.30
15	7.25	7.00	6.75	7.30	7.25	7.20	6.30
22	7.25	7.00	6.75 (17)	7.30 (20)	7.10	6.50	6.20
28	7.40	7.10		7.30	7.50	7.30	6.40

1	2	3	4	5	6	7	8
मार्च-89							
7	7.40	7.10		7.30 (3)	7.20	6.90	6.56
15	7.40	7.10		7.50	7.55	7.35	6.60
21	7.40	7.00		7.50	7.50	7.30	6.60
31	7.50	7.20		7.50 (27)	7.65	7.50	7.00
अप्रैल-89							
7	7.50	7.20		7.50	7.80	7.70	7.00
13	7.60	7.30		7.60	7.85	7.70	7.20
21	7.70	7.50		7.80	7.95	7.90	7.20
23	7.90	7.70		8.00	8.10	8.00	7.40
मई-89							
7	8.00	7.80		8.00 (2)			7.40
15	8.00	7.80		8.50 (12)	8.60	8.40	7.40
22	8.00	8.00		8.60 (17)	8.70	8.60	7.60
31	8.20	7.90		8.50 (29)	8.50	8.30	8.20
जून-89							
7	8.00	7.75		8.50 (1)	8.20	8.00	7.30
15	8.20	8.00	8.00	8.50	8.40	8.00	7.20
22	8.20	8.00		8.50 (21)	8.15	7.90	7.10
30	8.60	8.40	8.00 (15)	8.50 (28)	8.90	8.75	7.60

1	2	3	4	5	6	7	8
जुलाई-89							
7	9.00	8.80		8.80 (4)	9.10	8.90	7.80 (6)
13	9.20	9.00			9.20	9.00	7.90
21	9.20	9.00	8.75	9.00 (20)	9.20	9.00	7.90
31	9.40	9.20	8.75 (21)	9.00 (27)	10.10	10.00	8.50
अगस्त-89							
7	9.50	9.30	9.00	9.40 (3)	10.50 (3)	10.40 (3)	8.50
14	9.60	9.40	9.25	9.60	10.00	9.85	8.90
21	10.00	9.80		10.40 (17)	10.15	10.00	9.20
31	10.30	10.20	9.75 (25)	10.50 (29)	10.15	9.90	9.20 (29)
सितम्बर-89							
7	11.20	10.90	11.50	11.00	11.50	11.40	10.10
15	10.80	10.40	12.00 (14)	11.00	11.00	10.90	9.60
22	9.60	9.40	10.00	10.00	9.35	9.15	8.80
29	एम० सी०	एम० सी०	9.50	9.50 (28)	9.50	9.15	8.70
अक्तूबर-89							
7	9.00	9.00	9.30	10.00 (4)	9.25	—	8.75
13	9.00	9.00	9.00	—	9.25	—	8.75
23	9.00	9.00	9.00 (19)	10.50	9.25	9.25	8.70
31	9.00	9.00	—	10.00	9.25 (27)	9.25 (27)	8.70

1	2	3	4	5	6	7	8
नवम्बर-89							
7	8.60*	9.00 (6)	—	10.30	9.50	9.25	8.70
15	8.60*	—	—	10.30 (9)	9.50	9.40	8.70
22	8.60*	—	—	10.30	9.50 (21)	9.30 (21)	8.70
30	8.60*	—	—	10.30	9.50	9.55	8.70
			*(आयातित चीनी)				
दिसम्बर-89							
7	8.80*	—	—	10.50	9.00	8.85	8.70
15	8.80	8.60	—	9.50	8.25	8.00	7.70
22	8.60	8.40	—	8.80	8.25	8.00	7.60
29	8.70	8.50	—	9.00 (28)	3.65	8.50	8.00
			* (आयातित चीनी)				
जनवरी-90							
5	8.90	8.70	—	8.50	9.00	8.90	8.00
15	8.90	8.70	—	9.00	9.15	9.00	8.00
22	8.80	8.60	—	8.80	9.00	8.00	8.00
31	9.00	8.70	—	9.00	9.00 (29)	8.90 (29)	8.00
फरवरी-90							
7	8.90	8.60	—	9.00	9.00	8.80	8.00
15	8.90	8.60	—	9.00	8.90	8.70	8.00
22	8.90	8.60	—	9.00	8.80	8.65	8.00
28	9.00	8.70	—	—	9.10	9.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8
मार्च-90							
7	9.00	8.70	—	9.00	9.20	9.00	8.30
15	8.90	8.70	—	9.00	9.00	8.90	8.20
22	8.90	8.60	—	9.00 (21)	8.90	8.75	8.10
30	9.00	8.75	—	9.00 (28)	9.00 (28)	9.00 (28)	8.30
अप्रैल-90							
6	9.00	8.80		9.50	9.00	9.10	8.40
16	9.50	9.25		9.60	9.30	9.10	8.40
23	9.30	9.00		9.60	8.75	8.60	8.40
30	9.00	8.75		9.20 (25)	8.65	8.20	7.90
मई-90							
7	8.70	8.40		9.40 (2)	8.30	8.20	7.60
15	8.80	8.50		9.40 (10)	8.60	8.45	7.70
22	9.00	8.75		9.30	8.80	8.60	7.90
31	8.80	8.60		—	8.90	8.80	8.20
जून-90							
7	9.00	8.75		9.00	8.85	8.80	8.25
15	9.00	8.75		9.00	8.90	8.80	8.20

1	2	3	4	5	6	7	8
22	9.00	8.80		—	8.80 (21)	8.70 (21)	8.20
30	9.00	8.75		—	8.30	8.50	8.10 (29)
जुलाई-90							
6	9.00	8.75		9.00	8.60	8.40	8.00
13	8.75	8.50		9.00	8.65	8.50	7.90
20	8.80	8.60		9.00 (17)	8.80	8.60	8.00 (19)
30	8.75	8.50	8.40 (25)	9.00 (25)	8.80 (26)	8.70 (26)	8.10

"एड्स" की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से चलाया जाने वाला कार्यक्रम

410. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का इस सर्व खतरनाक रोग "एड्स" की रोकथाम और इस पर नियंत्रण रखने हेतु 33 करोड़ रुपये की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से चलाया जाने वाला कार्यक्रम शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में "एड्स" रोग फैलने के मुख्य कारण क्या है;

(घ) इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के साथ सक्रिय सहयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और सहायता देने वाले अन्य देशों की भूमिका क्या है;

(ङ) देश में "एड्स" से प्रभावित रोगियों की संख्या कितनी है;

(च) क्या देश के सभी सरकारी अस्पताल "एड्स" रोगियों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं और चिकित्सक ऐसे रोगियों का उपचार करने के लिए तैयार नहीं हैं; और

(छ) क्या सरकारी अस्पतालों में इस प्रयोजनार्थ मांगे गये वार्ड कार्य नहीं कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने एड्स के निवारण एवं नियंत्रण के लिए 3 वर्ष की अवधि (1990-1992) के लिए मध्यकालिक योजना (मिडियम टर्म प्लान) तैयार की है। जिसकी लागत 32.95 करोड़ रुपये होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए इस योजना के खर्च के लिए दाता देशों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता मांगी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में एच० आई० वी० को फैलने से रोकना, एच० आई० वी० संक्रमण से संबद्ध मृत्यु दरों को कम करना और एच० आई० वी० संक्रमणों के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों को कम से कम करना। मध्यकालिक योजना (मिडियम टर्म प्लान) का उद्देश्य एड्स और एच० आई० वी० संक्रमण संबंधित जन चेतना को बढ़ाना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना, सन्देहास्पद एड्स रोगियों का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करना, रक्त और रक्त उत्पादों के जरिए एच० आई० वी० और एड्स के फैलने को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाना भी है।

(ग) उपलब्ध जानपदिक प्रमाण से यह पता चलता है कि भारत में एच० आई० वी० के फैलने का प्रमुख वर्तमान स्वरूप इतरलिंग कामी सम्बन्धों से होता है। इसके अलावा देश में एच० आई० वी० का संचरण रक्त और रक्त उत्पादों के माध्यम और संक्रमित माताओं से बच्चों को होना भी एड्स के बढ़ने के मुख्य कारण हैं।

(घ) मध्यकालिक योजना चलाने के लिए धन जुटाने हेतु दाता सरकारों/एजेंसियों की बैठक 13 जून, 1990 को नई दिल्ली में विभाजित की गई थी। ताकि उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी दी जा सके। और अधिक आर्थिक सहायता के लिए महाराष्ट्र, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, और दिल्ली के सम्बन्ध में एक ऐक्शन प्लान विश्व स्वास्थ्य संगठन को भेज दिया गया है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 जून, 1990 को पूर्णतया एड्स से प्रभावित मामले इस प्रकार हैं :

	पुरुष	महिलाएं	कुल
भारतीय	28	8	36
विदेशी	9	3	12
कुल	37	11	48

(च) और (छ) देश में 13 निर्धारित सरकारी अस्पताल/मेडिकल कालेज एड्स के रोगियों का उपचार कर रहे हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों द्वारा टेलीफोन काल किया जाना

[हिन्दी]

411. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली, जोन-एक के मुख्य अभियन्ता तथा इस विभाग के अन्य पदाधिकारियों द्वारा "इन्टरनेशनल गार्डन एण्ड ग्रीनरी एक्सपोजीशन" के संबंध में जापान तथा अन्य देशों की अपनी हाल की यात्रा के दौरान विदेशों से नई दिल्ली टेलीफोन करने के लिए सरकारी खाते से कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ख) इसका क्या औचित्य है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर, नई दिल्ली अंचल-1 तथा अन्य अधिकारियों द्वारा हाल ही की जापान यात्रा के दौरान विदेश में नई दिल्ली को टेलिफोन करने के लिए किया गया व्यय नीचे दिया गया है —

मुख्य इंजीनियर, नई दिल्ली अंचल-1	1592 येन लगभग 183 रुपये के बराबर
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा	1,47,084 येन लगभग 16,867 रुपए के बराबर

नई दिल्ली अंचल-1 के मुख्य इंजीनियर ने हाल में और विदेशों का कोई दौरा नहीं किया है।

(ख) ओसाका में अन्तर्राष्ट्रीय उद्यान तथा हरित प्रदर्शनी के लिए सामान, श्रमिक इत्यादि के संबंध में टेलीफोन किए गये थे।

बिहार की बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं

412. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी बड़ी और मध्य श्रेणी की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) इन योजनाओं का कार्यान्वयन कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इन योजनाओं पर अब तक किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) कोई नहीं श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बीयर बनाने वाले एककों को लाइसेंस

413. श्री वृज भूषण तिवारी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान बीयर बनाने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) 1 दिसम्बर, 1989 से अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजन के लिए मशीनरी और प्रौद्योगिकी के आयात हेतु विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का भी विचार है; और

(घ) सरकार बीयर बनाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु क्या प्रक्रिया अपना रही है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) शून्य।

(ग) बीयर-उत्पादन एक कम प्राथमिकता वाला उद्योग है। इसकी मशीनरी और टैक्नालाजी देश में ही उपलब्ध है। मशीनरी या टैक्नालाजी के आयात के लिए सरकार द्वारा सामान्यतः विदेशी मुद्रा प्रदान नहीं की जाएगी और ऐसे किसी प्रस्ताव पर उसके गुण-दोषों को देखते हुए विचार किया जाएगा।

(घ) बीयर बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के आवेदन-पत्रों पर समय-समय पर यथा संशोधित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाये गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

पेप्सी कम्पनी द्वारा ठंडे पेय

414. श्री वृज भूषण तिवारी : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी कम्पनी को कितनी मात्रा में ठंडे पेयों के उत्पादन की अनुमति दी गई है; और

(ख) कम्पनी को कितनी मात्रा में "कंसेन्ट्रेट" तथा कितने बाटलिंग संयंत्रों को आयात करने की अनुमति दी गई है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवर्ष 20,000 यूनिट (एक यूनिट 1800 डाले तैयार करता है और प्रत्येक डाले में 225 मि० लि० वाली 24 बोतलें होती हैं) साफ्ट ड्रिंक कान्सेंट्रेट के उत्पादन के लिए एक आशय पत्र प्रदान किया गया है।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

चीनी का उत्पादन और मांग

[अनुवाद]

415. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

डा० ए० के० पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्ष के दौरान देश में चीनी की मांग और उत्पादन का अनुमान क्या है;

(ख) देश में उपरोक्त अवधि के दौरान चीनी की कमी को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान, क्या कोई नई चीनी मिल, यदि कोई है, स्थापित की गई है जिसमें इस वर्ष उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(घ) क्या सरकार का गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में चीनी की और अधिक मिलें स्थापित करने प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में दिशा निदेश क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन और आवश्यकता क्रमशः लगभग 109 लाख टन और 103-104 लाख टन होने की सभावना है ।

(ख) मौसम के प्रारम्भ में उपलब्ध स्टाक को मिलाकर, उक्त उत्पादन चालू मौसम के दौरान चीनी की आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(ग) 1989-90 चालू मौसम के दौरान उत्पादन शुरू कर चुकी नई चीनी फंक्ट्रियों का विवरण निम्न प्रकार है—

क०सं०	फैक्ट्री का नाम	दैनिक गन्ना पिराई क्षमता (टी०सी०डी०)	क्षेत्र
1.	मैसर्स राजश्री शुगर एंड कैमिकल्स लि०, जिला पैरियलुक मदुरै (तमिलनाडु)	2500	संयुक्त क्षेत्र
2.	तिरू अरूरम शुगर लि० तालुका-पापनासम, जिला तंजोर (तमिलनाडु)	2500	,,
3.	तमिलनाडु को-आपरेटिव शुगर फैडरेशन लि०, सेतियाथोपो जिला द० आरकोट (तमिलनाडु)	2500	सहकारी क्षेत्र
4.	यू०पी० को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फैडरेशन लि० स्नेह रोड़, जिला बिजनौर (उ०प्र०)	2500	सहकारी क्षेत्र

(घ) और (ङ) नई इकाइयों को लाइसेंस देने और मौजूदा इकाईयों में विस्तार के लिए केन्द्र सरकार ने 23 जुलाई, 1990 के प्रेस नोट के तहत मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की है जिसकी एक प्रति संलग्न विवरण में दी गयी है। नए लाइसेंस दिए जाने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की तदनुसार जांच की जाएगी।

विवरण

दिनांक 23-7-90 का प्रेस नोट

भारत सरकार

उद्योग मन्त्रालय
औद्योगिक विकास विकास

प्रेस नोट संख्या-4

(1990 शृंखला)

विषय—आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

इस मत्रालय के दिनांक 2 जनवरी, 1987 के प्रेस नोट सं० 1 (1987 शृंखला), दिनांक 9 फरवरी, 1987 के प्रेस नोट सं०-2 (1987 श्रृंखला), दिनांक 11 मई, 1989 के प्रेस नोट सं० 12 (1989 श्रृंखला) तथा दिनांक 19 अक्तूबर, 1989 के प्रेस नोट सं० 27 (1989 शृंखला) में निहित, चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधिक्रमण में नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने यथा वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं—

1. प्रतिदिन 2500 टन गन्ना पिराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी। पिछड़े क्षेत्रों के लिए या गन्ने की उपलब्धता के दृष्टिकोण से अल्प विकसित क्षेत्रों में न्यूनतम आर्थिक क्षमता में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

2. नई चीनी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस इस शर्त पर दिए जाएंगे कि इसके 15 कि०मी० की परिधि में कोई चीनी मिल न हो आवेदक को गन्ना उपलब्धता या गन्ना विकास की संभावनाओं के बारे में कोई प्रमाण पत्र/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा।

3. सभी नए लाइसेंस इस अनुबंध पर जारी किए जाएंगे कि गन्ने को कीमत गन्ने के सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

4. अन्य बातों के समान होने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमशः सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी।

5. नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस मंजूर करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात् औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) इकाइयों के लिए औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जाएंगे।

6. 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता की फैक्ट्रियों को अपनी क्षमता में उक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार को वरीयता दी जाएगी।

2. नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र निर्धारित 2500/- रुपये फीस सहित "आई एल" फार्म में औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को सीधे भेजे जाएं।

3. उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं प्रक्रिया को सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए उद्यमियों के ध्यान में लाया जाता है।

फाइल सं० 10(13?)/86-एल० पी० नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1990

पत्र सूचना कार्यालय को उपर्युक्त प्रेस नोट की विषयवस्तु विस्तृत प्रचार के लिये भेजी जाती है।

ह०/-

(जयलक्ष्मी जयरमन)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रधान सूचना अधिकारी,
पत्र सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली।

पंजाब में भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम का अनुपालन

416. श्री बाबा सुच्चा सिंह : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में भिखारियों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये भिखारी स्थानीय हैं अथवा प्रवासी हैं; और

(ग) राज्य में भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में नर्मदा सागर परियोजना से आदिवासियों का विस्थापित होना

417. श्री राम नाईक : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा बांध परियोजना के कारण महाराष्ट्र में कितने आदिवासी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उपर्युक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र के धुले जिले में तलोदा वन क्षेत्र में वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) सरकार सरोवर परियोजना की जलमग्नता से महाराष्ट्र में 1655 आदिवासी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गर्भपात संबंधी मौतें

418. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एबोर्शन रिलेटेड डेथ्स इनक्रीजिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान देश में गर्भपात संबंधी मौतों की निश्चित संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि गैर कानूनी गर्भपात की व्यापकता का पता लगाने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गये हैं। तथापि गर्भपात संबंधी मौतों के बारे में सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) चिकित्सा द्वारा गर्भ-समापन के लिये सुविधाएं सृजित की गई हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है। चिकित्सीय गर्भ-समापन में चिकित्सीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

चीनी का उत्पादन

[हिन्दी]

419. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उत्तर प्रदेश में चीनी का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या चीनी का यह उत्पादन देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार चीनी का आयात करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा और किस दर पर इसका आयात किया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है —

1989-90 चालू मौसम के दौरान 15-7-90 तक चीनी का उत्पादन

	(लाख टन)
उत्तर प्रदेश	30.03
संपूर्ण भारत	108.38

(ग) से (ङ) मौसम के प्रारम्भ में उपलब्ध स्टाक को मिलाकर, उक्त उत्पादन चालू मौसम के दौरान चीनी की आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। 1989-90 चीनी वर्ष के दौरान अब आगे आयात का कोई विचार नहीं है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

420. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और उपकेन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है;

(ख) इन पर कुल कितना अनुमानित खर्च आने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 169 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 444 उपकेन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 5400 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। जिसमें उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निधि शामिल है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करने के लिए 1990-91 के दौरान अतिरिक्त उपकेन्द्रों (444), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (169) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवायें उपलब्ध करने के लिए 1990-91 के दौरान 900 अतिरिक्त परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षित करने का भी कार्यक्रम है।

मलेरिया उन्मूलन

421. श्री सी०डी० गामित :

श्री रामलाल राही :

श्री कड़िया मुन्डा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 से 1989 तक राज्य-वार कितने व्यक्तियों को मलेरिया हुआ और उनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई और उसमें से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान मलेरिया के कारण हुई राज्यवार घटनाओं एवं मौतों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में मलेरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित विषय कदम उठाए जा रहे हैं;

(i) ग्रामीण क्षेत्र

(क) परिधीय कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने वाली पन्द्रह दिवसीय सक्रिय निगरानी के जरिए मलेरिया के रोगियों का पता लगाना एवं उनका उपचार करना।

(ख) मच्छरों के कारण होने वाले मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए प्रसारण अवधि के दौरान उपयुक्त कीटनाशी दवा का अवशिष्ट छिड़काव।

(ग) पर्यावरणिक तरीकों को, जैसे मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को समाप्त करना, प्रजनन स्थानों में मच्छर-लार्वभक्षी मछली छोड़ना, समुदाय की सक्रिय भागीदारी से शुरू किया जा रहा है।

(ii) शहरी क्षेत्र

(क) मच्छर लार्वा को समाप्त करने के लिए रसायनों का साप्ताहिक छोड़ा जाना जैसे मलेरिया लार्वानाशक तेल।

(ख) मलेरिया क्लिनिकों, औषधालयों और अस्पतालों के जरिए मलेरिया के रोगियों का पता लगाना और उनका उपचार करना।

(ग) मलेरिया नियन्त्रण के लिए दी गई राज्यवार केन्द्रिय सहायता, राज्य व्यय एवं किया गया कुल व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 और विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण 1

वर्ष 1987, 1988, 1989 के दौरान देश में पाये गए मलेरिया के रोगियों तथा मलेरिया के कारण हुई मौतों की संख्या

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ अन्यों के नाम	मलेरिया के रोगी 1987	1988	1989	मौतों की संख्या 1987	1988	1989
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	53010	62535	82510	1	1	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	16959	19254	16762	0	2	0
3.	असम	63858	56296	62204	14	4	6
4.	बिहार	32749	29278	40001	11	4	13
5.	गोवा	4814	6732	4495	0	0	0
6.	गुजरात	274593	460683	598655	4	67	60
7.	हरियाणा	18926	9237	23711	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	22460	10209	8589	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	11540	4430	3068	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	88505	127008	91819	—	8	—
11.	केरल	3772	5147	6126	1	1	1
12.	मध्य प्रदेश	303033	306882	244189	13	8	16
13.	महाराष्ट्र	60557	84030	122314	2	5	8
14.	मणिपुर	1084	1076	677	0	2	2
15.	मेघालय	10975	11863	10647	1	0	0
16.	मिजोरम	15356	20339	18517	28	16	17
17.	नागालैंड	5000	3744	3185	—	—	—
18.	उड़ीसा	237810	206068	244760	90	82	118
19.	पंजाब	86604	33342	32146	0	0	2
20.	राजस्थान	65523	104100	112316	0	2	1
21.	सिक्किम	24	23	30	—	—	—
22.	तमिलनाडु	55523	75953	85359	—	—	—
23.	त्रिपुरा	8107	6178	5057	5	1	5
24.	उत्तर प्रदेश	126181	135096	108904	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	46029	36318	18655	17	5	16
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3271	3360	2655	1	1	1
2.	चण्डीगढ़	19349	14157	14585	—	—	—
3.	दादरा और नागर हवेली	5625	5845	4741	—	—	—
4.	दमण और दीव	384	779	784	—	—	—
5.	दिल्ली	14112	14423	10761	—	—	—
6.	लक्षद्वीप	3	1	4	—	—	—
7.	पांडिचेरी	220	309	541	—	—	—
अन्य							
1.	कोयला क्षेत्र	283	126	104	—	—	—
2.	डी० एन० के० परियोजना	7045	इन क्षेत्रों की सूचना मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में शामिल है				
	भारत	1663284	1854830	1978621	188	209	268

*वर्ष 1989 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-2

वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय अनुदान और राज्यव्यय (केन्द्रीय तथा राज्य)

(लाख रुपये में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय अनुदान	राज्य व्यय	कुल व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	413.35	760.82	1174.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	125.67	90.78	216.45
3.	असम	515.97	515.13	1031.10
4.	बिहार	128.03	328.82	456.85
5.	गोवा	4.55	2.67	7.22
6.	गुजरात	917.72	1005.84	1923.56
7.	हरियाणा	240.53	616.47	857.00
8.	हिमाचल प्रदेश	77.14	5.13	82.27
9.	जम्मू व कश्मीर	45.81	13.13	58.94
10.	कर्नाटक	285.91	506.36	792.27
11.	केरल	2.45	4.45	6.90
12.	मध्य प्रदेश	1422.31	1531.67	2953.98
13.	महाराष्ट्र	1292.28	1483.81	2776.09
14.	मणिपुर	82.67	82.44	165.11
15.	मेघालय	41.42	94.89	136.31
16.	मिजोरम	60.61	56.06	116.67
17.	नागालैंड	57.63	102.66	160.29
18.	उड़ीसा	193.56	575.09	768.65
19.	पंजाब	468.60	752.94	1221.54
20.	सिक्किम	17.81	33.82	51.63
21.	राजस्थान	495.85	555.80	1051.65
22.	तमिलनाडु	89.55	174.43	263.98
23.	त्रिपुरा	73.46	117.05	190.51

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	895.35	726.54	1621.89
25.	पश्चिम बंगाल	114.56	400.09	514.65
	विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्र			
1.	पांडिचेरी	4.05	3.24	7.29
	बिना विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्र			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	42.73	30.51	73.24
2.	चण्डीगढ़	23.58	28.64	52.22
3.	दादरा और नागर हवेली	11.62	2.06	13.68
4.	दमण और द्वीव	——	——	——
5.	दिल्ली	112.62	141.43	254.45
6.	लक्षद्वीप	0.91	2.32	3.23
	स्थापना/प्रचार	228.68	——	228.68
	कुल योग	8486.09	10745.09	19232.07

विवरण 3

वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन पर कार्यक्रम पर केन्द्रीय अनुदान, राज्य व्यय तथा कुल राज्य + केन्द्रीय व्यय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		केन्द्रीय अनुदान	राज्य व्यय	कुल व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	505.30	959.27	1465.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	135.76	104.94	240.70
3.	असम	437.02	598.68	1035.70
4.	बिहार	564.40	915.45	1479.85
5.	गोवा	3.83	5.37	9.20
6.	गुजरात	839.89	1003.11	2243.00

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	152.95	602.21	755.16
8.	हिमाचल प्रदेश	113.21	83.80	197.01
9.	जम्मू व कश्मीर	89.60	19.00	108.60
10.	कर्नाटक	228.00	625.91	853.96
11.	केरल	4.61	4.01	8.65
12.	मध्य प्रदेश	1685.51	2261.30	3946.81
13.	महाराष्ट्र	1034.48	1717.98	2752.46
14.	मणिपुर	103.36	123.83	227.19
15.	मेघालय	78.20	127.22	205.42
16.	मिजोरम	25.08	57.98	86.06
17.	नागालैंड	60.71	110.03	170.74
18.	उड़ीसा	242.57	671.73	914.30
19.	पंजाब	487.72	382.63	870.35
20.	सिक्किम	15.97	39.15	55.12
21.	राजस्थान	161.84	608.04	769.88
22.	तमिलनाडु	103.67	136.65	240.32
23.	त्रिपुरा	93.58	125.23	218.81
24.	उत्तर प्रदेश	808.56	1014.12	1822.68
25.	पश्चिम बंगाल	330.65	409.06	739.71
	विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्र			
1.	पांडिचेरी	1.51	—	1.51
	बिना विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48.20	34.90	83.00
2.	चण्डीगढ़	22.29	32.95	55.24
3.	दादरा और नागर हवेली	10.32	1.84	12.16
4.	दमन और दीव	2.15	——	2.15
5.	दिल्ली	59.33	150.00	209.33
6.	लक्षद्वीप	1.01	0.82	1.83
	स्थापना, प्रचार और अनुसंधान	295.01	——	295.01
	कुल योग	8750.00	13327.11	22071.11

केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

422. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की कुछ सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के पास 3 वृहद और 3 मध्यम परियोजनाओं में से एक वृहद परियोजना नामश: जु ाला को सलाहकार समिति ने स्वीकार्य पाया है बशर्ते राज्य सरकार अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणिक और वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करे। दो वृहद परियोजनाओं नामश: तेलुगु गंगा और वम्सधारा चरण-2 का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा चुका है, लेकिन इनके विषय में अन्तर्राज्यीय मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। शेष तीन मध्यम परियोजनाओं के विषय में राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करना है तथा वन स्वीकृति भी प्राप्त करनी है।

राष्ट्रीय आवास नीति

423. श्री पी० नरसा रेड्डी :
श्री के० एस० राव :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :
श्री हरीश पाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय आवास नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो नई नीति कब तक घोषित की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) नई राष्ट्रीय आवास नीति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इसका मसौदा तैयार किया जा चुका है। जिस पर हाल ही में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों में संबंधित विशेषज्ञों एवं संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। राज्य सरकारों के विचारों का भी पता लगाया जा रहा है। जैसे ही यह नीति तैयार हो जाती है, संबंधित दस्तावेज संसद के समक्ष रख दिए जायेंगे।

विकलांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण

424. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांगों के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का कोई प्रतिशत निर्धारित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए योजना आयोग को प्रस्ताव

425. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने योजना आयोग को खाद्य प्रसंस्करण के लिए कुछ योजनाओं का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उन्हें मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई अनेक विकास स्कीमें योजना आयोग ने 1990-91 की वार्षिक योजना में मंजूर की हैं। फल और सब्जी प्रोसेसिंग सेक्टर में, क्वालिटी-नियंत्रण को सुदृढ़ करने, विस्तार और शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं के विकास आदि की स्कीमें इसके अंतर्गत शामिल हैं। पोल्ट्री और सुअर-मांस प्रोसेसिंग, खाद्यान्न मिलिंग उद्योग में इसके सह-उत्पादों आदि के कारगर उपयोग के लिए आधुनिकीकरण की स्कीमों का भी प्रस्ताव किया गया है।

"सीटू" श्रम संगठन से सम्बद्ध श्रमिकों द्वारा हड़ताल

[हिन्दी]

426. **श्री रामलाल राही** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सीटू" श्रम संगठन से सम्बद्ध श्रमिकों ने उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मिल मालिकों द्वारा तंग किए जाने के कारण हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों को जिस तरह तंग किया जाता है; उसकी जांच की है;

(ग) श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा दोषी मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, "मजदूरी और भत्ते", "बोनस" तथा "कार्मिक मामलों" से संबंधित विवाद देश में हड़तालों का प्रमुख कारण हैं। सीटू सहित विभिन्न व्यवसाय संघों ने हड़तालों का आह्वान किया है।

कोई भी व्यवसाय संघ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध तन्त्र द्वारा कर्मकारों को तंग किए जाने से संबंधित औद्योगिक विवाद को संराधन तन्त्र के साथ उठा

सकता है। संराधन कार्यवाही के असफल होने पर, समुचित सरकार विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकती है।

कच्चे पटसन का निर्यात

[अनुवाद]

427. श्री हन्नान मोल्लाह :

प्रो० रूपचन्द पाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 में कच्चे पटसन का निर्यात करने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने कच्चे पटसन के लिए बाजार में मूल्य स्थिरता बनाये रखने और किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु फसल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-91 में कच्चे पटसन का निर्यात करने का निर्णय लिया है।

सिंचित क्षेत्र

428. श्री परसराम भारद्वाज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में सिंचित क्षेत्रों वाले देश के रूप में अग्रणी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान सिंचाई प्रयोजनों के लिए शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) जी हां।

(ख) यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान 29.71 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी।

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार करने के पश्चात योजना आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए निधियों का वार्षिक योजना आबंटन कर दिया गया है।

आवास प्राधिकरणों को दिशा निर्देश

429. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य आवास प्राधिकरणों को कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वे विभिन्न आय वर्गों, विशेषकर निर्धन और अभाव ग्रस्त वर्गों को मकान बनाने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, दिसम्बर, 1988 के आवास मंत्रियों के सम्मेलन में सार्वजनिक अभिकरणों की मददगार की भूमिका पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप में विचार किया गया है कि राज्य को पूर्ण रूप से बेघर, विस्थापित एवं उपेक्षित व्यक्तियों, उपेक्षित परिस्थितियों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा सहायता के अत्यधिक जरूरतमन्द अन्य वर्गों की आवासीय परिस्थितियों में सुधार करने के लिए सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सभी स्तरों पर सार्वजनिक अभिकरणों के प्रमुख पुनोंन्मुख एवं सुदृढ़ीकरण की मांग करनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन

430. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास अपने भवन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के विशेषकर चक्रवात-प्रवण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्मित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 773 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास अपने भवन नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कार्य राज्यक्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

431. श्री बी० एन० रेड्डी :

श्रीमती बेन्नुपति विद्या :

श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री सुधीर गिरि :

श्री वसंत साठे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी जोत सम्पत्ति संबंधी अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा नगर भूमि अधिकतम सीमा (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 खामियों को दूर करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अधिनियम में त्रुटियों को दूर करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1975 में अपेक्षित परिवर्तनों के संबंध में समय-समय पर अनेक सुझाव प्राप्त हुये हैं। उक्त अधिनियम में उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिये सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में कालीन निर्माताओं द्वारा नियुक्त बच्चों का शोषण

432. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है, कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी क्षेत्र में कालीन निर्माताओं द्वारा नियुक्त लगभग 1,50,000 बच्चों को मजदूरी, काम के घंटे तथा काम की स्थितियों इत्यादि के रूप में शोषण का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में दिनांक 2 जून, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सरकार को निर्दिष्ट समाचार रिपोर्ट की जानकारी है। उत्तर प्रदेश राज्य से, जो इस मामले में समुचित सरकार है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को एड्स वार्ड के लिए अनुदान

433. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को एक एड्स वार्ड का निर्माण करने के लिए तीस लाख रुपए मंजूर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस वार्ड का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (घ) एड्स से संक्रमित रोगियों के नैदानिक उपचार के लिए उपकरणों की लागत एक एड्स यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक कर्मचारियों हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 20 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के "डी" विंग की पहली मंजिल पर एड्स रोगियों के उपचार के लिए स्वतः पूर्ण प्रयोगशाला सहित अलग से भौतिक सुविधा की व्यवस्था की गई है।

एड्स के रोगियों के उपचार में लगे फैकल्टी (एड्स के ही उपचार के लिए अतिरिक्त कर्मचारी) रेजीडेंटों, नर्सों, प्रयोगशाला कर्मचारियों को कारगर जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षण कार्यक्रम तत्परता से चलाये गए हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स रोगियों को दाखिला

434. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री गंगा चरण लोधी :

श्री डी० अमात :

श्री कैलाश मेघवाल :

श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में "एड्स" रोग से पीड़ित रोगियों को दाखिल करने से मना कर दिया है, जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) जाम्बिया के राजनयिक जिन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राइवेट वार्ड में दाखिल किया गया था, के दाखिल होने के बाद एड्स के रोगियों को दाखिल करने की नीति 6 फरवरी, 1990 को अस्थायी तौर पर निलम्बित कर दी गई थी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स सुविधा की स्थापना करके संक्रमण क्रियाप्रणाली को उन्नत करने और केवल एड्स रोगी के गहन उपचार के लिए ही स्टाफ नियुक्त करने के लिए एड्स रोगी को दाखिल करना बन्द कर दिया गया था।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 20.00 लाख रुपए की धन-राशि रिलीज की गई है; इससे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ही एड्स रोगियों के उपचार के लिये संबंधित भौतिक सुविधा की तेजी से सृजन होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उप-पट्टाधारी के नाम में परिवर्तन किया जाना

435. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टाधारियों अर्थात् सहकारी आवास समितियों से परामर्श किए बिना मुख्तियारनामा के आधार पर उप-पट्टाधारी के नाम में परिवर्तन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली से झुग्गियों को हटाना

[हिन्दी]

436. **श्री कल्पनाथ सोनकर :** क्या शहरी विकास मन्त्री डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली

से झुग्गियों को हटाने में 11 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया और कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली से इस बीच झुग्गियां हटा दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक हटाये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पूर्वानुमानित कानून और व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखते हुए, यह विचार किया गया कि जब तक झुग्गी निवासियों को पुन: बसाने के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था नहीं कर दी जाती तब तक उन्हें गिराने का काम न किया जाए। ऐसे किसी स्थान का पता नहीं लगाया जा सका।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए, झुग्गियों को हटाने के लिये कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

मरीजों को दवाओं की सप्लाई

[अनुवाद]

437. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के मरीजों को बाजार से दवा खरीदनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मरीजों को मुफ्त दवा देना बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है; और

(ङ) सरकार का मरीजों को मुफ्त दवा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ङ) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के जनरल वार्ड में अन्तरंग रोगियों तथा बहिरंग रोगियों को औषधियों की अनुमोदित सूची के अनुसार औषधियां नि:शुल्क सप्लाई की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया-राशि की वसूली

438. **श्रीमती बेग्मुपति विद्या** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोषी नियोक्ताओं से कर्मचारी भविष्य निधि का बकाया-राशि को शीघ्रता से वसूल करने के लिए नियुक्त "वसूली तन्त्र" के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह तन्त्र एक स्थायी तंत्र होगा;

(ग) क्या यह तन्त्र अन्य शिकायतों, जैसे कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा ऋण विलम्ब से भुगतान इत्यादि की भी जांच करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) क० भ० नि० संगठन के वसूली तन्त्र ने पहली जुलाई, 1990 से काम करना शुरू कर दिया है। अतः इसके द्वारा किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने का अभी सही समय नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1979 योजना के अन्तर्गत आवास का लक्ष्य

439. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में वर्ष 1979 से पंजीकृत आवेदनकर्ताओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास का लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारण भारी वित्तीय हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है कि इन पंजीकृत व्यक्तियों की और अधिक वित्तीय हानि न हो और उन्हें आगामी वर्षों में फ्लेटों के आवंटन पर विचार किये बिना ही यदि वर्ष 1979 से पहले की दरों पर फ्लैट आवंटित न भी किया जा सके, तो वर्ष 1990 के पहले की दरों पर फ्लेट दिए जा सकें।

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1979 के पंजीकृत आवेदनकर्ताओं को वर्ष 1992 तक फ्लेट आवंटित करने का लक्ष्य रखा था; और

(घ) यदि हां, तो इसी लक्ष्य को बनाये रखने तथा इसे मार्च, 1994 की अवधि तक आगे बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) ये फ्लेट वास्तविक प्रचलित निर्माण लागत, सामग्री के बाजार मूल्य, श्रम, भूमि के मूल्य इत्यादि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर लाभ-हानि रहित आधार पर आवंटित किये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण

440. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की पुनरीक्षा और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बारे में 4 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या के द्विभाजन क्रमशः 3397 एवं 3427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण और इसके द्विभाजन का मूल्यांकन करने के लिए गठित समिति ने तत्सम्बन्धी अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें शीघ्र कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक गैर-सरकारी सदस्य थे जो कि दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) के निर्वाचित प्रतिनिधि थे। दिल्ली नगर निगम की बर्खास्तगी पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने इसी गैर-सरकारी सदस्य की अध्यक्षता में इस समिति के कार्यकाल में वृद्धि की। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए गठित की गई समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन हिस्से करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों का बिना बारी के आबंटन

441. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों का बिना बारी के आबंटन के बारे में 18 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न सख्या 5386 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन 167 मामलों में बिना बारी फ्लेटों का आबंटन किया गया था उनका ब्यौरा क्या है, और प्रत्येक मामले में ऐसे आबंटन करने का उचित आधार क्या था;

(ख) गत छः महीनों के दौरान कठिनाई के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों का बिना बारी के आबंटन के लिए संसद सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) जिन अनुरोधों को स्वीकार किया गया है, उसका ब्यौरा क्या है और शेष अनुरोधों पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इन 167 मामलों के पूरे ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 197।

(ग) आबंटन के लिए 4 मामले अनुमोदित किए गए हैं; 29 मामले रद्द किए गए हैं और शेष 164 मामले में आवेदकों द्वारा अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी नहीं की गई हैं।

विवरण

क्र० सं०	आबंटी का नाम	आधार	क्या पंजीकृत है	फ्लैट सं० तथा इलाका	श्रेणी	आदेश सं० अभ्युक्ति
1.	श्री सुदर्शन कुमार	करूण मूलक आधार परिवार में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना	जी, हां	307ए/सी 5ए जनकपुरी	मध्यम आय वर्ग	उप-रा०पाल 7-3-87
2.	श्री आर० स्वामी	करुणा मूलक आधार बीमार माता-पिता	जी, हां	पाकेट-एफ/11 बी, नन्दनगरी	वही	वही—4-1-87
3.	प्रेम नाथ	करुणा मूलक आधार चिकित्सा आधार तथा गुर्दा प्रत्यारोपण	जी, नहीं	29/ब्लाक सी/पाकेट सी, शालीमारबाग	वही	वही—29-11-86
4.	श्री जे० एस० आहूजा	करुणा मूलक आधार अवकाश प्राप्त	जी, हां	अशोक विहार I, पाकेट-बी, फेज-IV	वही	उपाध्यक्ष—23-11-86
5.	श्री एस० सी० बागल	वही— हृदय रोगी	वही	रोहिणी-2/पाकेट-डी-10 सेक्टर-VII	वही	वही—26-2-86
6.	श्रीमती विमल जैन	वही— हृदय रोगी गुर्दा शल्यक्रिया	वही	रोहिणी 1/पाकेट-डी-10 सेक्टर-VII	वही	उप-रा०पाल/10-12 86
7.	सुश्री शोभा गुलाटी	वही—तलाकशुदा	जी, नहीं	रोहिणी 2/पाकेट-1 सेक्टर-XIX	वही	वही—6-5-87

1	2	3	4	5	6	7
8.	श्री सी० एल० खन्ना	वही—कैंसर पीड़ित अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी	जी, हां	शालीमार बाग 1/ब्लाक सी/पार्क सी	वही	वही—27-8-87
9.	श्री के० सी० दुरानी	वही—कैंसर पीड़ित	वही	रोहिणी 18/सेक्टर 8/ पाकेट 8	वही	वही—18-10-87
10.	श्री एम० के० मचदेवा	करूणा मूलक आधार कैंसर पीड़ित	जी, हां	रोहिणी 22/सेक्टर 8/ पाकेट 8	मध्यम आय वर्ग	उप-रा०पाल/14-12-87
11.	चेतराम कौशिक	वही	जी, नहीं	सराय जुलियाण X/6बी	वही	वही—4-7-87
12.	सतवन्त कौर	वही—उपद्रव पीड़ित	वही	शालीमार बाग 1-डी/ पाकेट-सी	निम्न आय वर्ग	वही—19-12-87
13.	बी० एम० डोगरा	भूतपूर्व सैनिक तथा खिलाड़ी करूणा मूलक आधार पर	जी, हां	पश्चिमपुरी 29/सी एच-14	मध्यम आय वर्ग	वही—16-2-88
14.	मदन राम	करूणा मूलक आधार स्ववित्त पोषी फ्लैट के बदल में। स्ववित्त पोषी फ्लैट की ऊंची लागत नहीं दे सका	वही	वही—198/सी एच 1	वही	वही—24-8-86 उपाध्यक्ष—19-2-88
15.	जमील अहमद	वही—क्षयरोगी	वही	दिलशाद गार्डन 5/पाकेट आर	वही	वही—14-3-88
16.	अवतार सिंह	वही—आर०पी०एम०	वही	दिलशाद गार्डन 9-बी/ पाकेट-4/एस	वही	वही—17-3-88

1	2	3	4	5	6	7
17.	श्री० पी० कपाई	वही—विपत्ति पीड़ित	वही	पश्चिमपुरी 484/सी० एम० 9	वही	वही—31-8-88
18.	श्रीमती राजू जैन	वही—आश्रित पिता, स्वतन्त्रता सेनानी	वही	110 बी, पीतमपुरा	वही	उप-रा०पाल 23-12-88
19.	जयन्त कुमार खन्ना	वही—बीमार आश्रित माता-पिता	वही	194 सी० एम-1 पश्चिमपुरी	वही	वही—8-12-88
20.	एम० डी० चन्द्रा	वही—अवकाश प्राप्त व्यक्ति	वहीं	826/सी एम 14 पश्चिमपुरी	वही	वही—29-12-88
21.	आई० एम० कालड़ा	वही—अवकाश प्राप्त तथा हृदयरोगी	वही	54/सैक्टर 8/पाकेट 8 रोहिणी	वही	वही—17-1-89
22.	करतार सिंह	वही—चिकित्सा आधार	वही	114/सी एम 14 पश्चिमपुरी	वही	वही—4-2-89
23.	सन्तोष कुमारी	वही—अधिक किराया वहन नहीं कर सकती वृद्ध सास-ससुर साथ में रहते हैं।	वही	410/सी एम 14 पश्चिमपुरी	वही	वही—6-1-89
24.	गुरचरण सिंह	करुणा मूलक आधार उपद्रव पीड़ित	जी, नहीं	14/पाकेट 1 डी/पीतमपुरा	मध्यम आय वर्ग	उप-रा०पाल 30-1-89
25.	श्रीमती प्रेमलता	वही—तलाकशुदा	जी, हां	28/सी एम 5 व 7 पश्चिम विहार	निम्न आय वर्ग	वही—4-12-88
25.	श्रीमती शकुन्तला	वही—वही	वही	17/सी एम 5 व 7 पश्चिम विहार	वही	उपाध्यक्ष—18-6-88

1	2	3	4	5	6	7
27.	जीत सिंह	वही—उपद्रव	वही	1/टाइप-ए, जयदेव पार्क	वही	उप-रा०पाल—18-4-88
28.	रामलोक शर्मा	वही—चिकित्सा आधार	जी, हां	13/सी एच 8, पश्चिमपुरी	वही	उपाध्यक्ष—4-11-88
29.	दुर्गा प्रसाद	वही—10 प्रतिशत अपंगता	वही	पश्चिम बिहार 1/सी एच-V सी-17	मध्यम आय वर्ग	वही—15-3-89
30.	सत्य मारम	वही—भाई, विकलांग	वही	पीतमपुरा 4-ए/ए डी	वही	वही—22-3-89
31.	जगदीश चन्द्र	वही—स्वविस पोषी फ्लैट निरस्त करने के बदले में	वही	शालीमार बाग 2 बी/सी (ए)	वही	उप-रा०पाल—12-2-89
32.	निवास शर्मा	वही—पामा सर्विस, शीघ्र आवश्यकता	वही	पीतमपुरा 3 बी/ए डी/एफ एफ	वही	वही—28-4-89
33.	परमानन्द	वही—पत्नि आरथ्राइटिस पीड़ित	वही	लोनी रोड 8 टी एफ	वही	उपाध्यक्ष—28-5-89
34.	मुश्री आनन्द	वही—अवकाश प्राप्त तथा अकेली महिला	वही	पीतमपुरा ए बी/पाकेट डी/एफ०एफ०	निम्न आय वर्ग	उप-रा०पाल—8-12-88
35.	रमन कुमार चौधरी	वही—वृद्ध बेवा आश्रित मां	वही	पश्चिम बिहार 17/ओ एम 1/सी-17/जी० एफ	मध्यम आय वर्ग	उपाध्यक्ष—15-5-89
36.	गिरीशचन्द्र जोशी	वही—क्षय रोगी	वही	जहांगीरपुरी 5 एफ एफ	निम्न आय वर्ग	उपाध्यक्ष—30-12-88
37.	सरला मल्होत्रा	वही—पत्ति फरार है	वही	पीतमपुरा 3ए/पाकेट डब्ल्यू जी एफ	वही	उप-रा०पाल—10-1-89

1	2	3	4	5	6	7
38.	पोकरनाथ शर्मा	वही—फोडम फाइटर	जी, नहीं	सोनी रोड 9, एम एफ	वही	वही—24-1-89
39.	कुमारी रोजी लाल	वही—विशेष मामले के रूप में, बड़ी परि-वार/आश्रित माता-पिता	वही	सोनी रोड 13 टी एफ	वही	वही—4-4-89
40.	पृथ्वी राजकपूर	करुणा मूलक आधार स्वतन्त्रता सेनानी हेतु उपराज्यपाल के विशेष विचार पर	जी, नहीं	पीतमपुरा 2 सी/पाकेट डब्ल्यू बी एफ	निम्न आय वर्ग	उप-रा०पाल/18-5-89
41.	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	वही—पति हृदय रोगी शल्यक्रिया का मामला	जी हां	पीतमपुरा 2 ए/पाकेट-डब्ल्यू	वही	वही—16-4-89
42.	कालू राम	वही—अवकाश प्राप्त सरकारी मकान छोड़ दिया पत्नि बीमार है	जी नहीं	रोहिणी 5/पाकेट 5, सेक्टर 17	वही	वही—24-4-89
43.	श्रीमती विधो बनर्जी	वही—कैंसर रोगी तथा बेवा	जी हां	22 सोनी रोड (पूर्वी)	मध्यम आय वर्ग	उपाध्यक्ष—12-5-89

1	2	3	4	5	6	7
44.	के० के० सहगल	वही—कैंसर रोगी	वही	12 लोनी रोड (पूर्वी)	वही	उप-रा०पाल—23-6-89
45.	मुखर्जी कुमार डे	वही—अवकाश प्राप्त करने वाला है	वही	13 लोनी रोड (पूर्वी)	वही	उपाध्यक्ष—11-5-89
46.	हरीशचन्द्र	वही—गले का क्षयरोग	वही	6 जहांगीरपुरी	निम्न आय वर्ग	वही—23-6-89
47.	राजेन्द्र सिंह	वही—बेटी मानसिक रूप से अविकसित	वही	8 सी एच 1 पश्चिमपुरी	वही	उप-रा०पाल—23-6-89
48.	सुशील कुमार जैन	वही—अस्थमा इत्यादि से पीड़ित	वही	4-ए पाकेट एफ त्रिलोकपुरी	मध्यम आय वर्ग	वही—1-8-89
49.	टी० जी० राजगोपालन	वही—भूतपूर्व सैनिक/आश्रित वृद्ध विधवा बहन	जी नहीं	20 बी/पाकेट ए डी, पीतमपुरा	वही	वही—19-10-89
50.	उमाचरण शर्मा	वही—अवकाश प्राप्त कर्मचारी तथा बेटा विकलांग	जी हां	10 ए/पाकेट एफ, त्रिलोकपुरी	वही	वही—22-11-89
51.	पी०रमानन नायर	वही—पत्नि कैंसर रोगी	वही	16 लोनी रोड, पूर्वी	निम्न आय वर्ग	वही—23-6-89
52.	श्रीमती कलावती	वही—पति पक्षाघात पीड़ित तथा सेवा निवृत्त	वही	130/सेक्टर-II रोहिणी	वही	वही—23-6-89

1	2	3	4	5	6	7
53.	राज कुमार	करुणा मूलक आधार बेटी शल्य चिकित्सा	जी हां	1-बी/पाकेट डब्ल्यू/ पीतमपुरा	निम्न आय वर्ग	उप-रा•पाल — 23-6-89
54.	पृथुराम	वही — सरकारी सेवा निवृत	वही	4 जहांगीरपुरी	वही	वही — 23-6-89
55.	श्रीमती नत्थुबाला नारंग	वही — पति कैंसर पीड़ित	जी नहीं	6-सी/पाकेट डब्ल्यू/पीतमपुरा	वही	वही — 7-9-89
56.	रवि बरूआ	वही — बड़ा परिवार (माता पिता बीमार) विधवा बहन	जी हां	3 पाकेट एफ, त्रिलोकपुरी	वही	वही — 8-10-89
57.	श्रीमती सुरक्षा	वही — पिता स्वर्गवासी/ माता आश्रित	जी नहीं	11 जहांगीरपुरी	वही	वही — 11-10-89
58.	ए० एस० पंवार	वही—पत्नि क्षयरोगी	जी हां	12 लोनी रोड, पूर्वी	वही	वही — 11-10-89
59.	श्रीमती फिलिप मैसी	वही — माता-पिता बीमार है	वही	89 डी अशोक विहार	वही	वही — 23-11-89
60.	श्रीमती मोहिन्द्र कौर	वही — बेटे की मृत्यु हो गयी	वही	13 सी एम 11 हस्ताल	जनता	वही—30-8-89
61.	कृष्न सिंह	वही — माता-पिता बीमार है	वही	5/सेक्टर 17/पाकेट-टी रोहिणी	वही	वही — 25-8-89
62.	श्रीमती शांति	वही — पति बीमार है	जी नहीं	1/सेक्टर 5/पाकेट 10 रोहिणी	वही	वही — 20-10-89
63.	श्रीमती शकुन्तला देवी	वही — चिकित्सा आधार (एपिलेप्सी)	जी हां	25-सेक्टर 17/पाकेट 3 रोहिणी	वही	वही—29-9-89

1	2	3	4	5	6	7
64.	गजे सिंह	वही—सरकारी आवास खाली कर दिया है	जी हां	3 ब्लाक ए/पाकेट-1 सैक्टर 18 रोहिणी	मध्यम आय वर्ग	उपाध्यक्ष — 30-11-89
65.	के० एल० बालगोहर	वही—विशेष विचार	जी हां	4 ब्लाक ए/पाकेट 1 सैक्टर 18 रोहिणी	वही	उप-रा०पाल—18-10-89
66.	श्रीमती लीना विरमानी	वही—दोनों पति-पत्नि स्वतन्त्रता सेनानी हैं तथा सेवानिवृत महिला है	वही	1 पाकेट 17, ब्लाक बी सैक्टर 18, रोहिणी	वही	वही — 25-6-89
67.	श्रीमती जगवती शर्मा	करूणा मूलक आधार वृद्ध पति तथा स्वतन्त्रता सेनानी	जी हां	3 पाकेट 17, ब्लाक बी सेक्टर 18, रोहिणी	मध्यम आय वर्ग	उप-रा०पाल—20-7-89
68.	श्रीमती शशि कपूर	वही—पति की ओर से दुर्व्यंहार	जी नहीं	4 (एफ० एफ०) पाकेट 17 ब्लाक बी०, सेक्टर 18 रोहिणी	वही	वही — 27-9-88
69.	कु० मधु सोनी	वही—माता पिता स्वर्ग वास हो गये अकेली रहती है	जी हां	5 पाकेट, 18 ब्लाक बी, सेक्टर 18 रोहिणी	वही	वही—12-11-89
70.	एम० वैद्ययानाथन	वही—पत्नी बीमार	वही	5 एस० एफ० पाकेट 9 ब्लाक ए०,	वही	वही —17-12-89
71.	श्रीमती पी० बन्धोपाध्याय	वही—विशेष विचार	वही	5 एस० एफ० पाकेट 2, ब्लाक बी सेक्टर 18, रोहिणी	वही	वही — 19-9-89
72.	श्रीमती नशीम बेगम	वही—विधवा	जी नहीं	73 पाकेट ए, पेज-11 त्रिलोकपुरी	वही	वही—2-10-89
73.	श्रीमती उमीना खातून	वही—समर्पित चिकित्सा कार्यकर्त्ता	वही	562, सी० एस०-14, एफ० ए० ग्रुप-VII पश्चिमी विहार	वही	वही — 1-8-89

1	2	3	4	5	6	7
74.	हरनाम सिंह तलवार	वही—वृद्धावस्था विशेष विचार	वही	6 एम० एफ० ब्लाक ए० पाकेट-1 सेक्टर 18, रोहिणी	वही	वही—26-2-89
75.	ओ० पी० रेहन	वही—दिल्ली में कोई मकान नहीं	वही	8 ब्लाक ए, पाकेट-1 टी० एफ० सेक्टर 18, रोहिणी	वही	वही—30-7-89
76.	आर० के० महाजन	वही—बेटी विकलांग आश्रित विधवा बहन/बीमार मां	जी हां	566 जी० एफ पाकेट 6, 4 पश्चिम विहार	वही	वही—7-11-89
77.	नन्न लाल गुलाटी	वही—क्षय रोगी	वही	72, एफ० एफ० पाकेट* सेक्टर 17, रोहिणी	निम्न आय वर्ग	वही—1-12-89
78.	श्री धर्म सिंह	7, पश्चिम पुरी	जनता, नवीन पद्धति	क्योंकि उनका पिछला आवंटन, दोहरे आवंटन रद्द हो गया था।		उपाध्यक्ष
79.	श्री नरेश कुमार	225, सेक्टर-6, पाकेट-1, रोहिणी	वही	प्राथमिकता संख्या के हो जाने के कारण		उपाध्यक्ष
80.	श्रीमती हरबंस कौर	561 रघुबीर नगर	वही	वही		उपराज्यपाल
81.	श्रीमती मलिन्द्र कौर	7-सी, विकास पुरी	वही	विधवा होने के कारण		उपाध्यक्ष
82.	श्रीमती दर्शना देवी	7-बी, विकासपुरी	वही	वही		उपाध्यक्ष
83.	श्री रामास्वामी	एम० आई० जी० 63-बी सिद्धार्थ एक्स०	एम० आई० जी०/अ०न०	चिकित्सा आधार (अनुकम्पा)		उपाध्यक्ष
84.	श्री ए० के० भटनागर	बी-15, सेक्टर 7, रोहिणी	वही	पुराना पंजीकरण (पुनः चालू किया)		उपराज्यपाल
85.	श्री राकेश धवन	पी० डी-45 बी प्रीतमपुरा	एम०आई०जी०	वही		उपाध्यक्ष
86.	श्री जगमोहन सिंह	55-डी/यू० एंड वी० शालीमार बाग	एल०आई०जी०	——		

1	2	3	4	5	6	7
87.	श्रीमती कृष्णावती	84-सी, गुलाबी बाग	एम०आई०जी०	वैकल्पिक आवंटन (बेदखलकार)		उपाध्यक्ष
88.	श्रीमती राजेश्वरी देवी	एच-33 से 87 रोहिणी	एम०आई०जी०	वही		उपाध्यक्ष
89.	श्रीमती एन०एन० जैन	297-डी प्रीतमपुरा	वही	पुराना रजीकरण, मृत्यु का मामला (पुनः चालू)		उपाध्यक्ष
90.	श्रीमती अनिता कपूर	एच-18 से 87/99 रोहिणी	वही	अनुकम्पा आधार (विधवा)		उपराज्यपाल
91.	श्री खजान राम	जे०जी०/10-ए बोडेला (जे० ओ०-3)	जनता, ज०न०	अनुकम्पा आधार, वृद्ध आयु		उपराज्यपाल
92.	श्री ओ० एम० मबरवाल	4-९, ब्लाक जे शालीमार बाग	एम०आई०जी०	पुत्री विकलांग		उपराज्यपाल
93.	श्री एम०एल० कंवर	ए-10/39 ए कालका जी	वही	अनुकम्पा आधार, वृद्ध आयु		उपराज्यपाल
94.	श्री केवल कृष्ण	श्रेणी-II मरीता विहार	पंजीकृत नहीं	कैंसर रोगी		उपराज्यपाल
95.	श्री अमर सिंह गिल	श्रेणी-III ईस्ट आफ कैलाश	पंजीकृत	दंगा पीड़ित		उपराज्यपाल
96.	श्रीमती दलजीत कौर	श्रेणी-III सरीता विहार	पंजीकृत	वही		उपाध्यक्ष
	1988-1989					
97.	श्रीमती गीताधर	श्रेणी-II सिद्धार्थ एक्स०	पंजीकृत नहीं	स्वतन्त्रता सेनानी		उपराज्यपाल
98.	श्री बी० बी० बधवा	श्रेणी-II वसंत कुन्ज	वही	पुराना स्वतन्त्रता सेनानी		उपाध्यक्ष
99.	श्री जे० एन० खन्ना	श्रेणी-II वसंत कुन्ज	वही	पत्नी कैंसर रोगी		उपराज्यपाल
100.	श्री रोशन लाल जैमवाल	श्रेणी-III मरीता विहार	पंजीकृत	पुत्र भारत पाक युद्ध 1971 में शाहिद		उपराज्यपाल
101.	श्री टी० एन० खोकू	वही	पंजीकृत नहीं	विख्यात वैज्ञानिक		उपराज्यपाल
102.	श्री ओ० पी० खन्ना	श्रेणी-II वसंत कुन्ज	पंजीकृत	पत्नी कैंसर रोगी		उपाध्यक्ष
103.	श्री बी० जे० किशोर	श्रेणी-II त्रिलोकपुरी	पंजीकृत	हृदय रोगी		उपाध्यक्ष
104.	श्री एम० एम० अरोड़ा	श्रेणी-II वसंत कुन्ज	पंजीकृत	तलाक शुदा पुत्री		उपाध्यक्ष

1	2	3	4	5	6	7
105.	वीना डोगरा	श्रेणी-III वसंत कुन्ज	पंजीकृत	माता पिता की लम्बी बीमारी		उपाध्यक्ष/ उपराज्यपाल
106.	सुनील वी० सी०	वही	पंजीकृत नहीं	अनुकम्पा आधार		उपराज्यपाल
107.	श्री देवीन्द्र समोदिया	वही	पंजीकृत	वृद्ध माता पिता आबंटी के साथ रहते हैं माता हृदय रोगी		उपराज्यपाल
108.	श्रीमती राज गिल	श्रेणी-III अलकनन्दा	पंजीकृत नहीं	तलाक शुदा		उपराज्यपाल
109.	श्री के०एन० चन्द्र बाबू	श्रेणी-II पश्चिम पुरी	वही	माता ट्यूमर से पीड़ित तथा आबंटी के साथ		उपराज्यपाल
110.	उपासना चोपड़ा	श्रेणी-II वसंत कुन्ज	पंजीकृत	माता पिता के बिना युवा लड़की		उपराज्यपाल
111.	श्री जीवन दास गुलाटी	श्रेणी-II अलकनन्दा	पंजीकृत	सेवा निवृत्त व्यक्ति		उपराज्यपाल
112.	कृष्णा शर्मा	श्रेणी-III वसंत कुन्ज	पंजीकृत नहीं	सेवा निवृत्ति हो रहे व्यक्ति		उपराज्यपाल
113.	श्री आर०के० मल्होत्रा	श्रेणी-II पश्चिम पुरी	पंजीकृत नहीं	पुत्र शारीरिक रूप से विकलांग		उपराज्यपाल
114.	श्री जे० के० मेहरा	श्रेणी-III वसंत कुन्ज	वही	स्वतन्त्रता सेनानी के परिवार		उपराज्यपाल
	1989-90					
115.	श्री राजीव आहूजा	आबंटन के लिए श्रेणी-II	का अनुमोदन	पंजीकृत चिकित्सा आधार पर		उपराज्यपाल
116.	श्री ए०एन० बुतसी	वही	पंजीकृत नहीं	स्वतन्त्रता सेनानी		उपराज्यपाल
117.	श्री पी० के० जैन	वही	पंजीकृत	शीघ्र ही सेवानिवृत्त हो रहे है		उपराज्यपाल
118.	श्री एस० के० मिश्रा	वही	पंजीकृत नहीं	भूतपूर्व वित्त सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण को वित्त कठिनाइयों से उभारा		उपराज्यपाल
119.	श्री के० एस० मेहता	श्रेणी-II वसंत कुन्ज	पंजीकृत नहीं	भूतपूर्व प्रधानमन्त्री का सुरक्षा गार्ड चिकित्सा आधार पर		उपराज्यपाल

1	2	3	4	5	6	7
120.	श्री पी० नरसिम्मा	श्रेणी-II सरीता विहार	वही	बोली द्वारा लिया गया प्लाट रद्द किया गया अनुकम्पा आधार पर फ्लैट आबंटित		उपराज्यपाल
121.	श्री ओ०आर० सचदेवा	श्रेणी-II किशनगढ़	वही	वही		उपराज्यपाल
122.	श्री प्रकाश नारायण	श्रेणी-II साउथ दिल्ली	वही	काफी समय तक राष्ट्र की सेवा की		उपराज्यपाल
123.	श्री आर० के० माथुर	श्रेणी-III आबंटन के लिए आज की तारीख तक अनुमोदित	पंजीकृत	सेवानिवृत्त		उपराज्यपाल
124.	श्री हरविन्द्र सिंह	श्रेणी-II दक्षिण दिल्ली आबंटन के लिए आज की तारीख तक अनुमोदित	पंजीकृत	कतिपय क्षेत्र (खेलों) में विष्ठता प्राप्त की		उपराज्यपाल
125.	श्री के०पी०पी० नांबियार	श्रेणी-III आबंटन के लिए आज की तारीख तक अनुमोदित	पंजीकृत नहीं	राष्ट्र की प्रशंसनीय सेवा		उपराज्यपाल
126.	श्री सुरेश सूरी	श्रेणी-II आबंटन के लिए आज की तारीख तक अनुमोदित	पंजीकृत	सेमीनिवृत्त		उपराज्यपाल
127.	श्री ओ०सी० सक्सेना	श्रेणी-III दक्षिण	पंजीकृत नहीं	विशिष्ठ सेवा		उपराज्यपाल
128.	श्री ओ०पी० बेहमन	श्रेणी-II	वही	प्रसिद्ध लेखक		उपराज्यपाल
129.	श्री प्रदीप कुमार	श्रेणी-III वही	वही	प्रसिद्ध हिन्दी लेखक के पुत्र		उपराज्यपाल
130.	श्री बी०सी० केशवराव	श्रेणी-II वही	वही	बाईपास सर्जरी		उपराज्यपाल
131.	श्री महेश चन्द्र	श्रेणी-III वही	पंजीकृत नहीं	उनकी सुरक्षा समस्याएं थीं		उपराज्यपाल
132.	देविन्द्र मोहन	श्रेणी-II दक्षिण वही	वही	सेवातनिवृत्त		उपराज्यपाल
133.	श्रीराम	श्रेणी-II किशनगढ़	पंजीकृत	पति वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी		उपराज्यपाल
134.		श्रेणी-III दक्षिण	पंजीकृत नहीं	अनुकम्पा, महिला को व्यथित अवस्था में देखते हुए		उपराज्यपाल
135.		श्रेणी-III आबंटन के लिए आज की तारीख तक अनुमोदित	पंजीकृत	राष्ट्र की बहुमूल्य सेवा की		उपराज्यपाल

1	2	3	4	5	6	7
136.	श्री राजेन्द्र सिंह	श्रेणी-III वही	पंजीकृत नहीं	स्वतन्त्रता सेनानी संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता		उपराज्यपाल
137.	श्री टी०के० मेनन	श्रेणी-III साकेत	पंजीकृत नहीं	स्वतन्त्रा आंदोलन में भाग लिया		उपराज्यपाल
138.	श्री हरीकेश	श्रेणी-II किशनगढ़	वही	अधिगृहित भूमि के बदले में वैकल्पिक स्थान		उपराज्यपाल
139.	श्री एस०के० गुप्ता	श्रेणी-III कटवारिया सराय	वही	सामाजिक कार्यकर्ता		उपराज्यपाल
140.	राजलक्ष्मी देवी	श्रेणी-अनुमोदित	वही	उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा अनुकम्पा आधार पर अनुमोदित		उपराज्यपाल
141.	ओंकार सिंह थापर	श्रेणी-III अनुमोदित	वही	वही सामाजिक कार्यकर्ता		उपराज्यपाल
142.	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव	श्रेणी-III साकेत	वही	कैंसर रोगी		उपराज्यपाल
143.	श्री ओलिवर हरबर्ट	श्रेणी-II साकेत	पत्नी फेफड़ों के रोग से पीड़ित है			उपराज्यपाल
144.	सुरेन्द्रजीत	श्रेणी-III दक्षिण अनुमोदित	पंजीकृत	अनुकम्पा आधार पर उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा अनुमोदित		उपराज्यपाल
145.	केप्टन बी० मलिक	श्रेणी-II आबंटन के लिए अनुमोदित	पंजीकृत नहीं	वही		उपराज्यपाल
146.	शशि कपूर	श्रेणी-II आबंटन के लिए अनुमोदित	पंजीकृत	वही		उपराज्यपाल
147.	विजय वेछहाला	श्रेणी-III वही	पंजीकृत	प्रधानाचार्य के रूप में विशिष्ट सेवा		उपराज्यपाल
148.	श्रीमती गुविन्द्र कौर दरार	श्रेणी-III वही	पंजीकृत	उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा अनुकम्पा आधार पर अनुमोदित		उपराज्यपाल
149.	श्री मनमोहन सिंह	श्रेणी-III दक्षिण वही	पंजीकृत नहीं	राष्ट्र की विशिष्ट सेवा की		उपराज्यपाल
150.	श्री गुरु हनुमान	श्रेणी-अशोक विहार	वही	कुश्ती को विशिष्ट योगदान		उपराज्यपाल
151.	श्रीमती स्वाती मिश्रा	श्रेणी-II आबंटन के लिए अनुमोदित	वही	हृदय रोगी		वही

1	2	3	4	5	6	7
152.	रहमतुल्ला खान	श्रेणी-II वही	पंजीकृत	कैंसर रोगी		वही
153.	भरत टंडन	श्रेणी-III वही	वही	हृदय रोगी		उपाध्यक्ष
154.	अजितपाल सिंह	श्रेणी-II आबंटन के लिए अनुमोदित	पंजीकृत नहीं	अर्जुन अवार्ड विजेता		उपराज्यपाल
155.	जफर इकबाल	श्रेणी-II वही	वही	वही		वही
156.	श्री डी० विजयन पिल्लई	श्रेणी-III वही	वही	पिता अस्थमा तथा मधुमेय के रोगी		वही
157.	श्रीमती राजकुमारी	श्रेणी-III वही	वही	अनुकम्पा आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित विधवा)		वही
158.	श्री हितेश्वर साकिया	श्रेणी-III वही	वही	राष्ट्र की विशिष्ट की सेवा की		वही
159.	श्री खजान सिंह	श्रेणी-II वही	वही	अर्जुन अवार्ड विजेता		वही
160.	श्री अजित सिंह	श्रेणी-III किशनगढ़	वही	बाईपास सर्जरी		वही
161.	संजय मेहता	श्रेणी-III दक्षिण	पंजीकृत	अनुकम्पा आधार पर उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित		वही
162.	एम०के० मेहरा	श्रेणी-III वसंत कुंज	वही	शीघ्र सेवा निवृत्त हो रहे है		वही
163.	प्रोगिता मसारमानी	श्रेणी-II आबंटन के लिए अनुमोदित	पंजीकृत नहीं	अपने एकमात्र बच्चे से बिछड़ी तथा (विधवा)		वही
164.	कु० मधुसोनी	श्रेणी-III सिद्धार्थ एक्स०	पंजीकृत	अनाथ लड़की		उपाध्यक्ष
165.	न्यायाधीश के०एस० सिंह	श्रेणी-III आबंटन के लिए अनुमोदित	पंजीकृत	एल०जी० दिल्ली द्वारा अनुकम्पा में अनुमोदित		उपराज्यपाल
166.	डा० जोया अंसारी	श्रेणी-III किशनगढ़	पंजीकृत	विख्यात शिक्षाविद्-आबंटी की पत्नी के पिता भारत सरकार में उप नियंत्रक		उपराज्यपाल
167.	श्रीमती के०बी० बिलमोया	श्रेणी-III दक्षिण आबंटन के लिए अनुमोदित	(पंजीकृत)	तलाक शुदा उपराज्यपाल दिल्ली		उपराज्यपाल

वैतरणी नदी पर बांध का निर्माण

442. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियन्त्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए वैतरणी नदी पर बांध का निर्माण करने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) नवम्बर, 1980 में प्राप्त वैतरणी नदी पर भीमकुंड बहुप्रयोजनी परियोजना केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालन न किए जाने के कारण तथा संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अक्तूबर, 1983 में राज्य सरकार को लौटा दी गई थी।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए व्यापक पेंशन योजना

443. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री राम सजीवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए एक व्यापक पेंशन योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित पेंशन योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

उड़ीसा की निर्माणाधीन बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं

444. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की निर्माणाधीन बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है;

(ग) 30 जून, 1990 तक इस बारे में प्रगति हुई है;

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित बड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) अपर इन्द्रावती, महानदी बिरुपा बराज, कोलाब बृहद् परियोजनाओं तथा कुछ मध्यम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बाह्य सहायता की व्यवस्था की गई थी।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

निर्माणाधीन और नयी सिंचाई परियोजनाओं (1990-91) के लक्ष्य को पूरा करने की तारीख तथा अब तक हुई वित्तीय प्रगति

करोड़ रुपए में

परियोजना का नाम		3/90 तक प्रत्याशित व्यय	वर्ष 1990-91 के लिए परिव्यय संस्तुत	पूरा करने का लक्ष्य (योजना)
(क) बृहद् परियोजना-निर्माणाधीन				
1.	अपर इन्द्रावती			
	(क) बांध (सिंचाई का भाग)	59.89	14.00	आठवीं योजना
	(ख) सिंचाई	53.17	24.00	आठवीं योजना
2.	महानदी बिरूपा बराज	125.13	4.00	3/90 देयताओं के लिए प्रदान किया गया परिव्यय
3.	सुवर्णरेखा	115.37	37.00	आठवीं योजना से आगे
4.	अपर कोलाब			
	(क) बांध (सिंचाई हिस्सा)	45.11	1.50	3/90 में पूरा किया समझा गया। देयताओं के लिए प्रदान किया गया परिव्यय
	(ख) सिंचाई	55.64	19.00	आठवीं योजना
5.	रेंगाली			
	(क) बांध (सिंचाई हिस्सा)	38.38	1.00	3/90 में पूरा किया गया। देयताओं के लिए प्रदान किया गया परिव्यय
	(ख) सिंचाई	102.35	20.00	नौवीं योजना
(क) (1) बृहत् नई-परियोजनाएं				
6.	कानपुर	0.80	0.50	नौवीं योजना
7.	महानदी चितरोतपाला	0.04	3.00	आठवीं योजना

1		2	3	4
(ख)	मध्यम निर्माणाधीन			
1.	कंसबहल	19.40	2.50	आठवीं योजना
2.	बंकाबल	25.38	5.00	,,
3.	कंजाहारी	29.28	1.00	,,
4.	हरिहरजोर	25.80	7.00	,,
5.	अपर जोंक	17.21	4.80	,,
6.	बबनाला	28.69	5.50	,,
7.	ओंग	16.18	1.00	,,
8.	हरबंगी	27.72	8.00	,,
9.	सुन्दर	8.21	0.01	3/90। देयता के लिए प्रदान किया गया परिव्यय
10.	दवराघाटी	7.60	0.70	आठवीं योजना
11.	अपर सुकतल	3.70	2.70	,,
12.	बघुआ चरण-II	4.59	4.00	,,
13.	बोंकापिपिली	3.50	0.10	,,
14.	बीघमती	0.74	0.50	,,
15.	सपुआबदजोर	0.17	0.75	,,
16.	बिरूपा गुनघाटी	3.17	2.00	,,

बोयन समुदाय को अनुचित जाति की सूची में शामिल करना

445. श्री कोन्डीकुन्नील सुरेश : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बोयन समुदाय के लोगों की कितनी आबादी है;

(ख) क्या इस समुदाय को वर्ष 1987 तक अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर रखा था;

(ग) क्या इस समुदाय को वर्ष 1987 से अनुसूचित जातियों की सूची से हटा दिया गया है;

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस समुदाय को फिर से अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाएगा ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1981 की जनगणना के दौरान केरल में बोयन समुदाय की जनसंख्या 1930 थी।

(ख) अद्यतन यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के अनुसार बोयन समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) के खण्ड 5 के उप खण्ड (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले के क्षेत्रों को छोड़कर)।

(ग) केरल में बोयन समुदाय को किसी स्तर पर भी अनुसूचित जातियों की सूचि से कभी भी नहीं हटाया गया था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में समन्वित बाल विकास कार्य परियोजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए नए ब्लाक

446. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित समन्वित बाल विकास कार्य परियोजना के अन्तर्गत केरल में कौन-कौन से नए चुनोंदा क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने उक्त परियोजना में शामिल करने के लिए ब्लाकों की कोई नई सूची का प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित नई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का आबंटन अभी नहीं किया गया है। परन्तु केरल के लिए 1989-90 में आबंटित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। परन्तु केरल सरकार के जिन ब्लाकों को आई० सी० डी० एस० के अन्तर्गत अभी तक शामिल नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में केरल सरकार ने सूचना भेज दी है।

(घ) और (ङ) इस मामले पर अभी विचार किया जाना है तथा प्रत्येक राज्य का हिस्सा शीघ्र ही निर्धारित कर दिया जायेगा।

विवरण

वर्ष 1989-90 के लिए केरल को आबंटित आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं के नए स्थानों के नाम

क्र० सं०	ब्लाक/परियोजना का नाम	जिला	प्रकार
1.	कुलानाडा	पाथानामथिट्टा	ग्रामीण
2.	मुलमथूरूथी	एर्नाकुलम	ग्रामीण
3.	बालूसेरी	कोजोकोड	ग्रामीण
4.	कांजीरापल्ली	कोट्टायम	ग्रामीण
5.	त्रिथोल	पालघाट	ग्रामीण
6.	इरिंजालाकुडा	त्रिचूर	ग्रामीण

पंजाब में चीनी मिलें

447. बाबा सुच्चा सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री पंजाब में नई चीनी मिलों की स्थापना के बारे में 23 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10132 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी कारखानों के नाम, स्थान और स्थापकों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक कारखाने के भवन, भूमि और मशीनरी पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है तथा उनमें स्थानीय बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न हुए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राव बूकन पटेल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित तीन चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है :

क्र०सं०	फैक्ट्री का नाम	क्षमता	स्थान
1.	दि बुद्वेवाल को-आ० शुगर मिल्स लि०	1250	दोराया तहसील बरनाला जि० लुधियाना
2.	तरन तारन को-आ० शुगर मिल्स लि०	1250	शेरों, त० तरनतारन जि० अमृतसर
3.	सतलुज को-आ० शुगर मिल्स लि०	1250	तहसील नकोदर, जि० जालंधर

सभी फैक्ट्रियां सहकारी क्षेत्र में हैं।

प्रत्येक फैक्ट्री के भवन, भूमि और मशीनरी पर हुए व्यय तथा स्थानीय बेरोजगार युवकों के लिए उत्पन्न रोजगार के अवसरों से सम्बन्धित सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

भारतीय औषधि पद्धति की चिकित्सा को लोकप्रिय बनाना

448. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कि :

(क) क्या सरकार का सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि पद्धति को बढ़ावा देने के लिए के बारे में प्राथमिकताओं और नीतियों को पुन परिभाषित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : (क) और (ख) सरकार स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तथा होम्योपैथी को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार इन चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान एवं शिक्षण सुविधाओं के कार्य तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दे रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार मन्त्रालय में उपयुक्त आधारभूत ढांचा स्थापित करके तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी से सम्बन्धित चुनिंदा संस्थानों को सुदृढ़ करके इन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने की योजना है।

बाढ़ के पानी का उचित उपयोग

449. श्री ओ०एस० बासवराज : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ के पानी का इस प्रकार उपयोग करने की कोई परियोजना तैयार की है, जिससे विभिन्न राज्यों में पानी की कमी को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो क्या भविष्य में सरकार का ऐसी कोई योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) से (घ) बाढ़ के लगभग 166 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर जल के भण्डारण के लिए विभिन्न नदी प्रणालियों पर 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक की सक्रिय भण्डारण क्षमता के बांध और जलाशयों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 77 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर की जल क्षमता के भण्डारण का निर्माण भी विभिन्न चरणों में चल रहा है। इसके अलावा जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना करते हुए जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण कार्य कर रहा है।

कालाजार पर नियंत्रण के लिए सहायता

[हिन्दी]

450. श्री बसई चौधरी :
श्री भवानी शंकर होटा :
श्री राम मंगल मिश्र :
श्री हरीश पाल :
डा० गंगाली सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, कालाजार से कितनी मौतें हुईं;

(ख) क्या अस्पतालों में, विशेषकर बिहार में, कालाजार के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इस रोग को फैलने से रोकने और इसके लिए दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) काला-आजार के प्राथमिक उपचार के लिए प्रयुक्त औषधि सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट बिहार राज्य द्वारा खरीदी जाती है। बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार फर्म द्वारा उन्हें दिए गए आर्डर के अनुसार औषध की सप्लाई न करने के कारण इसकी कुछ कमी हो गई है।

(ग) और (घ) बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 लागत हिस्से के आधार पर कीटनाशक दवाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित नकद सहायता प्रदान की गई है।

	1988-89	1989-90
बिहार	150 लाख रुपए	100 लाख रुपए
पश्चिमी बंगाल	50 लाख रुपए	शून्य

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार को पेंटामिडीन की 25000 वायल और पश्चिम बंगाल को 200 वायल सप्लाई की थी। चालू वर्ष 1990-91 के दौरान भारत सरकार ने बिहार को पेंटामिडीन की 19560 वायल सप्लाई की है।

विवरण

वर्ष 1986, 1987, 1988, 1989 और 1990 दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काला आजार की स्थिति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1986		1987		1988		1989		1990		
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	सूचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	असम	4	—	5	2	4×	—	3	—			जून
2.	बिहार	14079	47	19179	77	19639	123	30601	466	20050	212	जून
3.	दिल्ली	4×	—	1×	—	—	—	—	—	27××	—	जुलाई, 12
4.	मेघालय	1(5)	—	1(5)	—	—	—	—				
5.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	9××	—	4××	—	1××	—	जून
6.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	1××	—	मार्च
7.	तमिलनाडु	—	—	1×	—	—	—	4××	—			
8.	उत्तर प्रदेश	—	—	51	5	19	6	—	—			
9.	पश्चिम बंगाल	3718	25	4447	10+	3068	2+	3573	20	765	3	अप्रैल
	योग	17806	72	23685	94	22739	131	34185	486	21652	215	

नोट :—=शून्य, *=बिहार से आयातित, +=काला आजार के कारण 1987 के लिए 19 मौतें तथा 1988 के लिए 3 मौतें होने का संदेह था, (5)=गुवाहाटी मेडिकल कालेज, असम द्वारा उपचार और सूचित किए गए, ××=4 बिहार से आयातित और अन्य परीक्षणाधीन, रिक्त=आज की तारीख तक शून्य

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

451. डा० बंगाली सिंह :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये और दोषी करार दिये गये व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(घ) मुकदमा चलाने जाने के लिए राज्यवार कितने-कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग-पत्र दायर किया गया है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार हरिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना संलग्न दो विवरणों (विवरण-1 अनुसूचित जातियों के लिए तथा विवरण-2 अनुसूचित जनजातियों के लिए) में दी गई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) भारत सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया है जो 30-1-1990 से लागू हो चुका है। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के अपराधों का निर्धारण करता है। ऐसे मामलों के शीघ्र निपटने हेतु प्रभावी तन्त्र की व्यवस्था करता है अर्थात विशेष न्यायालयों का विनिर्देशन और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति और ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कर्तव्य की अवहेलना करते हैं, सहित अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को कठोर सजा की व्यवस्था करता है। राज्य सरकारों को इस अधिनियम के अन्तर्गत जहां कहीं आवश्यक हो, अपराधों के तेजी से परीक्षण हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है प्रधान मन्त्री द्वारा भी 19-6-1990 को सभी मुख्य मन्त्रियों को एक पत्र लिखा गया है जिसमें अत्याचारों को रोकने तथा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपायों का संकेत दिया गया है।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित किए गए अत्याचारों के मामलों की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	अवधि जनवरी, 1989 से शुरू होकर निम्नलिखित तक
1.	आंध्र प्रदेश	368	36	113	मार्च, 1990
2.	असम	19	3	2	फरवरी, 1990
3.	बिहार	405	23	21	अप्रैल, 1990

1	2	3	4	5	6
4.	गोवा	2	—	—	मई, 1990
5.	गुजरात	612	15	59	जून, 1990
6.	हरियाणा	69	3	—	जून, 1990
7.	हिमाचल प्रदेश	59	1	5	मई, 1990
8.	जम्मू और कश्मीर	64	1	15	अप्रैल 1990
9.	कर्नाटक	56	—	4	अगस्त, 1990
10.	केरल	374	5	9	फरवरी, 1990
11.	मध्य प्रदेश	3725	69	187	अप्रैल, 1990
12.	महाराष्ट्र	267	10	36	मार्च, 1990
13.	उड़ीसा	257	—	2	मई, 1990
14.	पंजाब	24	7	—	मई 1990
15.	राजस्थान	1131	21	102	मार्च, 1990
16.	सिक्किम	5	—	—	अप्रैल, 1990
17.	तमिलनाडु	331	14	8	अप्रैल, 1990
18.	उत्तर प्रदेश	1067	58	175	सितंबर, 1989
19.	पश्चिम बंगाल	1	—	—	अप्रैल, 1990
20.	दिल्ली	3	—	—	जून, 1990
21.	दादर नागर हवेली	1	—	—	मई, 1990

टिप्पणी : अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

विवरण-2

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार अगस्त, 1989 से जुलाई, 1990 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अत्याचार के मामलों की संख्या, मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित किए गए अत्याचार के मामलों की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की सं०	घायल व्यक्तियों की सं०	अवधि अगस्त, 1989 से शुरू होकर निम्न-लिखित तक
1.	आन्ध्र प्रदेश	74	8	20	अप्रैल, 1990
2.	असम	20	1	1	फरवरी, 1990
3.	बिहार	29	6	—	अप्रैल, 1990

1	2	3	4	5	6
4.	गोवा	—	—	—	जून, 1990
5.	गुजरात	98	7	16	जून, 1990
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	जून, 1990
7.	कर्नाटक	9	—	—	अगस्त, 1989
8.	केरल	73	1	1	फरवरी, 1990
9.	मध्य प्रदेश	1867	44	103	मई, 1990
10.	महाराष्ट्र	159	8	6	मई, 1990
11.	मणिपुर	—	—	—	सितम्बर, 1990
12.	मेघालय	—	—	—	मार्च, 1990
13.	नागालैंड	5	1	1	जून, 1990
14.	उड़ीसा	155	1	1	मई, 1990
15.	राजस्थान	370	13	38	मई, 1990
16.	सिक्किम	9	—	4	जून, 1990
17.	तमिलनाडु	3	—	—	मई, 1990
18.	त्रिपुरा	—	—	—	जून, 1990
19.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	अगस्त, 1990
20.	पश्चिम बंगाल	7	1	1	अप्रैल, 1990
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	फरवरी, 1990
22.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	अगस्त 1989 से जनवरी, 90 तथा अप्रैल, 90 से जुलाई, 90 तक प्राप्त नहीं हुई।
23.	दादरा व नगर हवेली	11	—	—	जून, 1990
24.	दमन और दीव	—	—	—	जून, 1990
25.	लक्षद्वीप	—	—	—	जून, 1990
26.	मिज़ोरम	—	—	—	जून, 1990

नोट :— अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ

452. प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या श्रम मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के नाम क्या हैं और उनके सदस्यों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) सरकार उनकी सदस्य संख्या को किस प्रकार सत्यापित करती है; और

(ग) किसी उद्योग/संस्थान/उपक्रम में किसी श्रमिक संघ को मान्यता देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सत्यापित सदस्यता संलग्न विवरण-1 में दी गई है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न समितियों पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

(ख) केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इन संगठनों के साथ परामर्श करके प्राप्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

(ग) उद्योग और औद्योगिक उपक्रम या स्थापना के स्तर पर यूनियन को मान्यता प्रदान करने की पद्धति भारतीय श्रम सम्मेलन के 1958 के अधिवेशन द्वारा अनुमोदित अनुशासन संहिता में दी गई है जिसे संलग्न विवरण-2 पर देखा जा सकता है।

विवरण-1

31-12-1989 को केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सत्यापित सदस्यता

क्रमांक	केन्द्रीय संगठन का नाम	सत्यापित सदस्यता
1.	इंटक	22,36,128
2.	बी० एम० एस०	12,11,345
3.	एच० एम० एस०	7,62,882
4.	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)	6.21,359
5.	एन० एल० ओ०	2,46,540
6.	यू० टी० यू० सी०	1,65,614
7.	टी० यू० सी० ओ०	1,23,048
8.	एन० एफ० आई० टी० यू०	84,123
9.	एटक	3,44,746
10.	सीटू	3,31,031

विवरण-2

यूनियनों की मान्यता के लिए अनुशासन संहिता और मानदण्ड

I. उद्योग (सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों) में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि (1) मालिक और मजदूर एक दूसरे के उन अधिकारों और उत्तरदायित्वों को उचित मान्यता दें जो कि कानूनों और करारों (समय-समय पर सभी स्तरों पर किये गये द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय करारों के सहित) करारों द्वारा परिभाषित हैं और (2) प्रत्येक पक्ष ऐसी मान्यता से उत्पन्न अपने दायित्वों को उचित रूप से और स्वेच्छापूर्वक पूरा करे।

केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपनी ओर से इस बात का प्रबन्ध करेंगी कि श्रमिक कानूनों के प्रशासन के लिए उनके द्वारा बनायी गयी व्यवस्था में जो कोई कमियाँ हों, उनकी जाँच की जाए और उन्हें ठीक कर दिया जाय।

II. उद्योगों में श्रेष्ठतर अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धक और यूनियन (यूनियनों) इस पर सहमत हो गये (गयी) हैं।

(1) कि किसी औद्योगिक मामले में एकपक्षीय कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और विवादों को उचित स्तर पर निपटाया चाहिये;

(2) कि विवादों के निपटारे के लिए विद्यमान व्यवस्था का प्रयोग अधिक से अधिक शीघ्रता के साथ किया जाना चाहिए;

(3) कि बिना नोटिस के हड़ताल या तालाबन्दी नहीं होनी चाहिए;

(4) कि लोकतन्त्र के सिद्धान्तों पर दृढ़ता के साथ अपना विश्वास प्रकट करते हुए दोनों पक्ष अपने आपको इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वे भविष्य में अपने मतभेदों, विवादों और शिकायतों को आपसी बातचीत, समझौते और स्वेच्छा के मध्यस्थ निर्णय द्वारा निपटाएंगे;

(5) कि दोनों में से कोई भी पक्ष (क) उत्पीड़न (ख) डराने, धमकाने, (ग) सताने या (घ) काम की गति मन्द करने का रास्ता नहीं अपनायेंगे;

(6) कि वे (क) मुकदमेबाजी, (ख) बैठे रहकर और अन्दर बने रहकर हड़ताल और (ग) तालाबन्दी से बचेंगे;

(7) कि वे सभी स्तरों पर अपने प्रतिनिधियों और स्वयं मजदूरों के बीच रचनात्मक सहयोग बढ़ायेंगे और परस्पर किये गये करारों के भावार्थ के अनुकूल व्यवहार करेंगे;

(8) कि वे शिकायतों सम्बन्धी ऐसी प्रक्रिया परस्पर रजामन्दी से अपनायेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि उनकी तुरन्त ही और पूरी जांच हो जायेगी तथा उस परिणामस्वरूप मामले का निपटारा हो जाएगा;

(9) कि वे शिकायतों सम्बन्धी प्रक्रिया के श्रृंखला-क्रम को बरकरार रखेंगे और इस प्रक्रिया से बच निकलकर कोई मनमानी कार्रवाई न करें; और

(10) कि प्रबन्ध कर्मचारियों और मजदूरों के एक दूसरे के प्रति जो दायित्व हैं; उनका ज्ञान उन्हें वे करायेंगे ।

III. प्रबन्धकगण यह करार करते हैं—

(1) काम का बोझ बढ़ाने के लिए जब तक कि सहमति नहीं हो जाती या अन्यथा समझौता नहीं हो जाता, वह बढ़ाया न जाएगा;

(2) (क) कर्मचारियों के यूनियनों के सदस्य बनने या बने रहने के अधिकार में हस्तक्षेप करने, (ख) मजदूर यूनियनों की मान्य कारंवाइयों में भाग लेने के कारण किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभेद करने, उस पर रोक लगाने या दबाव डालने और (ग) किसी कर्मचारी को सताने और किसी भी रूप में शक्ति का दुरुपयोग करने जैसी श्रमिकों संबंधी किसी भी अनुचित कारंवाई का न समर्थन करेंगे और न उसे बढ़ावा देंगे;

(3) (क) शिकायतों के निपटारे और (ख) निपटारों, मध्यस्थ निर्णयों, विनिश्चयों और आदेशों के पालन के लिए तुरन्त कारंवाही करेंगे ।

(4) इस संहिता के उपबन्ध स्थानीय भाषाओं में उपक्रम के अच्छी तरह दिखने वाले स्थानों पर प्रदर्शित किये जायेंगे;

(5) जिन कार्यों के लिए नोकरी से तुरन्त निकालना उचित है उनके और ऐसे कार्यों के बीच भेद करेंगे जिनमें नोकरी से निकालने से पहले चेतावनी, भर्त्सना, मुअत्तिली या किसी अन्य प्रकार की अनुशासन कारंवाई आवश्यक है और इस का प्रबन्ध करेंगे कि ऐसी सभी अनुशासन कारंवाई के खिलाफ अपील शिकायत संबंधी साधारण प्रक्रिया के जरिए हो सके ।

(6) अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ ऐसे मामलों में समुचित अनुशासन कारंवाई करेंगे जिनमें जांच से पता चलता है कि मजदूरी की जिस जल्दबाजी की कारंवाई से अनुशासनहीनता हुई उसके लिए वे जिम्मेवार थे; और

(7) मई, 1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 16 वें अधिवेशन में यूनियनों को मान्यता देने के लिए जो कसोटियां (परिशिष्ट-I) तय हुई थी, उनके अनुसार उन्हें मान्यता देंगे ।

IV. यूनियनें इस बात से सहमत हैं कि—

(1) जोर जबरदस्ती करने की किसी प्रकार की कार्यवाई मे सम्मिलित न होंगी ।

(2) ऐसे प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगी जो शांतिपूर्ण नहीं है और प्रदर्शनों में गुण्डागर्दी नहीं करने देंगी ।

(3) उनके सदस्य यूनियन संबंधी कोई कारंवाई काम के घण्टों के दोरान उस सूरत के सिवाय, न तो करेंगे और न अन्य कर्मचारियों से करायेंगे, जिसमें कि ऐसा करना विधि, करार या परिपाटी से मान्य है ।

(4) (क) कर्त्तव्य निबाहने में उपेक्षा, (ख) लापरवाही से काम, (ग) सम्पत्ति को हानि पहुंचाना, (घ) रोजमर्रा के काम में दखल देने या गड़बड़ी करने और (ङ) आधीनता न मानने जैसी अनुचित श्रम कारंवाइयों को निरुत्साहित करेंगी।

(5) मध्यस्थ निर्णयों, करारों, समझौतों और विनिश्चयों के पालन के लिए तुरन्त कारंवाई करेंगी।

(6) इस संहिता के उपलब्ध स्थानीय भाषा (भाषाओं) में यूनियन कार्यालयों के अच्छी तरह दिखने वाले स्थानों में प्रदर्शित करेंगी; और

(7) जो कार्य संहिता के तत्वार्थ के विरुद्ध हैं, उनको करने वाले अपने पदाधिकारियों और सदस्यों की निन्दा करेंगी और उनके खिलाफ उचित कारंवाई करेंगी।

यूनियनों को मान्यता देने के लिए मानदंड

(1) जहां एक से अधिक यूनियनें हैं, वहां मान्यता का दावा करने वाली यूनियन के लिए यह आवश्यक है कि वह रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् कम से कम एक वर्ष तक काम करती रही हो। जहां केवल एक ही यूनियन है वहां यह शर्त लागू नहीं होगी।

(2) संबंधित उद्योग में कम से कम 15 प्रतिशत मजदूर उस यूनियन के सदस्य होने चाहिए। केवल उनकी सदस्यता गिनी जाएगी जिन्होंने गिनाई के पूर्व छ: महीनों में कम से कम तीन महीने का चन्दा दे दिया है।

(3) यदि किसी यूनियन में किसी स्थानीय क्षेत्र के उद्योग के कम से कम 25 प्रतिशत मजदूर सदस्य हैं तो वह यूनियन उस स्थानीय क्षेत्र के उद्योग की प्रतिनिधि के रूप में मानी जाने का दावा कर सकती है।

(4) जब किसी यूनियन को मान्यता दे दी जाए तब दो वर्ष की अवधि तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(5) जहां एक उद्योग या संस्थापन में कई यूनियनें है, वहां सबसे अधिक सदस्यों वाली यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिए।

(6) किसी क्षेत्र के उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन को उस उद्योग के सब संस्थानों के मजदूरों की यूनियन में उस संस्थान के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिये। किन्तु यदि किसी विशेष संस्थान के मजदूरों की यूनियन में उस संस्थान के 50 प्रतिशत या उससे अधिक मजदूर सदस्य हैं तो उसको अपने सदस्यों की शिकायतों जैसी स्थानीय हितों वाले विषयों के निपटाने के लिए कारंवाई करने का अधिकार होना चाहिए। जो अन्य मजदूर उस यूनियन के सदस्य नहीं हैं वे या तो उद्योग का प्रतिनिधि यूनियन की मार्फत कारंवाई कर सकते हैं या स्वयं ही कारंवाई कर सकते हैं।

(7) जो मजदूर यूनियन फेडरेशन चार केन्द्रीय श्रम संस्थानों में से किसी से भी सम्बद्ध नहीं है उनकी मान्यता के प्रश्न को पृथक रूप से निपटाना होगा।

(8) केवल वे ही यूनियनें मान्यता की हकदार होंगी जो अनुशासन संहिता का पालन करती हैं।

ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा

453. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईसाई दलितो अनुसूचित जाति का दर्जा देने से इनकार किए जाने के क्या कारण है; जबकि वे नव-बौद्ध दलितों के सम्मान ही उत्पीड़ित हैं;

(ख) क्या सरकार का ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) अद्यतन यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न कि ी धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।" इसे ध्यान में रखते हुए ईसाई धर्म अपनाने वालों को नवबौद्धों के बराबर नहीं माना जा सकता।

(ख) और (ग) आगामी कार्यवाही यदि कोई है, तो यह सभी अन्तर्गत मुद्दों की जांच के बाद ही की जा सकती है।

पंजाब के लिए नदी जल का हिस्सा

[अनुवाद]

454. श्रीमती बिमल कौर खालसा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के पहले पंजाब को कितना नदी जल मिलता था;

(ख) पंजाब को रावी, ब्यास, सतलुज, घग्घर, मरकंडा और यमुना नदियों से मिलने वाले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पानी की कमी के कारण पंजाब के रेगिस्तान में बदल जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पहले और बाद में नदी जल की उपलब्धता निम्न है —

नदियां	1966 से पहले तत्कालीन पंजाब के लिए (घन मिलियन मी०)	1966 के पश्चात् पुनर्गठित पंजाब के लिए (घन मिलियन मीटर)	अभ्युक्ति
(i) रावी और ब्यास (क्रमशः 1955 और 1981 के समझौते के अनुसार)	11319 4395*	7645 +395*	
(ii) सतलुज (1959 के भाखड़ा नांगल समझौते पर आधारित)	15240	9926	

1	2	3
(iii) यमुना (वास्तविक प्रयोग)	4537	—1966 के पश्चात् लाभान्वित
(iv) मरकंडा सहित घग्घर नदी (वास्तविक)	लगभग 375	—क्षेत्र हरियाणा में चले गए हैं

*शाहु नहर केनाल में पंजाब द्वारा विभाजन से पूर्व प्रयोग।

(ग) जी, नहीं। सूचित किया गया है कि पंजाब के निवल बुआई क्षेत्र का 89% से अधिक सिंचाई के अन्तर्गत है, जिसमें सिंचाई की गहनता 177% है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रोपैथी सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

455. श्री जगन्नाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली संबंध जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि रिपोर्ट पेश नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जांच समिति की कार्यवाही पूरी हो गई है और इसमें विलम्ब होने का मुख्य कारण यह है कि समिति विभिन्न साक्ष्यों और इसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ इसके सम्बन्धों की जांच कर रही थी जिसकी सावधानीपूर्वक जांच करनी थी।

दिल्ली के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम ऋण के लम्बित मामले

456. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या श्रम मन्त्री दिल्ली के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि अग्रिम ऋण के लम्बित मामलों के बारे में 25 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 641, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के उप-लेखा कार्यालय को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आवासीय भवन के लिए अग्रिम ऋण देने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे कितने मामले है जहां उपभोक्ता द्वारा अधिकार पत्र पेश किए बिना और केवल मुख्तारनामा के आधार पर ऋण की दूसरी किस्त जारी की गई है; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जहां उपभोक्ता द्वारा मुख्तारनामा और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज पेश करने के बावजूद ऋण की दूसरी किस्त रोक ली गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 102 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) शून्य।

(ग) यह सूचित किया गया है कि एक मामले में आवेदक द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अग्रिम ऋण की अदायगी रोक दी गई है।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या-1, धनबाद

457. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या-1, धनबाद के न्यायाधीश को उस न्यायालय का कार्यकाल छह महीने से अधिक समय तक रोकने के लिए उचित प्राधिकार नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के लिए नए ब्लाक का चयन

458. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के लिए सपूर्ण भारत से कितने नये ब्लाकों का चयन किया गया है;

(ख) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के लिए इन ब्लाकों के चयन के लिए किन दर्शन दर्शनों का पालन किया जाता है ?

कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित नई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं वर्ष 1990-91 के लिए अभी आवंटित नहीं की गई है।

(ग) इन ब्लाक के चयन में जिन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया वे इस प्रकार हैं :

(क) जनजातियों, विशेषकर पिछड़ी जनजातियों के निवासियों की बहुलता वाले क्षेत्र।

(ख) अनुसूचित जाति के निवासियों की बहुलता वाले क्षेत्र;

(ग) ऐसे क्षेत्र जहां अक्सर सूखा पड़ता हो;

(घ) शहरी गन्दी बस्तियां।

इसके अलावा निम्नलिखित किस्म के क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाता है—

(ङ) मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने ब्लाक;

(च) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अन्तर्गत आने वाले ब्लाक

(छ) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल वाले जिलों में ब्लाक

(ज) वे क्षेत्र जहां अक्सर बाढ़ आती हो।

पेरुवन्नान समुदाय को अनुसूचित जन जातियों को सूची में शामिल करना

459. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पेरुवन्नान समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का है?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना

460. **श्री ओ० एम० बनातवाला** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्प विकास को प्रोत्साहन देने तथा अल्पसंख्यकों की सहायता करने हेतु शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों की संरचना, उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों के प्रस्तावित स्थलों शिल्प चयन तथा इनकी स्थापना से संबंधित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। मुख्य रूप से अल्पसंख्यक द्वारा चलाए जा रहे शिल्पों के विकास को बढ़ावा देने हेतु 3 शिल्प विकास केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) राज्य हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा संचालित शिल्प विकास केन्द्र शिल्पियों का यथा अपेक्षित सेवाएं अर्थात कच्चा माल डिज़ाइन तथा तकनीकी मार्गदर्शन की आपूर्ति और विपणन प्रापण आदि के लिए एक सेवा केन्द्र होगा।

(ग) प्रस्तावित शिल्प विकास केन्द्रों का विवरण इस प्रकार हैं :—

राज्य	स्थान	शिल्प	कार्यान्वयन एजेंसी
उत्तर प्रदेश	आगरा	संगमरमर नक्काशी/ पत्थर कार्य	यू० पी० इ० निगम
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	बीदरी	ए० पी० एच० वि० निगम
पश्चिम बंगाल	हावड़ा/हुगली	चीकन कार्य	डब्ल्यू० बी० एच० वि० निगम

शिल्पी विकास केन्द्रों द्वारा इस वर्ष में कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें

[हिन्दी]

461. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए क्रमश: कुल कितनी सीटें हैं और उनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) वर्ष 1989 और 1990 में अब तक ऐसी कितनी आरक्षित सीटें रिक्त रहीं और इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में इन कालेजों में विभिन्न विषयों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया और इनमें से कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(घ) इस अवधि के दौरान प्रवेश के समय ऐसे छात्रों को "अंकों" में कितनी छूट दी गई है; और

(ङ) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सीटें आरक्षित रखता है और इन छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में छूट देता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेलों का आयात

[अनुवाद]

462. श्री राम सागर (सैदपुर) :

श्री सुरेन्द्र सिंह :

श्री बी० एस० बासवराज :

श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट :

श्री मानिकराव होडल्य गावीत :

श्री हरिन पाठक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य तेलों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस वर्ष खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का आयात किए जाने की आशा है और इनका पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना आयात किया गया;

(घ) खाद्य तेलों का आयात किन-किन देशों से किया जाना है और इसकी दर क्या होगी और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनका किस दर पर आयात किया गया था; और

(ङ) सरकार खाद्य तेलों का समुचित उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसकी कालाबाजारी न हो ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) खाद्य तेल का देशीय उत्पादन देश की खाद्य तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है। इस बात को ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा उचित मूल्यों पर खाद्य तेल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए खाद्य तेल का आयात किया जा रहा है :

(ग) इस वर्ष आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा काफी हद तक खाद्य तिलहनों की आगामी खरीफ की फसल तथा खाद्य तेलों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अतः इस वर्ष आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा बता सकना सम्भव नहीं है। तथापि, गत तीन वर्षों में आयात किए गए तेल की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष (वित्तीय)	आयात (लाख मी० टन में)
19৩7-88	19.67
1988-89	10.89
198?-89	2.96

(घ) इस समय केवल परिष्कृत, विरंजित तथा निर्गन्धीकृत पामोलीन का आयात किया जा रहा है और यह तेल मलेशिया तथा इण्डोनेशिया से मंगाया जाता है। चूंकि इस वर्ष आयात की जाने

वाली सम्पूर्ण मात्रा के बारे में न तो अभी कोई निर्णय लिया गया है और न ही उसके लिए कोई अनुबंध किया गया है, अत: इस वर्ष आयात किए जाने वाले तेल की दर बता सकना सम्भव नहीं है। तथापि, गत तीन वर्षों में आयात किए गए पामोलीन की दरें इस प्रकार थीं :

वर्ष (वित्तीय)	औसत लागत, बीमा, भाड़ा करार मूल्य प्रति मी० टन
1987-88	5264/-रु०
1988-89	6652/-रु०
1989-90	5832/- रु०

(ङ) आयातित खाद्य तेल केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तन्त्र के जरिए वितरित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए तेल के उचित तथा योद्देश्य वितरण की जिम्मेदारी मुख्यतौर पर राज्यों की है। फिर भी, केन्द्र राज्यों को समय-समय पर सलाह देता रहा है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रवर्तन तन्त्र को चुस्त करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत तेल का उपयुक्त उपयोग हो तथा यह कालाबाजार में न जाने पाए। इसके अलावा, केन्द्र राज्य सरकारों से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर रहा है कि किसी महीने विशेष में आवंटित खाद्य तेल का उपयोग वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया गया है।

बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

[हिन्दी]

463. श्री धर्मार्थ तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन जिलों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) कितने हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त हैं और यह राज्य के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत है; और

(ग) बिहार को बाढ़ राहत के लिए कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) इस वर्ष के दौरान बिहार सरकार ने अभी तक 10 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है।

(ख) राज्य का लगभग 16% क्षेत्र अर्थात 2.78 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है।

(ग) इस वर्ष के दौरान आपदा राहत के लिए अभी तक 6.56 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

केन्द्रीय सरकार के पास बिहार की बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सम्बन्धी लम्बित परियोजनाएं

464. श्री धर्मार्थ तिवारी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास बिहार की बाढ़ नियन्त्रण और सिंचाई संबंधी कितनी परियोजनाएं लम्बित हैं; और

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) और (ख) 4 बाढ़ नियंत्रण तथा 9 बृहद एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया है और योजना आयोग को सिफारिश की गई है। 6 बाढ़ नियंत्रण स्कीमों तथा बृहद एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों पर टिप्पणियों के उत्तर की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है। 6 बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों तथा 6 बृहद एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों की जांच पूरी नहीं हुई है।

जनजातीय उपयोजना और विशेष/संघटक योजना के अन्तर्गत पंजाब को आवंटन

[अनुवाद]

465. श्री कमल चौधरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब को जनजातीय उपयोजना और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान, इन परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजाब में जिलावार, कितने परिवारों को लाभ पहुंचा ?

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पंजाब सरकार ने राज्य योजना परिव्ययों, विशेष संघटक योजना परिव्ययों तथा विशेष केन्द्रीय सहायता जो कि विशेष संघटक योजना के अतिरिक्त है, का निम्नानुसार विवरण दिया है :

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता
1987-88	79031.00	2662.11	697.07
1988-89	7000व.00	2976.63	649.23
1989-90	78900.00	4392.31	618.64

क्योंकि राज्य में कोई भी समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, राज्य में कोई आदिवासी उपयोजना नहीं है।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार जिलावार लाभग्राही परिवारों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा एकत्र किए जा रहे हैं। यह भी बताया गया है कि विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जाति को लाभ पहुंचाने के लिए मूलतः परिवार इकाई नहीं है।

तथापि 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 11(I) के अन्तर्गत जहां परिवार को एक इकाई माना जाता है, वहां लाभ केवल अनुसूचित जाति परिवारों को ही पहुंचाए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान

20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(I) के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति परिवारों का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	लाभ प्राप्त परिवारों की संख्या
1987-88	46939
1988-89	53695
1989-90	62610

पंजाब में शहरी प्राथमिक सेवा योजनाएं

466. **श्री कमल चौधरी :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान शहरी प्राथमिक सेवा योजना के अन्तर्गत पंजाब मे विकसित किए गए शहरों का ब्योरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु पंजाब में चुने गए शहरों का ब्योरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 1988-99 और 1989-90 के दौरान शहरी मूलभूत सेवा योजना पंजाब के निम्नलिखित शहरों में क्रियान्वित की गई थी :

(i) लुधियाना, (ii) जगरांव, (iii) रायकोट, (iv) मच्छीवाड़ा, (v) समराला, (vi) मुल्लानपुर दाखा, (vii) पायल, (viii) दोराह, (ix) खन्ना।

(ख) पंजाब सरकार ने 1990-91 के दौरान स्कीम को लागू करने के लिए (i) लुधियाना, (ii) जालन्धर, (iii) अमृतसर तथा (iv) पटियाला शहरों को चुना है। निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत नयी परियोजना के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब के लिए 39 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

पंजाब में गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु केन्द्रीय सहायता

467. **श्री कमल चौधरी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु पंजाब को कोई केन्द्रीय राशि आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी थी; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु चुने गये जिलों/शहरों का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। मलिन बस्तियों के उन्मूलन की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। तथापि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी मलिन-बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार नामक मलिन बस्ती सुधार की एक योजना राज्य क्षेत्र में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 8 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सुधार के लिए मलिन बस्तियों को लिया गया था। इस योजना को सम्पूर्ण जिला या सम्पूर्ण कस्बा आधार पर कार्यान्वित नहीं किया जाता है। पंजाब में शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रमों से 6.67 लाख मलिन बस्ती निवासियों को लाभ पहुंचा है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने जो नोटिस दिया है, मैं उसको लेने की कोशिश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मुझे निवेदन करने दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कुमारमंगलम बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : ऐसा लगता है वे भूल गए हैं कि बंगाल में क्या हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें। लंका के मुद्दे पर आइए।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस मुद्दे के लिए नोटिस दिया है वह विशेष रूप से केवल मेरे राज्य से ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र से सम्बन्धित है। आज करीब दो लाख शरणार्थी, गरीब तमिलभाषी, श्रीलंका से तमिलनाडु आए है। स्थिति दिन प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। शरणार्थियों की देखभाल कैसे की जाए और श्रीलंका से आए शरणार्थियों के लिए वित्त की कमी नीतिगत मामले हैं। हम तो उन्हें आवास भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, खाना या कपड़े या किसी व्यवसाय की तो बात ही दूर है। श्रीलंका में जातीय स्थिति बद से बदतर हो रही है। तमिलनाडु में हमारी सरकार खुले रूप में आतंकवादियों से मिली हुई है और नशीली दवाओं की तस्करी हुई है और उनका व्यापार हो रहा है। सिर्फ यही नहीं। सारी कानून और व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ महोदय, मैं विदेश मन्त्री जी से उनका वक्तव्य चाहूंगा—क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के प्रतिनिधि मण्डल से भेंट की है—कि भारत सरकार इन शरणार्थियों के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है और इस जातीय संघर्ष में हम क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं। क्या हम एक तरफ खड़े होकर दर्शकों की तरह, एक ओर 'लिट्टे' और दूसरी ओर श्रीलंका की सरकार द्वारा निर्दोष तमिलों की हत्या होते देखते रहेंगे? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, त्रिपुरा में जो हो रहा है वह सिर्फ कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है। (व्यवधान) हाल ही में स्वायतशासी जिला परिषद के चुनाव कराए गए थे और वहां हुए चुनाव एक धोखा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री वसुदेव आचार्य को निवेदन करने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : स्वतन्त्रता के पश्चात् ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इन चुनावों में, मतदान केन्द्र के अन्दर, कांग्रेस (ई) के गुण्डों द्वारा एक मतदान एजेन्ट की हत्या कर दी थी, 126 लोगों की हत्या की गई थी, औरतों की हत्या की गई थी और आदिवासियों की हत्या की गई थी। (व्यवधान) त्रिपुरा में प्रजातन्त्र की हत्या कर दी गई है। त्रिपुरा के राज्यपाल ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को सुनने के लिए तैयार हूं। आप कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन में व्यवस्थित चर्चा करने का यह उचित तरीका नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हमें व्यवस्थित चर्चा करनी चाहिए। लोगों से सम्बन्धित मुद्दों को यहां उठाया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार से नहीं। मैंने श्री बसुदेव आचार्य को बोलने की अनुमति दी है। मैं नहीं जानता कि वह क्या कहने जा रहे हैं। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह याद कराना चाहूंगा कि सामान्यतया यहां पर राज्य सम्बन्धी मामलों पर चर्चा नहीं की जाती है। बात यह है कि हरिजनों और महिलाओं पर अत्याचारों के सम्बन्ध में हमने आज 4.00 म० प० पर चर्चा शुरू करने का निर्णय किया है। हमने महिलाओं पर अत्याचारों के सम्बन्ध में भी चर्चा की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जी हां, आप ठीक हैं। हम किसी राज्य की कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। राज्यपाल ने एक रिपोर्ट दी है। हम उस रिपोर्ट को प्रकाशित करवाना चाहते हैं। (व्यवधान) हम जानना चाहते हैं कि वह रिपोर्ट क्या है। मन्त्री महोदय को इसका जवाब देना चाहिए (व्यवधान) हम जानना चाहते हैं कि राज्यपाल की रिपोर्ट क्या है। हमें इस बारे में बताया जाना चाहिये। (व्यवधान) यह राज्य सरकार का मामला नहीं है। केन्द्र सरकार ही इस बारे में बता सकती है। (व्यवधान) महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। हरिजनों और अनजातीय लोगों की हत्याएं हुई हैं। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : गृह मन्त्री यहां उपस्थित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत पांजा, कृपया अपनी जगह पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अपने-अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठिए। श्री सोमनाथ चटर्जी क्या आप अपने सदस्यों को बैठने के लिए कहेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहम्मद शफी, आप संयमित व्यवहार नहीं कर रहे। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री सन्तोष मोहन देव ।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यदि मंत्री महोदय दूसरे दल के माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मामलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह कुछ अजीब बात है कि गृह मंत्री महोदय भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उठाये गए प्रत्येक मामले का जवाब देने में बड़े तत्पर हैं। परन्तु दूसरे दलों के सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों का वह उत्तर क्यों नहीं देते ? ...(व्यवधान)... मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए परन्तु दूसरे सदस्यों के प्रति भी वैसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए... (व्यवधान) श्री अजीत पांजा ने पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाये हैं... (व्यवधान)...उन्होंने एक ऐसा मामला उठाया है जो त्रिपुरा में स्वायतशासी जिला परिषद के (ए० डी० सी०) चुनाव के सम्बंध में है। माननीय सदस्य को ए० डी० सी० के बारे में चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह राज्य का मामला है। यदि स्थिति बिगड़ती है तो मैं हस्तक्षेप करने और वक्तव्य देने के लिए उनका स्वागत करूंगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस मामले को सही परिप्रेक्ष्य में देखें कांग्रेस दल के 16 कार्यकर्ता मारे गए। कल भी वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के दो लोगों को मार दिया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, पहले मि० रावत का प्वाइंट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी (श्रीनगर) : हम क्या इस हाउस के मैम्बर नहीं है, आप हर किसी को एलाऊ कर रहे हैं, लेकिन मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्वाइंट आफ आर्डर के बाद, मैं आपको बुलाऊंगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी एक आज्ञाकारी शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका प्वाइंट आफ आर्डर है, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आप उनको आज्ञा ही क्यों देते हैं, इशारा करेंगे तो वे खड़े हो जाएंगे और रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। (व्यवधान)

माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी साहब ने वसुदेव आचार्य जी की बात का समर्थन करते हुए यह कहा कि त्रिपुरा राज्य के गवर्नर महोदय ने कोई कम्युनिकेशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा, जो त्रिपुरा

राज्य से सम्बन्धित था, और कहा कि मंत्री जी को उस पर बयान देना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिये, जिसके उत्तर में होम मिनिस्टर साहब उठ गये, रिएक्ट करने लगे। (व्यवधान)

किसी भी राज्य के गवर्नर यदि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन करते तो यहां होम मिनिस्टर साहब उस मामले कैसे रिएक्ट सकते हैं, जब तक कि वह विषय सदन के सामने नहीं आ जाता। (व्यवधान) मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब उस मामले में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। यदि सोमनाथ जी कोई बात सदन में कहें, और यह निवेदन करें कि यह मंत्री जी को रिएक्ट करना चाहिए तो यह जरूरी तो नहीं कि तुरन्त यह मंत्री महोदय उठ कर रिएक्ट करने लग जायें। यदि सदन में इस तरह की गलत परम्परा डाल दी जायेगी तो हम सबके लिए ठीक नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरीश रावत : मैं यही कहना चाहता हूं कि सदन में कोई गलत परम्परा नहीं डाली जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप संतोष मोहन देव जी का समर्थन ही कर रहे हैं न।

श्री हरीश रावत : मेरा मतलब है कि किसी राज्य के गवर्नर और केन्द्र सरकार के बीच में यदि कोई कम्युनिकेशन होता है, उस ईश्यू को यदि कोई माननीय मेम्बर उठ कर सदन में उठाना चाहें और यह मंत्री जी से कहें कि बयान दी और मंत्री जी उठ कर रिएक्ट करना शुरू कर दें तो इससे सदन में गलत परम्परा पड़ेगी और होम मिनिस्टर साहब को ऐसे सैंसिटिव मामलों पर बयान नहीं देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरीश रावत : अभी तो मैंने कम्पलीट ही नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर ज्यादा बोलने के लिए और है ही क्या ? आई थिंक, हमें हाउस का और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिये :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने रूल बुक तो पकड़ी हुई है, मगर उसे खोलते ही नहीं हैं। यह तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत, किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं इस बात को भी बता रहा हूं। केवल प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का ही नहीं बल्कि संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : एक पत्र व्यवहार गवर्नर और केन्द्र सरकार के बीच में जिसका जिक्र

किया जा रहा है, उनको जब तक हाउस के सामने टेबल में रखा नहीं जाता है तो उसके विषय में वे कैसे व्यक्त कर सकते हैं ? इससे पत्र व्यवहार की गोपनीयता भंग होती है और गृह मंत्री जी को इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हमारा किसी राज्य से संबंधित किसी मामले को उठाने का इरादा नहीं है परन्तु त्रिपुरा में क्या हो रहा है—31 जुलाई और 1 अगस्त को मैं वहां गया—मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरी बात शान्तिपूर्वक सुनें। वहां बड़ी भयावह घटनाएं घट रही हैं। हमने उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ बलात्कार किया गया है, त्रिपुरा में 12 महीनों में 132 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है।···(**व्यवधान**)···

श्री संतोष मोहन देव : वह एक**···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइए। उस शब्द को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव ने एक मुद्दा उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सदस्यों को मामले उठाने के लिए अनुमति देने के संबंध में यह नयी प्रथा शुरू की है और इसलिए मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। आप भी इस बात से सहमत हैं कि यदि कोई मंत्री सदस्यों द्वारा उठाए गये मामलों का जवाब देने का प्रयास करता है तो वह मंत्री ऐसा कर सकता है। मैं श्री सन्तोष मोहन देव की इस बात से सहमत हूं कि मंत्रियों को निष्पक्ष होना चाहिए। जब कोई सदस्य किसी मामले को उठाता है और उस मामले के सम्बन्ध में सभा की सहमति के लिए उनके पास कोई सूचना है तो मेरे विचार से वह मामला सभा तथा सम्बन्धित सदस्यों की सन्तुष्टी के लिए निबट जाता है। इसमें गृह-मन्त्री की तरफ से कोई गलती नहीं है कि वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे सहयोगी की बात का जवाब देने के लिए तुरन्त खड़े हो गए। मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या कहना है।

मैं मन्त्रि से भी यह कहूंगा कि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि इसके कारण ही आलोचना की गयी है। श्री संतोष मोहन देव का यह तर्क है और मैं उनके इस तर्क से सहमत भी हूं।

अब गृहमन्त्री बोलें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे अभी अपनी बात पूरी करनी है।

गृह मन्त्री मेरे बाद बोलें। यह बड़ा गंभीर मामला है।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए—मैंने बता दिया है कि मन्त्री महोदय को क्या कहा जाना चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि उन्हें क्या कहना है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष अध्यक्ष : श्री चिदम्बरम, यद्यपि वे किसी दल में हैं लेकिन फिर भी भारत सरकार के के मन्त्री हैं। वे अपनी जिम्मेदारी जानते हैं।

(**व्यवधान**)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय की बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर वापस चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या कहना है।

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : महोदय इससे पूर्व कि वह श्री चौधरी की बात का जवाब दें मैं अपना स्थगन प्रस्ताव रखना चाहता हूं जिसके लिए मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि कश्मीर की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। इसको देखते हुए मैंने एडजर्नमेंट मोशन आपको दिया था। जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जो वाकयात कश्मीर में हुए, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं माना है। मैं इस विषय पर बोलने का आपको समय दे दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, वे अभी स्थगन प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं तो क्या मैं उन्हें अनुमति नहीं दूं? मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या कहना है।

(व्यवधान)

श्री अजोय घोष (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : गृह मन्त्री महोदय को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय को क्या कहना है। आपको उन्हें बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्वाइंट हैं—एक तो बंबी के एक लाख 25 हजार सरकारी मुलाजिमों ने जुलाई के तीसरे हफ्ते में दो आई० ए० एस० अफसरों को सेंटर में डेपुटेशन पर

भेजने के विरोध में स्ट्राइक की । दूसरा प्वांइट यह है कि सिविल सेक्रेटेरिएट जहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि कोई परिन्दा नहीं आ सकता है, वहां बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोग जख्मी हुए । हमसे कहा जाता है कि 100 टैरारिस्ट पकड़े गये, 500 गिरफ्तार हुए लेकिन वारदातों में कोई कमी नहीं आ रही है । कश्मीर से पांच हजार लोग आ गये हैं और बहुत से लोग कश्मीर छोड़कर यहां आने वाले हैं । राजौरी, पुंछ से भी लोग यहां आ रहे हैं ।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपका हो गया है, आप बैठ जाएं ।

श्री धर्म पाल शर्मा : आपने जो पावर्स रिक्योरिटी प्रोसिज को दी हैं, वह ठीक हैं । लेकिन कश्मीर में बेकसूर लोगों को आये दिन मारा जा रहा है; उस पर काबू करने की आवश्यकता है । वहां मासूम लोगों पर जुल्म हो रहे हैं । अखबारों में आया है कि परसों बी० एस० एफ० के आदमियों ने सोए हुये ।। बच्चों और औरतों को मार दिया । उन्होंने सोये हुये लोगों पर गोलियां चलायीं और दो मकान जला दिये । सिक्योरिटी फोर्सिज वाले टैरिस्ट्स को अवश्य ही पकड़ें लेकिन गरीब और निहत्थे लोगों पर जुल्म नहीं होना चाहिये । आप हाई कोर्ट के जज द्वारा इस मामले की इनक्वायरी करवायें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

श्री धर्म पाल शर्मा : मैं यह चाहूंगा कि जिन लोगों को घरों में जाकर मारा गया है, उसके ऊपर होम मिनिस्टर साहब जवाब दें । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी : वह कुछ कहें, उससे पहले हमें कहने दीजिये । वहां क्या हंगामा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, वह इनको जरा बता देंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइये । मैं आपको नहीं सुन रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद शफी : जो गोलीबारी हुई है, मास रेप हुआ है उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद शफी : कृपया आप मेरी भी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शफी, आप अपने स्थान पर जाइए । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ? मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

[हिन्दी]

आप संसद् की गरिमा के खिलाफ काम कम कर रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : हम लोग तो सुबह से आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको लिखकर दिया हुआ है । हम भी इश्यू उठाना चाहते हैं ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : जो चाहे खड़ा हो जाता है। हमने लिखकर दिया हुआ है, हमारे नोटिसों का क्या हुआ ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, आप क्या क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री से केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर टिप्पणी करने से पहले निःसंदेह उन्हें इसका पूरा अधिकार है, जो उनकी पसन्द है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन विषयों को दोहरा रहे हैं जिन्हें पहले ही उठाया जा चुका है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : नहीं। मैं दोहरा नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं ? मेरे विचार में आप वही विषय दोहरा रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं उस बात को दोहरा नहीं रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा रहा हूं कि इस सभा मे भी, महत्वपूर्ण और एक जैसे विषयों का इस ओर के सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है। यहां तक कि कल, मैंने स्वयं गजरौला घृणित अपराध अर्थात् महिलाओं पर अत्याचार सम्बन्धी घटना का उल्लेख किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यहां क्या हो रहा है ? क्या वे प्रधानाचार्य हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि आप उसी विषय मे को उठा रहे हैं जिस पर मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं उसी मुद्दे को दुबारा नहीं उठा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : कार्य मन्त्रणा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लें ही लिया है कि 16 तारीख को इस पर चर्चा की जाए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे आश्चर्य है कि यहां जो हुआ उसमे एक महिला सदस्य को सहानुभूति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे जानती हैं कि मैं चर्चा की अनुमति देने वाला हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कल मैंने स्वयं और अन्य सदस्यों ने यहां इसका उल्लेख किया था। माननीय मन्त्री शायद उनके पास कोई सूचना नहीं थी —ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब आप दूसरे सदस्यों को जवाब देंगे, आप इस इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे यहां उठाए जाते हैं। इसलिए, उन्हें इसका भी जवाब देना चाहिए। यदि वे उसका जवाब देते हैं, उन्हें उसका भी जवाब देना चाहिए जो हमने कल कहा। वे इसकी इस प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्हें इस पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। कल हमने गजरौला

के बारे में जो कहा था, उन्हें पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें। उन्हें इस पर अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आधा घण्टा हो गया, आपने आधे घंटे में दो या तीन बार गृह मन्त्री जी को बोलने के लिए पुकारा। उसके बाद किसी-न-किसी बहाने से उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, क्या ये अध्यक्ष हैं···(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, क्या यह अपेक्षा है, इस प्रकार का आचरण उसकी प्रतिक्रिया जब तक यहां से न हो, तब तक गृह मन्त्री जी नहीं बोलेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जीरो-आवर को संचालित करने के लिए कुछ परम्पराएं बनाई, कुछ नियम बनाए लेकिन बिना कोई सूचना दिए जो चाहता है वह खड़ा हो जाता है। इस प्रकार 35-40 मिनट का समय सदन का बर्बाद हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं गिनती करा सकता हूं कि बिना सूचना दिए, बिना अनुमति के कितने विषय उठाए गए और गृह मन्त्री जी को तीन बार पुकारने के बाद भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के आचरण की अनुमति न दें।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं सदन को संचालित करूंगा। आप बैठ जाएं। साठे साहब, मैं आपसे कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : मैं आडवाणी जी की बात का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आपने समर्थन कर दिया, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : आडवाजी जी मैं बिल्कुल सहमत हूं कि होम मिनिस्टर साहब जरूर जवाब दें, निष्पक्षता से जवाब दें, सबके जवाब दें···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब, मैं रूलिंग दे चुका हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करती; किन्तु त्रिपुरा में क्षेत्रीय, जनजातीय परिषद् और अन्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशंका थी कि अशान्ति और मार-काट का खतरा हो सकता है। इसलिए यहां तक कि त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने भी अर्ध सैनिक बल भेजने का निवेदन किया था। हमें एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। हमने सब का पता लगाने के लिए एक दल भेजा था, और यहां तक कि त्रिपुरा सरकार ने भी सूचित किया था कि चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं भी हुई थीं। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं अर्ध सैनिक बलों को भेजने के बारे में जो भी जानता हूं वह मुझे कहना है। कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां दलों के बीच झड़पें हुई हैं; किन्तु अर्ध सैनिक बलों को

संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं भेजा गया। (व्यवधान) त्रिपुरा में अर्ध सैनिक बलों की उपस्थिति के बावजूद वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। भारत सरकार को मजबूरन वहां अर्ध सैनिक बलों को तैनात रहने के लिए आदेश देना पड़ा। मैंने त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री से यह निवेदन किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वहां फिर से सामान्य स्थिति बहाल हो जाए और जहां भी किसी भी दल के असामाजिक तत्व हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियन्त्रण रखने के लिए उचित कदम उठाएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

(व्यवधान)

श्री अजीत पांजा : मैंने पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित मुद्दे पर नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां तक गजरौला का सम्बन्ध है, ··(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : वह गजरौला का हवाला दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां तक गजरौला का सम्बन्ध है।

मैं आज 4 म० प० पर एक वक्तव्य दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे आज 4 म० प० पर गजरौला पर वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उन्हें कम से कम पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री बी० एन० गाडगिल (पुणे) : कलकत्ता में जो कुछ हुआ उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। इस लिए, वे इस पर टिप्पणी अवश्य करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

श्री अजीत पांजा : मैं भी चाहता हूं कि गृह मन्त्री इस पर एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, आपने अपनी बात कह ली। अब आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैं इस सदन में पिछले सत्र के दौरान दिल्ली, जिसका आज कोई माई-बाप नहीं है, इसमें डी० टी० सी० की समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाया था। मैंने कहा था कि 40 हजार एम्पलाईज हैं। (व्यवधान) उन्होंने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए आश्वासन दिया था। उस समय जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की थी उनमें से 3600 लोगों को निकाल दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी तक उनके ऊपर फोर्थ पे कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। उनके बाद हड़ताल हुई, हड़ताल के बाद दो साल में दिल्ली के अन्दर साढ़े पांच सौ डी० टी० सी० की बसें कम हुई हैं जबकि लक्ष्य यह था कि सातवें प्लान के अन्तर्गत दिल्ली के अन्दर साढ़े सात हजार बसें चाहिए थीं, पहले टोटल 5587 बसें थीं, लेकिन आज केवल 5032 बसें रह गई हैं। इस तरह से डी० टी० सी० बसों की संख्या कम होती जा रही हैं।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मजे की बात तो यह है कि जो अफसर इसमें जिम्मेदार थे वह उस समय कांग्रेस से मिले हुए थे और चुनाव के समय उन्होंने टिकटें भी बंटवायी थी, उन लोगों में से एक को तो प्रमोशन दे दिया गया और दूसरे को चेयरमैन बना दिया गया। दूसरे को डी० टी० सी० का चेयरमैन बना दिया गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया तो दिल्ली की जनता चुप नहीं रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मन्त्री महोदय को आदेश दें कि डी० टी० सी० की स्थिति में सुधार करने के लिए और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां के ससद-सदस्यों की एक मीटिंग बुलाएं, ताकि सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। आज आठ महीने हो गए हैं इस सरकार को, लेकिन डी० टी० सी० की हालत में सुधार नहीं हुआ है। मेरा निवेदन हैं कि मन्त्री महोदय इस पर तुरन्त कार्यवाही करें। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, रेडियो और दूरदर्शन के 8000 प्रोग्राम आफिसर्स पिछले 1 अगस्त से सत्याग्रह पर गए हुए है। उनकी मांग है कि इंडियन ब्राडकास्टिंग सर्विस का निर्माण किया जाए। 1985 में केबीनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी थी, उसके बाद 5 साल बीत गए है, लेकिन अभी तक इण्डियन ब्राडकास्टिंग सर्विस नहीं बनाई गई है। मन्त्री महोदय ने बहुत बार इस बारे मे आश्वासन भी दिए हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में फौरन फैसला करे, क्योंकि इसके कारण प्रोग्राम आफिसर्स जो रेडियो और दूरदर्शन में हैं, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और प्रोग्राम्स में भी दिक्कत आ रही है। इसके बारे में विलंब हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इस समस्या को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने श्री एन० एन० झा को श्रीलंका में उच्चायुक्त नामजद करके भेजा है। यद्यपि वे वहां पिछले पन्द्रह दिनों से अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परन्तु श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री प्रेमदास ने उन्हें अनुमति नहीं दी। श्रीलंका जैसा छोटा देश भारत के साथ इस प्रकार ढिठाई से पेश आ रहा

है क्योंकि यह सरकार लापरवाह, उदासीन और कमजोर सरकार है और इस प्रकार स्थिति और खराब हो गई है। श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच युद्ध के कारण प्रतिदिन हजारों नागरिक श्रीलंका में मारे जा रहे हैं।

तमिलनाडु में शरणार्थियों की उचित रूप से रक्षा नहीं की जा रही है। विशेष रूप से ई०एन० डी० एल० एफ० और ई० पी० आर० एल० एफ० से सम्बन्धित शरणार्थियों की रक्षा नहीं की जा रही है। इन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री लिट्टे के प्रति उदार हैं। (व्यवधान) ई० पी० आर० एल० एफ० और ई० एन० डी० एल० एफ० को भोजन या किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है ···(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : विदेश मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना आवश्यक है कृपया उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठें, आप जानते हैं कि किस प्रकार संक्षेप में अपनी बात कहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, नोटिस देने का मतलब यह नहीं है कि आपको मौका मिल ही जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : मैं संक्षेप में बोलूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे एक वक्तव्य देंगे।

श्री वसंत साठे : महोदय, मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि मूल्यों पर आधारित यह सरकार मुद्दों पर आधारित सरकार के स्तर पर आ गई है। मैं ताऊ जी श्री देवीलाल को यहां देखकर खुश हूं। (व्यवधान) महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रधान मन्त्री और उनके बर्खास्त भूतपूर्व प्रधान मन्त्री का आन्तरिक मामला है। मुझे खुशी है कि ताऊ श्री देवीलाल जी यहां है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री वसंत साठे : महोदय, हम भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री से पूर्ण वक्तव्य चाहते हैं कि परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्हें हटाया और बर्खास्त किया गया। परन्तु मुझे हैरानी है कि यहां मूल्यों की बात करने वाली यह सरकार है और मेरे पास यह एक रेलवे द्वारा दी गई और सूचना है, जो मैंने आपको आपके कक्ष में दिखाई थी कि सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। हम सब जानते हैं कि कल यहां बोट क्लब पर किसानों की रैली है। (व्यवधान) यह अलग बात है कि आप इसे पसन्द करें या न करें।

आप श्री देवीलाल जी का विरोध कर सकते हैं; आप अच्छा करें या बुरा। परन्तु यह कैसे हो सकता है कि एक लोकतान्त्रिक देश में, जहां घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता है, पंजाब और हरियाणा में आने वाली सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं? ··(व्यवधान)···क्या यह मूल्यों पर आधारित राजनीति है? ···(व्यवधान)···इसके लिए मुख्य पुन: निर्माण का कारण दिया गया है···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

देवीलाल जी इस सदन के सदस्य भी हैं, इनको निकाला तो नहीं आपने ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, कोई यह किस प्रकार कह सकता है कि गाजियाबाद से चलने वाली, दिल्ली से गाजियाबाद, निजामुद्दीन इत्यादि जाने वाली सभी रेलगाड़ियां रद्द होगीं ? ·· (व्यवधान)···

[हिन्दी]

आपसे मेरी प्रार्थना है कि सरकार से आप एक्सप्लेनेशन मांगिए ।

[अनुवाद]

इस अधिसूचना के अनुसार —

"साहिबाबाद-गाजियाबाद सेक्शन पर अतिरिक्त लाइनें बिछाने के लिए साहिबाबाद में मुख्य पुनर्निर्माण कार्य के कारण निम्नलिखित रेलगाड़ियों का मार्ग या तो बदल दिया गया है या रद्द कर दी गई हैं···"

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, हमें श्री कुण्डू का व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए ।

श्री समेरन्द्र कुण्डू : महोदय, आपके प्रति पूर्ण सम्मान और विनम्रता के साथ और विपक्ष के नेता और मेरे प्रिय मित्र, श्री साठे के प्रति निवेदन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एक घण्टे से अत्यन्त खेद के साथ सदन की कार्यवाही देख रहा हूं । मुझे क्षोभ हो रहा है । मैं आपको यह बता हूं कि श्री देवीलालजी हमारे सम्माननीय नेता हैं (व्यवधान) श्रीसाठे एक दस्तावेज पढ़ रहे हैं और आपको इस दस्तावेज की विश्वसनीयता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए । मैंने देखा कि जैसे ही श्री देवीलाल जी ने सभा में प्रवेश किया, इन्होंने यह दस्तावेज पढ़ना शुरू कर दिया कि हरियाणा से आने वाली रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं ताकि हरियाणा के लोगों को रैली में भाग लेने से रोका जा सके । आप इसमें सम्बन्ध देखिए··· व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रक्रिया है कि प्रतिदिन कुछ रेलगाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं···(व्यवधान)···

मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप अवश्य ही इस दस्तावेज को देखें और इन्हें इस तरह से उद्धृत करने की अनुमति न दें । कुछ शिकायत प्रकट करने की आड़ में यहां विपक्ष और यहां तक कि सत्ता पक्ष को भी कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : इंडियन एक्सप्रेस इनका अखबार है । पेज-9 पर यह नोटिस छपा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हो गया है ।

श्री वसन्त साठे : यह गंभीर मामला है ।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) । हम श्री वसन्त साठे की भावनाओं से सहमत हैं । जब भी कोई आन्दोलन होता है और लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और रेलवे एवं अन्य सुविधाएं सामान्य की तरह जारी रहनी चाहिए । सुविधाओं को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री साठे जी ने जो मुद्दा उठाया है, यह पता नहीं कि उनके पास कौन-सा कागज है। मैं मान लेता हूं कि फोर्ज नहीं है। मैं सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि जो रैली कल हो रही है, उसकी वजह से कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की जायेगी।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लें। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की रैली के सिलसिले में आज ही जानकारी देंगे। मैं आपके काम की बात कर रहा हूं और आप सुनते नहीं हैं। आज भी सरकार इसकी जानकारी करके सदन को बतायेगी और किसानों की रैली में आने के लिए हमारे लोग जो आ रहे हैं, उनको कोई असुविधा न हो और रैली के कारण कोई ट्रेन कैंसिल नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : कुछ समाचार पत्रों ने हाल ही में अपने समाचार में यह बताया है कि वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार के व्यय विभाग ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों को एक परिपत्र जारी कर यह सलाह दी है कि वर्ष 1990-1995 के दौरान कोई नई नियुक्ति नहीं करें।

1.00 म० प०

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, पिछली सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति पर रोक लगाने के लिये कुछ इसी तरह का परिपत्र जारी किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि मृत्यु अथवा अवकाश प्राप्त करने की स्थिति में उत्पन्न हुई रिक्तियों को नहीं भरा जा सका। यह भी सभी को अच्छी तरह मालूम है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए नीतिगत वक्तव्य दिया था। इस प्रकार के परिपत्र के निर्देश के कारण स्वत: ही देश में रोजगार क्षमता की कमी होगी चूंकि आज भी देश में सरकार ही सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसलिए, यह एक घातक, अन्यायपूर्ण और हानिकारक परिपत्र है साथ ही भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के विपरीत तथा यह देश के लोगों को दिए गये चुनावी वायदे के भी विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस परिपत्र के परिणामों को महसूस करना चाहिए। इससे देश के बेरोजगार युवकों में कुंठा और निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। इस परिपत्र को वापस लेकर सरकार को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिये और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास करने चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी जो कि यहां उपस्थित भी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस आशय के परिपत्र को तुरन्त रद्द कर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, अभी माननीय साठे जी ने एक गम्भीर मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया और हमारे माननीय राज्य मंत्री ने कहा कि हम इस सम्बन्ध में आज बताएंगे। लेकिन फैक्ट्स को कैसे तोड़-मरोड़कर रखा जाता है यह मैं साठे साहब के कागज से आपको बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि जो ट्रेन कैंसिल की गई है, जो भी कारण रहा हो, केवल 7 से 8 तारीख के लिए है, दूसरा है 14-8-90 से लेकर 8-9-90 तक। गाजियाबाद से जो लोग आने वाले हैं वे 9 तारीख को सुबह आयेंगे। मैं निवेदन करता हूं साठे साहब कि आप सदन को सही बात बतायें, आपने जो यह आरोप लगाया है यह गलत है।

श्री वसन्त साठे : 8 तारीख को वही लोग आयेंगे जो 9 तारीख की रैली में भाग लेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : मैं श्री साठे साहब के कागज को पढ़ सकता हूं। यह आपका है :

"साहिबाबाद-गाजियाबाद सेक्शन में नई अतिरिक्त लाइनों को बिछाने के लिए नवीकरण करने के कारण निम्नलिखित ट्रेनों को 7 अगस्त, 1990 से 8 अगस्त, 1990 तक मार्ग बदल दिया जाएगा या उसे रद्द कर दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं। 9 में अगस्त नही है···(व्यवधान)"

श्री वसन्त साठे : उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं। मुझे यह अधिकार है कि मैं स्पष्टीकरण दूं····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब श्री यादवेन्द्र दत्त बोलें।

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : आज 8 तारीख है, आज लोग कल की रैली के लिए आयेंगे। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, 22 जून से आज तक सारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर गोरखपुर तक बराबर जलवृष्टि हो रही है और वह रुकी नहीं है। उसके कारण गांवों में वाटर लागिंग भयंकर रूप से हो गई है जिसके कारण सारी खरीद की फसल ज्वार, बाजरा मक्का, अरहर, उड़द और मसूर नष्ट हो गई हैं। चारे का अभाव हो गया है और सब जगह कालरा-गैस्ट्रो की बीमारी चालू हो गई है। इसमें 250 लोग मर गये हैं। हजारों मकान गिर गये हैं और आज भी वृष्टि बंद नहीं है जिससे पशुओं में फुट एण्ड माऊथ डिजीज चालू हो गयी है, फलत: सैकड़ों पशु मर रहे हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सघन अतिवृष्टि से जो स्थिति खड़ी हो गयी है, उसके कारण गांव में मलेरिया प्रारम्भ हो गया है, उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि समय रहते आवश्यक कारंवाई की जा सके। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि जो चारे का अभाव हो गया है, उसका प्रबन्ध भी सरकार करे और यह भी देखे कि वाटर लागिंग जो हो गया है उसे शीघ्र निकाले ताकि जमीन सूखे और उस पर रबी की फसल बोई जाये अन्यथा सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है।

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के दस जिलों में से पांच जिलों में पार की खेती होती है और मेरा एरिया कटिहार भी उसमें आता है। कटिहार में जूट मिल है जो गत दो वर्षों से बन्द है। उसमें बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम जूट की आपूर्ति कर रहा था जो बन्द कर दी गई है। इससे मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। जब तक भारत सरकार उस कारखाने का अधिग्रहण नहीं करती है, तब तक उन लोगों को खाना मिलना मुश्किल है। अब तक वहां 30-31 मजदूर और उन पर आश्रित 20-30 लोग भूख और अभाव के चलते मर गये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में बार-बार यहां की सरकार का ही नहीं बल्कि बिहार सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया है लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हम कभी

भी इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे यहां 50 मजदूर एवं इनके आश्रित मर जायें और हम जुबान से चुप्पी लगाये यहां बैठे। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार उक्त कारखाने को अधिग्रहीत करे अन्यथा स्थिति बद से बदतर हो जायेगी।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष जी, सारे भारत वर्ष में ग्रामीण बैंकों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वे इस समय दिल्ली में एकत्रित हैं और उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि कामर्शियल बैंक में काम करने वाले कर्मियों की तरह ही उनको समान वेतन और सुविधायें दी जायें। उन लोगों का कहना है कि जब कार्य-पद्धति दोनों की एक प्रकार की है तो वेतन में इस प्रकार की असमानता और अन्य सुविधाओं में इस प्रकार का अन्तर क्यों है? यद्यपि इस सम्बन्ध में वे माननीय वित्त मन्त्री श्री मधु दण्डवते जी से मिल चुके हैं और शायद प्रधान मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है लेकिन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको कोरा आश्वासन ही न दिया जाये बल्कि जो आश्वासन दिया जाये, उस पर शीघ्र कार्यवाई की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मित्र सेन यादव...

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांत चटर्जी (दमदम) : महोदय, ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के लिए न्यायाधिकरण ने एक फैसला दिया जिसे सरकार लागू नहीं कर रही है...(व्यवधान) उन फैसलों को लागू करने के बजाय यह पता चला है कि सरकार मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने का प्रयास कर रही है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, मैंने मन्त्री महोदय को बोलने से नहीं रोका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय कीमती है। हां, श्री यादव आपको क्या कहना है।

[हिन्दी]

श्री मित्र सेन यादव (फैजाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव श्री अशोक सिंघल ने इलहाबाद में बयान दिया है कि 30 अक्तूबर को मन्दिर के निर्माण के लिए पांच लाख कार्यकर्ता वहां जाएंगे और उनमें उनकी वाहिनी भी जाएगी और उनकी एक वाहिनी में पांच हजार लोग होंगे। मान्यवर, इससे वहां के लोग आतंकित हैं। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने कश्मीर में पाकिस्तान की तोपों के गोले खाकर और तमाम यातनाएं सहकर भी हिन्दुस्तान के साथ रहने का वायदा किया था, उन लोगों की भावनाओं को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा खड़ा करके आज देश में जो स्थिति पैदा की जा रही है, उसे रोकने के लिए केन्द्र सरकार सख्त से सख्त कदम उठाये, कार्यवाही करे। मेरा निवेदन है कि यहां जैसा अभी हमारे बी० जे० पी० के साथियों ने कहा, मैं चाहूंगा कि जब तक अदालत का उस विषय पर कोई फैसला न हो जाये, किसी भी रूप में स्थिति को बिगड़ने से रोका जाना चाहिए। हमारे बी० जे० पी० के साथी भी वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बरकरार रखने में मदद दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, बस काफी हो गया।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव : मान्यवर, हमें देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए हर कुरबानी देने के लिए तैयार रहना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग डिस्टर्ब न करें।

श्री मित्रसेन यादव : मान्यवर, आप भी इस देश की एकता और अखण्डता के पक्षधर हैं, मैं चाहूंगा कि आप अतने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सरकार को कहें कि वहां किसी तरह की अव्यवस्था न फैलने पाये, इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जायें, कार्यवाही की जाये। (व्यवधान)

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में विकास मण्डलों की स्थापना के लिए काफी समय से आन्दोलन चलाया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप डिस्टर्ब न करें, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० महादेव शिवनकर : धारा 203(2) के अन्तर्गत वैधानिक रूप से विकास मण्डलों की स्थापना के लिए वहां आन्दोलन चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि 15 अगस्त तक वैधानिक रूप से अगर केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में विकास मण्डलों की स्थापना नहीं की तो उससे महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में तीव्र आन्दोलन उठ खड़ा होने की सम्भावना है। (व्यवधान)

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला नोटिस मेरा था और आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह कौन-सा प्रोसीजर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी आपको बुलाता हूं।

श्री जनक राज गुप्त : मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं आपको बुलाता हूं।

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, 1975 में हमारी व्यवस्था में एक परिवर्तन हुआ था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० महादेव शिवनकर : उसके अन्तर्गत राज्यपाल को यह अधिकार दिये गये थे, राज्यपाल के अख्तयार में यह था कि वैधानिक रूप से वे महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में विकास मंडलों की स्थापना करा सकें। मगर, अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार और वहां की राज्य सरकार इस मामले में टालमटोल कर रही है। वहां की जनता मांग करती है कि उस क्षेत्र का पिछड़ेपन के कारण अब तक जो विकास नहीं हो पाया है, वह क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है, इस कारण वहां काफी बैकलाग क्रिएट हो गया है, उसे देखते हुए वहां अविलम्ब विकास मंडलों की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। (व्यवधान)

मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार ऐसी कार्यवाही करे ताकि वहां तुरन्त विकास मंडलों की स्थापना हो सके। विकास मंडलों की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि राज्यपाल पर मुख्यमंत्री का या राज्य सरकार का किसी तरह का दबाव न रहे। मुख्य मंत्री सलाह दे सकते हैं, मगर विकास मंडलों की स्थापना के काम को और अधिक टाला न जावे। राज्यपाल महोदय को इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिकार अविलम्ब मिलने चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो विषय दिया है, उसी पर आ रहा हूं।

प्रो० महादेव शिवनकर : मैं आपके माध्यम से सरकार से एक और बात कह देना चाहता हूं कि अगर 15 अगस्त से पहले विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में विकास मण्डलों की स्थापना नहीं की गयी तो उस क्षेत्र में तीव्र आन्दोलन भड़क उठने की पूरी सम्भावना है, जिसकी सारी जवाबदेही केन्द्र सरकार की होगी।

श्री जनक राज गुप्त : जनाब, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जम्मू जिले के अखनूर तहसील के अनेक गांव के लोग फ्लड की वजह से बेहद परेशानी की स्थिति में हैं। वहां 300 एकड़ से ज्यादा जमीन बाढ़ की वजह से बह गयी है, जो चेनाब नदी में आयी है। लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में फसल खराब हो गयी है, जायदाद को भारी नुकसान पहुंचा है। जब मैंने वहां जाकर लोकल अथौरिटी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बांध बांधने के लिए पैसा नहीं है। मेरी गुजारिश है कि केन्द्र सरकार राहत के तौर पर ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्य सरकार को उपलब्ध करावे ताकि उस इलाके को बचाया जा सके, लोगों को बचाया जा सके, उनका नुकसान न हो। मैं आपके जरिए सरकार को यह वार्निंग भी देना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं किया गया और उस इलाके में और बारिश आयी तो वहां की हजारों एकड़ जमीन फ्लड में बह जाएगी, गांव के गांव बह जायेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि वह ज्यादा-से-ज्यादा फण्ड वहां दे ताकि फ्लड को रोकने के लिए कार्यवाही की जा सके, लोगों का नुकसान न होने पाए, लोगों को बर्बादी से बचाया जा सके, इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से इस बात का निवेदन करना चाहती हूं कि कल एक बहुत ही दर्दनाक घटना जयपुर के पास घटी जब एक अनमैनड लैवल क्रासिंग पर रेल की टक्कर एक स्कूल बस के साथ हुई और नौ बच्चे वहां पर मर गए। इसके बाद मैं चाहूंगी कि हमें सरकार की तरफ से स्पष्ट आश्वासन दिया जाए कि पूरे देश में जितने अनमैनड क्रासिंग्स हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। मैं चाहूंगी कि देश भर में जितने अनमैनड क्रासिंग्स हैं उनको तत्काल मैनड किया जाएगा ताकि इस तरह की दर्दनाक दुर्घटनाएं फिर से हमें देखने को न मिलें।

[व्यवधान]

श्री माधव राव सिंधिया (ग्वालियर) : महोदय, मेरे आने से पहले, इस माह के सात तारीख को कुछ रेल सेवाओं को रद्द करने का मामला उठाया गया था। मैं, एक पूर्व रेल मंत्री होने के नाते रेलवे के मामले में तुरन्त कुछ नहीं कहने जा रहा हूं क्योंकि इससे कुछ परम्परा जुड़ी हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां इस मामले को कुछ राजनीतिक रंग दे दिया गया है और मैं कुछ स्पष्टीकरण माननीय मंत्री के समक्ष पेश करना चाहूंगा जिससे वे कुछ ऐसा स्पष्टीकरण दे सकें कि वह हम सन्तुष्ट कर सकें।

महोदय, लाइनों का बिछाना, दोहरीकरण करना तथा उनका नवीनीकरण। ये बातें योजना

बजट में सम्मिलित नहीं हैं। इस मामले के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड तथा सम्बन्धित रेलवे उत्तरी रेलवे के बीच विचार-विमर्श नवम्बर, 1989 में हुआ था, तब यह निर्णय लिया गया और इसे फरवरी से प्रस्तुत बजट सम्मिलित किया गया। इस प्रकार यह मामला आठ नौ महीने पूर्व तय किया गया था। महोदय, सामान्यत: जब वे दैनिक तथा लम्बी दूरी के यात्रियों को इसके लिए असुविधा पैदा कर रहे हैं तो उन्हें पर्याप्त नोटिस दे सकते हैं ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। इस महीने की पांच तारीख को अचानक मैंने समाचार पत्र पढ़ा कि अनेक गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। ऐसा अचानक नई लाइनों को बिछाने तथा लाइनों का नवीनीकरण करने के कारण किया गया। इसका भी छह सात महीने पूर्व निर्णय किया जा चुका है और मैं समझता हूं कि इससे यात्रियों को बड़ी कठिनाई होगी। संदेह यह है कि दिल्ली में आयोजित होने वाली राजनैतिक रैली को विफल करने के लिए इन गाड़ियों को तीन दिन के लिए रद्द कर दिया गया ताकि यह एक सामान्य मामला प्रतीत हो इसका मतलब यह है कि दैनिक तथा लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए तीन दिन तक असुविधा पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा है और अब भी जार्ज फर्नांडीज को बताना चाहता हूं कि जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है वे राजनैतिक तरीके से चल रही हैं। पहली बार रेलवे राजनैतिक विवाद का विषय बना प्रतीत होता है। (व्यवधान) महोदय यह रेलवे की तरफ से वास्तविक भूल हो सकती है परन्तु यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। यह बिल्कुल सम्भव है कि रेलवे यथार्थ में ऐसा कर रही है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि वे राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। परन्तु यदि वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं तो मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए तथा हमें संतुष्ट न करना चाहिये और यदि आप हमें पूरी तरह संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसे अगले महीने या अगले दो सप्ताह के लिए स्थगित कर देंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान): प्रश्न यह था कि आपने कहा रैली के कारण इसको सस्पेंड किया गया है। मैंने कहा गाजियाबाद से ट्रेन नौ तारीख के लिए सस्पेंड नहीं की गई, 7 और 8 की थी। आपने चार्ज यह लगाया था।

1.18 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण; दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे और समीक्षा आदि; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1160/90]

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1161/90]

डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1990 जो 16 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 79 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 जो 16 फरवरी 1990 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 80 (अ) मे प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1162/90]

अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना और नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 437 (अ), जो 2 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1163/90]

(2) नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (प्रति तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1164/90]

कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण; गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुई विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1165/90]

(3) (एक) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1166/90]

1.19 म० प०

विधयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

अपर सचिव : महोदय, 26 अप्रैल, 1990 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1990

(2) वित्त विधेयक, 1990

(3) संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1990

(4) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1990

(5) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990

(6) राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1990

(7) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1990

2. महोदय, मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित तीन विधेयकों को राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमानित प्रति या जिनके सम्बन्ध में सभा को 26 अप्रैल को सूचित किया गया था, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन विधेयक

(2) संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990

(3) संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक, 1990

———

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : नागपुर शहर में गरीब मजदूरों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। उड़ीसा से आये हुए ठेकेदारी प्रथा से जुड़े हुए गरीब मजदूरों का शोषण हो रहा है और उनके ऊपर गोलियां चलायी गईं। पुलिस ने बर्बरता के साथ उन पर गोलियां चलायी इससे दो मजदूर मरे और 25 घायल हुए। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब ठेकेदारी प्रथा पूरे देश में बन्द है तो फिर इस तरह का शोषण और अत्याचार उन पर क्यों हो रहा है। मन्त्री महोदय एक हाई लेवल कमेटी भेजकर पूरे मामले की जांच करायें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री।

———

1.20 म० प०

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कुवैत में भारतीयों की स्थिति

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं कुवैत में भारतीयों की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मौजूदा संकट के शुरू होने के समय से ही भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा और उनकी सलामती के सम्बन्ध में हमें बेहद उत्सुकता रही है। वहां करीब 1,72,000 राष्ट्रिक हैं।

2. 2 अगस्त, 1990 को ही, यानी उसी दिन सैनिक कार्यवाही शुरू हुई थी, हमने अपने राजदूत को यह हिदायत दी थी कि वह वहां की विभिन्न भारतीय एसोसिएशन, समूहों और अलग-अलग व्यक्तियों के माध्यम से भारतीय समुदाय के सभी लोगों से सम्पर्क साधने का कोई तरीका खोज निकालें। तब से हमारे राजदूत भारतीय समुदाय के सभी लोगों से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं और उनकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वहां भारतीय समुदाय के किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन ऐसी अपुष्ट खबरें मिली हैं कि गोली-बारी में घायल हो जाने बाद 5-6 भारतीय अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस इसके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

3. सरकार ने बगदाद स्थित अपने राजदूत की मार्फत इराकी अधिकारियों से यह अनुरोध भी किया है कि वे इस बात का सुनिश्चय करें कि फौजों को इस बात की हिदायत कर दी जाए कि कुवैत में भारतीय राष्ट्रिकों की हिफाजित का मुनासिफ मुनासिब इन्तजाम हो। इराकी अधिकारियों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि इस आशत की हिदायत दे दी गई है। इराकी अधिकारियों नेकल दोपहर बाद यह यकीन भी दिलाया कि उन्होंने हालात की जांच की है और यह भी बताया कि भारतीय राष्ट्रिकों मे कोई हताहत नहीं हुआ। फिर भी, हम कुवैत स्थित अपने रालदूत के माध्यम से इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे। पिछले तीन दिन से भारत और कुवैत के बीच संचार लाइनें कार्य नहीं कर रही हैं। संचार सम्पर्क स्थापित करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।

4. कुवैत मे रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की राजी-खुशी के बारे में उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की ओर से की जाने वाली पूछताछ के लिए विदेश मंत्रालय मे एक विशेष सेल खोल दिया गया है। सैकड़ों लोग इसके बारे में पूछताछ कर चुके हैं और बात की कोशिश में हैं कि बगदाद के रास्ते हम कुवैत स्थित राजदूत तक इन्हें पहुंचा सकें ताकि वह सम्बद्ध व्यक्तियों से सम्पर्क साधकर उनकी सलामती के बारे हमें पक्के तौर पर बता सकें। इनमे से बहुत सी पूछताछ तो उन भारतीय राष्ट्रिकों के बारे मे थी जो ब्रिटिश एअरवेज के उस विमान में सवार थे जो कुवैत हवाई अड्डा बन्द होने से कुछ देर पहले ही वहां उतरा था और जिसके यात्रियों और कर्मी-दल के सदस्यों को वहां उतार दिया गया। इराक के अधिकारियों से प्राप्त ताजा सूचना के अनुसार इस विमान के यात्रियों कर्मी-दल के सदस्यो को विमानों की उड़ान पुन: शुरू होने तक के लिए कुवैत एक होटल मे ठहरा दिया गया है और विमानों का आना-जाना फिर से शुरू होने पर ही वे लोग वहां से जा सकेंगे। ब्रिटिश एअरवेज ने हमें कल दोपहर बाद बताया कि इन यात्रियों को सड़क के रास्ते कुवैत से बगदाद ले जाया गया है। हमने बगदाद स्थित अपने राजदूत से इसकी जांच करने को कहा है।

5. मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार कुवैत में भारतीयों की रक्षा और हिफाजत का सुनिश्चय करने के लिए हर मुमकिन कार्यवाही कर रही है। उनकी सुरक्षा के सवाल को लेकर उनके निकट सम्बन्धियों और दोस्तों में जो व्याकुलता और चिन्ता है उसे इस सदन के हम सभी लोग समझते हैं और स्वयं भी चिन्तित हैं।

— — — —

(दो) पाकिस्तान की घटनाएं

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं पाकिस्तान की घटनाओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। (व्यवधान)

जैसाकि आदरणीय सदस्यों को मालूम है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय असेम्बली भंग कर दी है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान की विधिवत रूप से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया है। हमारे लिए यह आश्चर्य की बात है, विशेषकर उस समय जब इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं था कि राष्ट्रीय असेम्बली में उन्होंने अपना बहुत खो दिया है। एक काम-चलाऊ प्रधानमन्त्री को शपथ दिलाई गई है। प्रान्तीय असेम्बलियों को भी भंग कर दिया गया है और काम-चलाऊ मुख्य मन्त्री नियुक्त किए गए हैं। आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई है। हमने इस घोषणा पर भी गौर किया है कि नए चुनाव अक्तूबर, 1990 में कराए जाएंगे।

पाकिस्तान में हुई ये घटनाएं उस देश का अन्दरूनी मामला है। फिर भी, अनुभव यह बताता है कि इस प्रकार के सदमों से लोकतंत्र को कहीं पर गहरी चोट लगती है। हम हार्दिक रूप से यह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में लोकतन्त्र की प्रक्रिया में (व्यवधान) न नहीं आएगा अथवा उसे धक्का नहीं लगेगा तथा लोगों की इच्छा पूरी होगी।

पाकिस्तान के लोगों के प्रति हमारे मन में सद्भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम एक स्थिर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। हमने इस देश के साथ सहयोगी और अच्छे पड़ोसी के से संबंध बनाने की दिशा में सदैव कार्य किया है। पाकिस्तान की ओर से अनेक बार उत्तेजनात्मक कार्यवाही होने के बावजूद, जिसमें भारत के विरुद्ध आतंकवाद और तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों को समर्थन देना शामिल है, हमारे प्रयास जारी हैं। हमें उम्मीद है कि मैत्री पूर्ण रचनात्मक और सहयोगी संबंधों से न केवल दोनों देशों के लोगों को ही लाभ पहुंचेगा, वरन इससे क्षेत्र में शांति और स्थायित्व में भी सहयोग मिलेगा।

— — — —

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.21 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

— — — —

2.25 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2.25 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

— — — —

2.26 म० प०

रबड़ (संशोधन) विधेयक*

—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 लेंगे ।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री थामस आपको अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की सीमायें मालूम हैं । इस समय आप केवल विधायी उपयुक्तता पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : वास्तव में रबड़ (संशोधन) विधेयक जिसे प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई वह रबड़ पर शुल्क बढ़ाने से सम्बन्धित है ।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि नियम 377 के अधीन सूचनाओं को लिया जाना चाहिए । कल तो मैं समझ सकता हूं कि एडजार्नमेंट मोशन को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन आज तो एडजार्नमेंट मोशन नहीं है ।

---

* 8-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आ रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस : संशोधन विधेयक रबड़ शुल्क बढ़ाने से सम्बन्धित है। जो शुल्क 50 पैसे प्रति किलो है उसे बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलो करने का प्रस्ताव है। इससे उद्योग पर असर पड़ेगा।

श्री अरंगिल श्रीधरन : नियम 72 के अन्तर्गत, जब कोई विधेयक पुरःस्थापित होता है और उसे प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जाती है उस समय विधेयक से सम्बन्धित मूल मुद्दे नहीं उठाये जा सकते। यदि आप इसकी अनुमति देते हैं, तो यह गलत उदाहरण होगा।

श्री पी० सी० थामस : मैं उसी पर आ रहा हूं। इससे भारत की संचित निधि पर असर पड़ेगा क्योंकि उत्पाद शुल्क पर उपकर, जो अधिनियम द्वारा 2 रुपये प्रति किलो की दर से लिया जायेगा, से जो धन एकत्रित होगा वह संचित निधि में जाएगा और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यदि संचित निधि में से किया जाए अथवा उसमें राशि डाली जाए तो वह अनुच्छेद 110 (ग) के अन्तर्गत आयेगा, जिसमें कहा गया है :

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से सम्बन्धित उपबन्ध है अर्थात (ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना।"

अतः मेरा निवेदन है कि यह विधेयक जिसके द्वारा भारत की संचित निधि में कुछ राशि बढ़ायी जा रही है वह धारा 110(ग) के अन्तर्गत आता है।

अतः, अनुच्छेद 117(1) के अनुसार :

"अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) के उपखंड (क) से उपखण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसा उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा।"

मेरी पहली दलील यह है कि पूर्व स्वीकृति या राष्ट्रपति का अनुमोदन इसके लिए आवश्यक है और विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या केवल यही बात है ?

श्री पी० सी० थामस : यह केवल एक बात है। मैं यह भी कहूंगा कि इस विधेयक का कृषि पर बहुत असर पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह बताना होगा कि यह सदन किस प्रकार विधायी रूप से सक्षम नहीं है।

श्री पी० सी० थामस : इसीलिए इस विधेयक की गम्भीरता को मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जब इस पर विचार किया जायेगा तो आप यह मुद्दा उठा सकते हैं। उस समय आपको इसका अधिकार होगा।

श्री पी० सी० थामस : मेरा यह निवेदन है कि इससे मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। मैं इस विषय में कोई बहस नहीं कर रहा। परन्तु इससे वास्तव में मूल्य प्रभावित होते हैं। रबड़ की खेती करने वाले कृषक मूल्यों में 27 रु० प्रति किलो से घटकर 18 रु० प्रति किलो के कारण काफी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह सब प्रश्न उस समय उठा सकते हैं जब इस विधेयक पर विचार किया जायेगा।

श्री पी० सी० थामस : मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश सदस्यों के मार्गदर्शन की पुस्तिका में दिए गए मार्गनिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। मेरे विचार में दिशा निर्देश 19 (ख) का भी पालन किया जाना चाहिए जिसके अनुसार इसे पहले ही परिचालित किया जाना चाहिए। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे इस विधेयक की प्रति अग्रिम रूप से प्राप्त नहीं हुई। इसे पहले ही परिचालित किया जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका विधायी रूप से सक्षम होने कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें लोगों की रुचि है। आप सदन का समय इस प्रकार बर्बाद क्यों कर रहे हैं?

श्री पी० सी० थामस : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक कृषकों को काफी हद तक प्रभावित करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस विधेयक पर चर्चा की जायेगी तब आप यह सब प्रश्न उठा सकते हैं?

श्री पी० सी० थामस : मेरे विचार में इन सभी मान्यताओं का कड़ाई में पालन किया जाना चाहिए। इस विधेयक पर सार्वजनिक चर्चा करवाई जानी चाहिए थी। अगर इस पर आम चर्चा करवाई जाती तो मुझे विश्वास है कि सरकार ऐसा विधेयक कभी भी प्रस्तुत न करती। इससे मूल्यों मे और गिरावट आयेगी। मूल्य पहले ही बहुत कम हैं। इसलिए संवैधानिक तथा जिन दूसरे प्रावधानों का मैंने उल्लेख किया है, उनके आधार पर मैं इस समय विधेयक के प्रस्तुत करने पर आपत्ति कर रहा हूं। इससे कृषकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा।

श्री अरंगिल श्रीधरन : महोदय जिस एक मात्र संवैधानिक प्रावधान का मेरे माननीय साथी उल्लेख कर रहे हैं, वह विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेने के सम्बन्ध में है।

रबड़ अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए मन्त्रिमण्डल की सहमति प्राप्त करने के पश्चात विधेयक का मसौदा उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित कानून मन्त्रालय को दिनांक 29 जून, 1990 के भेज दिया गया था।

कानून मंत्रालय ने पुनरीक्षण के पश्चात संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा उद्देश्यों और कारणों के विवरण सहित, 10 जुलाई, 1990 को लौटा दिया था। उसके बाद विधेयक की प्रमाणित प्रति उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण सहित 20 जुलाई, 1990 को कानून मन्त्रालय को भेजी गई इसके साथ-साथ विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति भी मांगी गई और इसके लिए राष्ट्रपति के सचिव को एक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 1990 को भेजा गया और इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक नोटिस महासचिव, लोकसभा को दिनांक 20 जुलाई, 1990 को भेजा गया। इसके साथ प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां तथा उद्देश्यों एवं कारणों

के विवरण तथा रबड़ अधिनियम, 1947 के सार की प्रतियां भी भेजी गयीं। इसलिए, विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। मूल्यों के सम्बन्ध में हमें भी कृषकों के हितों के लिए उतने ही चिन्तित हैं जितने कि श्री थामस। कृषकों के हितों की रक्षा के लिए हम किसी से पीछे नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरंगिल श्रीधरन : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं

— — —

2.31 म० प०

सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक*

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जम्मू-कश्मीर राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्र में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, मैं वर्तमान परिस्थिति में इस विधेयक के पुर:स्थापित करने में कड़ी आपत्ति उठाना चाहता हूं। यह विधेयक कश्मीर में सेना, सशस्त्र बलों तथा पुलिस बलों को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान करता है। उन्हें इनकी आवश्यकता बहुत पहले महसूस करनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा है गर्मियों के दौरान, बहुत से लोग··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस समय विधायी सक्षमता पर चर्चा की जा सकती है।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं इसका विरोध करने के लिए एक संक्षिप्त वक्तव्य दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय आप केवल यह कहकर विरोध कर सकते हैं कि इस सदन के पास विधायी सक्षमता नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरा विस्तार में जाने का विचार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

---

* दिनांक 8-8-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

प्रो० एन० जी० रंगा : कुछ अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको भी यही कहना होगा कि इस सदन के पास विधायी सक्षमता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जम्मू-कश्मीर राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

2.36 म० प०

सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश 1990 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1167/90]

———

2.37 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बंगलौर-तेल्लीचेरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की मांग

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : बंगलौर-तेल्लीचेरी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कई बार अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने इस सड़क पर भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए इसे बरास्ता मैसूर और हुंसुर, राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार को 140 वर्ष पुराने शिम्शा पुल, जो मंड्या जिले में मछूर के सोमहाली और शिवपुर को जोड़ता है, की मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार से अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। काफी लम्बे समय से केन्द्र सरकार के अधीन यह मामला विचाराधीन है और बंगलौर-तेलीचेरी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की बहुत आवश्यकता है जो कर्नाटक राज्य के लिए लाभदायक रहेगा। केन्द्र सरकार को इस मामले में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेना चाहिए।

(दो) विशाखापत्तनम के अराकू और अनन्तगिरि के आदिवासी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में रसोई गैस के लिए वितरण प्रणाली स्थापित किए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : विशाखापट्टनम के अराकू और अनन्तगिरि क्षेत्रों के जनजाति और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस के वितरण की अभी तक व्यवस्था

नहीं की गई है। इन क्षेत्रों के 60,000 से अधिक लोगों को खाना पकाने के लिए लकड़ी आदि का प्रयोग करना पड़ता है जिससे वनों की कटाई होती है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः, इन क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस के वितरण की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं और हमारी प्रगति के लाभ तो प्राप्त होंगे साथ ही उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने में भी सहायता मिलेगी। अन्य सभी जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऊर्जा के वैकल्पिक साधन के रूप में खाना पकाने की गैस के वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वनों तथा पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, 377 से पहले गृह मंत्री महोदय द्वारा पनवारी, जिला आगरा की घटना पर स्टेटमेंट आना चाहिए था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे बताया गया था कि उन्होंने सभा के सभा पटल पर उसे पहले ही रख दिया था।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : आप इसको अण्डर-आब्जर्व कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना है, जिसके बारे में इधर से और उधर से सभी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए 377 शुरू होने से पहले स्टेटमेंट आना चाहिए था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया था कि उन्होंने इसे पहले ही सभा पटल पर रख दिया था। अगर उन्होंने सभा पटल पर नहीं रखा है। तो मैं उन्हें नियम 377 के अधीन मामलों के बाद इसे रखने की अनुमति दे दूंगा। मैं इस तरह से कार्यवाही में विघ्न नहीं डालूंगा। इसे समाप्त होने दीजिए। उसके बाद, मैं इसकी अनुमति दूंगा।

(तीन) **गुजरात में सिरैमिक और सैनिटरी का सामान बनाने वाली इकाइयों में कोयले की कमी से उत्पन्न असंतोष को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार को अधिक कोयला आवंटित किए जाने की मांग**

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ोदा) : गुजरात में सिरेमिक और सैनिटरी वेयर निर्माता यूनिटों के समक्ष गत चार महीनों से पेश आ रही कोयले की भारी कमी के कारण इन यूनिटों में भारी असंतोष व्याप्त है।

गुजरात में 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 300 यूनिटें हैं जिसमें लगभग 25,000 लोग काम करते हैं। कोयले की कमी के कारण इन यूनिटों के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है। यह मामला जून, 1990 को केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के वित्त राज्य मंत्री के ध्यान में लाया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। तीन सौ यूनिटों में से दो सौ यूनिटों के बन्द होने का खतरा है जिससे कम से कम 20,000 लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

इन यूनिटों ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से यह भी शिकायत की है कि उन्हें घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है। अत: सरकार से आग्रह है कि राज्य सरकार को अधिक कोयला आबंटित किया जाये ताकि सिरेमिक यूनिटों को बन्द होने से बचाया जा सके।

(चार) बिहार में दर्जियां और पुडियां के बीच कोसी नदी पर बांध बनाने का काम अविलम्ब पुन: शुरू किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री बसई चौधरी (रोसेड़ा) : बिहार राज्य के कोशी नदी पर दर्जियां से पुडियां बांध के निर्माण हेतु वर्ष 1977-78 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी थी। 1980 में उक्त कार्य को स्थगित कर दिया गया जिससे बांध अधूरा पड़ा है। अभी बाढ़ के समय उक्त बांध के अधूरा करने के कारण दरभंगा जिला के घनश्यामपुर, बिरोल, कुशेश्वर स्थान एवं बहेड़ी प्रखण्ड तथा समस्तीपुर जिला के हसनपुर एवं सिंघिया प्रखंड बुरी तरह प्रभावित हैं जिससे हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है तथा जान-माल को खतरा उत्पन्न हो गया है। राहत कार्य भी नहीं चलाया जा सका है।

अत: दर्जियां से पुडियां अधूरा बांध के निर्माण एवं राहत कार्य अविलम्ब चलाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(पांच) मध्य प्रदेश के लिए खाद्यान्न चीनी तथा खाद्य तेल का कोटा बढ़ाए जाने की मांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मैं भारत सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहे खाद्यान्न के अपर्याप्त कोटे की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त खाद्यान्न 1.10 किलो ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह है। यह अपर्याप्त तथा अव्यावहारिक है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

इसी प्रकार केन्द्र सरकार से राज्य को अक्तूबर 1986 में की गई अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शक्कर प्राप्त हो रही है। गत चार साल में प्रदेश की जनसंख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर यह कोटा बढ़ाना आवश्यक है। फिलहाल प्रदेश को 25060 मीट्रिक टन शक्कर प्राप्त हो रही है जबकि 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के मान से आज की आवश्यकता कम-से-कम 26276 टन है। केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह है कि प्रति उपभोक्ता शक्कर की मात्रा 425 ग्राम से बढ़ाकर एक किलोग्राम कर दी जाए।

मैं खाद्य मंत्रालय का ध्यान मध्य प्रदेश को हो रहे खाद्य तेल के आबंटन की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी। मेरी जानकारी के अनुसार राज्य को प्रति माह 2000 मीट्रिक टन खाद्य तेल मिल रहा है। पूर्व में फरवरी 1988 तक 5000 से 10000 मीट्रिक टन प्रतिमाह प्राप्त होता था। अभी जो खाद्य तेल सार्वजनिक वितरण के लिए प्राप्त हो रहा है वह केवल 26 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह है, जो एक अच्छा खासा मजाक है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर ध्यान देकर खाद्य तेल का कोटा बढ़ाया जाए और एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय पर प्रदेश को खाद्य तेल उपलब्ध किया जाए।

(छ:) बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य किए जाने की मांग

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ की स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है, जिससे वहां पर लाखों परिवार तबाह हो गए हैं। वहां का सम्पूर्ण जन-जीवन छिन्न-भिन्न हो गया है। खास कर भोजपुर जिला में बाढ़ से तबाही है, किसानों का बीज सड़ गया है इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां के बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए जल्दी-से-जल्दी आवश्यक कदम उठाये जाएं एवं किसानों को भी बीज एवं फसल के बरबाद होने का मुआवजा दिया जाए जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति खराब न हो।

(सात) **तीन बीघा गलियारा बंगला देश को पट्टे पर देने का प्रस्ताव रद्द किए जाने की मांग**

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : बंगलादेश सीमा के निकट अर्थात दहाला-अगड़बरी, सलबरी, नटोकल्फा, कोटेभजोनी तथा बशकता इत्यादि क्षेत्रों से घिरे भारतीय क्षेत्रों में लगभग एक लाख भारतीय नागरिक जंगल राज में रह रहे हैं। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारतीय क्षेत्र की जनसंख्या 37,563 थी। वर्ष 1951 के पश्चात् कोई जनगणना नहीं की गई। वहां स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत, पुलिस तथा प्रशासन की कोई सुविधा नहीं है और न ही वहां मतदान हुआ है। इस समय यदि वर्ष 1974 तथा 1982 के भारत-बंगलादेश समझौते के अनुसार तीन बीघा बंगला देश को पट्टे पर दे दिया जाता है तब पूरी कुछलीबाड़ी ग्राम पंचायत हमारे देश के मुख्य हिस्से से कट जायेगी तथा इसका तात्पर्य है कि 30.2 वर्ग मील वाला कुछलीबाड़ी क्षेत्र जिसकी संख्या 35,000 है वह बंगलादेश सीमा से घिरा एक नया भारतीय क्षेत्र बन जाएगा। इस समय कुछलीबाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता के लिए यह जीवन तथा मृत्यु का प्रश्न है। तीन बीघा, जो कि भारत का आन्तरिक हिस्सा है, उसे हमेशा के लिए पट्टे पर देने से आम जनता तथा विशेषरूप से उत्तर बंगाल की जनता अत्यधिक उत्तेजित है। उत्तर बंगाल में बन्द सफल रहा था तथा बन्द का आह्वान तीन बीघा संग्राम समिति ने दिया था।

इन परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा तथा निवेदन करूंगा कि वह तीन बीघा में एक सर्वदलीय संसदीय शिष्टमंडल भेजे जो तीन बीघा तथा कुछलीबाड़ी की वास्तविक भौगोलिक स्थिति की जांच करेगा तथा बंगलादेश को तीन बीघा क्षेत्र पट्टे पर देने के प्रस्ताव को सरकार छोड़ देगी।

(आठ) **केरल में चावल का मूल्य कम करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य में वितरण करने हेतु चावल का कोटा बढ़ाए जाने की मांग**

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : केरल एक ऐसा राज्य है जहां राशन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाता है। यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि वह केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में चावल प्रदान करे। यद्यपि केरल सरकार प्रति माह 165 लाख टन देने का अनुरोध किया है उसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने केवल 135 लाख टन प्रतिमाह दिया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यधिक प्रभावित हुई है तथा इसी के कारण खुले बाजार में चावल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

केन्द्र सरकार ने चावल के मूल्यों में 46 पैसे प्रति किलो के हिसाब से एकतरफा वृद्धि की है। चावल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का सभी राज्यों ने काफी विरोध किया है। केरल विधान सभा ने एकमत से एक संकल्प पारित किया है जिसमें केन्द्र सरकार से चावल की कीमत कम करने का अनुरोध किया गया है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चावल के मूल्यों में हुई वर्तमान वृद्धि को कम करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करे।

— — — —

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी, आप कितने वक्तव्य देना चाहते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, एक नोटिस तैयार है। दूसरा नोटिस नहीं दिया गया है। परन्तु सदस्यों ने गजरौला के बारे में वक्तव्य देने की मांग की है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे कल देंगे ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : कल।

श्री पी० उपेन्द्र : यदि आप अनुमति दें तो वह आज अपना वक्तव्य दे सकते हैं अन्यथा कल ही देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय आप अपना पहला वक्तव्य देंगे जो कि कि सूची में क्रमिक संख्या 7 में दिया हुआ है।

— — — —

2.46 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(तीन) जून, 1990 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पनवाड़ी गांव में हुए जातीय झगड़े

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पनवाड़ी ग्राम में, जून, 1990 में हुए झगड़ों की घटनाओं के बारे में सदन को सूचित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चोखे पुत्र श्री राम सरन जाटव की पुत्री का विवाह 21 जून, 1990 को होना निश्चित हुआ था। पनवाड़ी ग्राम के एक समुदाय के कुछ सदस्यों ने उस बारात के प्रस्तावित मार्ग का कड़ा विरोध किया, जिसने उनके घर के आगे से गुजरना था। दूसरे समुदाय के सदस्य नहीं चाहते थे कि बारात उस रास्ते से ले जाई जाए। तनाव की आशंका करते हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से परामर्श करके बारात के लिए मार्ग निर्धारित किया ताकि शांति भंग न हो। तथापि, एक समुदाय के कुछ सदस्यों ने इसके बावजूद संशोधित मार्ग के प्रति भी अपनी सहमति प्रकट नहीं की। 21-6-1990 को बारात पुलिस संरक्षण में गांव का आई। पनवाड़ी ग्राम के दूसरे समुदाय के सदस्यों ने आस-पास के गांवों के 4000 से 5000 लोगों के साथ पनवाड़ी गांव को घेर लिया। वे लाठियों, आग्नेयास्त्रों तथा हथगोलों से भी लैस थे। तनाव की आशंका करते हुए, बारात वापस ले जाई गई तथा तथा बाद में पनवाड़ी ग्रामवासियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। बारात 22 जून को पुलिस संरक्षण में पुनः लाई गई। पनवाड़ी ग्राम तथा आस-पास के ग्रामों के दूसरे समुदायों के लोगों ने पुलिस तथा अन्य अधिकारियों

पर हमला किया। पुलिस तथा भीड़, दोनों ही ओर से गोलियां चलीं। इसके अतिरिक्त, दोनों समुदाय के लोगों के बीच झगड़े विभिन्न स्थानों पर भी हुए। स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए, आगरा जिले के 7 पुलिस थानों के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू में स्थिति के अनुसार समय-समय पर ढील दी गई 22 तथा 23 जून, 1990 को निकटवर्ती गांवों में रास्ता रोकने/आगजनी, लूटमार तथा पथराव की घटनाओं की सूचना भी प्राप्त हुई।

प्राप्त सूचना के अनुसार 9 व्यक्तियों ने अपने प्राण गंवाएं, जिनमें से 7 व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे। बताया गया है कि 8 व्यक्ति लापता थे और 210 व्यक्ति घायल हुए जिनमेंसे 18 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल बताया गया। इन घटनाओं से संबंधित 848 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं को घटने पर, सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में फ्लैग-मार्च किया। जिला प्राधिकारियों ने लाइसेंस शुदा 394 अग्नेयास्त्रों को पुलिस स्टेशनों में जमा करवाया।

इन घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को प्रधान मंत्री राहत कोष से 10 लाख रु० वितरित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आगरा के कलैक्टर ने भी 10 लाख रु० से अधिक राशि, इन घटनाओं से प्रभावित लोगों में वितरित की है। शेष प्रभावित परिवारों को राहत देने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री घोषणा की है कि इन घटनाओं में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार/आश्रित को एक लाख रुपये, गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को 5,000/-रु० तथा जिन्हें हल्की चोटें आई, उन्हें 2,000/ रु० दिए जाएंगे।

उपरोक्त घटनाओं के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए रखा और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराए।

राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

— — — —

2.50 म० प०

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमती ऊषा सिंह द्वारा 30 मई, 1990 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

"कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरे विचार से श्री हरीश रावत उस दिन इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुःख है कि अपने मित्र राम विलास पासवान जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का न केवल विरोध करना पड़ रहा है बल्कि उनके ऊपर यह

[श्री हरीश रावत]

आरोप भी लगाना पड़ रहा है कि वह केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रचार करने मात्र के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा विधेयक लेकर सदन के सम्मुख आये हैं जिसका समर्थन करना इस सदन में और सदन से बाहर किसी भी संगठन के लिए बहुत कठिन होगा। मैं समझता हूं कि शायद उनकी पार्टी से संबंधित महिला संगठनों ने भी इस विधेयक पर कई आपत्तियां उठाई और उनके विषय में हमारी बहनें यहां पर बहुत सारी बातें कहेंगी। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि सरकार इतनी जल्दबाजी में इस विधेयक को लेकर आई है कि आज माननीय मन्त्री इस सदन के सम्मुख एक, दो-तीन नहीं, बल्कि एक दर्जन से ज्यादा सरकारी संशोधनों को लेकर यहां पर आये हैं। जो अपने आपमें मैं समझता हूं एक रिकार्ड होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कोई नया आइडिया नहीं है। 1974 में यू० एन० रिजोलुशन के आधार पर हमारे दल ने उस समय शुरूआत की थी इस बात की और एक कमेटी फार्म की थी जिसको कमेटी आन स्टेट्स आफ विमेन इन इंडिया कहा गया है। यह आइडिया बना था कि एक ऐसा संगठन बनाया जायेगा जो न केवल स्टेचुटरी होगा बल्कि आटोनॉमस भी होगा और सभी वर्गों के कल्याण का दावा करने वाली सरकार और उसके मन्त्री जिस विधेयक को लेकर आये हैं वह विधेयक इन दोनों आवश्यकताओं में से किसी भी आवश्यकता की पूरे तरीके से पूर्ति नहीं करता और हालत यह है कि न तो इसका कोई संवैधानिक दर्जा है जिस तरीके से एस० सी० एस० टी० कमीशन का है या जिस तरीके सर्विस कमीशन का होता है और न ही दूसरे कमीशन की तरह का है यानि कि इसको कोई दर्जा नहीं दिया गया है जबकि सदन के बाहर माननीय राम विलास पासवान जी ने लखऊम.एवं एकाध जगह पर कहा था कि हम इसको वही दर्जा देने जा रहे हैं।

मैंने इन संशोधनों को पढ़ने की कोशिश की है। हो सकता है कि मन्त्री महोदय बाद में ऐसी चीज निकाल दें जिससे यह हिसाब-किताब पूरा कर रहे हों। जहां तक आटोनमी का सवाल है, इतनी आटोनमी आपने इस संगठन को दी है कि पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है चेयरमैन/चेयरपर्सन से लेकर मेम्बर तक, उनको वह अधिकार प्राप्त नहीं है जो साधारण सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को प्राप्त है। आप जब चाहें, उनको नौकरी से निकाल सकते हैं। आपने अपने संशोधन में केवल यही कहा है कि उनको पर्याप्त समय दिया जायेगा कि आपको क्यों नौकरी से निकाला जा रहा है ? तीन साल के लिए आप रखेंगे और इन तीन सालों के लिए उनके ऊपर तलवार लटकी रहने देंगे। आप चाहते क्या हैं ? आप चाहते हैं कि वे गवर्नमेंट के जितने एक्शन्ज हैं, उनको देखने का काम करें कि उनसे महिलाओं का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है ? वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं ? सरकारी मशीनरी में कोई लूप-होल्ज तो नहीं है बल्कि अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में जो इतने लम्बे चौड़े उद्देश्य रखे हैं लेकिन यह नहीं बतलाया कि आखिर इस संगठन के ऊपर इतनी खतरनाक तलवार क्यों लटका कर रख रहे हैं ? क्यों चेयरमैन/चेयरपर्सन के ऊपर यह दायित्व है कि यदि उसने सरकार को डिस्प्लीज कर दिया या सरकारी मशीनरी को डिस्प्लीज कर दिया तो उसे कभी न कभी निकाला जा सकता है ? इसका कारण तो आप ही बता सकते हैं। इस मामले में यदि आप इतने माहिर नहीं होंगे तो जो आपके मातहत अधिकारी होंगे, जिन अधिकारियों के ऊपर उनको नजर रखने का काम करना है उन्होंने इस बॉडी को वाच डाग के रूप में काम करना है। जब आपने उनकी सेवाओं के विषय में इतनी अनिश्चितता बना रखी है तो कैसे वे वाच डाग की तरह काम करेंगे ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही स्थिति नहीं है बल्कि चेयरमैन के स्टेटस के विषय में भी अनिश्चितता है। मुझे इसमें तो कई प्रकार के संदेह हैं। हमारे समय में जो नेशनल कमेटी गठित की गई थी, उसकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करते थे, मन्त्री एवं राज्यमन्त्री उसके सदस्य होते थे और जो इस मामले को देखती थीं, वह एक महिला होती थी। आज आपने केवल डिप्टी मिनिस्टर को यह दायित्व सौंपा है। मैं नहीं कहता कि इसको डिप्टी मिनिस्टर को क्यों सौंपा है, लेकिन मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस कमीशन का जो भी चेयरमैन/चेयरपर्सन होगा, उसका स्टेटस क्या होगा? वह डिप्टी या राज्य मन्त्री के स्टेटस का होगा? मेहरबानी करके आप इसको भी स्पष्ट करने की कृपा करें। आखिर उसकी पोजीशन क्या होगी? आखिर आपको ऐसा कुछ तो देना पड़ेगा जिससे हमको लगे कि आप निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं और इस बिल को लेकर आये हैं, उस उद्देश्य के कहीं नजदीक तक तो जा रहे हैं। मान्यवर, आपने कहा है कि इस बाडी को इन्क्वायरी करने का अधिकार होगा लेकिन किस प्रकार से इन्क्वायरी करेंगे, कैसे इस काम को पूरा करेंगे जबकि इनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है और न ही स्टेट लेवल पर है। कम से कम हमारे समय में हमने पहल की थी और इस बात की कोशिश की थी कि राज्य स्तर पर पुलिस आर्गनाईजेशन में डी० आई० जी० लेवल पर एक ऐसा सैल क्रिएट किया जायेगा जो इस बाडी के तरह काम करेगा, उसको इन्वेस्टीगेट करने का काम करेगा, उसको मदद करने का काम करेगा लेकिन आज तो उसके आर्गनाईजेशन को न दिल्ली में कोई कल्पना की है कि इसके चेयरपर्सन का एक आफिस हो और न ही राज्य स्तर पर आपने इसकी कल्पना की है। जब उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो आखिर किस तरीके से वे अपनी ड्यूटीज पर फार्म करेंगे, मेहरबानी करके यह बताने का कष्ट करें। आप इन्क्वायरी करने की बात तो कहते हैं, लेकिन कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट के तहत आपने कहीं पर इस आयोग को अधिकार देने की कल्पना नहीं की।

3.00 म० प०

इस कमीशन के विषय में कहा गया है कि महिलाओं के संदर्भ में बनाये जा रहे कानूनों और नीतियों का यह निरूपण करेगा, विश्लेषण करेगा, लेकिन निरूपण और विश्लेषण तो करेगा, उसके बाद यदि आयोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो सिफारिश किसे करेगा, इसकी स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है। क्या वह अपनी सिफारिशें आपके ज्वाइंट सैक्रेटरी को करेगा, आपके एडीशनल सैक्रेटरी को करेगा या आयोग की चेयरमैन साहिबा अपना बस्ता लेकर और मैम्बर्स को फौज लेकर, मिलने का समय लेने के लिये ज्वाइंट सैक्रेटरी को टेलीफोन पर टेलीफोन करती रहेंगी, एडीशनल सैक्रेटरी या सैक्रेटरी को टेलीफोन पर टेलीफोन करती रहेंगी और जब उनकी प्लेजर होगी तो वे उन्हें बुला लेंगे। यदि आप इतने ही ईमानदार थे, जितना ईमानदार इस विषय में आप अपने आपको दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं तो मेहरबानी करके आयोग को कुछ ऐसे अधिकार क्यों नहीं देते कि यदि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वह अपनी सिफारिशें सीधे संसद को करें या विधान मण्डलों को अपनी सिफारिशें करें, उनसे कुछ कह सकें। आपने कहा है कि आयोग अपनी रिकमेंडेशन्स की सूचना मात्र देगा''' (व्यवधान) आप देख लीजिये, सुभाषिनी जी, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। मैं आपसे यह उम्मीद अवश्य करता हूं कि इस मामले में आप उनकी मदद अवश्य करें और ऐसा कोई प्रावधान निकाल कर हमें बतायें ताकि हमें संतोष हो जाये। हमें संतोष दिलवाने की ही जरूरत नहीं है, आप उन महिलाओं को संतोष दिलवायें, जिनका नेतृत्व आप करती हैं, जिनके लिये यह बिल लाया जा रहा है, उन्हें कम से कम संतोष दिलवाने का काम आप अवश्य करें।

[श्री हरीश रावत]

इस कमीशन से सम्बन्धित जो ओरिजिनल बिल था, उसमें आप कुछ संशोधन लेकर आये हैं और आपने आयोग को लगभग 14 काम सौंपे हैं, छोटे मोटे कुल मिलाकर, कुछ व्यवस्थाएं आपने की हैं, मैं मानता हूं कि वे प्रावधान ठीक हैं, यदि आप 14 की जगह, 16 या 20 प्रावधान भी कर देते तो इस सम्बन्ध में हमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता था, आप भले ही आयोग को कुछ और काम सौंप दीजिए, कुछ और जिम्मेदारियां सौंप दीजिए लेकिन इसके साथ-साथ एक क्लाज ऐसी भी जोड़ देते ताकि आयोग को किसी तरह का संवैधानिक अधिकार भी मिल जाता, कहीं कुछ ऐसी बात लिख ही देते, कोई कालम पावर्स आफ दि कमीशन का बना देते, लेकिन इस बिल को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी चीज से डर रहे हैं कि भूमिका के अलावा यदि आपने इन प्रावधानों को विस्तार में जाकर लिखना शुरू कर दिया तो आपका कल्याण मंत्रालय या सम्बन्धित विभाग, जिसे इस काम को देखना है, उसके और मंत्रालय के ब्यूरोक्रेट्स के बीच कोई संघर्ष न पैदा हो जाए। उसे टालने के लिए ही आपने इस विधेयक में अधिकारों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इस वजह से, आपने एक ऐसी बॉडी बनाकर, एक ऐसा बच्चा सदन के सम्मुख लाकर प्रस्तुत कर दिया है, जो पूरी तरह से विकलांग है। हां, केवल एक चीज आपने उसकी खुली रखी है, और वह है उसके कान। उसके कान जरूर है, वह केवल सुन सकता है मगर कर कुछ नहीं सकता। वह केवल सुन ही सुन सकता है। वह दिक्कतों को सुन लेगा, समझ लेगा, विचार कर लेगा, सब कुछ कर लेगा मगर उनके ऊपर एक्शन लेने का उसे कोई अधिकार नहीं है। उसके कोई हाथ पांव आपने बनाए ही नहीं, उसको कोई ताकत, शक्ति आपने नहीं दी। इस मामले में आपका बिल पूरी तरह से शांत है, चुप है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी मातमपुरसी या केवल आंसू पोंछने से किसी का हित होने वाला नहीं है, जिससे आप चाहते हैं कि महिलाओं का कल्याण हो सके। आपने जल्दी में यह बिल लाकर केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयत्न किया है, ऐसा लगता है। जिस तरीके से आप एक के बाद एक बिल सदन के सामने ला रहे हैं, मैं तो यह कहूंगा कि वे बिल्कुल एक प्रकार से विकलांग हैं। मैं इस सरकार को विकलांग नहीं कह रहा हूं, लेकिन विकलांग बिलों का जिक्र कर रहा हूं। मैं यहां तक नहीं पहुंच रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह सरकार विकलांग है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक के बाद एक विकलांग बिल लाकर, यह सरकार सदन का समय जाया कर रही है और समाज के वे वर्ग, जो इस सरकार से आशाएं लगाये बैठे थे, जो ऐसा महसूस कर रहे थे, जो ऐसा समझ रहे थे कि यह सरकार शायद हमारे कल्याण के लिए इन बिलों को ला रही है, उनके सामने केवल निराशा ही निराशा प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पहली बात वह यह करने की कृपा करें कि वह कमेटी और कमेटी के चेयरमैन की नियुक्ति के विषय में केवल अपने पालिटिकल फायदे के लिए सोचने का काम न करें। वह मेहरबानी करके ऐसा रास्ता निकालें कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, लोक सभा के माननीय स्पीकर और विरोधी दल के नेता इनवाल्व हो सकें ताकि उनके नामिनी उसमें आ सकें उसमें ऐसे मैम्बर होने चाहिएं जो पूरी जिम्मेवारी के साथ कमियों पर प्रहार और चोट कर सकें और फिर हमसे और सदन से यह कह सकें कि अमुक-अमुक मामलों में हमसे गलती हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, आपकी पार्टी के 10 मैम्बरों के नाम मेरे पास हैं। मैंने आपको 15 मिनट का समय पहले ही दे दिया है। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आपने चेयरपर्सन और मैम्बरों के ऊपर जो तलवार लटका कर रखी हुई है अपने डर की, मैं

मानता हूं कि आप वह तलवार नहीं चलायेंगे क्योंकि आप अहिंसक टाइप के आदमी हैं लेकिन सेक्रेटरी उस तलवार को इस्तेमाल करेंगे। जिसको आप चेयरपर्सन बनाने जा रहे हैं उसको आप चपड़ासी का दर्जा दीजिये और उनसे यह न कहिये कि रिक्वैस्ट लिखकर भेजें तब मिलने का समय मिलेगा, मेहरबानी करके यह तलवार तो हटाएं। आप केवल संसद और विधानमण्डल को ही पावर न दीजिए बल्कि ऐसा व्यवस्था कीजिये जिससे वह न्यायालयों को वायलेशन के मामले में सीधे एप्रोच कर सकें और यह कह सकें कि इसमें काग्नीजेंस ली जाये। ये सब ऐहतियाती कदम आप अवश्य उठाएं।

इसके साथ-साथ आप इसको पूरी एटानमी दीजिए और इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दीजिए। ऐसे में हमें इसका समर्थन करने में खुशी होगी अन्यथा हम हम कहेंगे कि राजनीतिक उद्देश्य से आप हिन्दुस्तान की महिलाओं के साथ फ्राड करने जा रहे हैं। अन्त में मैं इस बिल को अपोज करता हूं।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खड़ी हुई हूं इस विधेयक का स्वागत करने के लिए और आगे चलकर इसका समर्थन करने के लिये भी। उसका मुख्य कारण यह है कि यह जो विधेयक है यह किसी सरकार की दया से आज इस सदन में पेश नहीं हो रहा है। इसके लिए महिलाओं के संगठनों ने और इस मुल्क की हजारो महिलाओं ने पिछले 15 सालों से जबर्दस्त संघर्ष और जबर्दस्त आन्दोलन किये हैं। अभी आपके सामने यह बात रखी गई कि 197: में जो स्टेटस आफ वूमेन कमेटी बनाती गई थी उसने सिफारिश की थी इस किस्म के कमीशन को गठित किया जाए। उस कमेटी को बनाने वाले सरकार ने उसकी सिफारिशों को छापा लेकिन उन ो कभी भी लागू करने की जरूरत नहीं समझी।

यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस मन्त्री के पास महिलाओं का विभाग है, उसका दर्जा क्या है। महत्व की बात यह है कि उसकी नीयत क्या है और वह क्या करना चाहते हैं। इसके पहले 15 साल से हम देख रहे हैं कि जिस सरकार ने सिफारिशों को छापा उन्होंने कभी भी उनको लागू करने के लिए कुछ नहीं किया और एक भी कारगर कदम नहीं उ ाया। हमने इसके साथ-साथ एक चीज और देखी कि पिछली सरकार में बड़े ओहदे बड़े दर्जे की मंत्री जरूर थीं इस विभाग को सम्भालने के लिये, लेकिन कभी भी उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाओं से बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी और महिला संगठनों के साथ चर्चा करने की जरूरत नही समझी व न ही उनकी समस्याओं को सुनने की जरूरत समझी।

पिछली सरकार ने तमाम सोच-विचार के बाद हमको सामने दिखाया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फार वूमेन जिसको तैयार करने के लिए न किसी से पूछा गया, न किसी की राय ली गई। उस पर्सपेक्टिव प्लान की जो खामियां थीं वह तमाम महिला संगठनों ने सर्वसम्मत होकर पिछली सरकार को दिखा दी थी। नई सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में वूमेन कमीशन की बात कही थी।

उसी समय हम लोगों ने एक स्वर से यह मांग की थी कि हमें वीमेंस कमीशन नही चाहिए, हमें स्टेचुटरी वीमेंस कमीशन नहीं चाहिए, हमें कोई झुनझुना नहीं चाहिए, मन बहलाने के लिए, हमें एक हथियार चाहिए, औरतों का दर्जा हिन्दुस्तान में ऊंचा उठाने के लिए और औरतों को अधिकार दिलवाने के लिए और उसके लिए लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है। पिछले सत्र में जो विधेयक हमारे सामने रखा गया, उसकी तमाम खामियों को हम लोगों ने देखा और समझा और उसके बाद हम तमाम महिलाएं, जो अलग-अलग पार्टी की सदस्य हैं, हम लोगों ने मन्त्रियों से बातचीत की, महिला संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होने सरकार से बातचीत की और अब के सत्र और पिछले सत्र के बीच में दो तीन मीटिंगें सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों की हुई हैं और मुझे खुशी है कि जो

[श्रीमती सुभाषिनी अली]

पिछली मीटिंगें हुई थीं, उसमें तमाम महिला संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिस पक्ष के नेता अभी हमारे सामने बोल रहे थे, उनके पक्ष की भी महिलायें और संगठय के नेता उस मीटिंग में मौजूद थे और खुशी की बात है कि ज्यादातर हम लोगों ने मिलकर जो सिफारिशें दीं, उनको सरकार ने स्वीकार किया है और सरकार की तरफ से जो संशोधन हमारे सामने आये हैं, उनमें यह तमाम बातें जो लिखी गई हैं, वह सिर्फ सरकार की तरफ से संशोधन नहीं हैं बल्कि जो संशोधन सरकार के सामने तमाम महिला संगठनों ने रखे थे, उनकी झलक हमको इन संशोधनों में मिलती है। हम लोगों को आज समझना चाहिए कि ऐसे आयोग की जरूरत क्या है। हमारे देश का संविधान कहता है कि औरतों को हर क्षेत्र मे बराबरी का दर्जा मिलेगा, हमारा संविधान कहता है कि कानून बराबर ने औरत और मर्द को देखेगा लेकिन आज हमारे देश की हालत क्या है। हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि औरतें पिछड़ी हुई हैं और उसका कारण है हमारे समाज की हालत हमारे समाज के अन्दर तमाम बुराइयां, हमारे समाज का पिछड़ापन नतीजे के तौर पर अगर हम देखें तो पैदा होने से लेकर मरने तक, औरत की जिंदगी को, तो हम यही देखेंगे कि हर कदम पर उसको अन्याय और असमानता का सामना करना पड़ता है, जब वह पैदा होती है, जब एक लड़की पैदा होती है, और आजकल तो हालत यह है कि ऐसे-ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं कि लड़की का पैदा होना भी आज मुश्किल हो गया है, क्योंकि, हमारे देश मे विज्ञान के नाम पर ऐसे टैस्ट होते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है, उसका लिंग पता लग जाता है और सामाजिक उत्पीड़न के कारण, दहेज के डर की वजह से गर्भवती महिलायें अपने गर्भ में जो बच्ची है, उसको गिरा देती हैं। उसकी एक तरह से हत्या करते हैं तो पैदा होना भी हमारे देश के अन्दर लड़कियों के लिए मुश्किल हो गया है। जब वह पैदा होती है तो उनके सामने क्या है, हमारे सामने आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं कि हमारे देश में जो एक से लेकर 4 साल के बच्चे हैं, उनमें जो मोर्टेलिटी रेट है, वह लड़कों के लिए 6.8 फीसदी है, लड़कियों के लिए 10.1 फीसदी है। इसका क्या मतलब है कि बच्ची के साथ पक्षपात होता है, घर के अन्दर बच्चे को अच्छा खाना मिलता है, बच्ची को बचा खुचा दे दिया जाता है पानी पिलाकर उसका पेट भरकर उसको सुला दिया जाता है और यही रवैया उसके साथ जिन्दगी भर हम लोग और हमारा समाज करता है। अगर साक्षरता के आंकड़े देखें तो हमारे देश में जहां 46.9 फीसदी मर्द साक्षर हैं वहां केवल 24.8 फीसदी औरतें साक्षर हैं, तमाम चीजें है। हमारे देश में अगर हम देखें कि नौकरियां औरतों को कितनी मिलती हैं तो आज हम देखेंगे कि हमारे देश में जो रजिस्टर्ड अनएम्पलायड हैं, उनमें महिलाओं की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। 1975 में 10-12 लाख औरतों ने अपने आपको, अपने नाम को दर्ज किया था, रोजगार के दफ्तरों मे और वह संख्या 1986 में बढ़कर 51 लाख तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं जितनी औरतें पहले काम करती थीं उनकी संख्या भी परसेन्टेज में घटती चली जा रही है। हम देखते हैं कि संख्या में 31.53 औरतें काम करती थीं वह संख्या 1981 में घटकर के 20.21 फीसदी ही रह गई है।

इस तरह से हम देखते हैं कि समाज के हर क्षेत्र में औरतों के साथ भेदभाव होता है। उनके साथ-ही-साथ उन पर होने वाले अत्याचार, उनके साथ होने वाले अन्याय दिन-पर-दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर औरतों पर हो रहे अत्याचारों की संख्या को देखते हैं तो हर साल हम पायेंगे कि उसमें इजाफा ही इजाफा हो रहा है, बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। दहेज के लिए औरतों को जलाए जाने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को जरूरत इस बात की है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे हाथों में एक ऐसा हथियार हो कि किसी के सहारे हमको न रहना पड़े। उस हथियार का इस्तेमाल करके हम अपने हालात को समाज के अन्दर सुधार

सकें, समानता का दर्जा प्राप्त कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने लगातार इस तरह के महिला आयोग की मांग की है, उसके लिए संघर्ष किया है, जिसकी झलक आज के इस विधेयक में हम लोगों को प्राप्त हो रही है।

माननीय रावत जी ने कहा कि यह तो ऐसा विधेयक है, जिसमें अधिकार कुछ भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि इस विधेयक में कुछ खामियां हो सकती हैं और उन खामियों के बारे में मेरी पार्टी की जो दूसरी बोलने वाली मेरी साथी होंगी, वे उन पर रोशनी जरूर डालेंगी। खामियां अब भी जरूर कुछ महसूस हो रही हैं, हम चाहेंगे कि हमारी सरकार उनको भी दूर करे। लेकिन जिन चीजों के लिए हम लड़े हैं और जो हम इसमें पाते हैं, उसका महत्व हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यह जो आयोग बनाया जा रहा है, इसके साथ कई तरह के अधिकार मौजूद हैं, इस विधेयक में वे तमाम अधिकार ऐसे हैं, जिनको पाने की लड़ाई हमने लड़ी है। पहली चीज यह है कि हमारे देश में जो महिलाओं के हक में कानून बनाए गए हैं, हालांकि हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं, कुछ कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि जो कानून हैं, वे संविधान का भी उल्लंघन करते हैं और औरतों के साथ पक्षपात करते हैं। औरतों को उनका हक नहीं मिलता है, न वारिसाना हक मिलता है, न जायदाद के अन्दर समानता का अधिकार मिलता है। हर तरह का पक्षपात का रवैया कानून की तरफ से महिलाओं के साथ होता है। लेकिन जो कानून महिलाओं की अच्छाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बने हैं, वे लागू नहीं होते हैं। उसके बारे में आयोग को अधिकार दिया गया है कि वह देखे कि कानून लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बारे में आयोग देख सकता है और पता लगा सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं की बेहतरी के लिए सरकार की तरफ से तमाम योजनायें बनाई गई हैं, सरकार की तरफ से परियोजनायें बनती हैं महिलाओं की बेहतरी के लिए मैं पूछना चाहती हूं, उनका हो क्या रहा है? उनको बनाने के सम्बन्ध में क्या वाकई में महिलाओं के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखा गया है या नहीं? इसको गारन्टी देने के लिए इस आयोग को अधिकार दिया गया है कि योजनाओं के तैयार होने के पहले इस आयोग को अपनी सिफारिश और अपनी राय देने का पूरा अधिकार होगा और सरकार भी बाध्य होगी कि जब भी महिलाओं के बारे में योजना बनाएगी, कोई घोषणा करेगी तो उसके पहले उसको आयोग की राय लेनी पड़ेगी, आयोग से चर्चा करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं जो प्लानिंग प्रोसेस है, हमारे देश में जो विकास की प्रक्रिया है, योजना आयोग के साथ भी महिला आयोग को बैठने का मौका मिलेगा और उसको अपनी पूरी सिफारिश तथा अपनी पूरी सिफारिश तथा अपनी पूरी बात योजना आयोग के सामने रखने का मौका मिलेगा। इसके साथ-साथ, जिस बात की तरफ रावत जी ने इशारा किया था, अगर कहीं महिलाओं के साथ अन्याय होता है, अगर कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो क्या यह आयोग कुछ कर सकेगा? मेरी अपनी राय है ..हां, कर सकेगा। आज स्थिति क्या है? बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, हम लोगों ने देखा है कि चर्चा भी हुई है, महिलाओं पर अत्याचार की बात होती है, बलात्कार की बात होती है, तो बलात्कार का भी राजनीतिकरण किया जाता है। देखा जाता है, किसकी सरकार कहां है जहां पर बलात्कार हो रहा है, उससे हम तय करते है कि बलात्कार के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना है। अगर सरकार उत्तर प्रदेश में है और वहां पर यदि बलात्कार होता है तो उस पर सदन के अन्दर चर्चा जरूर होगी, लेकिन अगर त्रिपुरा के अन्दर आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो उसकी चर्चा सदन में करने नहीं देते हैं, उसके बारे में सदन के अन्दर बोलने नहीं देते है। इस शर्मनाक चीज को हम कहेंगे नहीं कि महिलाओं के साथ त्रिपुरा में बलात्कार हुआ और उसकी एफ आई आर आज तक वहां के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होने दी गई। कैसा है यह आपका कानून? जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ है वह कहां जाएगी, किसके पास जाएगी?

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : यह कहा गया है कि सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्रीमती सुभाषिनी अली : हम इस मामले पर सदन में चर्चा करने से नहीं डरते।

[हिन्दी]

जहां तक औरतों के ऊपर अत्याचार का सवाल है, हम कहते हैं कि सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए और औरतों को न्याय मिलना चाहिये। जहां भी औरतों के साथ अत्याचार होता है या उनकी बात की जाए तो कहते हैं कि हम अन्याय के लिए लड़ेंगे और आपका साथ देंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। एफ आई आर दर्ज नहीं होती है तो इस आयोग को ये ताकत दी गई है और लिखा गया है कि—

[अनुवाद]

"उनके पास सिविल अदालत के अधिकार होंगे।"

हम इन्क्वायरी कर सकते हैं। सिर्फ इन्क्वायरी ही नहीं कर सकते हैं बल्कि दोषी अधिकारियों को अपने सामने बुला भी सकते हैं, उनका बयान ले सकते हैं, मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, मुकदमे को कचहरी में उठा सकते हैं, ये तमाम अधिकार दिए गए हैं और उनकी जरूरत आप महसूस करते हैं क्योंकि जो सबसे कमजोर वर्ग हमारे देश का है उसके साथ यदि अत्याचार होता है तो वह अपनी मांगें मनवाने के लिए कहां कहां जायेगा। अत्याचारियों के घर में उसको न्याय मिलने वाला नहीं है, उनके दरवाजों को खट-खटा करके उनके हाथ थक जायेंगे लेकिन उनको वहां पर न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है और अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करती है, प्रशासन कुछ नहीं करता है और अगर केस दर्ज नहीं होते हैं तो उस आयोग के सामने इस तरह की घटनायें आ सकती हैं और ये आयोग पेरवी भी कर सकता है, इन्क्वायरी भी कर सकता है और सजा देने की पूरी की पूरी सिफारिश भी कर सकता है। कहा गया है कि इसका चेयरपर्सन एक चपड़ासी होगा जो मंत्रियों से और सेक्रेट्रीस से उनके लिए एपाइंटमेंट लेगा। ये बात बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। इसमें साफ लिखा गया है कि इस आयोग की जो सिफारिशें होंगी वह सरकार को दी जायेंगी।

[अनुवाद]

"तथा केन्द्र सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष सभी रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।"

[हिन्दी]

मतलब सरकार के पास ये चुनाव कराने का मौका नहीं होगा कि वह इसको रखे या न रखे, सरकार को रखना पड़ेगा। इस सदन के सामने जो और सिफारिशें मानी जा रही है उसका ब्योरा देना पड़ेगा और जो सिफारिशें नहीं मानी जा रही हैं सरकार की तरफ से, उसके लिए सरकार को सदन के सामने कारण देना पड़ेगा और फिर यह सदन फैसला करेगा कि वह सिफारिश मानी जायेगी या नहीं मानी जायेगी, इस तरह का अधिकार हम महिलाओं ने लड़ कर लिया है। उनका आप मजाक मत उड़ाइये। आज हमें गर्व है कि इस देश के महिला आन्दोलन ने पार्टी लाईन्स पर नहीं सोचा। पक्ष

की राजनीति को छोड़ करके, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के पूरे के पूरे सम्पूर्ण महिला आन्दोलन ने लड़कर एक आवाज से इस आयोग की लड़ाई लड़ी है और बहुत बड़ी जीत को हासिल किया है। आप इस जीत को कम मत समझिये और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस विधेयक को आप रोकने की कोशिश मत कीजिए। बहुत आपने रोड़े अटकाने के काम किये हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि औरतों की शक्ति के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिये। अगर आपने खिलवाड़ किया और इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की या इस कानून को बनने से रोका तो देश की औरतें आपको माफ नहीं करेंगी और जहां-जहां जायेंगी आपसे इस बारे में सवाल पूछा जायेगा। इसके साथ-साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सुभाषिनी जी का भाषण सुनने के बाद इसका विरोध करने का साहस किसी में नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बारे में उचित मानसिकता का बनना बहुत जरूरी है। हम सदियों से देखते आ रहे हैं, जब कभी भी इस देश पर आक्रमण हुए, पहला वार स्त्रीत्व पर, मातृत्व पर होता आया है। इसके पीछे भी एक मानसिकता है। अगर राष्ट्र में स्त्री कमजोर होती है, मातृत्व कमजोर होता है तो वह राष्ट्र भी कमजोर होता जाता है। हमें इस बारे में भी विचार करना होगा कि आक्रमणकारियों द्वारा यह कैसे समझा गया कि इस देश का मातृत्व कमजोर है। जब हमने स्वतन्त्रता की लड़ाई शुरू की, उस दिन से हमारी सोच सुधर गई थी। इस देश के लिए, समाज के लिए सोचने वाली जितनी हस्तियां थीं, उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि जब तक इस देश की स्त्री अपने आप में आत्म-सम्मान नहीं पाएगी, नारी शक्ति, मातृ-शक्ति जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक यह राष्ट्र सही मायने में खड़ा नहीं हो पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में स्त्री को कभी देवी मानकर सिर पर बिठाया गया, कभी दासी मानकर पैरों तले रौंदा गया, लेकिन एक व्यक्ति मानकर उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। यह बहुत जरूरी है। आज जब महिला आयोग विधेयक यहां पर लाया जा रहा है, मैं मानती हूं कि उसके पीछे भावना यही है कि न तो स्त्री को देवी माना जाए, न दासी माना जाए, एक व्यक्ति, एक मनुष्य की तरह पुरुष के साथ-साथ राष्ट्र का नागरिक होने के नाते इस देश के विकास में अपना हाथ बंटाए, समर्थता से हाथ बंटा सके। आज स्त्री समझ गई है, अगर कोई बात होती है तो वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठती है, अब स्त्री समझ गई है, इसलिए पूरे देश की महिलाओं और महिला संगठनों ने इस आयोग के बारे में मांग की थी, लेकिन स्त्रियों के विकास की दृष्टि से आज तक कई समितियां बनीं और बिगड़ीं, 1987 में भी प्रधानमन्त्री जी ने एक समिति का गठन किया था, लेकिन सही मायने में स्त्रियों की कठिनाई को कभी समझा नहीं गया। अब इस दिशा में एक ठोस कदम के रूप में यह विधेयक हमारे सामने आया है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसको अपना समर्थन प्रदान करके इस विधेयक को पास करेंगे।

जैसे कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कि स्त्री सारथी है और पुरुष रथी है, हर बात में माता के रूप में, बहन या पत्नी के रूप में स्त्री सारथी है, दिशा प्रदान करती है, पूरे राष्ट्र को दिशा प्रदान करती है, इसलिए पुरुष जो रथी है वह स्त्री का सारथित्व महिला आयोग के रूप में प्राप्त करेगा। इस आयोग की स्थापना होने के बाद सही मायने में सारथित्व महिलाओं के हाथ में आएगा और राष्ट्र का विकास हो पाएगा। अगर हम राष्ट्र का सही रूप में विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में स्त्रियों का

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

पूरा ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा, स्वावलंबन, निर्भयता, समानता, आत्मसम्मान, इन पांच बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुझे आशा है कि इस आयोग के माध्यम से जो-जो अधिकार स्त्री को, इसकी चेयरमैन को प्राप्त होंगे, उनके अनुसार इन सभी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, विकास की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से इन बातों पर विचार किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से महिलाओं का ड्राप-आउट ज्यादा है। शहरों की बात मैं नहीं कहती, गांवों में मैंने देखा है कि स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा है। जब लड़का और लड़की पढ़ाई शुरू करते हैं तो यह देखा जाता है कि किसी भी तरह से लड़के की पढ़ाई चालू रहे, लड़की अगर घर में भी बैठेगी तो कोई बात नहीं बिगड़ती, इस कारण से लड़कियों को ड्राप-आउट ज्यादा है। आज अगर सही मायनों में स्त्री शिक्षित हो जाए तो जो गलत रूढ़ियां और परम्पराएं गांवों में चली आ रही हैं, उनको तोड़ना बहुत सरल हो जाएगा और स्त्री देश के विकास में अपना हाथ बंटा पाएगी।

समानता की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगी कि कभी-कभी इतना अन्याय हो जाता है, जैसे प्रसूति अवकाश के बारे में मैं बताना चाहती हूं, अलग-अलग कानून बने हुए हैं। कहीं पर यह कहा जाता है कि 3 महीने सरलता से प्रसूति अवकाश ले सकते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो बच्चे को जन्म देना ही सिर्फ काम नहीं है, उसकी परवरिश उससे अधिक महत्वपूर्ण है। मेरा कहना है कि 5 वर्ष तक अगर बच्चे को मातृत्व का साया प्राप्त हो सके, तब जाकर वह अच्छा नागरिक बन सकता है। इस दृष्टि से प्रसूति अवकाश के मामले को देखना बहुत जरूरी है। महिला आयोग बनने के बाद इस पर विचार करना चाहिए, इस प्रकार के कानून बनने चाहिए जो इस तरह के ड्रा-बैक्स को दूर कर सकें और महिलाओं को सक्षम बनाने में सहायक हों। इस दृष्टि से महिला आयोग बनेगा, उसका हम समर्थन करते हैं। मैं चाहूंगी कि निर्भरता की दृष्टि से भी यह महिला आयोग इस पर विचार करे। स्त्री अपनी आत्म रक्षा खुद कर सके इस दृष्टि से अर्ध-सैनिक प्रशिक्षण गांव-गांव में महिलाओं को देना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक पुरुषों का वर्चस्व है, इस बारे में सोचा नहीं जाएगा। अगर महिला आयोग सफलता से काम करना शुरू करे तभी स्त्री के संकट, दुःख समझ सकती है और इसी दृष्टि से इस पर विचार होगा तो कई दिनों से कई महिलाओं के मन में यह बात है कि अर्ध-सैनिक प्रशिक्षण लड़कियों को प्राप्त होना बहुत जरूरी है, अगर महिला आयोग इसको मानता है तो मेरी मान्यता है इस पर अच्छी तरह से विचार हो सकेगा। कला, क्रीड़ा, के क्षेत्र में कई महिलायें, लड़कियां ऐसी हैं जो आगे जाकर प्रगति कर सकती है राष्ट्र का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन उनकी विशेष ट्रेनिंग के लिए, गाईड-लाईन्स, शिक्षावृत्ति के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनती, ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बात कहना चाहूंगी कि इस आयोग को अधिकार भी उतने ही मिलने चाहिए। अभी जो यहां बात की गयी "चपड़ासी" के संबंध में, यह वही मानसिकता, प्रवृत्ति बताती है, स्त्री को दासी समझने की प्रवृत्ति बताती है। उसी प्रवृत्ति के अन्तर्गत चपड़ासी शब्द का उच्चारण यहां पर किया गया। जब भी महिलाओं के संबंध में कोई बात आती है हेयता से उस बात को बोलते हैं। इस शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए जब हम महिलाओं के बारे में बात करें।

श्री हरीश रावत : इनको संवैधानिक स्टेटस दीजिए, मैंने इसकी मांग की।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप इतना कह सकते थे। मैं तो कहूंगी कि चपड़ासी बना कर रखा

हुआ था। आज 40 साल तक केवल महिलाओं के विकास की बात होती रही, कई समितियां बनती रहीं, लेकिन अमल कुछ नहीं हुआ। चपड़ासी बना के रखा हुआ था सभी महिलाओं को। अब सही मायनों में यह आयोग बन रहा है। (व्यवधान)

एक बात और कहना चाहूंगी। राष्ट्रीय स्तर पर यह हो रहा है, लेकिन जिला स्तर पर भी इस महिला आयोग की शाखाएं होनी चाहिए ताकि जिलों में जो महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं उन पर विचार हो सके। यह केवल राष्ट्रीय स्तर पर 6 महिलाओं का आयोग गठन करने से नहीं होगा, उनको अधिकार भी होने चाहिएं। वे पूरे देश में घूमें, देखें, समझें कि क्या-क्या समस्याएं हैं महिलाओं की। प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर भी इस आयोग को पहुंचाना बहुत-बहुत जरूरी है।

अन्त में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि कानून अनेक बने हैं। केवल दहेज विरोधी कानून है, ऐसा नहीं है। बलात्कार के लिए भी सजा होती है। कानून में लिखा है कि सजा का प्रावधान है। लेकिन अभी हमारी सहयोगी सुभाषिनी जी ने कहा कि जब-जब महिलाओं पर बलात्कार की बात सदन में उठती है, मेरा मन दुखता है, रोता है कि राजनीतिक लाभ के लिए हम उसी बात की चर्चा उठाते हैं, उसी ढंग से उसकी तरफ देखते हैं। कितने भी कानून बनें लेकिन जब तक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता है तब तक केवल उपहास का विषय, उपभोग की वस्तु और संजोए रखने वाली सम्पत्ति की बजाए स्त्री सम्मानजनक साथी और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास मे आत्मविश्वासपूर्ण सहभागी बनने वाली जागरूक नारी नहीं बन सकती। इस दृष्टिकोण से इस आयोग का सम्पूर्णत: समर्थन करें और ज्यादा अधिकार इस आयोग को मिलने चाहिए ताकि आज तक जो हम काव्य पंक्ति बोलते आए हैं "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी" इस पंक्ति को हम बदलना चाहते हैं यह कर "सबला बन कर लिखी एक नयी कहानी, मन में हो विश्वास बनो स्वाभिमानी।"

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मान्यवर, आज यह विधेयक पेश करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सरकार सदन में लाई। महिलाओं का हमारे इतिहास में जो स्थान रहा है वह छिपा नहीं है। वह एक गौरव का विषय था। महिलाओं की गोद में एक पूरा राष्ट्र पलता है। लेकिन राष्ट्र को चलाने में और राष्ट्र को संवारने और संजोने में उनका स्थान न के बराबर है और इस परिस्थिति को सक्षम रूप से बदलने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जब व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है उसमें सामाजिक वर्गों को और विशेषत: उन वर्गों को उभारकर के सामने लाना है जो वर्तमान व्यवस्था के अन्दर जकड़े हुए हैं, दबे हुए हैं और नम्रता का दृष्टिकोण यह है कि हम इनको केवल खजाने से पैसा देकर उभारकर सामने नहीं लायेंगे। जब तक उनकी देश को चलाने में, संवारने में हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक तिजोरी के आश्रित वे भिखारी बने रहें और हाथ पसारते रहे ग्राण्ट्स के और कुछ सरकारी ग्राण्ट्स के तो उसी दिशा में वे बने रहते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि विधेयक पर चर्चा की जा रही है, प्रधान मन्त्री जी बोल रहे हैं तथा अधिकतर पुरुष सदस्य ही इस पर कहना चाहते हैं। महिला सदस्यों को बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती ? ···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अभी बोल रहा हूं। आपको भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। आप जानते हैं कि दो महिला सदस्यों ने पहले ही इस पर कहा है और प्रधान

मन्त्री भी इस बारे में बोलेंगे तथा आप यह जानना चाहेंगी कि उनके सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीतियां हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाहते यही हैं कि महिलाओं को केवल बोलने का अवसर नहीं बल्कि उनकी वाणी में शक्ति हो, उसके लिए प्रयास है ।···(व्यवधान)···

श्रीमती उमा गजपति राजू : आप हमें शक्ति दो तो हम बोलेंगे । आपकी पार्टी के श्री कल्याण सिंह कालवी जी ने भी सती प्रथा का समर्थन किया था । (व्यवधान)

[अनुवाद]

तथा आपकी पार्टी के चौ० जगदीप धनखड़ हैं ।** आप देश की महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं । मुझे यह कहते हुए उपरान्त दुःख है कि···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाने के प्रयत्न में मैं देख रहा हूं कि अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की जा रही है । कृपया इसे मुझ पर छोड़ दीजिए । आप कृपया शांत रहिए ।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाहे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यकों की समस्या हो । चाहे और गरीब तबके की समस्या हो, हम लोगों का यही दृष्टिकोण है कि उनकी सत्ता में कोई न कोई भागीदारी हो । इसमें यह बाधा नहीं है कि महिलायें बुद्धि में, साहस में या योग्यता में किसी तरह से पिछड़ी हुई हैं, लेकिन व्यवस्था में जिस तरह कर रखा है उससे सबसे पिछड़ा हुआ समाज में कोई तबका है तो वह महिलाओं का है । इस समस्या का हल कानून से नहीं हो सकता । संविधान के अन्दर यह गारंटी है कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे, यह तब से है जब से संविधान बना हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आज हम देखें तो क्या परिस्थिति है । 75 फीसदी महिलाएं अशिक्षित हैं । हमारा जो ड्राप रेट है वह 55 पर्सेंट है प्राइमरी स्टेज का और 90 पर्सेंट जो वूमैन वर्कर्स हैं वे अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं जिसमें से 80 फीसदी से ज्यादा कृषि में काम कर रही हैं । यह संविधान की दी हुई परिस्थिति है । इसलिए सरकार ने सोचा कि इसके लिए लिए कोई एसा संवैधानिक मेकेनिज्म होना चाहिए जो निरन्तर उनके हितों से उनके अधिकारों से और उनकी समस्याओं से जुड़ा रहे । उसको सक्षम ढंग से उठाता रहे और हल करता रहे । यही कारण है कि आज हम लोग यह विधेयक लेकर आए हैं, महिला आयोग का ।

सन् 1971 में कमेटी आन स्टेटस आफ वूमैन इन इण्डिया के बारे में श्रीमती फूल रेणु गुहा ने अपनी रिपोर्ट दी । दो दशक बीत गए और उस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई । आज वह खुशी का दिन है कि एक शुरूआत कर रहे हैं । इससे समस्याओं का हल हो जाएगा, यह हम नहीं कह रहे हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना होगा, लेकिन उसके लिए एक आधारशिला, एक नींव हम डाल रहे हैं । इसके अन्दर काफी अधिकार हम लोगों ने दिए हैं जिसमें विशेष रूप से रामविलास पासवान जी बतायेंगे । जो अधिकार इन्क्वायरी कमीशन के हैं वे भी दिए जा रहे हैं और अनुसूचित जाति तथा

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

अनुसूचित जनजाति के लिए हम लोगों ने जो आयोग बनाया है उसके समकक्ष यह महिला आयोग बनाया जायेगा। पहले जो योजना थी उसमें कुछ कमी थी, आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज में शक्ति है। हम मानते हैं, इसीलिए आपके संशोधन आने से पहले सदन में, हम यह कर चुके हैं।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मुख्य मुद्दा यह है कि इस व्यवस्था को हम कुछ झंझोरेंगे या नहीं, यह हिम्मत देखनी है। कल हम लोगों ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का एलान किया। कई बार योग्यता, क्षमता की बात आती है, महिलाएं भी उसी का शिकार हैं। लेकिन एक व्यवस्था जिसके अन्दर वर्ग के वर्ग लाचार बना दिए जाते हैं, क्या उस व्यवस्था के मैरिट का विचार हुआ ? केवल इंडीविजुअल मैरिट पर विचार हुआ। अगर मैरिट का सवाल है तो मैरिट को भी देखना चाहिए। जो तमाम तबकों को दबाए रखता है और उस व्यवस्था में हम परिवर्तन न लाएं, उसकी मैरिट के बारे में विचार न करें और उस व्यवस्था से निकले हुए व्यक्ति हों उनकी मैरिट की बात हो। तो शायद सांचे को स्वीकार कर लें और उससे जो ढांचा निकले उसकी बहस करते रहें, यह चलने वाली नहीं है। इसलिए मौलिक रूप से इस सांचे को बदलना चाहते हैं और यह एक छोटा-सा प्रयास है इस सांचे को बदलने का, इसलिए इस सदन से मेरा अनुरोध है कि आप इसमें अपनी शक्ति दें, समर्थन दें ताकि इसमें लोग आगे बढ़ सकें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस विधेयक के लिए चार घंटे दिए गए हैं, परन्तु मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें इस पर चर्चा उस समय तक जारी रखनी चाहिए, जब तक वक्ताओं की सूची के प्रत्येक सदस्य को इस विधेयक पर कहने का अवसर प्राप्त न हो जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कहने के लिए चार अथवा पांच महिला सदस्यों के नाम मेरे पास हैं। इसके अनुसार अब कुमारी मायावती को बोलने के लिए बुलाया जाएगा।

[हिन्दी]

मायावती जी, आप दूसरे विषय पर भी बोलने जा रही हैं इसलिए आप संक्षेप में बोलिए।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने कल हमें प्रामिस किया था कि आज 4 बजे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर देश के कोने-कोने में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, उस पर 193 लिया जायेगा तो मुझे नियम 193 पर भी बोलना है। जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का सवाल है तो मैं ऐसे समाज से ताल्लुक रखती हूं और ऐसे समाज की लड़की हूं जिस समाज की महिलाओं को हर प्रकार से अपमानित किया गया है तो इस विषय पर मैं आज चर्चा में भाग नहीं ले पाऊंगी लेकिन माननीय प्रधान मन्त्री जी ने इस विधेयक के ऊपर अपना वक्तव्य दिया तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं जो कि महिलाओं से सम्बन्धित है। उन्होंने पूरे राष्ट्र की महिलाओं का तो जिक्र किया है लेकिन राष्ट्र की उन महिलाओं का जिक्र नहीं हुआ है जिनका पतन हो रहा है। इस देश के अन्दर आज भी उनके प्रति अन्याय किया जा रहा है जिन लोगों की आबादी 100 में से 35 है और 85 में से भी 50 प्रतिशत आधी आबादी नारी भी है, उस पर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली है। यद्यपि मध्य प्रदेश में काण्ड हुआ है और अब आगरा के अन्दर कांड हुआ जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। माननीय प्रधानमन्त्री जी शायद इस बात को भूल रहे

[कुमारी मायावती]

है कि इस देश के अन्दर नारी समाज को भारतीय संविधान के अन्दर यदि बराबर का दर्जा दिया गया तो इसका क्रेडिट वी० पी० सिंह प्रधानमन्त्री को जाता है। इसका क्रेडिट तो बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं जाता है क्योंकि उन्होंने ही कानून मन्त्री की हैसियत से 5 जनवरी, 1951 को संसद के अन्दर हिन्दू कोड बिल रखा था। चूंकि आज लोग अलग-अलग पार्टी के हैं, पहले कांग्रेस के ही ठेकेदार थे जिन्होंने इस बिल को उस समय पास नहीं होने दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही नारी के विकास के लिए कहा था और जब उनकी बात संसद में नहीं मानी गयी तो उन्होंने 27 सितम्बर, 1951 को कानून मन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी आप बिल पर नहीं बोल रही हैं। दूसरे लोगों को आना है, ऐसा नहीं चलेगा।

कुमारी मायावती : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी बात का जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल पर आ जाइये।

कुमारी मायावती : प्रधानमन्त्री जी ने महिलाओं पर बोला है लेकिन समाज के दबे कुचले वर्ग की महिलाओं के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला है। चूंकि अब दस मिनट रह गये हैं, मैं आज इस बिल पर नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन प्रधानमन्त्री जी से मेरी गुजारिश होगी कि वे इसके बारे में सदन में जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी, यह उसका टाइम नहीं है।

कुमारी मायावती : इस देश में अनुसूचित जाति और दबे कुचले वर्ग की महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मैं उसी की बात कर रही हूं। (व्यवधान)

ऊंची जाति की महिलाओं के साथ दूसरे हिसाब से अत्याचार होता है, दबी और कुचली महिलाओं के साथ दूसरे हिसाब से अत्याचार होता है, आप इसे समझने कोशिश क्यों नहीं करते। मैं अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने के नाते, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब लोग यदि बैठे रहें तो मैं कन्ट्रोल कर लूंगा। आप जरा चुप होकर बैठिएगा। आप भी बैठिए, टोकिए मत।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ में क्यों उलझना चाहते हैं।

कुमारी मायावती : मैं इस बिल के बारे में इस समय नहीं बोलना चाहती हूं लेकिन इस देश में दबी कुचली महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वह वास्तव में दुःख का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आपको एक बहन बोलने के लिए खड़ी हो गयी है, आप कृपया बैठिए।

कुमारी मायावती : प्रधानमन्त्री जी, यहां बैठे हैं, वे मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते। शिवपुरी

में क्या हुआ। आगरा में हजारों महिलाओं की जिस तरह से इज्जत लूटी गई, उसके बारे में प्रधानमन्त्री जी मौन क्यों हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आपकी बहन बोलने के लिए खड़ी हो गयी हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

कुमारी मायावती : मैं आज इस बिल पर नहीं बोलना चाहती हूं, मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं। प्रधानमन्त्री जी ने जिस बात को लेकर एस० सी० एस० टी० कमीशन का निर्माण किया है ··(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको जाना है, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। अब टाइम का ख्याल रखते हुए, उनकी मदद कीजिये, प्लीज सिट डाउन।

कुमारी मायावती : मैं आपकी बात मानूंगी। इस बिल पर मैं आज नहीं बोल रही हूं। मैंने केवल प्रधानमन्त्री जी से जवाब मांगा है। प्रधानमन्त्री जी चुप क्यों है? आगरा में हजारों महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, प्रधानमन्त्री जी उसका जवाब क्यो नही देते है?

प्रधानमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैंने यही कहा है कि हम सहमत है, इसमें क्या है।

कुमारी मायावती : यह दबे और कुचले वर्ग की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का सवाल है, आप चुप क्यों है, कोई जवाब क्यों नहीं देते यहां इस सदन में।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपने शायद सुना नहीं, मैं कहता हूं, आप सुनिये तो, आप जिस समस्या का उल्लेख कर रही हैं, मैं उसमें शरीक हूं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं असहमत नहीं हूं, आपकी भावनाओं से मैं आपकी भावनाओ मे पूरी तरह सहमत हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक पर बोलने के लिए आज एक महिला को अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

आज हमारे देश में एक धोखेबाज सरकार कार्यरत है। प्रधानमन्त्री जी महिलाओं के सम्बन्ध में होने वाली इस चर्चा में हस्तक्षेप करना चाहेंगे तथा उनको बात सुनने से पूर्व वह अपनी बात, अपने विचार रखना चाहेंगे। क्या इस सरकार के इरादे नेक हैं? क्या वे सच्चे हैं? क्या ये ठीक हैं? मैं यही प्रश्न पूछना चाहती हूं। अन्य दलों के प्रत्येक सदस्य ने चूंकि राजनैतिक भाषण दिया है : अतः मैंने अपना वक्तव्य न देने का निर्णय किया है। परन्तु मैं अपनी बात को अत्यन्त स्पष्ट करना चाहती हूं। नम्बर (एक) सत्ता पक्ष में इस समय कल्याण सिंह कालवी भी हैं जिन्होंने दूरदर्शन पर सती प्रथा का समर्थन किया था। नम्बर (दो) चौ० जगदीप धनखड़ है···*··· और (तीन) हरियाणा के मुख्यमन्त्री के रूप में श्री देवीलाल ने एक ऐसा विधेयक पारित किया था, जिसमें महिलाओं को उनके पैतृक उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया है। जिस सत्ता पक्ष में इस प्रकार के व्यक्ति है, प्रधानमन्त्री जी राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक पर इतनी अधिक वाकपटुता से अपनी बात कहना चाहेंगे।

यदि राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक को अर्थपूर्ण बनाना है तब इसे सांविधिक शक्तियां भी

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्रीमती उमा गजपति राजू]

दी जानी चाहिए। दूसरे, इसकी सिफारिशें आदेशात्मक होनी चाहिएं। तीसरे, उनका कार्यान्वयन एक निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत हो जाना चाहिए चौथे मैं समझती हूं कि उनको शिकायतों को दूर करने के लिए एक ऐसा मंच होना चाहिए, जो सीधे इनके निपटे तथा जिसको न्यायिक शक्तियां प्राप्त हों तथा जो प्रत्येक मामले को तुरन्त युद्ध स्तर पर देख सके। कांग्रेस ने इस दिशा में शुरूआत की थी। (व्यवधान)

यहां तक कि आज भी इस संसद के सदस्यों में इतनी भी शालीनता नहीं है। कि जब कोई महिला सदस्य बोलती है तो वह उसकी बात नहीं सुनें। जब कोई महिला यहां पर बोलती है उस समय भी आप उसे नहीं सुनते हैं, तब आप महिलाओं की समस्याओं का समाधान कैसे करने जा रहे हैं; (व्यवधान) मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने ही इंदिरा महिला रोजगार योजना आरम्भ की थी। श्री राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण शुरू किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारी सरकार सत्ता मे नहीं है। मैं श्री वी० पी० सिंह को इस राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक लाने के लिए बधाई देती हूं। एक महिला होने के नाते मैं इस विधेयक का 100% समर्थन करती हूं परन्तु इसमें कुछ परिवर्तन भी चाहती हूं। इसे सांविधिक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिएं। इसकी सभी सिफारिशें आदेशात्मक होनी चाहिएं तथा इसका कार्यान्वयन समयबद्ध होना चाहिए। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतन्त्र नहीं है, जब तक कि उसके पास स्वतन्त्र रूप से सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं है। इस आयोग की सफलता उन व्यक्तियों के ऊपर निर्भर होगी जो इसके अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे। यदि पुनः आप केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से ही इस आयोग को देखेंगे तथा इसमें सही, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति, जो किसी के साथ संघर्ष न करके, केवल सरकार के साथ ही लड़ाई करेंगे, तब तक इस आयोग का कोई फायदा नहीं होगा। टकराव सदा की तरह महिला तथा पुरुष के बीच नहीं है बल्कि आयोग तथा सरकार के बीच है। आयोग को इतना व्यवहारकुशल होना चाहिए कि वह सरकार के साथ संघर्ष कर सके, चाहे वह कोई भी सरकार क्यों न हो तथा यह देखे कि आयोग की सिफारिशों से सरकार पूरी तरह सहमत हो। इसकी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि आयोग के सामने एक अत्यन्त विशाल और महत्वपूर्ण कार्य है। हमें बिल्कुल निचले स्तर से समझना चाहिए कि भारतीय महिलाएं क्या चाहती हैं। 'मनु' के समय से हमने देखा है कि हमेशा पुरुष ही कानून बनाते हैं। हमारे देश में अनेक कानून, विधान, कथोपकथन तथा चर्चाएं की गई हैं परन्तु इन सभी का क्या निष्कर्ष रहा है।

हमें देखना है भारतीय महिलाओं में जागरूकता हो, हमें देखना है कि उनको जागृत किया जाए तथा उन्हें सामाजिक रूप से जागरूक बनाया जाए। तब हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक सामाजिक जागरुकता और परिवर्तन लाने में समर्थ हो सकेगा। यदि राष्ट्रीय आयोग ऐसा नहीं करता है तथा यदि इसमें स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तब इस आयोग का कुछ अर्थ नहीं रह जाएगा बल्कि यह महत्वहीन आयोग बनकर रह जाएगा तथा बेचारी निर्धन दुःखी भारतीय महिलाओं को केवल यह कहने के लिए रह जाएगा कि यहां कुछ रोटी के टुकड़े बचे हैं इन्हें ले लो तथा जाओ। यदि प्रधानमन्त्री जी गम्भीर हैं तथा वह वास्तव में इस देश की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तब उन्हें राष्ट्रीय आयोग सम्बन्धी विधेयक तथा राष्ट्रीय आयोग को सांविधिक शक्तियां प्रदान करनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि इसकी सभी सिफारिशें

को समयबद्ध कार्यक्रम से कार्यान्वित किया जाए। मैं इसे एक राजनैतिक भाषण नहीं बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि प्रधानमन्त्री जी अपना वक्तव्य तथा अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व सभी महिलाओं की तथा देश की सभी महिला प्रतिनिधियों की बात सुन लें। मैं समझती हू कि हम सब द्वारा अपनी बात कह लेने के पश्चात प्रधानमन्त्री जी हममें से प्रत्येक की बात का उत्तर दे सकते है तथा हमें आश्वासन दे सकते हैं कि इस देश की महिलाओं के अधिकारों की संविधान रक्षा करेगा तथा यह कह सकते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में भी जा सकते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : प्रधानमन्त्री जी की महिलाओं पर विशेष कृपा है। मैं समझती हूं कि वह पुन: हस्तक्षेप करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हस्तक्षेप चाहते हैं अथवा उत्तर चाहते हैं। माननीय मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्रीमती सुभाषिनी अली : महोदय, मैं नहीं समझती कि इस प्रकार की बातचीत की जाए। मुझे इस पर आपत्ति है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

———

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, 193 लेने से पहले मैं सदन के सामने एक आवश्यक सूचना पेश करना चाहता हूं। जयपुर में स्कूल के बच्चों को लेकर एक बस जा रही थी जिसको रेल ने आकर टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 8-10 बच्चे मर गये। हमारे रेल मन्त्री जी ने अभी तक इस बारे में वक्तव्य नहीं दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

4.00 म० प०

श्री जग पाल सिंह (हरिद्वार) : इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि इतनी बड़ी दुर्घटना जयपुर के पास हुई और अभी तक रेलवे मिनिस्टर और डिप्टी रेलवे मिनिस्टर की तरफ से हाऊस के अन्दर कोई स्टेटमैंट नहीं आया। आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट कीजिए कि इस पर इम्मीडिएटली स्टेटमैंट दें।

———

4.01 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचार

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है क्योंकि यह एट्रासिटीज का

मामला बड़ा गम्भीर मामला है। ऐसे मौके पर होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को हाऊस में हाजिर रहना बहुत जरूरी है। होम मिनिस्टर भी गायब हो गये हैं, प्रधानमन्त्री भी गायब हो गए। जब इसके ऊपर चर्चा हो तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी है, नहीं तो हम यह चर्चा नहीं होने देंगे। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है, यह बड़ा गम्भीर मामला है क्योंकि वी० पी० सिंह जी आगरा काण्ड में खुद दोषी हैं इसलिए यह मैदान छोड़कर भाग गए। 193 का नाम सुनते ही वी० पी० सिंह मैदान छोड़कर भाग गए क्योंकि आगरा काण्ड उन्होंने खुद करवाया है, वह खुद कलप्रिट हैं इसलिए वह यहां से भाग गए। इसलिए होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए तब यह चर्चा शुरू की जाए।

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : राज्य सभा में मण्डल कमीशन के ऊपर क्लैरीफिकेशन है इसलिए प्रधान मन्त्री जी जहां गये हैं, यह भागने का मामला नहीं है। **(व्यवधान)**

कुमारी मायावती : होम मिनिस्टर को बुलाया जाए, यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री आर० एम० राकेश : ये ठीक कह रही हैं, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए और जब तक होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं आयें तब तक यह बहस शुरू न की जाए। ···**(व्यवधान)**··· मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को कहिए, इन कारनामों से कब तक मुंह छिपाते रहेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपको इस पर चर्चा करने के लिए दो घण्टे का टाइम दिया गया है और मैं यह समझता हूं कि हर सदस्य की यह इच्छा है कि इस पर अपने विचार वह प्रकट करे तो मैं समझता हूं कि जो मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, वह नोट करेंगे और होम मिनिस्टर साहब दूसरे हाऊस में नहीं हैं तो वह आ जायें या डिप्टी मिनिस्टर आ जाए। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको चर्चा करने में कोई रस नहीं है तो मैं इसी प्रकार से चलने दूंगा, यह बात। अगर आपको चर्चा करने में रस है तो मैं चर्चा शुरू करवा दूंगा।

कुमारी मायावती : आप होम मिनिस्टर को बुलवा लीजिए, हमें राम विलास पासवान पर भरोसा नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री आर० एम० राकेश : हमने कहा कि इसको 2 बजे के बाद कर लिया जाए लेकिन इसको चार बजे रखा गया। फिर जब शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है तो न तो होम मिनिस्टर हैं न प्राइम मिनिस्टर है।

कुमारी मायावती : होम मिनिस्टर को बुलाया जाए।

श्री आर० एम० राकेश : यह मामला छोड़कर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। यह शैड्यूल्ड कास्ट का मामला है इसलिए इसको चार बजे कर लिया गया। मुझे सवेरे आश्वासन दिया गया कि इसको दो बजे करने पर विचार होगा···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मायावती जी, बैठ जाइए। मैंने जो कुछ भी कहा है, आपने शायद ध्यान से सुना होगा। मैंने यह कहा है कि आपको इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो घण्टे का टाइम है और दो घण्टे के टाइम में आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि अन्य ऐसी ही बातों पर चर्चा हो तो वह आपकी इच्छा का प्रश्न है। मैंने यह भी बताया है कि जो मन्त्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, वह सारी चीजें लिख लेंगे और यह महकमा जिन मन्त्री महोदय के साथ हैं, मुझे बताया गया है कि वह तो यहां पर हैं मगर यदि होम मिनिस्टर भी आ सकें तो अच्छा होगा, मैंने यह बताया है। इसके बाद मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो अच्छा होगा और मैं यह चाहूंगा कि बिला वजह वक्त गंवाने के आप इस पर चर्चा शुरू कर दें।

कुमारी मायावती : होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : क्या संसदीय कार्य मन्त्री कहते हैं कि अनुसूचित जातियों और महिलाओं के प्रति नृशंसताओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ओर इतना थोड़ा ध्यान दे रहे हैं अथवा क्या गृह मन्त्री अथवा गृह राज्य मन्त्री दिल्ली में नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभारी मन्त्री सभा में उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार के मामलों में जब भी चर्चा हुई है, तो इस सदन ने हमेशा यह चाहा है कि सम्बन्धित मन्त्री के साथ गृह मन्त्री भी उपस्थित रहें। हमेशा गृह मंत्री उपस्थित रहे हैं और बड़े दुःख का विषय है कि उत्तर प्रदेश में आगरा और देश के कई भागों में हरिजनों पर अत्याचार के मामले हो रहे हैं। मायावती जी ने बजह फरमाया कि ऐसे मौके पर गृह मन्त्री जी को उपस्थित होना चाहिए। गृह मन्त्री जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हैं, तो गृह राज्य मन्त्री जी को सदन में रहना चाहिए, क्योंकि यह ला एण्ड आर्डर का मामला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि चर्चा चाहे दस मिनट के लिए स्थगित कर दी जाए, लेकिन गृह राज्य मन्त्री और गृह मन्त्री जी को सदन में होना चाहिए। ···**(व्यवधान)**

कुमारी मायावती : ला एण्ड आर्डर का मामला है, होम मिनिस्टर का रहना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : ला एण्ड आर्डर का मामला स्टेट का होता है।

कुमारी मायावती : जब होम मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया है तो होम मिनिस्टर को यहां रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समझ नहीं रहीं हैं···

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : सर,···**(व्यवधान)**

कुमारी मायावती : हम सुनने को तैयार नहीं हैं, होम मिनिस्टर को बुलाइए।

श्री पी० उपेन्द्र : आप बैठिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको बोलने का समय इस्तेमाल नहीं करना है, तो दूसरी बात है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : यह हमेशा से रहा है। पहली बार सरकार इस मामले की गम्भीरता को दबाने की चेष्टा कर रही है। ·· (व्यवधान)

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।··· (व्यवधान)···दो घण्टे का समय दिया गया है, उस पर गृह मन्त्री जी नहीं हैं और गृह राज्य मंत्री जी भी नहीं हैं। ···(व्यवधान)

कुमारी मायावती : हमें होम मिनिस्टर चाहिए, प्राइम मिनिस्टर चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। देखिए, जो आपको कहना था, आपने कह दिया और यहां पर बैठे हुए सारे मिनिस्टरों ने भी सुन लिया। उसका अगर वे जवाब देना चाहते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप सुनने को भी तैयार नहीं है, या आपको सिर्फ बोलने का ही आनन्द है और बोलने से ही आपका काम होने वाला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : यदि वे मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं क्यों उत्तर दूं ? उन्हें चिल्लाने दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब लोगों के इस तरह से बोलने से काम होने वाला नहीं है। आपने जो बोला है उसका उत्तर भी आप सुन लें। आप सुन तो लें कि मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं ? यहां पर जो व्हिप होते हैं इस हाउस में, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका भी यह काम है कि वह अपनी पार्टियों के साथ चर्चा करके इसके संचालन में मदद करें और हर आदमी यहां पर यह समझता है कि वह अपनी जगह पर खड़ा होकर जो चाहे वह बोलता जाए, इस तरह से तो स्पीकर के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, यह बात ठीक नहीं है। इस तरह से आप लोगों का ही समय नष्ट होगा। अगर आप लोग असंतुष्ट है तो आप लोग एक-एक करके बोलें लेकिन पहले आप लोग मन्त्री महोदय की बात को सुन लें। आपने कहा है होम मिनिस्टर होने चाहिए। मैंने यहां पर बताया है कि मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं और मैंने यह भी कहा है कि यह एट्रोसिटी का मामला है इसके लिए मैंने होम मिनिस्टर को बुलाया है लेकिन उसके पहले आप वेलफेयर मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, और वह बार-बार खड़े हो रहे हैं यह ठीक नहीं लगता, इसलिए पहले आप इनकी बात को सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी कहना हो आप बोलिएगा। आप लोगों की बात को पूरी तरह से सुना जाएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं एक ठोस प्रस्ताव करना चाहती हूं। मैं अपने सभी भाई-बहनों से अपील करती हूं कि वह मेरे इस ठोस प्रस्ताव और संसदीय कार्य मन्त्री की बात सुनें। क्या आप मुझे अनुमति देंगे ? (व्यवधान) क्या मैं एक ठोस प्रस्ताव रख सकती हूं। पूरी सभा के कहने

पर हमने आज यह चर्चा महत्वपूर्ण ढंग से आरम्भ की और यह 4 बजे के लिए निर्धारित की गयी। अब यह मित्रगण कह रहे हैं कि इसका महत्व तब होगा जब गृह मन्त्री यहां पधारें। इस स्थिति में मेरा यह प्रस्ताव है कि हम महिला विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग पर चर्चा करते हैं और जब सभी उपस्थित होंगे तो यह चर्चा आरम्भ की जा सकती है। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल इस विषय को बहुत महत्व दिया गया। जो लोग यहां चिल्ला रहे हैं उन्होंने मुझे प्रस्ताव किया है कि महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग के सम्बन्ध में चर्चा करें ताकि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसे शीघ्र आरम्भ किया जाए। मैं मानती हूं कि मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। अब अब तो मैं कुछ और ही देख रही हूं। अत: यह मेरा ठोस प्रस्ताव है। मैं चाहती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इसका उत्तर दें।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार केवल कानून और व्यवस्था की समस्या ही नहीं है अपितु यह इससे भी अधिक है। इसीलिए हम इस पर सभा में चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा कानून और व्यवस्था एक राज्य विषय है। आप सहजता से कह सकते हैं कि यह राज्य विषय है अत: हम इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि यह कानून और व्यवस्था से बहुत बड़ी समस्या है। इसमें और भी बातें सम्बद्ध हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रभारी मन्त्री श्री पासवान हैं और अनुसूचित जातियों का कल्याण उनके नियंत्रण में है। किंतु फिर भी हम गृह मंत्री से आने के लिए कहते हैं ताकि जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है तो उसका समाधान तो उन्हीं को करना है। वह कानून और व्यवस्था की समस्या का उत्तर देंगे। किन्तु उनके आने तक हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अत: वे यह नहीं कह सकते हैं कि जब तक गृह मन्त्री आते हैं, तब तक हमें चर्चा आरम्भ नहीं करनी चाहिए और हमें इसको स्थगित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इससे आदरणीय सदस्य सन्तुष्ट होने चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : श्री राम विलास पासवान ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है, होम मिनिस्टर ने क्यों दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रस्ताव पर मन्त्री महोदय को क्या प्रतिक्रिया है? (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : उन्होंने पह ही सभा में दंगों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है।

[हिन्दी]

श्री के० चोक्का राव (करीमनगर) : ये जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो चर्चा हो रही है इसमें पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर ने यह कहा है कि वेलफेयर मिनिस्टर को इतने पावर नहीं हैं।

अगर गवर्नमेंट होम मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के अट्रासिटीज रोकने के पावर्स पासवान साहब को दे तो हम पासवान साहब का वेलकम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वैसे तो यह स्टेट प्राब्लम है।

श्री के० चोक्का राव : मैं दरख्वास्त करता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम अपने खयालात का इजहार करें, मगर किसलिए करें।

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में आ जाता है।

श्री के० चोक्का राव : रिकार्ड पेपर में लाने के लिए लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कमिटमेंट नहीं होता है। इतनी बड़ी बात है, इसके लिए अगर होम मिनिस्टर साहब यहां नहीं रहते हैं, अगर पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर साहब पासवान साहब को सारे अख्तियारात दे दें तो हम उनका वैलकम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : सरकार एक है। कोई भी मन्त्री इस बात को नोट कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, जब कल सवेरे यह मुद्दा मायावती जी ने सभा में उठाया था, तो उत्तर गृह मन्त्री ने दिया था। तो उनकी यह मांग पूर्ण रूप से उचित है कि गृह मंत्री या उनके बदले राज्य मन्त्री उपस्थित होने चाहिये। मैं अपने अच्छे मित्र राम विलास पासवान के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी मानता हूं कि यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी का प्रश्न है। किन्तु मैं सत्तारूढ़ पक्ष से निवेदन करता हूं कि जब श्री राम विलास पासवान इस बात को सुन रहे हैं, तो साथ ही गृह मन्त्री को भी यहां यथाशीघ्र उपस्थित होने का निवेदन किया जाना चाहिए। मायावती जी ने कहा है कि कम से कम श्री सुबोध कान्त सहाय यहां पर होने चाहिए। चूंकि वह यहां पर हैं मैं मायावती जी से निवेदन करूंगा कि चर्चा आरम्भ करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरी बात आपके सामने रखी है, मैंने अभी आपसे कहा था कि यदि होम मिनिस्टर साहब किसी कारणवश व्यस्त हैं तो उनको 10-15 मिनट में बुलवाया जा सकता है, उनकी गैर-हाजरी में, श्री सुबोध कांत सहाय जी की उपस्थिति में चर्चा शुरू करवाई जा सकती है, लेकिन होम मिनिस्टर साहब को भी 10-15 मिनट के अन्दर बुलवाया जाना चाहिए। अभी आप चर्चा शुरू करवा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो पार्टी के ह्विप भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे होम मिनिस्टर साहब को लेकर आएं। (व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अनुसूचित जाति और जनजाति पर निरन्तर बढ़ते हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में मैं चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। आठवीं लोकसभा में भी इस तरह की चर्चा हुई थी और अब नौवीं लोकसभा में भी यह चर्चा हो रही है। जब अत्याचार होते हैं, तब हम इसको चर्चा का विषय बनाते हैं और चर्चा करके हम अपने कर्त्तव्य की पूर्ति मान लेते है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विषय है, यह एक राष्ट्रीय विषय बन गया है। यह राष्ट्रीय विषय है और इस तरह की राष्ट्रीय समस्याओं पर कैसे काबू पा सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि कोई भी सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, उसे राजनीतिक इच्छा और ताकत की जरूरत है। जब तक राजनीतिक इच्छा और ताकत नहीं होगी ये समस्याएं जटिल बनी रहेंगी और इसको कोई मिटा नहीं सकती है, इन पर काबू नहीं पाया जा सकता है। आज देखने को मिल रहा है कि इस सरकार में और पूर्व की सरकार में दो चीजों की बराबर कमी रही है वह है राजनीतिक इच्छा और ताकत। इस कारण से ये सारी घटनाएं घट रही हैं।

दूसरी बात मुझे कहनी है कि आखिर राजनीतिक इच्छा और ताकत क्यों नहीं बन रही है, इस लिए कि राजनीति अपराधीकरण की तरफ जा रही है। अपराधीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति में आता जा रहा है। उसी के कारण हमारी राजनीतिक इच्छा और ताकत नहीं बन रही है चाहे पहले की सरकार हो या मौजूदा सरकार हो। सरकार कहती है कि हम राजनीति मुद्दे पर करते हैं, लेकिन यह मुद्दे की राजनीति कैसे हो सकती है, आज हमारे देश में इस तरह के अत्याचार निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और हम संघर्ष भी निरन्तर चला रहे हैं। रामायण की कहावत है—"जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताही दुगुण कपि रूप दिखावा।" हम विशेष अदालतों का गठन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस पर गौर करने का सवाल सदन के सामने है, केवल बहस से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि इन जातियों पर जो हमले हो रहे हैं अत्याचार हो रहे हैं ये तीन तरफ से हो रहे हैं गांव के अन्दर जो सबसे अधिक संख्या की जातियां है सामन्तवादी तथा विचारधारा के लोग हैं, उनके द्वारा हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा हो रहे हैं और प्रशासन के द्वारा हो रहे हैं। तीनों तरफ से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और वे सहन कर रहे हैं। अभी-अभी गृह मन्त्री जी ने आपके समक्ष आगरा का बयान सुनाया। क्या यह सच्चाई नहीं है कि इस तरह का बयान किसी देश का गृह मंत्री दे रहा है ? क्या इससे देश का सिर नीचा नहीं होता है ? क्या यह हमारे देश की एकता और अखण्डता है ? क्या यही मानवता है ? यह सोचने का विषय है। हम हलके-फुलके ढंग से छींटाकशी करके इसका जिक्र करते हैं। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो दूसरी पार्टी कहती है कि यह सरकार कर रही हैं। किसी की तरफ से अत्याचार हो रहे हो लेकिन ये मानवता के ऊपर हो रहे है। इसको देखना चाहिए। सरकार चाहे किसी दल की हो उसे इसका निवारण करना चाहिए। उत्तर-प्रदेश में आगरा, बनारस, गाजीपुर, बांदा बलिया, जोनपुर इत्यादि इलाकों में इन लोगों के साथ भयानक अत्याचार हुए हैं।

इसको सुनाने के लिए, सरकार तक पहुंचने के लिए सी० पी० आई० के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को इकट्ठा करके सरकार को अपनी फरियाद सुनानी चाही। सरकार वायदा करती है कि हम मुद्दे की राजनीति करते है। सरकार का फर्ज बनता था कि उनकी बात सुनी जाती और उस पर अमल किया जाता। ऐसा न करके पुलिस द्वारा उनको पीटा गया। एम० पी० सजीवन और दो विधायक बुरी तरह से जख्मी हुए। ये सभी अस्पताल में कई दिनों तक रहे है। बहुत से लोगों को पीटा गया। क्या यही लोकतांत्रिक सरकार है ? क्या हमारा हक नहीं था ? लोकतांत्रिक तरीके से हम गए थे, दूसरा तरीका नहीं अपनाया था। कानून के दायरे में हम यह कर रहे थे। इसका हम क्या निकला। हमारे सिर पर लाठियां बरसायीं और हमारे सिरे फोड़ गए। इसकी कोई जांच करवा सक और कहते हैं कि हम हरिजन और गिरिजन के हिमायती हैं। उन लोगों के साथ खेल किया है और आज 43 वर्ष की हकूमत की यह देन है कि इस तरह की ज्यादतियां महिलाओं के साथ हो रही है।

आप भी जानते हैं कि मै जहानाबाद का रहने वाला हूं और जहानाबाद हो संसदीय क्षेत्र है और कई वर्षों से संवेदनशील क्षेत्र है। जो हमारे पूर्व प्रधानमन्त्री थे उन्होंने पन्द्रह अगस्त को लाल किले पर अपने भाषण में कहा था कि जहानाबाद में हरिजनों और गिरिजनों पर जुल्म हो रहे है और जहानाबाद में पुलिस से हरिजनों को पिटवाया जा रहा है। जब वह हरिजन अपना हक मांगने के लिए अपना मुंह खोलता है तो पुलिस से उसको पिटवाया जाता है। वह चाहता है कि जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है वह न्यूनतम मजदूरी लागू हो। आज हमारे यहां घोसी प्रखण्ड क्षेत्र में ग्राम सरथुआ में हरिजन भाग गए। उनके दमन के लिए वहां पुलिस बल बिठाया हुआ है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि वहां लड़ाई होती रहे। वहां के सामन्ती लोग उनके घरों की सम्पत्ति ले गए।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

पुलिस बल और सामन्ती लोगों के डर से वे गांव छोड़कर चले गए। जब सरकार की इच्छा और ताकत नहीं होगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। जब कोई हरिजन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि यह बला क्या है। पुलिस वालों के सर पर पानी बह जाता है और वे केस को खत्म कर देते हैं। इस तरह की व्यवस्था में जो हकदार रहता है उसे हक मिलता नहीं है। बहस करा कर भी अपनी आत्मा की आवाज को बाहर निकाल सकते हैं और आपने भी अच्छे-अच्छे शब्दों में प्रयास किया है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है। जब तक नतीजा नहीं निकलेगा तब तक बहस चलने वाली नहीं है जब सरकार की राजनीतिल इच्छा और ताकत का एक साथ प्रयोग नहीं होगा तब तक समस्या पर काबू नहीं किया जा सकता। आज हरिजनों पर मानसिक, आर्थिक शारीरिक, शैक्षणिक और राजनीतिक शोषण हो रहे हैं। जब तक इन शोषणों को खत्म नहीं किया जायेगा तब तक आप इनको आगे नहीं बढ़ा सकते। इनको पढ़ाने के लिए राज्य सरकार भी समय पर पैसा नहीं देती। नतीजा यह होता है कि बच्चों की पढ़ाई इस वजह से छूट जाती है। पांच-पांच साल तक इनको पैसा नहीं मिलता है। यह कहा जाता है कि अनुसूचित जातियों को शिक्षा के लिए पैसा दिया जा रहा है। यह बिलकुल गलत है और उनके नाम पर दूसरे ढंग से खर्च किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत बोल चुके हैं। मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सवर्ण जाति के बच्चों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है और हरिजनों को जानवर बनाकर रखा जाता है। जहां पर एक हजार आबादी वाले गांव हैं वहां पर एक भी विद्यालय नहीं है। आज भी हरिजनों को शुद्ध पानी नहीं मिलता और कच्चे कुएं का पानी पी रहे हैं। जिस देश में ऐसी सरकार हो तो उनको बचाना बहुत मुश्किल है। सरकार के बारे में सभी प्रशंसा करते हैं। इस सरकार ने जो कुछ काम किये हैं वे सराहनीय हैं जैसे अभी महिला आयोग गठित करने की बात है। लेकिन आप पिछली सरकार के कामों की दुहाई देते रहेंगे और उसने जो गलती की है आप भी गलती करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो समय मिला है आपको दिखाना होगा कि हम इस समय में इन गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री बिहार के हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों की जांच करायें कि क्यों और कैसे हरिजनों और आदिवासियो पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे इलाके से बहुत लोग घरों को छोड़ कर भाग गए हैं, क्योंकि उन पर अत्यधिक जुल्म हो रहा था। हमारे जहानाबाद में बड़की कलपा में चालीस घर गांव छोड़ कर चले गए, लेकिन जिन्होंने उन पर जुल्म किए उनको पकड़ा नहीं गया। क्या सरकार की यही दोरंगी नीति है कि एक तरफ तो वह इन अत्याचारों को होते देखती रहे और दूसरी तरफ यहां पर हरिजनों, गिरिजनों और कमजोर तबके के लोगों के कल्याण की बात कहे। हमारे गांव में जो थाना है उनकी पुलिस से डरकर लोग भाग गए, अब वे अपने बच्चों को लेकर कहां-कहां भटकेंगे। प्रशासन की ओर से और बड़े लोगों की ओर से सारे अत्याचार हरिजनों और गिरिजनों पर किये जा रहे हैं। इसको आप गंभीरता से लें और उपाध्यक्ष जी आप सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि वह इस पर काबू पायें। जिससे आगे भविष्य में हमें इस प्रकार की बहस में हिस्सा न लेना पड़े। अगर काबू नहीं पाया जायेगा तो बहस होती रहेगी और नौवी, दसवी लोक सभा तक चलती रहेगी और उन लोगों को इन अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस की ओर से मेरे पास 10 नाम हैं और कांग्रेस पार्टी को 41 मिनट का समय मिला है इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। श्री जगपाल सिंह।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए लोग हैं और सात-आठ महीने पहले जब वे विरोध में हुआ करते थे खासकर राम विलास पासवान जी, कांग्रेस के समय में जब कभी हरिजनों पर अत्याचार पर बहस हुआ करती थी तो कम से कम आठ-दस घंटे लगा करते थे और कभी 6 घंटे से कम समय में बहस खत्म नहीं हुई। हम जानते है कि आज दो घंटे निर्धारित करने से यह सरकार हरिजनों के प्रति कितनी संजीदगी रखती है। मेरा अनुरोध है कि हम देर रात तक बैठ कर इस पर चर्चा कर सकते हैं, कल भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस चर्चा को विस्तृत रूप से होने दें। क्योंकि यह चर्चा देश के कुछ आदमियों से सम्बन्धित नहीं हैं, बल्कि यह 32 करोड़ लोगों से सम्बन्धित चर्चा है। आज से आठ-दस महीने पहले कांग्रेस का राज था और देश के लोगों को गर्व हुआ करता था कि हम देश में जनतंत्र है। लेकिन आठ-दस महीने से यह साबित हो गया है कि इस देश में जनतन्त्र नहीं बल्कि जाततंत्र का राज हो गया है। कुछ खास बिरादरियां इस देश में यह सोचने लगी हैं कि यह सरकार हमारी है। जिस किसी से चाहें, चाहे वह नारी हो, हरिजन हो या गिरिजन हो हम इनको नंगा नाच नचा सकते हैं और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। शाजापुर गांव में कुछ बड़े लोग चाहे हरिजन की नौजवान लड़की हो या धीवर की हो या किसी गरीब बिरादरी की हो 12 घंटे तक बेइज्जत करते है और लोगों को गोलियों से भूनते रहे। गांव की नौजवान लड़की या बहू ऐसी नहीं रही जिसको उन्होंने बेइज्जत न किया हो, बल्कि सारी नौजवान लड़कियों को नंगा करके छोड़ गए हैं। पास के गांव के लोग आकर उनको कपड़े देते हैं और वे बेचारी लड़कियां कपड़े पहनती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मन्त्री या मुख्य मन्त्री, केन्द्र सरकार का कोई मन्त्री या प्रधान मन्त्री वहां नहीं गया।

इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद शायद रात के अन्दर पनवारी गांव के हरिजनों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार किया गया है। पनवारी में अकोला, माईसैंया, गैरा खुर्द, गैराकलां, जदोई गांवों के लिए अफसर कहते हैं कि वहां 25 हजार आदमी थे और अखबारों में भी छपा लेकिन वहां के लोग कहते है और हमारी कांग्रेस अध्यक्ष डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी कहती हैं कि वहां 25 हजार नहीं 40 हजार आदमियों ने हमला किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, गांव के लोगों ने कहा कि 40 हजार आदमियों ने हमला किया। 14 तारीख को झगड़ा हुआ 21 तारीख को बारात निकली वहां के जाटव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० एस० पी० से कहते रहे कि हमला करने की तैयारी हो रही है। भरतपुर, भिण्ड, मुरैना और मथुरा जहां के हमारे संसद सदस्य बोल रहे हैं, कुल 40 हजार लोग इकट्ठे होते हैं और सरकार को इसकी कोई खबर नहीं हुई और वे हमला कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना नहीं जब वहां के डी० एम० और एस० एस० पी० ने देखा कि वे घिर गये हैं। तो एस० एस० पी० ने पी० ए० सी० को हुक्म दिया कि फायर करो लेकिन पी० ए० सी० ने फायर करने से इनकार कर दिया। जब एक सिपाही की राईफल हाथ से छीनकर हवाई फायर किया गया तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० एस० पी० वहां से जान बचाकर भागे और 40 हजार आदमियों को पनवारी के अन्दर खुला छोड़कर चले गये कि चाहे जैसे चाहो हरिजनों को जिन्दा जलाओ या मारो…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जगपाल सिंह जी आप बैठ जायें। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि बार-बार इनको मत टोकें। आपको टाईम दिया जायेगा, आप भी इनकी बात का उत्तर दीजियेगा। जब आप लोग बोलेंगे तो आपको जरूर टाईम दे दूंगा।

श्री जनपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, टाईम्स आफ इण्डिया के 25-6-90 के अंक में 40 हजार आदमियों की व न छपी थी जिसे मन्त्री महोदय ने कंटराडिक्ट नहीं किया। इसके मायने साफ हैं और शासन ने मान लिया है कि 40 हजार आदमियों ने हमला किया था। मैं इस बात को उठाना चाहता हूं कि 40 हजार आदमी इकट्ठा हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पंगु होकर देखता रहा तो इससे ज्यादा असफलता इस सरकार की क्या हो सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अकोला के अन्दर 1:0 हरिजनों के घर थे, वे सब फूंक दिये गये। उनके मकानों से जेवर और बर्तन लूट लिये गये और आपकी पी० ए० सी० खड़ी होकर तमाशा देखती रही। 14 गांव तो बिलकुल ही खाली हो गये, पलायन कर गये लेकिन उनमे डेढ़ दर्जन से ज्यादा औरतें और बच्चे गायब। 14 आदमी मारे गये और पी० ए० सी० ने चार आदमी आगरा के अन्दर मार दिये। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि इसने एक विशेष जात बिरादरी को छूट दी कि जैसे चाहो मार दीजिये, जैसे चाहो भून डालो। अगर जाटवों ने आगरा के अन्दर उस शोषण का विरोध न किया होता तो पी० ए० सी० जाटवों को आगरा के अन्दर मारती नही। 350 आदमी वहां गिरफ्तार किये गये। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनमें 300 जाटव थे और 50 दूसरी बिरादरी के लोग गिरफ्तार हुए। जो मारे रहे थे और लूट रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा। आपने जो इस देश के अन्दर जात तन्त्र खड़ा कर दिया है, यह मुल्क के समाज और देश की एकता के लिए सबसे खतरे की बात है। अभी चित्तोड़गढ़ के अन्दर मण्डावरी गांव के अन्दर हुआ है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं। लेकिन अखबारों में इस आशय की खबर आयी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर उन कंजरों को खाली मैदान में इकट्ठा किया।

पुलिस ने कहा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पुलिस खड़ी रही। इसके बाद सैंकड़ों लोगों ने उन सारे कंजरों पर लाठियों, बल्लमों, भालों और बन्दूकों से हमला कर दिया। नो व्यक्ति तो उसी मौके पर मारे गये, मौत के घाट उतार दिये गये। यह आपके चित्तोड़गढ़ की घटना मैं बता रहा हूं। कलकत्ता के पानतल्ला में भी, बिहार में और उत्तर प्रदेश में इस तरह की अनेकों घटनाएं हुई हैं। हमारे प्रधानमन्त्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में भी हुई। जब हरिजन का कोई अपराध ही न हो, फिर भी उसे मौत के घाट उतार दिया जाये, यह कहां का इन्साफ है। यदि किसी हरिजन की पत्नी सुन्दर हो और कोई सामतवादी उससे कहे कि अपनी पत्नी को मेरे मकान पर पेश करो, और यदि वह हरिजन उसे पेश न करे तो वह सामंतवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति उस हरिजन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जिन्दा जला दे, यह कैसा इन्साफ है।

ऐसे सामन्तवादी लोगों के अत्याचार चाहे कांग्रेस राज में हों या किसी दूसरे राज में, कभी बर्दाश्त नहीं किये जा सकते। यह हकीकत है कि पिछले 8 महीनों में देश में जितनी अत्याचार की घटनाएं हुई है उतनी आजादी के 40-42 सालों में नहीं हुई। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राजीव गांधी जी के वहां जाने से दो दिन पूर्व, उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री आगरा गये। आगरा जाकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने पूरे शासन को इनाम दे दिया कि शासन ने बड़ी शाबासी का काम किया... (व्यवधान)... मैंने कहा कि मुख्यमन्त्री जी आगरा गये और उन्होंने वहां जाकर शासन को शाबासी दे डाली। मैं वही आरोप लगा रहा हूं कि वहां से 14 गांव के लोग पलायन कर गये, उसके बाद मुख्यमन्त्री आगरा गये। पनवाड़ी कोई नहीं गया, अकोला कोई नहीं गया, गैरा खुर्द और गैरा कलां आदि स्थानों पर कोई नहीं गया। अन्यथा मुख्यमन्त्री को वहां आये बिना कैसे अन्दाजा हो सकता था कि कितने हरिजनों के घर फूंक दिये गये, कितने हरिजनों को मार दिया गया और आज तक

उन मारे गये हरिजनों के परिवारों को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से घोषणा किये जाने के बावजूद कोई कम्पेंन्सेशन आदि वितरित नहीं किया गया है। यह कितने दुःख की बात की है, उपाध्यक्ष जी।

इतना ही नहीं, पिछले 8 महीनों में, आपके राज में कार्यपालिका और न्यायपालिका तक में हस्तक्षेप बन्द बिरादरी के ठेकेदारों ने उन्हें अपने हाथ में ले लिया है। इस तरह हमारा जनतन्त्र कैसे जिन्दा रहेगा। यदि इस देश में कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, न्याय चाहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो इस देश का भविष्य क्या होगा। आज स्थिति यह हो गयी है कि न्यायपालिका में यदि कोई हरिजन न्याय मांगने जाता है तो उसे न्याय की बजाए सजा दे दी जाती है। गुजरात के बनासकांठा में भी हरिजनों के साथ ऐसे ही व्यवहार की घटना सामने आयी है। वहां किसी हरिजन से उच्च जाति के लोग नाराज थे इसलिये उन्होंने उस हरिजन को पहले तो खुले मैदान में ले जाकर मारा और फिर पेड़ पर लटकाया, फांसी पर लटका दिया, उसे मौत की सजा दे दी। क्या हम देश में हम लोग कहीं बाहर से आये हुए हैं। हम बाहर से नहीं आये हैं। मैं उपाध्यक्ष जी, आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी बदलती रहेंगी, लेकिन जो हिन्दुस्तान के मूल निवासी हैं, उन 25 करोड़ जनता के साथ यदि आजादी के 42-43 वर्षों बाद भी अन्याय होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, तो यह देश नहीं बच सकता।

मैं जानता हूं कि पंजाब या कश्मीर के उग्रवादी चाहे जो कर लें, आसाम या दूसरी जगह के उग्रवादी कुछ भी कर लें, वे इस देश को तोड़ नहीं सकते, इस देश को मिटा नहीं सकते, लेकिन जो लोग पिछले 5 हजार सालों से प्रताड़ित होते रहे हैं, उन लोगों के साथ यदि आगे भी इसी तरह का व्यवहार होता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब हम अपने साथ होने वाले अपमान का बदला लेने के लिये कमर कस कर तैयार हो जायेंगे। फिर हमें कोई नहीं रोक सकता और इस देश को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। उपाध्यक्ष जी, हमने अपना मुंह बन्द करके, नंगे रहकर, कारखानों में काम किया है, फटे कपड़ों में अपना जीवन गुजारा है, हमारी मां, बेटियों और बूढ़ी मांओं ने खेत में काम करते हुए कभी इस देश के खिलाफ नहीं सोचा। लेकिन आज की सरकार उनके मामले में इतनी अपंग हो गयी है कि आप कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं।

एक और बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। जहां इस देश में साढ़े छः सौ लोगों के अब तक दोनों हाथ और दोनों पैरों को तोड़ दिया गया है उसके बावजूद प्रधानमन्त्री जी ने उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया। यहां दिल्ली में बैठकर मुलायम सिंह जी की बात सुनकर आगरा की घटना में जितने लोग मारे गये, उन उजड़े लोगों के लिए, टूटी हड्डियों वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा कर दी है। इतने बड़े काण्ड के लिए प्रधानमन्त्री 5 लाख रुपए की घोषणा करें, इससे क्रूर मजाक क्या कोई दूसरा हो सकता है, जो आगरा के घायल और मारे गए लोगों के परिवारों के साथ किया गया है। उसमें 200 के करीब लोग घायल हुए डेढ़ दर्जन लोग मारे गये, उनके लिये 5 लाख रु० देकर प्रधानमन्त्री जी ने आगरा के जाटवों का माहौल उड़ाया है। मैं मांग करता हूं कि आप यहां से केन्द्र की कोई टीम आगरा भेजिए जो यह पता लगाए कि वहां कितने घर फूंके गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की हड्डियां टूटी हैं। उसके बाद आप इस सदन में आकर बयान दीजिए कि सही मायनों में कितना नुकसान वहां हुआ और उसी के अनुसार कम्पेंन्सेशन तय कीजिए। ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह यादव की बात सुनकर, हमारे प्रधानमन्त्री जी यहीं बैठे-बैठे, इनाम दे दें।

[श्री जगपाल सिंह]

मैं एक बात कर कर खत्म करूंगा। वहां की सरकार ने हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के नेता श्री राजीव गांधी जी के साथ आगरा जाने पर जो सलूक किया वह बहुत आपत्तिजनक है। राजीव गांधी जी ने दिल्ली से वहां के शासन से सम्पर्क किया और कहा कि मैं इस वक्त इस ट्रेन से आगरा पहुंच रहा हूं। आगरा से अस्पताल तक शासन का रूख ठीक रहा क्योंकि जनता लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गई और कर्फ्यू तोड़कर उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी। इसके बाद राजीव जी को कर्फ्यू लगे क्षेत्रों का दौरा नहीं करने दिया गया। जहां बहुत ज्यादा लोगो का नुकसान हुआ था वहां का भी दौरा नहीं करने दिया गया। इसके अलावा पनवारी से अकोला जाते हुए वहां के शासन ने राजीव गांधी जी का रास्ता जाम किया, बैरियर गिरा दिए गए। ऐसे मे उन्हें खेतों से गाड़ी निकालनी पड़ी। उनकी गाड़ी खेतों में फंस गई। इसके बाद डी० एम० और एस० एस० पी० राजीव गांधी जी को अपनी गाड़ी से रेलवे स्टेशन छोड़ आये। क्या इस तरह हिन्दुस्तान के लोगों की आवाज दबाई जा सकती है। क्या लार्जेस्ट पार्टी के नेता की आवाज ऐसे दबाई जा सकती है।

मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के पोलिट ब्यूरो के मुख्य अखबार "पीपुल्स डैमोक्रेसी" में एक खबर पढ़ी। उसमें खबर थी कि यह कांड कांग्रेस पार्टी ने कराया है। क्या वह अखबार इस बात को साबित करके दिखा सकता है? मैं मार्क्सवादी पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो बारात हरिजनों की रोकी गई थी थो क्या वह कांग्रेस के लोगों ने रोकी थी। कम से कम लैफ्ट पार्टी के नेताओं का ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। अगर हम भी कल को यह कह दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के फलां वर्कर ने जाकर यह सब कराया नो यह शोभा नहीं देगा। एक जिम्मेदार पार्टी का अखबार ऐसी खबर छापे यह अच्छा नहीं लगता है।

अगर किसी कारखाने में किसी मजदूर का हाथ टूट जाएं तो लैफ्ट पार्टी की ट्रेड यूनियन जुलूस निकाल कर मांग करती हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए। अगर पंजाब, कश्मीर में लोग मारे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद बंद का आह्वान करते हैं और कहते हैं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बंद करो। यह एक अच्छी बात है और यह सब होना भी चाहिए। हम सबको मिलकर यह काम करना चाहिए। लेकिन जब हरिजन मारे जाते हैं, जिन्दा जला दिए जाते हैं, उनके घरों को फूंक दिया जाता है और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है तो हिन्दुस्तान की कोई पार्टी यह नहीं कहती है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश या हरियाणा बंद हो। मैं सभी पार्टी के नेताओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह गरीबों को सामाजिक न्याय देने के लिए एक जुट होकर सड़कों पर आए। ऐसे में तभी उनके साथ अन्याय खत्म होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी मुल्तान सिंह (जलेसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां आगरा कांड का मामला चल रहा है। आगरा मेरा क्षेत्र है। मैं दो बार वहां का एम०एल०ए० रह चुका हूं। इसमें पांच आदमियों की एक कमेटी भी बनी थी। हमारे सुमन जी यहां बैठे हुहै हैं वह भी उसमें थे। मैंने वहां के एक-एक गांव का दौरा किया है। सिर्फ दो गांवों में झगड़ा हुआ—एक पनवारी और दूसरा अकोला। असली बात यह है कि यह झगड़ा 12 बीघा जमीन को लेकर हुआ। 17 साल पहले 12 बीघा जमीन एक जाटव ने जाट को बेच दी थी। एक कांग्रेस के सज्जन वहां पहुंचे और उनसे कहा कि बयनामा वापिस हो गया है। ऐसे में उनकी फसल भी कटवा दी ···(व्यवधान)···आप पहले मेरी बात सुन

लीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अत: अब कोई भी मेरे बीच में न बोले ·· (व्यवधान)

उसकी जमीन की पैदावार वापस करा दी गई, यह चोखे जाटव की जमीन थी। चोखे जाटव ने अपनी लड़की का रिश्ता डी० एस० पी० के लड़के से किया और तय यह हुआ कि 5 हजार आदमियों की रैली गांव में जाएगी, जबकि चोखे जाटव इतना गरीब आदमी था कि 20 आदमियों को खाना नहीं खिला सकता। इसमें आग में तेल कांग्रेस ने डाला और बी०एस० पी० की ओर कांग्रेस की मीटिंग हुई और वहां बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति के आगे कसम खाकर 5 हजार आदमी चले। वहां भी दो तीन हजार आदमी या आसपास के जाटव भी आ गए। पहले दिन लड़की की शादी इसलिए नहीं हुई कि मुन्शी जाट की लड़की की शादी उसके पांच दिन बाद होनी थी। हमारे इलाके मे हिन्दू धर्म मे यह प्रथा है कि जिस लड़की के तेल चढ़ जाता है तो वहीं से दूसरे लड़के को निकालते नहीं हैं, लोगों ने कहा कि लड़का दूसरे रास्ते से लाओ, लड़की के तेल चढ़ा हुआ है, चाहे वह लड़का किसी भी बिरादरी का हो। एक ब्राह्मण ने यह फैसला किया और बारात वापस आ गई यह बात ठीक है। दूसरे दिन एस० पी० और कलैक्टर गये और जहां से बारात वालों ने कहा, वहां पर बारात बाजे गाजे के साथ गई और शादी हो गई। जब इधर से हल्ला हुआ, बी० एस० पी० और कांग्रेस के लोगों का, गांव के लोगों को लूटने के लिए तो उधर से भों हल्ला हुआ और दोनों तरफ से हवाई फायर हुए, न इधर के मरे, न उधर के मरे लेकिन एस० पी० और कलैक्टर ने गोली चलाई, उससे मौके पर दो जाट मारे गए।

इसके बाद लड़की आ गई, पनवाड़ी में कोई झगड़ा नहीं हुआ। यह कहते है पनवाड़ी में 500-600 आदमी हमारे साथी ने बताये कि पनवाड़ी गांव में जाटव लूट लिए, पनवाड़ी गांव तो पहले ही बिल्कुल खाली कर दिया था, यह स्कीम पहले से बनी हुई थी। एक चोखे जाटव के सिवा पनवाड़ी मे एक भी व्यक्ति इस कौम का नहीं था। दूसरे, आगरा में बस में से उतार-उतार कर और जाट पूछ-पूछ कर जाटवों ने मारे, अगर नहीं मारे हों तो सुमन जी बताएं। झगड़ा शहर मे हुआ और दूसरे अकोला गांव में यह मालूम हुआ कि जो लड़की बाईखेड़ा ग्राम की बस में से आगरा में उतर रही थी तो उसका सीना काट दिया गया, जाटवों द्वारा तो इस पर 50 या 100 लड़के अकोला गांव पर जाटों के चढ़ाई करने गए, कुछ आदमी और पहुंचे, वह लोग वापस भेज दिए, मारा कोई नहीं गया लेकिन जाट चढ़कर आए जाटवों के ऊपर जो लड़की की बात थी, वह भी गलत थी, लड़की पकड़ी जरूर लेकिन और आदमियों ने बीच बचाव कर दिया, बल्कि पकड़ने वाले के दो चार हाथ भी मार दिये। लेकिन वह अफवाह फैलते-फैलते वहां पहुंच गई। इसके बाद दूसरे दिन मुख्य मंत्री भी वहां आ गये और सारे अफसर भी मौजूद हो गए, आई० जी० भी मौजूद थे, किसी भी गांव में, यह 22 गांव बताए, मुझे दो गांवों के सिवा तीसरा गांव कोई एक भी गिनवा दे···

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात कह रहे हैं।

चौधरी मुलतान सिंह : असलियत यह है कि सन् 1977 में भी कांग्रेस के तीन आदमी आगरा सिटी से जीते थे लेकिन आग तो यह लगी है कि अबकी बार 11 के 11 कांग्रेस के लोग हार गये, असली सच्चाई तो यह है। बी० एस० पी० और कांग्रेस दोनों के लोगों ने मिलकर चोखे जाटव से कहकर यह कराया, जबकि उसकी लड़की 12 साल की थी और लड़का 13 साल का था तो कलैक्टर और एस० पी० ने शादी भी कैसे करा दी लेकिन सही बात यह है कि दोनों का षडयन्त्र था, सारा झगड़ा इन्होंने कराया। मेरा क्षेत्र चार जिलों में है, एटा का दो, मथुरा का एक, आगरा का एक और एक फिरोजाबाद का है, कोई यह कह दे कि जाटव जाट का या किसी भी कौम का आपस में कभी मेरी यादगार में झगड़ा हुआ, सन् 1945 में मैं हरियाणा से उत्तर प्रदेश में गया हूं। सन् 1948 मे मैं लगातार

[चौधरी मुलतान सिंह]

एक चुनाव हारा हूं। तीन-चार दफा आया हूं और तीन बार जेल गया हूं, लेकिन कोई एस० पी० बता दे, कोई भी व्यक्ति बता दे, किसी कौम का झगड़ा हुआ हो, आज तक हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा हुआ हो। सारे का सारा तूल इस बात का है कि ये जले-भुने बैठे है। उन सबकी जमानत जब्त हो गई। ग्यारह की ग्यारह की जमानत जब्त हो गई। कोई नहीं बचा और न बचेगा। ये कहते हैं कि हमारे गांधी जी गए थे, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जी गए थे, उनके नाना जी भी गए थे और उनकी मां जी भी गई थीं, हमने हमेशा इज्जत की है, हमने कभी बेइज्जत नहीं किया। खड़े होकर गांधी जी बतायें कि क्या बेइज्जती की है और किसने की है। यह सब गलत है।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि न जाटों का झगड़ा है, न जाट का झगड़ा है, झगड़ा केवल बी० एस० पी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर झगड़ा किया है। दोनों एक है। दोनों हार गए है और दोनों की जमानत जब्त हो गई···*···*···। सही बात यह है।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी मुलतान सिंह : वहां नगेना को खड़ा किया। आगरा में खड़ा किया। एक जाति के आदमी को अधिकतर करते हैं। एक भी वोट बी० एस० पी० को जाटव का नहीं मिला। इतना ही कह कर कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कालका दास (करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की भाषा में अनुसूचित जाति कहते हैं, इस वर्ग के अत्याचारों की कहानी बहुत पुरानी है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो और चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो और चाहे आज नेशनल फ्रन्ट की सरकार हो, लेकिन इस वर्ग पर अत्याचार सदियों से हो रहे हैं। दुःख की बात है कि आज जब शासन के भागीदार हैं और संविधान के आधार पर समान अधिकार हैं, इस प्रजातान्त्रिक प्रणाली में, 42 सालों की आजादी के बाद, अनुसूचित जाति के लोग कंधा लगाकर, कंधा मिलाकर, जिसे भी शासन पर बैठाएं, उनकी कुरीतियों के कारण उन्होंने जो आवाज उठाई है इस पर अत्याचार हुए हैं इसमें मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या मानसिकता की है। आजादी मिल गई और संविधान ने समानता दे दी है, लेकिन आज भी भारत के नागरिकों की मानसिकता नहीं बदली। जहां कहीं पर भी इस वर्ग के लोगों ने संविधान के आधार पर समानता की मांग की बात की है, वहीं पर अत्याचार हुए हैं। जहां कहीं भी उन्होंने मजदूरी मांगी हैं, वहां अत्याचार के शिकार हुए। जहां कहीं भी उन्होंने बंधक जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश की है, वहीं पर अत्याचार हुए हैं। जहां कहीं भी सरकार द्वारा दिए गए भूखण्ड पर कब्जा दिलाने की बात हुई है, वहीं पर अत्याचार हुए है। सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों को मांगने की कोशिश की गई है, वहीं पर अत्याचारों का शिकार होना पड़ा है। समानता की इच्छा जाहिर की है,

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वहीं पर अत्याचारों का शिकार होना पड़ा है। ग्रामों में अन्य नागरिकों के समान जीवन बिताने की ख्वाहिश की है, वहीं पर अत्याचारों का शिकार होना पड़ा।

एक माननीय सदस्य : भगवान की पूजा नहीं कर पाए।

श्री कालका दास : भगवान के उपासक रहे हैं और भगवान की पूजा नहीं कर पाए। भगवान की मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बन गई।

5.00 म० प०

लेकिन उस मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दरअसल मानसिकता का प्रतीक है। यहां मेरे भाई कुछ कह रहे थे कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में ये अत्याचार हो रहे हैं, क्या आपने पिछले 40 साल की अपनी सरकार की तरफ नजर दौड़ाई है कि उन 40 सालों में क्या-क्या हुआ — बच्चों के मुंह में मैला डाल दिया गया। उन्हें बांधकर उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। (व्यवधान)

सभापति जी, जरा आर्डर कीजिए ताकि मैं अपनी पूरी बात कह सकूं। मेरा निवेदन यह है कि यह केवल 8 महीने का इतिहास नहीं है जिसकी कहानी हम यहां पर दोहरा रहे हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं या अनुसूचित-जातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह अत्याचार की कहानी बहुत पुरानी है और यह मानसिकता की कहानी है। इसमें भी मुझे यह कहना है कि जैसे अभी बहन सुभाषिनी जी महिलाओं के बारे में कह रही थीं, इसके लिए मुझे दुःख है कि महिला की बात को या महिलाओं के पक्ष को राजनीति में ले जाते हैं। इस प्रकार से इन हरिजन अत्याचारों पर, अन्यायों पर राजनीति की रोटियां सेंकी जाती हैं लेकिन जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया कि आवश्यकता समाज की मानसिकता को बदलने की है और इसे हम 40-42 साल के शासन में भी नहीं बदल पाये। फर्क इतना है कि पहले छुआछूत नजर आ जाती थी लेकिन आज लोगों के दिल में घुस गई है। आज इस पर दंगे-फसाद हो रहे हैं कि अमुक जाति के लोगों को दाखिला क्यों मिल गया, नौकरी क्यों मिल गई? मैं पूछना चाहता हूं कि वही लोग आज एतराज करते हैं, झगड़ा करते हैं जो लोग सदियों से इन अधिकारों का उपयोग करते हैं। लेकिन बाबा साहब डा० अम्बेडकर के संविधान की रचना के कारण आज जो आधुनिक मनोस्मृतियां हमारे सामने रखीं, आज जो सबको समान अधिकार दिया है तो आज वही लोग जो उन अधिकारों का उपभोग करते थे, उन्हीं लोगों को आज कठिनाई हो रही है, लेकिन कभी यह विश्लेषण नहीं किया, वही समाज है जो इन अधिकारों का उपयोग सदियों तक करते रहे। उनको मानवता का अधिकार नहीं दिया, उनको पशुओं से भी बदतर कर दिया। वही लोग आज कभी नहीं दाखिले के बारे में और कभी किसी चीज के बारे में बातें करते हैं।

5.0२ म० प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं।]

मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि समाज की मानसिकता को बदलना चाहिये। इसमें सारे दल आ जाते हैं चाहे कांग्रेस दल हो, भारतीय जनता का दल या कम्युनिस्ट पार्टी हो या कोई भी हो। यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, यह समाज को बदलने का मामला है। हम जब राजनीतिक रोटियां सेंकने लगते हैं इन काण्डों पर, तो मैं समझता हूँ कि हम अन्याय कर रहे हैं। यह अपनी मूल समस्या को भूल गये हैं और अपने राजनीतिक खेल में उसी तरह से गुजरना चाहते हैं।

[श्री कालका दास]

जिस तरह से इन्होंने 40 साल गुजारे हैं। जिस तरह से गाय के मुंह के ऊपर छींके लगा कर उसके आगे हरी घास रख दो तो वह समझती है कि घास मेरे मुंह में आ जाएगी, लेकिन उसके मुंह में तो छींका लगा हुआ है इसलिए कभी भी उसके मुंह में घास नहीं जाएगी।

इन 40 साल से शासन करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी यह परिस्थिति इन 40 सालों के बाद भी वैसे की वैसी बनी हुई है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस जिम्मेदारी को 7 महीने से जो सरकार के वह लेगी या जो 40 साल तक राज करती रही, वह इस जिम्मेदारी को लेगी। एक बात मैं यहां यह बतलाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने दिल्ली में जूता गांठने के लिए दिया, जूता गांठने के बाद जब उसने पैसे मांगे तो उसको तथा उसके परिवार को गोली से भुन दिया। साढ़ूपुर और देवली मे इस तरह के कांड हुए। बिहार में मजदूरी मांगने पर किस तरह से एक लाईन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। जिस किसी ने समानता की बात कही तो पूरी की पूरी बस्तियों को जला दिया गया। ये सारे अमानवीय अत्याचार कौन कर रहा है, उस वक्त किसकी सरकार थी। अगर हम सरकारों को कोसने लगेंगे तो ये सामाजिक व्यवस्था कैसे बदलेगी।

पनवारी कांड के बारे में कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, मायावती जी भी कह रही थीं। मैं भी गया था, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन इस कांड की जांच करने के लिए गया था, उसमें 3 संसद सदस्य थे। आगरा के मेयर और डिप्टी मेयर भी उसमें थे। हमने पनवारी में जाकर देखा कि किस तरह से सारी हरिजन बस्ती जली हुई है, जिस घर में विवाह था, चोखा के घर पर अभी तक जला हुआ भोजन और पत्तलें पड़ी हुई थीं। हमने सारे गांव में जाकर बातचीत की तो मालूम हुआ कि इस कांड के लिए यदि कोई दोषी हो सकता है तो वह है कांग्रेस आई और बहुजन समाज पार्टी न कि यह सरकार, जैसा कि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र जोर देकर कह रहे थे। 14 तारीख को थाने समाज को बुलाया गया, उत्तेजना पैदा हो रही थी, एक तरह की कड़वाहट समाज में पैदा हो गई थी, पुलिस को जानकारी मिली तो 14 तारीख को दोनों समाज के लोगों को थाने में बुलाया और बातचीत करवाई। उसमें तय हो गया, लेकिन आजाद कुमार कर्दम, कांग्रेस आई प्रेसीडेंट को यह बात जंची नहीं। आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग समझने लगे हैं, अपना अच्छा बुरा समझने लगे है, कांग्रेस आई को उन्होंने अपोजीशन मे लाकर बिठा दिया है, 40 साल तक वे कांग्रेस की ओर देखते रहे, आजाद कुमार कर्दम, डिस्ट्रिक्ट प्रेजीडेंट ने देखा कि 14 तारीख को दोनों पार्टियों का फैसला थाने में हो गया है, उसने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि पनवारी चलो, हजारों की संख्या में चलो, हम ब्याह करके लाएंगे, इसके बारे में हैंडबिल्स निकाले, आजाद कुमार कर्दम ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। उसका रिएक्शन यह हुआ कि 10-12 हजार आसपास के जाट वहां पर इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि यह हमको चेतावनी दी जा रही है, हमारे गांव की नाक कट जाएगी।

वहां पर आकर लोग इकट्ठे हो गए, 21 जून को जिस दिन शादी होनी थी, उस दिन कांग्रेस का और बहुजन समाज पार्टी का एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं गया। जिन लोगों ने घोषणा की, अखबारों में निकाल कर और पोस्टर छपवाकर घृणा पैदा की, वे लोग वहां नहीं गए, लेकिन उसके रिएक्शन में बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, इस वजह से 21 तारीख को इस लड़की की शादी नहीं हो पाई। पुलिस ने देखा कि बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठे हो गए हैं, ऐसी स्थिति मे आज शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए 22 तारीख को पुलिस ने कहा कि शादी करवा देंगे। 22 तारीख को

फोर्स इकट्ठी कर लेंगे । 22 तारीख को वहां के एस एच हो, थाना प्रमुख ने देखा कि आज तो पहले से भी ज्यादा भीड़ है, यह भी सही है कि जितनी फोर्स का उनको इंतजाम करना चाहिए था, उतनी फोर्स का इंतजाम उन्होंने नहीं किया एस एच ओ रिवाल्वर लेकर, उस लड़के को अपनी जीप मे बिठाकर 22 तारीख को शादी के लिए ले गए ।

गांव में तो पहले से ही आतंक हो रहा था, बहुत से जाटव लोग पहले से ही पनवारी से निकल गए थे, उस परिवार के थोड़े से लोग रह गए थे, वे भी डरे हुए थे, क्योंकि 15-20 हजार लोग इकट्ठे थे चारों तरफ भीड़ थी, आसपास के सब लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस का पूरा प्रबन्ध नहीं था । वहां पर 2 महीने पहले से यह बात चल रही थी, इसलिए पुलिस का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए था । हमारे यहां पर इस पर इस बात को बहुत बुरा माना जाता है, जिस दिन शादी हो और दूल्हा बिना भांवरों के वापिस आए । इसलिए हुआ क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पुलिस वहां नहीं पहुंची । 22 तारीख को पुलिस पर्याप्त मात्रा में पहुंची और एस० एच० ओ० लड़का वहां ले जाकर ब्याह कर लाया । जैसे ही जीप आती दिखायी दी वहां इकट्ठे हुए लोगों ने हमला किया, पुलिस ने बचाव मे गोली चलायी और दो व्यक्तियों की हत्या हो गयी । पुलिस के हाथ से दो व्यक्तियों की हत्या हो गयी । जब बात पहुंची तो 12 गांवों में जाटव लोग चुपचाप सो रहे थे, योजनाबद्ध तरीके से उन पर 23 तारीख को हमला किया गया । 800 लोगों पर हमला किया गया । मैं योजनाबद्ध इसलिए कह रहा हूं कि मरे न लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो अपग न हो । उनके हाथ काट दिए, पैर तोड़ दिए । मैं अस्पताल गया, बहुत से लोगों के दोनों हाथों पर पलस्तर था, पैरों पर पलस्तर था । कांग्रेस ने उनको उकसाया था ।

कुमारी मायावती : किसने काटे हाथ-पैर, यह तो बताओ ।

श्री कालका दास : यह समझने की बात है । जहां जाटव और जाट रह रहे थे···

डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी (सीतापुर) : ये एकदम** बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कालका दास : मैं अभी बताता हूं । आप कहते हैं कि राजीव गांधी जी वहां गए थे । मैंने लोगों से पूछा कि राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने बताया कि राजीव गांधी हरिजन बस्ती तक नहीं आए । उनकी गाड़ी कोने पर खड़ी थी और वे वापिस चले गए । ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो । यह आपकी हमदर्दी है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं वहां गयी थी । आप ** बोल रहे हो । (व्यवधान)

श्री कालका दास : जब आपका नम्बर आए तो बताइएगा । (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : '··········' शब्द को रिकार्ड से निकाला जाए । (व्यवधान)

श्री रामधन (लालगंज) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । जो राजनेत्री जी ने '··········' शब्द का इस्तेमाल किया है, यह असंसदीय शब्द है । इसे कार्यवाही से निकाला जाए । इतनी पुरानी सदस्य होते हुए भी इनको जानकारी नहीं है कि यह असंसदीय शब्द है ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया गया था, मैं डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी से अपील करती हूं, जो एक अनुभवी सांसद हैं, कि वह असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : शासन चला गया तो इनको हर सच्ची बात झूठ लगेगी। मेरा निवेदन था कि ये पूछ रही थीं कि किसने काटे। वहां पर 240 गांव हैं जाटों के और एक ही गोत्र के जाट रहते हैं। ज्यादा संख्या में उनमें जाट रहते हैं, थोड़ी संख्या में कमजोर जाटव रहते हैं। क्योंकि वहां पर दो जाट व्यक्ति मरे उसका रिएक्शन गांवों में हुआ। निर्दोष लोगों को 12 गांवों में जाट समाज के लोगों ने सोए हुए छिपे हुए जाटव जाति के कमजोर लोगों पर हमला किया। वे सो गए थे, उन्होंने कुण्डियां लगायी हुई थीं। मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कुल्हाड़ियां मारी, दरवाजों के कब्जे तोड़ दिए, उनको निकाला, महिलाओं और बच्चों को मारा। मैंने आगरा के अस्पताल में जाकर देखा। सभापति महोदया, मैंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे, बूढ़ी-बूढ़ी महिलाएं हैं, किसी के सिर फूटे हुए थे, किसी के हाथ कटे हुए हैं। 800 से ज्यादा लोग हैं। इनको जानकारी कम है। 800 से ज्यादा लोग हैं। अस्पताल सारे भर गए, उसके बाद स्कूल खाली करवाए गए। स्कूलों में उनको रखा गया। मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। आज समाज की मानसिकता है, लेकिन जो इन्होंने बात कही है···

चौधरी मुल्तान सिंह : दो गांवों के अतिरिक्त तीसरा गांव बता दें, इन्होंने 12 गांवों का नाम लिया है।

श्री कालका दास : आप कह रहे थे कि कोई बोल रहा हो तो मैं उसमें नहीं बोलता।

इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती। जाटवों ने जाटों के ऊपर हमला किया इससे अधिक गलत बात नहीं हो सकती। जाटों और जाटवों का गहरा सम्बन्ध है। जाटों के बगैर जाटवों का काम नहीं हो सकता है और जाटवों का काम जाटों के बिना नहीं हो सकता। इस तरह की मोहब्बत और प्यार है। जो कुर्सी छोड़कर चले गए हैं तो वे सरकार को कोसते रहे हैं और गरीब समाज के ऊपर हो रहे हैं वे अत्याचारों पर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। एक कहावत है कि "चोर मचाए शोर"। जिसने चोरी की वह शोर मचा रहा है। इन्होंने खुद बीज बोया और पैर के नीचे से सरकार निकल गई और शोर मचाते हैं। कांग्रेस आई और बहुजन समाज की इस कांड के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सारे देश के अखबार और लेखक इस बारे में कह रहे हैं। जांच भी हो रही है और उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सरकार ने अनाउंस किया कि जो गंभीरता से घायल हो गए हैं और दोनों हाथ अकर्मण्य हो गए है, उनको पांच हजार रुपए मिलेंगे और जो कम घायल हुए हैं तो उन्हें तीन हजार रुपए मिलेंगे। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जब मैं अकोला गया तो वहां सी० आर० पी० बैठी हुई थी और अनुसूचित जाति के लोग मुझे कह रहे थे कि अकोला की बजाए हमें किसी और जगह पर बसा दें क्योंकि यहां पर मार दिया जायेगा। एक दिन पुलिस से विलम्ब हो गया और पांच मिनट में गांव के शक्तिशाली लोगों ने उनको घेर लिया और कहने लगे कि पुलिस कब तक तुम्हारे साथ रहेगी और कब तक बचते रहोगे। क्या गरीबों के लिए कोई कानून या संविधान नहीं रहा। इस समाज की सरकार को रक्षा करनी है। आज भी और आगे भी यह घटना होती रहेगी। व्यवस्था के कारण जो सामाजिक गंद दिमाग में है वे दूसरों को समानता देने के लिए तैयार नहीं है। जो सदियों से पिछड़े हुए है उनको आगे नहीं बढ़ा रहे है। जब भूमि उनको मिलती है तो तहस-नहस उनको कर दिया जाता है। मानसिकता बदलनी होगी। इसमे कांग्रेस आई का दोष सबसे ज्यादा है और उन्होंने सहयोग नहीं दिया।

श्री राम सजीवन (बांदा) : सभापति महोदया, इसमें दो राय नही हैं कि आगरा में गत दिनों हरिजनों पर अत्याचार हुआ। जो भी समाज इस बात से सहमत नहीं है कि हरिजनों पर अत्याचार

हुआ है मैं समझता हूँ कि वह सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि जो माननीय सदस्य इस राय के हैं कि अत्याचार नहीं हुआ बिल्कुल गलत हैं और देश को गलत दिशा की ओर मोड़ना चाहते हैं। अफसोस इस बात का है कि अत्याचार हुआ क्यों और किसने कराया। मैंने बहुत सी बहस सुनी और पहले भी सुनी हैं, कुछ लोग कहते हैं, अभी मायावती जी बोलेंगी और इसका जिम्मेदार विश्वनाथ प्रताप जी को बता देती हैं···

कुमारी मायावती : मैं तो आंकड़े रखूंगी।

श्री राम सजीवन : उधर वाले कांग्रेस पार्टी वाले इनको जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे क्या नतीजा निकल रहा है? इससे यह नतीजा निकल रहा है कि हरिजनों की रक्षा, उनकी सहायता और उनके लिए सहयोग की भावना जो सदन में पैदा होनी चाहिए वह विकृत हो रही है और हम दलगत राजनीति में अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश करते हैं। यह बहुत खतरनाक बात है। अत्याचार हुआ, हम सहमत हैं, उसके लिए जितने भी संघर्ष की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे और किसी तरह से मायावती से कम संघर्ष नहीं करेंगे। हमने संघर्ष किया है। हम 16 जुलाई को 10 हजार आदमियों को लेकर लखनऊ गए आगरा से और अत्याचार का विरोध किया। और जिलों में भी अत्याचार हो रहे हैं जैसे गाजीपुर में दो हरिजनों को मार दिया गया, बनारस में जमीन के आवंटन और कब्जे के सवाल पर जवाहर नामक हरिजन के हाथ-पांव तोड़े गये और सरकार ने कोई मदद नहीं की, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। बहुत से सवाल हरिजनों के जमीन के पट्टे को लेकर हैं। हमने 16 जुलाई को लखनऊ में एक माहौल पैदा किया इस देश में संघर्ष को यह बात अगर सरकार के विरोध में आए तो आये, लेकिन हरिजनों की रक्षा के सवाल को लेकर हमने वहां प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। हमारा जुलूस निकला, हमने जन-भावना को सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए और सरकार का ध्यान हरिजनों की रक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए हमने एक प्रदर्शन किया था। हम आशा करते थे कि हम जो सहयोगी दल हैं इसलिए हो सकता है हमारी बात को सुना जायेगा। लेकिन नहीं सुना गया और लाठियां चलाई गईं। मैं आपके सामने उदाहरणस्वरूप खड़ा हूं मेरी पीठ पर, पांव पर लाठियां लाठियां मारी और मैं घायल होकर मूर्छित हो गया तथा मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे दो विधायक राम प्रसाद बांदा सी० पी० आई० के और दूसरे विधायक असगर अली खां, जात-पात का, हिन्दू-मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं···

कुमारी मायावती : आपकी पिटाई कांग्रेस के डी० एस० पी० ने कराई थी क्या?

श्री राम सजीवन : आप बात तो सुनें, मैं बताऊंगा आपने कहां लड़ाई लड़ी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अपने दोनों मित्रों से निवेदन करती हू कि वह अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आपकी पिटाई किसने कराई थी?

श्री राम सजीवन : वह जनता दल के मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह यादव ने करायी थी।

कुमारी मायावती : श्री मुलायम सिंह यादव किसके आदमी हैं?

श्री राम सजीवन : यदि हर बात पर इस तरह व्यवधान करेंगी तो मेरा समय नष्ट होगा और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हरिजन समस्या को लेकर हमारी पिटाई हुई। हमारे साथियों और विधायकों के सिर टूटे। सैकड़ों लोग घायल हुए और हजार-डेढ़ हजार लोग जेल गये। तो इसके मायने ये हैं कि इस सरकार का रुख हरिजनों के प्रति अच्छा नहीं है। अब तो आप मुझसे सहमत हैं और मेरी बात से खुश हैं। दुख तो इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें अस्पताल में देखने नहीं आये जबकि बहुत से ससद सदस्य आये। लगता है उन्होंने हमसे नफरत मान ली है कि हमसे अस्पताल में मिलने नहीं आये। हम आशा करते थे कि वे हमारी बात सुन लेंगे, समस्यायें हल कर देंगे और कोई बड़ी समस्यायें नहीं है और उस पर कार्रवाई कर देंगे तो मामला खतम हो जायेगा। हम लोगों की ऐसी कोई भावना नहीं थी कि सरकार से टकराया जाये। लेकिन यह पक्षपातपूर्ण नीति इस सरकार में बैठे हुए सभी मंत्रियों और अधिकारियों की भी नहीं है लेकिन कुछ की जरूर है। सवाल यह पैदा होता है कि हम हरिजनों के लिए क्या करें ? हमारा आपका दायित्व क्या है ? केवल हरिजनों को उकसा देना ही सही मायने में हरिजनों की रक्षा करना नहीं है।

मैं मायावती से कहना चाहता हूं कि आप चलिये जहां कहीं अत्याचार हुआ है, हम सड़कों पर बैठते हैं, सब सामन्तवादियों का मुकाबला किया जाये और हरिजनों की रक्षा में आगे बढ़ें और इसी भावना को लेकर हम सब आगे बढ़े। यह नहीं कि उकसा दिया और कहने लगे कि कांग्रेस ने उकसाया है। ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किया या बी० एस० पी० ने किया। सवाल इस बात का है कि इनका बस चले तो हर जगह आगरा पैदा कर दें क्योंकि इनका पालिटिकल मोटिव हो सकता है। कांग्रेस का या बी० एस० पी० का मोटिव हर जगह बन सकता है जो आगरा में सफल हुआ और दूसरी जगह क्यों नहीं ? इसलिए जो मूल जड़ है, मूल समस्या है हरिजनों की और उससे आंखें बंद करके केवल इनके बारे में आरोप लगाना बिलकुल गलत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मूल समस्या से आंख मूंद लें बी० जे० पी० के भाई, केवल कांग्रेस और बी० एस० पी० को कोस दे, भला-बुरा कह दें और मुक्त हो जायें अपनी जिम्मेदारी से तो यह गलत रास्ता है। हम सबको मिलकर राजनीति से परे उठकर सोचना चाहिए और उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। अभी मायावती जी बोलेंगी, मैं जानता हूं कि वह क्या कहेंगी, इसलिए अभी से सफाई होनी चाहिए ताकि आप लोग गुमराह न हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वही प्रधान मंत्री हरिजनों के लिए अम्बेदकर दिवस या वर्ष मना रहा है, डा० अम्बेदकर की शताब्दी मना रहा है और पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय देने के लिए आरक्षण घोषित कर रहा है जिसके लिए हम और आप लोग लड़ते रहे हैं।

लेकिन इन देश के प्रधान मंत्री पर इतने लांछन लगाना बहुत गलत है और इस तरह देश को गलत रास्ते पर ले जाने वाली होगी, यही मैं कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के भाई अपने मन ही मन में खुश न हों, 40 साल तक इस देश पर उन्होंने राज किया है, लेकिन हरिजनों के हित में कुछ नहीं किया। आपने जो कुछ किया है, यदि मैं उसका भण्डाफोड़ करूं तो आपकी आंखें खुल जायेंगी।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों को भूमि के पट्टे देने के सवाल को ही ले लीजिये तो अनेक स्थानों पर हरिजनों को कागज पर तो भूमि दे दी गयी लेकिन वास्तव में उन्हें भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया। अनेक स्थानों पर इसके विरोध में जुलूस निकाले गये और कांग्रेस शासन की पुलिस ने उन लोगों पर गोलियां बरसायीं। हमारे यहां 8 हरिजन तत्काल मौके पर मर गये। सैकड़ों लोग घायल हो गये। इसलिये हरिजनों पर जब अत्याचार का मामला सामने आया है तो आप मन ही मन खुश मत होइये।

मेरा कहना है कि इसे आप राष्ट्रीय समस्या के रूप में मानो और तब हल करने का प्रयत्न करो, मैं यही कहना चाहता हूं। यदि इसे राष्ट्रीय समस्या नहीं माना जायेगा और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती रहेगी तब तक हरिजनों के साथ अत्याचार की घटनाएं होती रहेंगी, हरिजनों के साथ अन्याय होता रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : इनकी पार्टी के उच्च कोटि के एक नेता ने अपने यहां हरिजनों की जमीन पर नाजायज तौर से कब्जा जमाया हुआ है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता…

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राकेश कोई वाद-विवाद नहीं। माननीय सदस्य कहते हैं कि उनका व्यवस्था का प्रश्न है। जरा मैं उनकी बात सुनूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : राम सजीवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपने लास्ट प्वाइन्ट पर हैं।

श्री राम सजीवन : यदि लोग बीच-बीच में मुझे टोकाटोकी करते रहेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा।

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में अभी एक माननीय सदस्य ने इस देश के प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करके कुछ बात कही। मेरा निवेदन है कि जब कोई माननीय सदस्य या मंत्री अथवा प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देने के लिये सदन में उपस्थित न हों तो उनकी तरफ इशारा करके उन पर लांछन नहीं लगाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री राम सजीवन : मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हरिजनों से सम्बन्धित समस्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गयी तो यह समस्या हल नहीं हो पायेगी। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने आगरा काण्ड में किसी शालीनता का परिचय दिया था लेकिन इधर-उधर कुछ उद्दण्डता अवश्य दिखायी पड़ती है, इसलिये वे भी ऐसा न करें। (व्यवधान)

आप चाहें तो बोल लीजिये, मैं बैठ जाता हूं, लेकिन मुझे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है और न मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। इसलिये कृपया आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइये और मुझे ट्रेनिंग देने की कोशिश मत कीजिये। हरिजनों की समस्याओं को मैं आपसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझता हूं। यदि आप मुझे ऐसे ही बीच-बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा, मेरी बगल में बैठकर चिल्लायेंगे तो मैं अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त कर सकूंगा। इसलिये कृपा करके आप अपनी सीट पर चले जाइये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह क्या हो रहा है, आप इन्हें बोलने दीजिये।

श्री राम सजीवन : इसलिये मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़ कर एक ही निवेदन है कि इस समस्या को इधर-उधर करके राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : रनिंग कमेंटरी करने की जरूरत नहीं है, प्लीज।

श्री राम सजीवन : कम्युनिस्ट पार्टी ने झंडे लाये हैं क्या आप लोगों ने भी झंडे लाये हैं, बताइये। आप बीच में इसलिये टोका-टोकी मत करिये, चुप रहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए० चाल्र्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदया, आप माननीय सदस्य से कहिए कि वह आपको सम्बोधित करें। वह माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर दे रहे हैं।

सभापति महोदय : मैंने श्री राम सजीवन के अतिरिक्त किसी के भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि यह एक अत्यन्त गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमें अपने व्यवहार में अत्यन्त जिम्मेदारी का पालन करना है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे संक्षेप में अपने मुद्दों को व्यक्त करें मैं पूरी सभा से निवेदन करती हूं कि वह ऐसा करें। अतः यह सुव्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। और सभी अपने-अपने दृष्टिकोण संक्षेप में व्यक्त करें, इस प्रकार नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन : मैं सभी सदस्यों से, पूरे सदन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सारे राजनैतिक मतभेदों को भूलकर हजारों-हजार साल से हरिजनों पर होने वाले जुल्म से उनको छुटकारा दिलाने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष करें। इस सम्बन्ध में जो भी सरकार रहे उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जनता दल की केन्द्र सरकार कह देती है कि यह राज्य का मामला है और राज्य में बात पहुंचती है तो वहां से मारकर खदेड़ दिया जाता है। आपसे कहना है कि केन्द्र सरकार कुछ जिम्मेदारी उठाए और मायावती जी ने बिलकुल सही कहा कि प्रधानमंत्री या गृहमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्य मंत्री कितना आदेश कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, हमको संदेह है। इसलिए इसको गम्भीरता से लेना चाहिए और आगरा में जो हरिजन उजाड़े गए हैं आज भी हमको जानकारी है, हजारों हरिजन गांव छोड़कर शहरों में इधर-उधर भागे हुए हैं और कुछ दिल्ली में पहुंच गए हैं। उनको बसाने के लिए यदि करोड़ों रुपए की जरूरत हो तो भी उनको मदद दी जाए, यह मैं कहना चाहता हूं। तब कहीं उनकी सेवा होगी वरना केवल लिपि सर्विस ही होगी। खुराना साहब जब बोलते हैं तो बहुत हल्ला मचाते हैं और हम जब बोलते हैं तो इनके मारे हम अपने सूखे गले से बोल ही नहीं पाते हैं। खुराना साहब, आपके मुखारबिंद से हरिजनों के बारे में कुछ निकले तब हमारा दिल गदगद होगा वरना हमें आपके ऐटीट्यूट पर सन्देह है, हमें सन्देह है आपके कार्य के ऊपर, आप किस तरह से हिन्दूवाद का नारा देते हैं, हिन्दूवाद में कहीं हरिजन है, हरिजन को छूने नहीं देते। **(व्यवधान)**

केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। **(व्यवधान)**

हमारा निवेदन है शरद यादव जी से विशेष रूप से क्योंकि वे यू० पी० से जुड़े हैं और यह यू० पी० का मामला है। जरा आप इनटरवीन करें, आप इनटरवीन करते हैं तो देश की बड़ी-बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। अभी आपने कई समस्याएं हल की हैं, हमने अखबारों में पढ़ा है। इसलिए आप इनटरवीन करेंगे तो यह समस्या हल होगी। उनको बसाया जाए, मुआवजा दिया जाए, उनकी तरह से मदद की जाए, समस्याएं हल की जाएं। अन्त में मैं पुनः यह कहूंगा कि इसको राजनैतिक मसला न बनाया जाए।

श्री मनफूल सिंह भवकासर (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदया, मैं काफी देर से हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में सभी माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। हरिजनों के प्रति

कुछ लोगों की सोच थी कि हमारी मानसिकता ठीक हो जाए तो उनके साथ अच्छा रहेगा, कुछ दूसरे उपाय बता रहे थे, कई बन्दूक उठाने की बात कह रहे थे, कुछ लोग और ज्यादा तेज हमला करने की बात कह रहे थे। असल बात एक है। 40 साल की आजादी के बाद छुआछूत की बात करते-करते हम कहां तक पहुंच गए हैं, मुझे अपने बचपन की बात याद है। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में बहुत जागीरदार हुआ करते थे। उस समय कोई भी आदमी जागीरदार के गांव में ऊंट में चढ़कर नहीं निकल सकता था। शादी की बात नहीं कर रहा हूं, शादी की बात तो दूर, घोड़े पर चढ़ने की बात दूर, कोई ऊंट पर चढ़ कर नहीं निकल सकता था। इसमें हरिजन या गैर हरिजन की बात नहीं, सिवाय राजपूत और जागीरदार के कोई उसमे नहीं निकल सकता था। मुझे यह भी याद है कि जागीरदार के घर जब कभी हम जाते थे तो नीचे बैठते थे, चाहे उम्र कुछ भी हो, चाहे जागीरदार की उम्र 25 साल की हो और चाहे किसान 70 साल का हो वह नीचे बैठता था। मुझे अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के शासन में छुआछूत को दूर करने की बात कोई नहीं करता था। कांग्रेस ने 40 साल जो शासन किया उस दौरान कहा कि जमीन उसकी जो काश्त करेगा लेकिन उसने किसी को जमीन नहीं दी बल्कि धोखा ही दिया। इसलिए आज हमारे समाज के अन्दर छुआछूत और भेदभाव है। गरीबी के कारण वे आज तक कमजोर हैं। कांग्रेस ने प्रीवीपर्स को समाप्त किया लेकिन उन राजाओं के महलों को पांच सितारा होटलों में बदल दिया। हरिजनों के मोहल्लों को और उनके घरों को आज भी उजाड़ा जा रहा है।

मायावती जी बैठी हुई हैं। वह बलात्कार की बात कर रही थी। वह बड़ी जिम्मेदार सदन की सदस्या हैं। वह गरीबों की भी बहुत बात करती हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं भी कोई अच्छी जगह पैदा नहीं हुआ हूं। मैं भी एक गलत जगह ही पैदा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं मार्क्सवादी पार्टी में हूं जिसका एक अच्छा आधार है। मायावती जी ने कहा कि हरिजन महिलाओं के के साथ बलात्कार हुआ। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : क्या आप उन औरतों से जाकर मिले हैं?

श्री शोपत सिंह मक्कासर : हमारी तरफ से सुभाषिनी जी उनसे जाकर मिली है।

सभापति महोदय : मायावती जी, आप हर बार ऐसे लड़ती क्यों हो जाती हैं। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदया, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। आप देख रही हैं और मैं भी सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। सभी वक्ता इस महिला सदस्य को उकसा रहे हैं। क्यों? आप उनका बचाव नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि वह अपने आपको बचा सकती हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : आपको सभी को संरक्षण प्रदान करना है। आप उन्हें बचाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पुजारी, इस प्रकार नहीं चलेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप सहयोग दें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आप से निवेदन करती हूं कि इस प्रकार का गम्भीर वाद-विवाद माननीय

[कुमारी मायावती]

सदस्यों के सहयोग के बिना जारी नहीं रखा जा सकता है। कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग कीजिए। आपके लिए समय निर्धारित है और आप उस समय बोल सकते हैं।

आप सभी इस प्रकार खड़े न हों।

मैं पुन: आपसे निवेदन करती हूं कि आप सहयोग दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : कौन से रूल में है, बोलिये।

कुमारी मायावती : आप बैठिए, मैं बताती हूं।

सभापति महोदय : रूल बताइये।

कुमारी मायावती : आप बैठें तो मैं बोलूं। मेरी बात आपको सुननी होगी।

सभापति महोदय : आप रूल बताइये, किसके तहत पाइण्ट आफ आर्डर है।

कुमारी मायावती : माननीय सभापति महोदया, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि सदन के अन्दर जब किसी भी पार्टी को किसी विषय पर बोलने का मौका दिया जाता है, हर सदस्य का यह दायित्व है, नियम के मुताबिक कि वह स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करके अपनी बात कहे लेकिन पार्टिकुलरली मायावती का नाम लेकर बोला जाय तो आप मेरे को उकसा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के तीन एम० पी० जरूर चुनकर आये हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, यदि आप मेरा नाम लेकर बोलोगे तो आप सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रही हैं। क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है, आपको इनको कहना चाहिए कि आप नाम लेकर क्यों बोलें। मायावती का पार्टिकुलर नाम क्यों लिया जा रहा है, यह मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : माननीय सभापति महोदया, मेरे कहने का कोई उस तरह का आशय नहीं था मगर हम इस हाउस में यह कहें, इस तरह से डिपिक्ट करें कि हजारों औरतों के साथ बलात्कार किया गया है, यह बात कोई भी माननीय सदस्य नहीं मान सकता··· (व्यवधान) ··· मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस देश के अन्दर लुटेरी जमात रहेगी और कमेरी जमात, कमाने वाली जमात भूखी रहेगी तब तक यह छुआछूत रहेगी, इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसमें आज सबसे बड़ी मोनोपली कमीशन की क्या हालत है, सन् 1965 में मोनोपली कमीशन ने कहा, 75 सेठ इस देश के अन्दर ऐसे हैं जिनके पास इस देश की आधी दौलत है। यह सन् 1965 में कहा, नेहरू जी ने देखा, आपने क्या किया, आज कितने लोग हैं, उस मोनोपली कमीशन की रिपोर्ट कभी आपने पढ़ी, आपने कभी सीलिंग के बारे में कहा, जिस पार्टी में हजार एकड़ जमीन रखने वाले लोग हैं, जिनका लीडर बिड़ला बन बन गया, वह कांग्रेस देश में कभी छुआछूत दूर नहीं करेगी।··· (व्यवधान) ··· आज मैं कुछ घटनाओं की चर्चा कर रहा हूं। आज देश की आजादी के 40 साल बाद आपने गांव-गांव में फ्यूडल पैदा किए तो छुआछूत और इन हालात पर रोक कैसे लगेगी। यह फ्यूडल व्यवस्था की देन है, यह पूंजीवादी व्यवस्था की देन भी नहीं है। हमने पूंजीवाद को भी नहीं अपनाया। आपने, कांग्रेस ने

फ्यूडलिज्म की सेवा की है, उसको पनपाया है इसलिए आज गांव में गरीब आदमी बारात लेकर भी नहीं निकल सकता है मुझे जागीरदारों के दिनों की याद ।...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : राजा साहब ।...(व्यवधान)...

श्री सोपत सिंह मक्कासर : राजा हमारा नहीं था, तुम्हारा था । आपका था । (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : आपने तो नेता मान लिया है अपना । हमने जिसको निकाला, आपने उसको अपना नेता बना लिया ।...(व्यवधान)

श्री सोपत सिंह मक्कासर : जो घटनाएं हुई हैं, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं । मेरे राजस्थान के अन्दर किस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दस परिवारों को मारा गया । दस लोगों को मारा गया । कष्ट की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में मारा गया है । उनके घर विस्फोटक सामग्री से जलाए गए और पुलिस की मौजूदगी में जलाए गए । राज चाहे किसी का हो, हरियाणा के अन्दर अलवर में और भरतपुर में कोई भी गरीब परिवार का आदमी अपने बच्चे को दूल्हे के रूप में घोड़ी पर नहीं चढ़ा सकता है । यह सबके लिए शर्म की बात है । य; न इधर के लिए अच्छी बात है और न उधर के लिए अच्छी बात है, मगर गुनाहगार तुम ज्यादा हो, इसका तो हिस्सा आठ महीने का है गुनाह में ।...(व्यवधान)...मैं आपको जनसत्ता की खबर बताता हूं । दिल्ली के नबीकरीम मोहल्ले में तोताराम जाटव अपने बेटे सुगमचन्द को ब्याहने हरियाणा ले गए । हरियाणा के बटवल कस्बे में...(व्यवधान)...उस कस्बे में उनकी जूतों से पिटाई की गई । आपकी व्यवस्था कमजोर है, फ्यूडल व्यवस्था है । इस कांग्रेस ने तो पूंजीवाद और फ्यूडल व्यवस्था दोनों को बढ़ाया है ।... (व्यवधान) सभापति महोदया, आगरे के झगड़े के बारे में हमको स्पष्ट बात कहनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : बंगाल में सी० पी० एम० वाले पूंजीपतियों को पूंजीनिवेश के लिए इन्वाइट कर रहे हैं । मल्टीनेशनल्स को बंगाल में सी० पी० एम० वाले इन्वाइट कर रहे हैं ।...(व्यवधान)... श्री ज्योति बसु पूंजीपतियों को बंगाल मे इन्वाइट कर रहे हैं ।...(व्यवधान)

श्री सोपत सिंह मक्कासर : माननीय सभापति महोदया: मुझे एक ही बात कहनी है—मैंने जानवरों को देखा है आकाश में उड़ते रहते है, उनको जिन्दा पशुओं का ख्याल नहीं रहता मरने के बाद इन्तजाम करते हैं । इसी तरह से कांग्रेस के लोग भी जब ..(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : आपको जानवर और पक्षी में फर्क नहीं पता—जानवर क्या है और पक्षी क्या होता है । यह आपको फर्क नहीं पता ।...(व्यवधान)

श्री सोपत सिंह मक्कासर : मुझे अफसोस है कि इस देश के अन्दर हमने सब प्रकार के दंगे सुने—धर्म के नाम पर दंगे सुने, हमारी फौज आगरा में पहुंच जाये जातीय दंगों के अन्दर, ये किसी भी सरकार के लिए फर्क की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है। आज यह सवाल उठता है कि कितने रुपए दिए, कितने नहीं दिये । सवाल यह नहीं है कि कितने रुपए दिये, सवाल यह है कि जिस इरादे से जनता पार्टी की सरकार यहां पर आई है, इसका एक ही तरीका है इनसे बचने का कि मजबूत लोगों के साथ इन तमाम समस्याओं को हल करो । खास करके एक कानून बना दो कि जमीन उसकी है जो काश्त करेगा । (व्यवधान) इसमें आधे मर जायेंगे, खून हो जायेगा । (व्यवधान) अगर आप चाहते हैं कि दंगे-फसाद न हों तो इसके लिए आप कोई समाधान ढूंढें । (व्यवधान) इस देश का मालिक कौन

है, पता नहीं। यहां पर कोई यादवों का लीडर है, कोई जाटों का लीडर है, कोई कुम्हारों का लीडर है, कोई मुसलमानों का लीडर है और ये मायावती जी हरिजनों का लीडर हैं। (व्यवधान) हम लोग पांच-पांच साल तक जेलों में रहे हैं और हमने हरिजनों के परिवारों को .6 लाख एकड़ तक जमीन दिलवाई हैं। (व्यवधान) अम्बेडकर जी नाम पर तैरना चाहते हैं। सभापति जी, मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि बाकी सारी पार्टियां बी०एस०पी० और कांग्रेस वहां पर दंगे करवा रही थीं मगर मुझे शाबाशी देनी चाहिये अजय सिंह जी को कि वे मौके पर वहां गये और उन्होंने इन दंगों को रुकवाने की कोशिश की, इस बात की मुझे खुशी है। हमको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन वोट हमारा है, कौन वोट किसका है, यहां पर तो राजनीति ही वोटों की है। इस देश में आदमी आदमी नहीं रहा। किसी के ठप्पा लगा दिया, जाट बन गया, मुसलमान बन गया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को राजपूत बना दिया और सब लीडर बन गये उनके, इस देश का लीडर कोई नहीं रहा। हमको इस देश की तरक्की और इसके विकास तथा एकता की तरफ ध्यान देना चाहिये। अगर इसी तरह से लीडर बनते रहेंगे तो इस देश का लीडर कौन बनेगा? यह इस सदन की जिम्मेदारी है कि वह इस पर विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

5.59 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(चार) गाजियाबाद-साहिबाबाद-दिल्ली सेक्शन के साहिबाबाद स्टेशन पर गैर अन्तर्पाशित कार्य प्रणाली

सभापति महोदय : मैं अब रेलवे मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज को वक्तव्य देने को कहूंगी। इस विषय को समाप्त किया जाये।

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : सुबह कुछ माननीय सदस्यों ने दिल्ली में 9 अगस्त, 1990 को आयोजित होने वाली रैली को विफल करने के उद्देश्य से गाजियाबाद-साहिबाबाद सेक्शन पर गाड़ियों को रद्द करने, उनकी दिशा बदलने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था। यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से गाजियाबाद-साहिबाबाद सेक्शन, जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है, उस पर वर्ष 1986-87 में दो अतिरिक्त लाइनों (3 और 4) को बिछाने की योजना थी।

6.00 म० प०

तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण कार्य मार्च, 1990 में पूरा हो गया। अब इन लाइनों को साहिबाबाद और गाजियाबाद के स्टेशन मार्गों से जोड़ना है। चालू अवधि में न कार्यों को करने का निर्णय जुलाई में लिया गया था। इस कार्य के अन्तर्गत गैर अतर्पाशित कार्य प्रणाली पर कार्य पहले साहिबाबाद में शुरू किया जाता था और साहिबाबाद पर कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् गैर अन्तर्पाशित कार्य प्रणाली का कार्य गाजियाबाद में शुरू किया जायेगा। गैर अंतर्पाशित कार्य प्रणाली में प्वाइंट और सिगनल को केबिन से नहीं चलाया जा सकता है लेकिन, उसी स्थान (साईट) से ही चालू किया जा सकता है। चूंकि प्वाइंट और सिगनलों को केबिन से चालू नहीं किया जा सकता अतएव रेलगाड़ियों को उनकी सामान्य गति से स्टेशनों से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उसकी गति पर काफी रोक लगाने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त नये पारपथों के निर्माण हेतु यातायात को प्रतिदिन तीन से सात घंटे तक स्थगित करना पड़ेगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : क्या यह सब कल के लिए ही हुआ है ?

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : कल की रेली की वजह से हुआ है। (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : श्री देवीलाल जी की रेली की वजह से यह परिवर्तन तो नहीं किया गया है, हमारी यह आशंका है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इस पर बहस कर सकते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप वक्तव्य चाहते हैं, पहले वक्तव्य देने दीजिये उसके बाद अपनी बात उठाइये। आप लोग ही वक्तव्य चाहते हैं। पहले उन्हें वक्तव्य देने दीजिए और उसके बाद अपनी बात कहिये ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या मुझे वक्तव्य देने की अध्यक्ष पीठ की अनुमति है ?

तत्पश्चात् एक निश्चित समय में गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में कमी आती है। साहिबाबाद रिले केबिन से इन लाइनों को जोड़ने के लिए गैर अंतर्पाशित कार्य प्रणाली को साहिबाबाद में 5-8-1990 से शुरू कर दिया गया। क्योंकि स्टेशन से गुजरने का मार्ग सीमित है अतः दो मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को टुण्डला-आगरा, तुगलकाबाद मार्ग की ओर मोड़ना और चार रेलगाड़ियों को सहारनपुर-शामली से दिल्ली की ओर मोड़ना आवश्यक हो गया। इसके अलावा सात यात्री रेलगाड़ियों को गाजियाबाद स्टेशन पर समाप्त करना। रद्द करना पड़ा जिसमे तीन ई० एम० यू० सेवाएं भी शामिल हैं।

गैर अन्तर्पाशित कार्य प्रणाली 5 अगस्त, 1990 मे प्रारंभ हुई और साहिबाबाद पर इसके कार्य में 44 दिन लगने की संभावना है। इसके अलावा तीसरी और चौथी लाइन बिछाने जिसमे वर्तमान लाइनों को फिर से जोड़ना भी शामिल है, इस सब कार्य में दस दिन और लग जायेंगे। गाजियाबाद की ओर तीसरी और चौथी लाइनें जोड़ने में 75 दिन और लग जायेंगे। इस प्रकार, इस कार्य को पूरा करने में कुल मिलाकर 69 दिन लग जायेंगे। यह बहुत बड़ा पुनःनिर्माण कार्य है जिसे क्रम अनुसार विभिन्न चरणों में पूरा किया जाता है। 1000 श्रमिकों का कार्यदल रात-दिन कार्य कर रहा है।

भारतीय रेलवे के इस सेक्शन पर कार्यभार सर्वाधिक है जहां प्रतिदिन 106 से 120 यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं। गाड़ियों के मार्ग का मोड़ना या उनको रद्द करना कम से कम रखा जाता है। 39 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में से केवल छः का मार्ग वैकल्पिक रास्तों से दिल्ली की ओर बदला गया है तथा 18 यात्री रेलगाड़ियों में से 4 को रद्द किया गया है और सात ई० एम० यू० में से तीन को साहिबाबाद पर गैर अंतर्पाशित कार्य प्रणाली के कारण रद्द किया गया है।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल ने सुबह सात बजे टेलीफोन किया और

यह शिकायत की कि दक्षिण रेलवे ने रैली के लिए श्री सुब्रह्मणियम द्वारा मद्रास से लोगों को लाने के लिए बुक कराई गई कोच को रद्द कर दिया है। मैंने उनको बताया कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। मैंने तुरन्त दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक से मालूम किया और उन्होंने आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद बताया कि श्री सुब्रह्मणियम या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मद्रास से रैली के लिए लोगों को लाने के लिये कोई कोच बुक नहीं कराया गया है। **(व्यवधान)**

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार कांग्रेस की परम्पराओं का अनुसरण नहीं करेगी और न ही राजनैतिक दलों द्वारा रैली या सभाएं करने में बाधाएं उत्पन्न करेगी। **(व्यवधान)**

मैंने उत्तर रेलवे से इस खंड पर रद्द की गई। मार्ग बदली गई गाड़ियों को 9 अगस्त, 1990 को चलाने के लिए कहा है हालांकि इससे रेलवे को धन, समय और श्रम की हानि होगी। **(व्यवधान)**

आपने जो किया है वह हम नहीं करेंगे और कार्य की आवश्यकता के कारण जो हमें करना था, उसे भी स्थगित कर दिया गया है जिससे कि जिन रेलगाड़ियों से आपको लोगों का लाना या उन्हें यहां लाया जा सके। **(व्यवधान)**

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : महोदया, चूंकि रेल मन्त्री सदन में उपस्थित हैं अतः आपकी अनुमति से जयपुर के निकट कल हुई रेल दुर्घटना के बारे में उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कुछ पूछना चाहूंगी जिसमें नौ स्कूली बच्चे मारे गये थे। सदन में हम सभी ने इस दुर्घटना पर खेद व्यक्त किया था। कल जयपुर के निकट दुर्घटना इस कारण हुई क्योंकि रेलवे फाटक बिना चौकीदार का था। हमने सदन में यह मांग की थी कि हमें ऐसा आश्वासन दिया जाना चाहिए कि बिना चौकीदार वाले इन सभी रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त किये जायेंगे जिससे कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मैं आपसे कहूंगी कि आप मंत्री महोदय से इन दुर्घटनाओं पर वक्तव्य देने को कहें और इस सम्बन्ध में आश्वासन देने को कहें।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदया, मैंने यह सवाल क्वेश्चयन आवर से पहले उठाया था और कहा था कि 9 बच्चे मर गये और 36 अस्पताल में एडमिट हैं और सीरियस हैं। होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर या डिप्टी रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हम लोगों ने सदन में यह मांग की थी। मुझे अफसोस है कि दोनों मंत्री सदन में मौजूद हैं, लेकिन उस पर कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी है। मैं मांग करता हूं कि दोनों मन्त्रियों में से कोई न कोई इस घटना पर स्टेटमेंट दे कि किन कारणों से, कि गलतियों के कारण यह घटना घटी। मैं मांग करता हूं कि मन्त्री जी या रेलवे उप मन्त्री जी स्टेटमेंट दें।

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : सदन में परम्परा रही है कि जो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, जो अनमैंड क्रासिंग होते हैं उस पर बयान नहीं दिया जाता। आम तौर पर ऐसे जो अपघात होते हैं, जिनमें रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है उस पर कोई बयान नहीं दिया जाता है। यह सदन की परम्परा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रेल मन्त्री महोदय, लगता है कि सदस्य स्पष्टीकरण नहीं चाहते । अतः मुसीबत उठाने की क्या जरूरत है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : माननीय सभापति महोदया, इस सदन की परम्परा है कुतुबमीनार में स्कूल के बच्चे मरे थे तब भी हमारे साथी सदन में थे। वहां बच्चे मरने के बाद होम-मिनिस्टर ने बयान दिया कि किस तरह से बच्चे मरे। और फिर समाजवादी मन्त्री इस बात को कहते हैं और परम्परा नहीं है। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए । (व्यवधान)

———

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सायं 6.00 से अधिक बज चुके हैं। यदि सदन का समय बढ़ाया गया तो उसके लिए मुझे सदन की अनुमति लेनी पड़ेगी ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पर लगातार होने वाले अत्याचारों पर होने वाली चर्चा पर 10 वक्ताओं को बोलना है। उनके नाम मेरे पास हैं। चर्चा को आज ही समाप्त करने के लिए संसदीय कार्य मन्त्री ने सदन का समय बढ़ाने की अपील की है । यदि सदन सहमत हो तो हम चर्चा जारी रख सकते हैं ।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदया, सदन के सम्मुख काफी कार्य है । अल्प अवधि चर्चा, अल्प अवधि चर्चा ही होनी चाहिये। आप इसे इस तरह जारी नहीं रख सकती। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) **:** मैं संसदीय कार्य मन्त्री के वक्तव्य का विरोध करता हूं, मैं समझता हूं कि हरिजनों पर लगातार हो रहे अत्याचार पर एक पूरी चर्चा होनी चाहिये। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को यह नहीं भूलना चाहिए । उन्हें यह समझना चाहिए । (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : सभी दस सदस्यों को आज बोलने दीजिए और इसे आज ही पूरा होने दीजिये । (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) **:** हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा अल्प अवधि चर्चा नहीं है। इसे तकनीकी रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सदन का समय सदन के सभी पक्षों के सहयोग से बढ़ाया जाना चाहिए और हम नहीं लगता कि सदन का समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर कल भी चर्चा होनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : मैं सहमत हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है । अतएव आज ही बैठकर इसे पूरा कर देना चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उसे सुन नहीं पा रही। पहले माननीय सदस्य बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरी जगह आप क्यों नहीं इस स्थान पर बैठ जाते ? यदि ऐसा नहीं है, तो मुझे कम से कम किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचने दीजिए। आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या ऐसा नहीं है ? दरअसल विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और दस वक्ताओं को बोलना है। यह सही है कि सदन का समय सभी पक्षों के सहयोग से बढ़ाया जा सकता है। यही प्रथा है। अत: मैं आखिर में आपसे पूछती हूं। क्या आप उनकी अपील के उत्तर में चर्चा जारी रखेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, जी नहीं।

सभापति महोदय : ठीक है, यदि नहीं तो आज सभा को स्थगित करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और चर्चा कल जारी रखी जा सकती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा आज स्थगित होती है और कल ग्यारह बजे म० पू० पर पुन: समवेत होगी।

6.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 अगस्त, 1990/18 श्रावण, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवेल प्रिंटर्स, पटपड़ गंज